सत्यमेव जयते

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राज्य वित्त)

राजस्थान सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 7

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(राज्य वित्त)

राजस्थान सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 7

http://www.cag.gov.in

विषय सूची

प्राक्कथन		v
कार्यपालिक सारांश		vii
अध्याय I		
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध		
1.1	प्रस्तावना	2
1.2	वर्ष 2016-17 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश	3
1.3	राज्य के संसाधन	16
1.4	राजस्व प्राप्तियाँ	18
1.5	पूँजीगत प्राप्तियाँ	28
1.6	लोक लेखा प्राप्तियाँ	29
1.7	संसाधनों का उपयोग	30
1.8	व्यय की गुणवत्ता	39
1.9	सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	46
1.10	परिसम्पत्तियां और देयताएं	56
1.11	राजकोषीय असंतुलन	64
1.12	ऋण प्रबंधन	69
1.13	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	70
अध्याय II		
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण		
2.1	प्रस्तावना	73
2.2	विनियोग लेखाओं का सारांश	74
2.3	वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबंधन	75
2.4	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	103
2.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें	110
2.6	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	113
अध्याय III		
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग		
3.1	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	115
3.2	लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	116
3.3	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	117
3.4	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	118
3.5	दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि	118
3.6	निजी निक्षेप खाते	119
3.7	लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन	122
3.8	पुस्तक समायोजन	123
3.9	प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान	123
3.10	उचन्त लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष	124
3.11	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	126

विषय सूची

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1	राज्य की रूपरेखा	129
परिशिष्ट 1.2	भाग-अ सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप भाग-ब वित्त लेखे का खाका	130 131
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़े	133
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2016-17 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	135
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2017 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति	138
परिशिष्ट 1.6	2016-17 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक आँकड़े	140
परिशिष्ट 1.7	भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण-पत्र	143
परिशिष्ट 1.8	वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	146
परिशिष्ट 1.9	विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र	147
परिशिष्ट 1.10	कर्जदाताओं द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	148
परिशिष्ट 1.11	भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा	150
परिशिष्ट 1.12	भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र	151
परिशिष्ट 1.13	निवेश जिनके लेखे प्रस्तुत नहीं किये, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	152
परिशिष्ट 1.14	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	153
परिशिष्ट 1.15	पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सरकार की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन के परिणाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र	156
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था	157
परिशिष्ट 2.2	व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक था)	158
परिशिष्ट 2.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी	163
परिशिष्ट 2.4	विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र जहाँ वर्ष 2014-17 के दौरान निरन्तर बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थी	164
परिशिष्ट 2.5	प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये	171
परिशिष्ट 2.6	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अन्तिम आधिक्य/बचत ₹ एक करोड़ से अधिक था)	172
परिशिष्ट 2.7	31 मार्च 2017 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों के अभ्यर्पण के प्रकरण	174
परिशिष्ट 2.8	₹ एक करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	176
परिशिष्ट 2.9	एक मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	177
परिशिष्ट 2.10	वास्तविक बचतों/आधिक्य से अधिक अभ्यर्पण का विवरण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक)	182
परिशिष्ट 2.11	प्रकरण जिनमें पिछले दो से चार वर्षों तक सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे	183
परिशिष्ट 2.12	योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	185
परिशिष्ट 2.13	बैंक खातों में शेषों का विवरण	188
परिशिष्ट 2.14	31 मार्च 2017 को असंचालित/बन्द योजनाओं में अनुपयोजित शेषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	190
परिशिष्ट 2.15	निजी/राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त सरकारी व्यवहारों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण-पत्र	191
परिशिष्ट 2.16	एक योजना के लिए बैंक खातों की बहुलता का विवरण	193
परिशिष्ट 2.17	सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोजित रहना	194
परिशिष्ट 2.18	वर्ष 2016-17 तक बकाया सारांशीकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	195

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 3.1	30 जून 2017 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	197
परिशिष्ट 3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	198
परिशिष्ट 3.3	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र	201
परिशिष्ट 3.4	दुर्विनियोजन चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहाँ जून 2017 के अन्त तक अन्तिम कार्यवाही लंबित थी)	202
परिशिष्ट 3.5	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	203
परिशिष्ट 3.6	वर्ष 2012-17 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	204
परिशिष्ट 3.7	मुख्य शीर्ष '8658-उचन्त लेखे' के अन्तर्गत बकाया शेष	205
परिशिष्ट 4.1	पदों की पारिभाषिक शब्दावली	206

प्राक्कथन

- यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया हैं।

- इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्रमशः सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। जहाँ कहीं आवश्यक था राजस्थान सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई है।

- अध्याय III 'वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग' चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना के विहंगम दृश्य एवं स्थिति को प्रस्तुत करता हैं।

- निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों में लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर आक्षेपों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

कार्यपालिक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान सरकार के अंकेक्षित लेखों के आधार पर राज्य सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2016-17 की आर्थिक समीक्षा, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों से प्राप्त किये गये अन्य वित्तीय आँकड़ों के आधार पर किया गया है।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन को तीन भागों में बाँटा गया है।

अध्याय I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2017 को राजस्थान सरकार की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह प्राप्तियों, व्यय की प्रवृत्तियों, उधार के पैटर्न इत्यादि की जानकारी देता है।

अध्याय II विनियोग लेखे पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदान-दर-अनुदान विवरण एवं सेवा प्रदाता विभागों द्वारा उन्हें आवंटित संसाधनों का जिन तरीकों से प्रबन्ध किया गया, को दर्शाता है।

अध्याय III राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों की अनुपालना का विवरण है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त आँकड़ों का ***परिशिष्ट 1.1*** भी दिया गया हैं। अन्त में दिए गए ***परिशिष्ट 4.1*** में इस प्रतिवेदन में उपयोग में लिये गये राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित चयनित पदों की पारिभाषिक शब्दावली दी गयी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राजकोषीय घाटा:

राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा, जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में दिया गया है, के अन्दर नियंत्रित रखने में विफल रही तथा वर्ष 2016-17 के अंत तक ₹ 23,946 करोड़ (जीएसडीपी का 3.19 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के प्रभाव को सम्मिलित न रखते हुए रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने डिस्कॉम को ₹ 22,372 करोड़ की राशि जारी की। यदि इस प्रभाव को ध्यान में रखा

जाता है तो राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 46,318 करोड़ (जीएसडीपी का 6.18 प्रतिशत) हो जाता है। विद्युत क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 38,026.84 करोड़ के पूंजीगत निवेश के समक्ष ₹ 1,01,239.35 करोड़ की संचित हानि थी।

(अनुच्छेद 1.2.2.3, 1.9.3, 1.9.5 एवं 1.11)

राजस्व घाटा: राज्य सरकार एफआरबीएम अधिनियम में प्रतिपादित शून्य राजस्व घाटे के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगातार चौथे वर्ष असमर्थ रही। वर्ष 2016-17 के दौरान, राजस्व घाटा वर्ष 2015-16 के ₹ 5,954 करोड़ से बढ़कर ₹ 18,114 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में ₹ 8,802 करोड़ के राजस्व घाटे को बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय के लिए ₹ 1,32,053 करोड़ तथा राजस्व प्राप्तियों के लिए ₹ 1,23,251 करोड़ अनुमानित किये। तथापि, वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 1,27,140 करोड़ (अनुमानों से 3.72 प्रतिशत कम) एवं वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 1,09,026 करोड़ (अनुमानों से 11.54 प्रतिशत कम) रही, जिससे राजस्व घाटा ₹ 18,114 करोड़ रहा। यद्यपि, राजस्व घाटा बिना उदय के प्रभाव को मानते हुए ₹ 9,114 करोड़ था।

(अनुच्छेद 1.2.2 एवं 1.11)

ऋण: बकाया ऋण में गत वर्षों से तीव्र वृद्धि दर्शित हुई, यह वर्ष 2016-17 के अंत तक वर्ष 2012-13 के अंत से ₹ 1,17,809 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,55,002 करोड़ (उदय सहित) अर्थात जीएसडीपी का 34.01 प्रतिशत (उदय रहित यह ₹ 1,92,580 करोड़ अर्थात जीएसडीपी का 25.69 प्रतिशत था) हो गया । तथापि, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार ₹ 23,244 करोड़ (उदय रहित) भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा ₹ 21,554 करोड़ से अधिक थी।

(अनुच्छेद 1.10.2)

राजस्व प्राप्तियाँ: वर्ष 2016-17 में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 के ₹ 66,913 करोड़ से तीव्रता से बढ़कर ₹ 1,09,026 करोड़ हो गई। वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर गत वर्ष के 9.8 प्रतिशत की तुलना में 8.7 प्रतिशत (₹ 8,741 करोड़) रही। यह वर्ष 2016-17 में मुख्यत: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश में 20.2 प्रतिशत (₹ 5,640 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का हिस्सा वर्ष 2012-13 के 46 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत रह गया।

(अनुच्छेद 1.4)

राजस्व व्यय: यद्यपि, वर्ष 2016-17 में राज्य का समग्र राजस्व व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 63,462 करोड़ से 100 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,27,140 करोड़ हो गया, इसका

कुल व्यय में हिस्सा 82.9 से गिरकर 80.9 प्रतिशत रह गया। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय में गत वर्ष के 12.4 प्रतिशत की तुलना में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय भी वर्ष 2012-13 के ₹ 49,227 करोड़ समान रूप से बढ़ कर ₹ 79,658 करोड़ हो गया एवं गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत वृद्धि के बाद यह राजस्व व्यय का 63 प्रतिशत रहा।

(अनुच्छेद 1.7 एवं 1.8)

निर्धारित सीमाओं के भीतर राजकोषीय परिमापों से समाहित प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमान अधिक वास्तविक होने चाहिए एवं राज्य सरकार को विवेकपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास करना चाहिए।

यह देखा गया कि विद्युत क्षेत्र का राज्य के वित्तीय ऋण एवं ब्याज भार में लम्बे समय से वृहद योगदान रहा। वर्ष 2015-16 में ऋण का प्रबन्ध करने के लिए उदय लागू किया गया।

राज्य सरकार को प्रमुख वित्तीय पैमानों जैसे राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा एवं अन्य बकाया देयताऐं की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत क्षेत्र की कठिनाईयों का समाधान करना चाहिए।

स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रणाली: पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के खातों के लेखांकन एवं प्रमाणीकरण की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग ने बिना शर्त के नौ प्रमाण पत्र तथा 6,404 सशर्त प्रमाण पत्र जारी किए थे।

(अनुच्छेद 1.7.5)

स्थानीय निकायों में लेखांकन पद्धति का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। राज्य सरकार को लेखों को समय पर तैयार करने एवं प्रस्तुत करने तथा उनका प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

निवेश: वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 4,316.32 करोड़ सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में निवेश किया गया, सरकार द्वारा पाँच विद्युत कम्पनियों में ₹ 4,065.71 करोड़ एवं ₹ 248.61 करोड़ विद्युत कम्पनियों के अलावा निवेशित किये गये। वर्ष 2012-17 के दौरान, यद्यपि राज्य सरकार ने ₹ 22,980.61 करोड़ निवेशित किये, फिर भी सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में निवेश पर प्रतिलाभ 0.3 प्रतिशत से कम था, जबकि वर्ष 2012-17 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी उधारों पर औसत रूप से 7.6 प्रतिशत तक के ब्याज का भुगतान किया।

राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 40,730.66 करोड़ का निवेश किया, जिनमें ₹ 1,01,241.75 करोड़ की संचित हानि हुई। इससे हानि वाली कम्पनियों में पूँजी निवेश का अपक्षरण हुआ।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार को 24 संयुक्त पूँजी कम्पनियों से कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 1.9.3)

राज्य सरकार को निवेश में धन की उचित प्राप्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

बजटरी नियंत्रण: वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 1,83,564.19 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 1,66,175.87 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं ₹ 17,388.32 करोड़ की बचतें रही। इसके अतिरिक्त, 16 प्रकरणों में ₹ 1,453.04 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(अनुच्छेद 2.2 एवं 2.3.7)

वित्तीय प्रबन्ध: विभागों ने ₹ 17,281.09 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये जिससे इन निधियों का उपयोग विकास सम्बन्धी अन्य प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तीन प्रकरणों में, ₹ 127.70 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये। दो अनुदान में आधिक्य व्यय ₹ 0.40 करोड़ था, जिनका नियमन अपेक्षित था। आगे, 90 प्रकरणों में, ₹ 6,562.78 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 4,461.11 करोड़ (68 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

(अनुच्छेद 2.3.2, 2.3.10, 2.3.11 एवं 2.3.12)

नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को आवंटित निधियों की आवश्यकता के अनुसार समुचित उपयोग के लिए स्वीकृत आवंटन के समक्ष व्यय की प्रगति हेतु कड़ी एवं निरन्तर निगरानी रखनी चाहिये। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रक्रिया को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिये ताकि वर्ष के अन्त में बड़े पैमाने पर होने वाले आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण से बचा जा सके एवं उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी रूप से उपयोग हो सके।

आकस्मिक बिल: 30 जून 2017 तक ₹ 371.75 करोड़ के 220 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल बकाया थे।

(अनुच्छेद 2.5)

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से आहरित किये गये अग्रिमों को निर्धारित अवधि में समायोजन करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली लागू की जानी चाहिये।

व्यय की प्रचुरता: 75 उप शीर्षों से संबंधित ₹ 28,548.73 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 14,624.19 करोड़ की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक) वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय की गयी। इसमें से, ₹ 10,590.05 करोड़ अकेले मार्च 2017 में व्यय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही।

(अनुच्छेद 2.3.4)

वर्ष के अन्त में किये जाने वाले व्यय के आधिक्य से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिये विभाग को व्यय की प्रगति का वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।

वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

उपयोगिता प्रमाण-पत्र: विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये स्वीकृत की गयी ₹ 9.32 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। नमूना जाँच के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 6.31 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (₹ 2.89 करोड़) के पर्याप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नही करने के मामले ध्यान में आये।

(अनुच्छेद 3.1)

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के निर्धारित समय में प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कारको की पहचान की जानी चाहिए जिनके कारण प्रस्तुतिकरण में रूकावट आती है।

लेखों का प्रस्तुतीकरण: स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 58 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखे पिछले एक से नौ वर्षों से बकाया थे।

(अनुच्छेद 3.2)

लेखों के बकायों के निधारित समय सीमा में निपटान हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए एवं इनके समय पर प्रस्तुतिकरण हेतु उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि: सरकारी धन के दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के ₹ 67.02 करोड़ की राशि के 877 बकाया प्रकरणों में से, ₹ 29.57 करोड़ के 306 प्रकरणों में विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 32.48 करोड़ के 505 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे।

(अनुच्छेद 3.5)

जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निपटानी चाहिये। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय I
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राज्य की रूपरेखा

राजस्थान, भौगोलिक भू-भाग (342.24 हजार वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवां राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। राज्य[1] की जनसंख्या वर्ष 2007 में 6.41 करोड़ थी, जो कि सामान्य श्रेणी राज्य की औसत 11.9 प्रतिशत के विरूद्ध 14.7 प्रतिशत (***परिशिष्ट 1.1***) की दशकीय वृद्धि दर्ज करते हुये वर्ष 2016 में 7.35 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 14.7 था जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 21.9 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर ₹ 7,49,692 करोड़ (अग्रिम अनुमान) था। इसी अवधि के दौरान साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (2001 की जनगणना) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (2011 की जनगणना) हो गई जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिन्दु कम थी। 2016-17 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 1,14,650 की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 1,01,967 रही। राज्य की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.1*** में दी गई हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

जीएसडीपी, किसी निर्धारित समयावधि में अधिकारिक रूप से मान्य राज्य में अंतिम रूप में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की आबादी के जीवन स्तर को इंगित करती है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में इंगित किया गया है:

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत की जीडीपी[#] (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.8	13.0	10.8	9.9	11.0
राज्य की जीएसडीपी[*] (₹ करोड़ में)	4,93,007[$]	5,48,391[$]	6,06,465[$]	6,72,707[$]	7,49,692[&]
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.5	11.2	10.6	10.9	11.4

स्रोत: # 01.08.2017 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति
*** आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार**

[1] भारत और राज्य के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026 (दिसम्बर 2006 संशोधित) जनसंख्या प्रक्षेपण के रुप में राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित तकनीकी समूह की रिपोर्ट की जनसंख्या तालिका 14 (लिंग आधारित अनुमानित कुल जनसंख्या 1 अक्टूबर 2001-2026)।

[$] संशोधित अनुमान

[&] अग्रिम अनुमान

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

जीएसडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान 13.5 प्रतिशत रही, जो 2014-15 में घटकर 10.6 प्रतिशत रह गयी तथा तब से बढ़ती प्रवृत्ति रखते हुए यह 2016-17 के दौरान 11.4 प्रतिशत हो गयी।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त प्रबन्ध के व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा गत पाँच वर्षों की सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत् परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राजस्थान सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते है। वित्त लेखाओं का नया प्रारूप वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किया गया तथा 2015 में संशोधित किया गया जो कि दो खण्डों में विभाजित (खण्ड I में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरण तथा खण्ड II में विस्तृत वित्तीय विवरण) हैं। यह ***परिशिष्ट 1.2 (भाग अ) एवं परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)*** में सारांशीकृत किया गया है।

इस अध्याय की संरचना चार भागों में है।

- राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश वित्तीय संचालन का विहंगावलोकन, बजट अनुमानों एवं व्ययों की तुलना, जेंडर बजटिंग तथा प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलुओं एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 1.2)

- राज्य के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखे प्राप्तियों के विवरणों को समाविष्ट किया गया है।

(अनुच्छेद 1.3 से 1.6)

- संसाधनों का उपयोग व्यय की गुणवत्ता तथा सरकारी व्यय एवं निवेश के वित्तीय विश्लेषण से सम्बन्धित है।

(अनुच्छेद 1.7 से 1.9)

- परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ, राजकोषीय असन्तुलन तथा ऋण प्रबन्धन वित्तीय स्थिति में सम्मिलित हैं।

(अनुच्छेद 1.10 से 1.12)

1.2 वर्ष 2016-17 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

तालिका 1.2 गत वर्ष (2015-16) की तुलना में चालू वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के संक्षिप्त विवरण को प्रस्तुत करती है, जबकि ***परिशिष्ट 1.4*** चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के सारांश को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2016-17 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2015-16	**2016-17**		**2015-16**	**2016-17**
अनुभाग-अ: राजस्व					
कर राजस्व	42,712.92	44,371.66	सामान्य सेवायें	31,016.27	39,203.26
कर-भिन्न राजस्व	10,927.87	11,615.57	सामाजिक सेवायें	43,348.49	49,371.68
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	27,915.93	33,555.86	आर्थिक सेवायें	31,874.38	38,565.14
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	18,728.40	19,482.91	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	0.10	0.06
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**1,06,239.24**	**1,27,140.14**
अनुभाग-ब : पूँजीगत एवं अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	24.34	27.84	पूँजीगत परिव्यय	21,985.26	16,979.72
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,447.33	1,713.53	संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	36,602.25	12,965.45
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	60,998.17	43,888.85	लोक ऋण की पुनर्अदायगी *	4,959.04	5,014.57
आकस्मिकता निधि	-		आकस्मिकता निधि	-	
लोक लेखा प्राप्तियाँ[2]	1,46,910.29	1,56,044.35	लोक लेखा संवितरण[2]	1,40,431.47	1,48,885.50
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	8,949.28	8,397.27	अन्तिम रोकड़ शेष	8,397.27	8,112.46
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**2,18,329.41**	**2,10,071.84**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**2,12,375.29**	**1,91,957.70**
कुल योग (अ+ब)	**3,18,614.53**	**3,19,097.84**	**कुल योग (अ+ब)**	**3,18,614.53**	**3,19,097.84**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे
*** मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों को छोड़कर**

राजकोषीय संचालन के विस्तृत विश्लेषण तथा प्रवृत्ति विश्लेषण को इस अध्याय में आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है तथा वर्ष 2016-17 में राजकोषीय संचालन के मुख्य बिन्दुओं को नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 8,740.88 करोड़ (8.7 प्रतिशत) से बढ़ी। यह वृद्धि संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश: ₹ 5,639.93 करोड़ (20.2 प्रतिशत), स्व-कर राजस्व: ₹ 1,658.74 करोड़ (3.9 प्रतिशत), भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान: ₹ 754.51 करोड़ (4.0 प्रतिशत) एवं कर-भिन्न राजस्व: ₹ 687.70 करोड़ (6.3 प्रतिशत) के कारण हुई। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) 2016-17 में किये गये आंकलन से ₹ 14,225 करोड़ कम रही।

[2] तालिका 1.2 में लोक लेखा प्राप्तियाँ/संवितरण की राशि सकल आधार पर दर्शाई गई है, जबकि अन्य तालिकाओं/अनुच्छेदों में इन्हें निवल आधार पर दर्शाया गया है।

- राजस्व व्यय में ₹ 20,900.90 करोड़ (19.7 प्रतिशत) की वृद्धि सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 8,186.99 करोड़ (26.4 प्रतिशत), आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 6,690.76 करोड़ (21.0 प्रतिशत) एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 6,023.19 करोड़ (13.9 प्रतिशत) के अन्तर्गत हुई। तथापि, राजस्व व्यय वर्ष के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 4,913 करोड़ कम रहा।

- पूँजीगत परिव्यय में ₹ 5,005.54 करोड़ (22.8 प्रतिशत) की गिरावट आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 5,220.22 करोड़ (33.6 प्रतिशत) एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 3.98 करोड़ (0.9 प्रतिशत) की कमी के कारण हुई जो कि सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 218.66 करोड़ (3.6 प्रतिशत) की वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुई।

- लोक ऋण की प्राप्तियाँ (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर) में ₹ 17,109.32 करोड़ (28.0 प्रतिशत) की कमी रही, जबकि लोक ऋण की पुनर्अदायगी में ₹ 55.53 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई ।

- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 9,134.06 करोड़ (6.2 प्रतिशत) एवं ₹ 8,554.03 करोड़ (6.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- रोकड़ शेष में ₹ 284.81 करोड़ (3.4 प्रतिशत) की गिरावट हुई।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एवं राजवित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिय बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ''राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005'' अधिनियमित किया गया। इसे वर्ष 2011 एवं 2016 में संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग ने भी राज्य के लिए राजवित्तीय समेकित रोडमैप सुझाया।

राज्य की राजवित्तीय स्थिति की समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु पाये गए:

(i) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(क) के अनुसार राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा को प्राप्त करना था और उसके बाद उसे बनाये रखना अथवा राजस्व अधिशेष को प्राप्त करना था । इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग ने भी राजस्व लेखे में आय और व्यय को सन्तुलित रखने के लिए सिफारिश की थी।

राज्य सरकार ने केवल 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रखा और उसके बाद बजट अनुमानों में उच्च आंकलन के बावजूद वर्ष 2016-17 तक लगातार चार वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा। राजस्व अधिशेष/ घाटे की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
बजट अनुमान	(+) 353	(+) 928	(+) 1,026	(+) 738	(+) 557	(+) 198*	(-) 8,802**
संशोधित अनुमान	(+) 443	(+) 772	(-) 2,505	(-) 4,220	(-) 5,232	(-) 8,838*	(-) 17,838**
वास्तविक	(+) 3,357	(+) 3,451	(-) 1,039	(-) 3,215	(-) 5,954	(-) 9,114*	(-) 18,114**

* उदय[3] के प्रभाव रहित, ** उदय के प्रभाव सहित

तालिका से यह दृष्टिगत हुआ है कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए बजट अनुमान दोषपूर्ण थे क्योंकि संशोधित अनुमानों और वास्तविकों में नियमित एवं सार्थक गिरावट रही। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान वर्ष 2013-16 के दौरान संशोधित अनुमानों और वास्तविक की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया जाना दर्शाते हैं।

राज्य सरकार 2016-17 के दौरान आंकलित राजस्व अधिशेष को प्राप्त करने में असमर्थ रही क्योंकि ₹ 1,32,053 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व व्यय 3.72 प्रतिशत (₹ 4,913 करोड़) गिरकर ₹ 1,27,140 करोड़ रह गया जबकि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,23,251 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में 11.54 प्रतिशत (₹ 14,225 करोड़) की तेजी से गिरकर ₹ 1,09,026 करोड़ रही। इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों में बजट की अपेक्षा तेजी से गिरावट राजस्व घाटा के लिए स्पष्ट कारण था। यह देखा जा सकता है कि इन दो मापदण्डों में अन्तर राजस्व घाटे के रूप में प्रकट हुआ है। राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय गिरावट (i) बिक्री, व्यापार आदि पर कर में बजट अनुमान ₹ 34,515 करोड़ के समक्ष ₹ 28,558 करोड़, (ii) स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में बजट अनुमान ₹ 4,200 करोड़ के समक्ष ₹ 3,053 करोड़, (iii) विद्युत पर कर तथा शुल्क में बजट अनुमान ₹ 2,000 करोड़ के समक्ष ₹ 738 करोड़, (iv) पैट्रोलियम पर रॉयल्टी में बजट अनुमान ₹ 3,500 करोड़ के समक्ष ₹ 2,332 करोड़ और (v) अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग में बजट अनुमान ₹ 5,200 करोड़ के समक्ष ₹ 4,234 करोड़ में देखी गई। बजट अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में गिरावट (i) ग्रामीण रोजगार जहाँ बजट अनुमान ₹ 4,680 करोड़ के समक्ष ₹ 2,718 करोड़ का व्यय और (ii) विद्युत जहाँ बजट अनुमान ₹ 17,847 करोड़ की तुलना में ₹ 16,842 करोड़ का व्यय मुख्य क्षेत्रों में हुआ।

यह विचारणीय है कि प्राप्तियों के तीन क्षेत्रों यथा बिक्री व्यापार आदि पर कर, पेट्रोलियम पर रॉयल्टी तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में विगत दो वर्षों के दौरान बजट अनुमान के समक्ष सार्थक गिरावट रही। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

[3] उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय कुप्रबन्धन के स्थाई समाधान के इरादे से वित्तीय कायापलट तथा पुनर्जीवन पैकेज के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई।

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियों का विवरण	2015-16			2016-17		
	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	30,500	26,345	(-)13.6	34,515	28,558	(-) 17.3
पेट्रोलियम पर रॉयल्टी	6,575	2,342	(-) 64.4	3,500	2,332	(-) 33.4
मुद्रांक तथा पंजीकरण शुल्क	4,200	3,234	(-) 23.0	4,200	3,053	(-) 27.3

उक्त स्थिति दर्शाती है कि राज्य का बजटीय प्रतिपादन आशावादी हो रहा है ।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(ख) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक करने तथा उसके आगे उक्त कथित अनुपात को बनाये रखने या कम करने की परिकल्पना की गई थी । इसके अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग (अनुच्छेद 14.64) ने भी राज्य के राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक रोकने की सिफारिश की थी।

निम्नलिखित तालिका 2016-17 के अन्त में बजट अनुमान एवं वास्तविक का राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात को दर्शाती है:

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2015-16	2.99 (उदय रहित)	3.62 (उदय रहित) 9.99 (उदय सहित)	3.41 (उदय रहित) 9.36 (उदय सहित)
2016-17	3.00(उदय रहित) 5.62 (उदय सहित)	3.37(उदय रहित) 6.36 (उदय सहित)	3.19 (उदय रहित) 6.18 (उदय सहित)

यह दृष्टिगत हुआ है कि एफआरबीएम अधिनियम और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई सीमा को राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात ने वर्ष 2016-17 में लगातार तीसरे वर्ष पार कर लिया। यह विचारणीय है कि उदय के प्रभाव को सम्मिलित नही किये जाने के बावजूद वर्ष 2016-17 में 3.19 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात निर्धारित तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक था। यदि उदय के अन्तर्गत ली गयी उधार को सम्मिलित किया जाता तो राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात 5.62 प्रतिशत के अनुमानों के समक्ष 6.18 प्रतिशत होता। यह भी विचारणीय है कि वर्ष 2016-17 के राजकोषीय घाटे के लिए (उदय सहित) बजट अनुमान ₹ 20,133 करोड़ के उधारों को सम्मिलित करते हुए बनाए गये थे जबकि 2016-17 के दौरान वास्तविक उधार ₹ 22,372 करोड़ रहे।

(iii) चौदहवें वित्त आयोग ने अन्य विषयों के साथ राज्यों के लिए राजकोषीय परिवेश एवं राजवित्तीय समेकन रोडमैप हेतु उपायों की सिफारिश की। इसमें (क) वार्षिक बजट अनुमान के उपयुक्त गुणांक के अनुसार नए पूंजीगत कार्यों की

स्वीकृति पर एक सांविधिक उच्चतम सीमा का प्रावधान, (ख) अनुच्छेद 293 (1) के अन्तर्गत वर्तमान एफआरबीएम अधिनियम को उच्चतम ऋण सीमा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में परिवर्तित करना सम्मिलित है।

यह दृष्टिगत हुआ कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उपरोक्त कोई भी सिफारिश लागू नहीं की गई। तथ्य यह रहे कि चौदहवें वित्त आयोग की अवधि 2015-20 के दो वर्ष से अधिक समय समाप्त हो जाने के बावजूद उपरोक्त उपायों पर की गई सिफारिशों को लागू किया जाना शेष था। राजस्थान राज पत्र अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2016 के द्वारा, एफआरबीएम अधिनियम, 2005 में पर्याप्त संशोधन करने के बावजूद भी राज्य के राजकोषीय परिवेश एवं राजवित्तीय समेकन रोडमैप पर चौदहवें वित्त आयोग की अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकार ने नहीं मानी।

(iv) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राजस्थान सरकार ने वित्त, आर्थिक प्रबन्धन, योजना, प्रशासन, लेखा और लेखापरीक्षा तथा विधि के क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञता रखने वाले पाँच सदस्यों की लोक व्यय समीक्षा समिति (पीईआरसी) का गठन (फरवरी 2006) किया। पीईआरसी ने निश्चय किया (मई 2006) कि समिति तीन माह में कम से कम एक बैठक करेगी। तथापि, पदेन सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(v) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल बकाया देयताओं की जीएसडीपी के 36.5 प्रतिशत तक सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम 2005 की धारा 6(ग) में संशोधन (अप्रैल 2016) किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान देयता-जीएसडीपी अनुपात 34.01 था, जो कि संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित की गई सीमा में था ।

1.2.2 बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रपत्र किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के आंकलनों अथवा अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में, प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में सटीकता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, वांछित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति/गैर अनुकूलन का सूचक है जो कि विभिन्न कारणों यथा कुछ के सरकार के नियंत्रणाधीन एवं कुछ के नियंत्रण से बाहर होने के कारण होता है। राज्य सरकार ने, 8 मार्च 2017 को वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान, दूसरे पूरक अनुमानों (7 मार्च 2017) के एक दिन बाद प्रस्तुत किए ।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों के साथ वास्तविकों की तुलना नीचे **तालिका 1.3** में एवं विस्तृत तुलना ***परिशिष्ट 1.6*** में दिये गये हैं।

तालिका 1.3: वर्ष 2016-17 के लिये बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय मानदंड	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक एवं बजट अनुमान में अन्तर	वास्तविक एवं संशोधित अनुमान में अन्तर
1	2	3	4	5 (4-2)	6(4-3)
कर राजस्व	53,300	46,986	44,372	(-) 8,928	(-) 2,614
कर-भिन्न राजस्व	14,084	12,469	11,615	(-) 2,469	(-) 854
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	31,478	33,556	33,556	2,078	0
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	24,389	23,417	19,483	(-) 4,906	(-) 3,934
राजस्व प्राप्तियाँ	1,23,251	1,16,428	1,09,026	(-) 14,225	(-) 7,402
राजस्व व्यय	1,32,053	1,34,266	1,27,140	(-) 4,913	(-) 7,126
ब्याज अदायगियाँ	17,527	17,734	17,677	150	(-) 57
पूँजीगत व्यय	23,421	18,517	16,980	(-) 6,441	(-) 1,537
राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	(-) 8,802	(-)17,838	(-) 18,114	(-) 9,312	(-)276
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 43,147	(-)47,651	(-) 46,318	(-) 3,171	(-)1,333
प्राथमिक घाटा (-)	(-) 25,620	(-)29,917	(-) 28,641	(-) 3,021	-

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

महत्त्वपूर्ण मानदण्डों का लेखापरीक्षा विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों से क्रमश: ₹ 14,225 करोड़ (12 प्रतिशत) एवं ₹ 7,402 करोड़ (6 प्रतिशत) कम रही। राजस्थान सरकार के कर राजस्व[4] एवं कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान में कम संग्रहण होने के कारण राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों से कम रही। कर राजस्व प्राप्ति की अधिकांश श्रेणियों में प्राप्तियाँ, माल एवं यात्री पर कर तथा शुल्क एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर को छोड़कर, बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान में किये गये आंकलन से कम थी। पैट्रोलियम से रायल्टी कम प्राप्त होने के कारण कर-भिन्न राजस्व भी बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान में किये गये आंकलन से कम रहा।

1.2.2.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों से क्रमश: ₹ 4,913 करोड़ (4 प्रतिशत) एवं ₹ 7,126 करोड़ (5 प्रतिशत) कम रहा। राजस्व व्यय में बजट अनुमान की तुलना में गिरावट मुख्यत: 'ग्रामीण रोजगार' के अन्तर्गत ₹ 1,962

[4] बजट अनुमानों की तुलना में राज्य कर राजस्व में ₹ 8,928 करोड़ की कमी तथा संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में ₹ 2,078 करोड़ की वृद्धि तथा राज्य के कर राजस्व में संशोधित अनुमानों की तुलना में ₹ 2,614 करोड़ की कमी रही।

करोड़; 'विद्युत' के अन्तर्गत ₹ 1,005 करोड़; 'सामान्य शिक्षा' के अन्तर्गत ₹ 707 करोड़; 'फसल कृषि कर्म' के अन्तर्गत ₹ 626 करोड़; 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत ₹ 594 करोड़; 'ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम' के अन्तर्गत ₹ 562 करोड़; 'परिवार कल्याण' के अन्तर्गत ₹ 291 करोड़ तथा 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' के अन्तर्गत ₹ 247 करोड़ की रही जो कि 'प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत' के अन्तर्गत ₹ 987 करोड़ की वृद्धि से प्रतिसंतुलित हुई। राजस्व व्यय के उपरोक्त सभी घटकों में वास्तविक भी संशोधित अनुमानों में किये गये आंकलन से कम रहे ।

1.2.2.3 घाटे

राजस्व घाटा[5] (उदय सहित) ₹ 18,114 करोड़ रहा, जो बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों में किये गये आंकलन क्रमशः ₹ 8,802 करोड़ एवं ₹ 17,838 करोड़ से अधिक था। राजकोषीय घाटा[6] (उदय सहित) ₹ 46,318 करोड़ रहा जो बजट अनुमानों (₹ 43,147 करोड़) से अधिक रहा परन्तु संशोधित अनुमानों (₹ 47,651 करोड़) से कम रहा। इसके अलावा, वास्तविक प्राथमिक घाटा[7] बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों क्रमशः ₹ 25,620 करोड़ एवं ₹ 29,917 करोड़ की तुलना में ₹ 28,641 करोड़ रहा, जो कि बजट अनुमानों से अधिक परन्तु संशोधित अनुमानों से कम था। तद्नुसार एफआरबीएम के अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की वास्तविक से तुलना में घाटे की विश्लेषणात्मक स्थिति को **तालिका 1.4** में दिया गया है:

तालिका 1.4: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक के संदर्भ में घाटों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

घाटे का प्रकार	उदय रहित			उदय सहित		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
राजस्व घाटा/ अधिशेष	198	(-) 8,838	(-) 9,114	(-) 8,802	(-) 17,838	(-) 18,114
राजकोषीय घाटा	(-) 23,014	(-) 25,279	(-) 23,946	(-) 43,147	(-) 47,651	(-) 46,318
प्राथमिक घाटा	(-) 5,487	(-) 7,545	(-) 6,269	(-) 25,620	(-) 29,917	(-) 28,641

1.2.2.4 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान पूँजीगत व्यय बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों से क्रमशः ₹ 6,441 करोड़ (28 प्रतिशत) एवं ₹ 1,537 करोड़ (8 प्रतिशत) कम रहा। पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में गिरावट मुख्यतः सड़क एवं

[5] राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ

[6] राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

[7] प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज अदायगियाँ

सेतु पर पूँजीगत परिव्यय: ₹ 1,843 करोड़; जलापूर्ति तथा सफाई: ₹ 1,248 करोड़; शहरी विकास: ₹ 891 करोड़; चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य: ₹ 747 करोड़; लोक निर्माण कार्य: ₹ 306 करोड़; सड़क एवं परिवहन: ₹ 300 करोड़; फसल एवं कृषि कर्म: ₹ 280 करोड़; मुख्य सिंचाई: ₹ 275 करोड़ एवं अन्य सामाजिक सेवाएँ: ₹ 187 करोड़ के अन्तर्गत व्यय के कारण हुई। पूँजीगत व्यय के उपरोक्त सभी घटकों में वास्तविक, संशोधित अनुमानों में किये गये आंकलन से भी कम थे।

1.2.3 जेंडर बजटिंग

जेंडर रिस्पॉनसिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि लोक संसाधनों का न्यायसंगत रूप से विनिधान किया गया है ताकि विशेष जेंडर समूहों की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राजस्थान सरकार ने 2009-10 के बजट भाषण के दौरान, जीआरबी तैयार करने की घोषणा की ताकि प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तद्नुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में एक जेंडर-प्रकोष्ठ का गठन (सितम्बर 2009) में किया गया। जीआरबी के कार्यों एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में योजनाओं का इस प्रकार समेकन करना था कि जेंडर आधारित विश्लेषण में सुविधा रहे। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2010 के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न जीआरबी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से जेंडर डेस्कों का भी गठन किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से बजट अनुमान तैयार करने के लिए नयी एकीकृत वित्तीय प्रणाली में जेंडर बजट प्रविवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)।

वार्षिक जेंडर बजट प्रविवरण तैयार करने के लिए निर्दिष्ट विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारूप में जानकारी प्रदान की जानी होती है। यह प्रारूप महिला उन्मुख आयोजना योजनाओं/कार्यक्रमों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।

अ	योजनाऐं जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
ब	योजनाऐं जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
स	योजनाऐं जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
द	योजनाऐं जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से कम व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।

वर्ष 2012-17 के दौरान श्रेणीवार आवंटन एवं वास्तविक व्यय का विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका: 2012-17 के दौरान जेंडर बजटीय आवंटन एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)

वर्ष		श्रेणी 'अ'	श्रेणी 'ब'	श्रेणी 'स'	श्रेणी 'द'	योग
2012-13	बजट अनुमान	2,227.59	15,514.36	255.87	209.71	18,207.53
	वास्तविक व्यय	3,371.83	10,334.31	475.07	129.01	14,310.22
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	151.4	66.6	185.7	61.5	78.6
2013-14	बजट अनुमान	3,262.82	18,832.71	980.81	60.62	23,136.96
	वास्तविक व्यय	5,020.62	11,190.07	657.65	329.79	17,198.13
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	153.9	59.4	67.1	544.0	74.3
2014-15	बजट अनुमान	4,241.11	21,143.72	2,887.26	38.49	28,310.58
	वास्तविक व्यय	5,767.98	18,329.41	1,093.63	1,315.92	26,506.94
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	136.0	86.7	37.9	3418.9	93.6
2015-16	बजट अनुमान	5,963.18	30,381.26	2,264.05	42.63	38,651.12
	वास्तविक व्यय	7,814.04	20,263.82	2,176.33	49.76	30,303.95
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	131.0	66.7	96.1	116.7	78.4
2016-17	बजट अनुमान	5,771.71	37,876.75	3,251.84	40.64	46,940.94
	वास्तविक व्यय	3,524.88	23,211.34	2,450.84	89.69	29,276.75
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	61.1	61.3	75.4	220.7	62.4

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 2012-17 के दौरान कुल व्यय की तुलना में जेंडर बजट 78.6 प्रतिशत से घटकर 62.4 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त, 'अ' श्रेणी की योजनाओं में 2012-16 के दौरान औसत व्यय बजट अनुमानों का 143.1 प्रतिशत था, यह 2016-17 के दौरान 61.1 प्रतिशत था।

महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग में पाँच योजनाओं की नमूना जाँच ('अ' श्रेणी में वर्गीकृत, जिसमें 100 प्रतिशत जेंडर बजट आवंटन एवं ₹ 10 करोड़ से अधिक) में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकट हुई:

(i) महिला एवं बाल विकास विभाग

(अ) **मिशन ग्राम्य शक्ति (एमजीएस)** का उद्देश्य क्लस्टरिंग, क्षमता निर्माण एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करना तथा महिला सशक्तिकरण हेतु आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों के साथ जोड़ना था। यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान इस योजना में ₹ 16.60 करोड़ के बजट आवंटन के समक्ष कोई व्यय नहीं हुआ। निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2017) कि एमजीएस की कार्ययोजना वित्त विभाग द्वारा

अनुमोदित नहीं होने के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सकी। इस योजना के अर्न्तगत कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2013-16 के भारत के नियंत्रक एवं महालेक्षापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य वित्त में भी इसका उल्लेख किया गया था।

(ब) **राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)** का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों को उनके पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के साथ, जीवन कौशल एवं व्यावसायिक कौशल के माध्यम से सशक्त बनाना है।

यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान पूरक पोषण योजना के क्रियान्विति न होने के कारण ₹ 101.36 करोड़ के बजट आवटंन के समक्ष केवल ₹ 0.37 करोड़ (0.37 प्रतिशत) का व्यय हुआ।

(ii) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अ) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)** को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्-राजीविका (आरजीएवीपी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसकी स्थापना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर 2010 में की गई थी। आरजीएवीपी का उददेश्य ग्रामीण गरीबों को वित्तीय रूप से सतत् तथा प्रभावी सांस्थानिक मंच प्रदान कराना था। यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति नहीं होने के कारण इस योजना में ₹ 118.10 करोड़ के प्रावधान के समक्ष ₹ 24.73 करोड़ का व्यय हुआ।

(ब) इन्दिरा आवास योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को ग्राम सभाओं के माध्यम से समुदायों की पहचान हेतु सरकार से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के साथ आवासों को पाने या आवासों के निर्माण के लिए पहचान कराने का माध्यम है।

यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2016-17 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत ₹ 830.90 करोड़ के प्रावधान के समक्ष ₹ 132.06 करोड़ व्यय हुआ । विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2017) कि इन्दिरा आवास योजना के स्थान पर *प्रधानमन्त्री आवास योजना* के क्रियान्वयन के कारण कम व्यय हुआ।

(iii) माध्यमिक शिक्षा विभाग

वर्ष 2016-17 के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में **'कक्षा IX की लड़कियों को साइकिल वितरण'** योजना के अर्न्तगत ₹ 85 करोड़ के आवंटन के समक्ष ₹ 23.58 करोड़ (27.74 प्रतिशत) का व्यय हुआ। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2017) कि साइकिल आपूर्ति में देरी (मई 2017 में) के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, एक जेंडर आधारित योजना में शून्य व्यय एवं शेष चार योजनाओं में मात्र 0.37 से 27.74 प्रतिशत के मध्य व्यय रहा जो कि जेंडर बजटिंग की क्रियान्विति में प्रमुखता देने की कमी को दर्शाता है।

1.2.4 वर्ष 2016-17 के बजट भाषण की प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति

मार्च 2016 में, वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की। सम्बंधित विभागों द्वारा सूचित की गई (मई -अगस्त 2017) प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति का सार नीचे तालिका में दिया गया है:

बजट भाषण की पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति
29	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	जयपुर शहर के विस्तारीकरण से पेयजल की बढ़ी माँग को दृष्टिगत रखते हुए बीसलपुर - जयपुर पेयजल परियोजना द्वितीय चरण का कार्य ₹ 1,945 करोड़ की लागत से करवाया जायेगा ।	वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ। विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2017) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) और बीसलपुर बांध में पीने के पानी की अतिरिक्त मांग के आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। यह भी सूचित किया गया कि जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से ऋण स्वीकृति होने और वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद यह परियोजना शुरू की जाएगी। तथ्य यह है कि पानी की अतिरिक्त मांग का आरक्षण नहीं किया गया और निविदा प्रक्रिया अगस्त 2017 तक शुरू नहीं हुई थी।
30.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राज्य के चयनित जिलों में जलापूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं। इन परियोजनाओं को बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के माध्यम से कराकर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। योजनाएँ निम्नानुसार है:	
		(i) राजसमन्द जिले के लिए-देवास -III से पानी राजसमन्द झील में लाने हेतु प्रथम चरण में ₹ 1,064 करोड़ की लागत के कार्य।	(i) वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ। विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2017) कि देवास बांध में पानी की उपलब्धता की अनिश्चितता के कारण अंतर विभागीय उच्चाधिकार समिति ने डीपीआर के प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दी।
		(ii) बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के 188 गाँव तथा गुढ़ामलानी तहसील के 308 गाँवों को लाभान्वित करने के लिए क्रमश: ₹ 459.64 करोड़ एवं ₹ 481.32 करोड़ लागत की योजनायें।	वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ। भारत सरकार के निर्देशों (मार्च 2017) के अनुसार संशोधित डीपीआर और ऋण स्थिरता प्रमाण पत्र बनाने प्रक्रियाधीन थे। इस प्रकार, प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ (अगस्त 2017)।

बजट भाषण की पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति
		(iii) झुंझुनूं जिले में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सूरजगढ़ कस्बा तथा सूरजगढ़, चिड़ावा एवं बुहाना तहसील के 190 गाँवों एवं 69 ढ़ाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु ₹ 624.85 करोड़ की योजना।	
		(iv) उदयपुरवाटी क्षेत्र के 94 गाँवों एवं 504 ढ़ाणियों की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ₹ 644.93 करोड़ की योजना ।	
31.	जल संसाधन	सिरोही जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बत्तीसा नाले पर ₹ 213 करोड़ की लागत से बाँध बनाया जायेगा ।	वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ। निर्माण कार्य के लिए विभाग द्वारा ₹ 228.05 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई (जुलाई 2016)। वन विभाग से भूमि अधिग्रहण और भूमि की स्वीकृति प्रक्रिया में थी। वन विभाग से भूमि के अधिग्रहण और भूमि की स्वीकृति नहीं होने के कारण, वित्तीय स्वीकृति के बावजूद काम शुरू नहीं किया जा सका।
60.	देवस्थान	12 प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों[8] का विकास ₹ 35 करोड़ की लागत से चरणबद्ध रूप से करवाया जायेगा ।	खाटूश्यामजी- सीकर, डिग्गी मालपुरा-टोंक, पुष्कर एवं बूढा पुष्कर - अजमेर और बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर की अंतिम डीपीआर पर कार्यवाही की जा रही थी। श्री मेहंदीपुर बालाजी के संबंध में अंतिम डीपीआर अनुमोदित की गई और कार्यकारी एजेंसी को आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश दिये गये। इस प्रकार, डीपीआर के अंतिमीकरण नहीं होने के कारण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थानों के विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके।
72.	उद्योग	प्रदेश में राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी- 2015 लागू की गयी है। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध	राजस्थान सरकार ने ₹ 10.85 करोड़ का बजट प्रावधान किया जिसके समक्ष वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ। तथापि, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने सूचित

[8] खाटूश्यामजी- सीकर, डिग्गी मालपुरा- टोंक, चौथमाता का बरवाड़ा- सवाईमाधोपुर, मातृकुण्डिया- चित्तौड़गढ़, मेहंदीपुर बालाजी- करौली, बेणेश्वरधाम- डूंगरपुर, रामदेवरा लघुरवा- जैसलमेर, सालासर हनुमानजी- चूरू, पुष्कर एवं बूढ़ा पुष्कर- अजमेर, रूपनारायणजी मंदिर, चारभुजाजी मंदिर- राजसमन्द तथा मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र।

बजट भाषण की पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति
		करायी जायेगी, इसके लिए ₹ 10.85 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।	किया (जून 2017) कि ₹ 0.45 करोड़ की राशि आवंटित की गई और वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 0.93 करोड़ (गैर-अंकेक्षित) का व्यय किया गया। आगे, वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1.91 करोड़ के केवल 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
94	कृषि	राजस्थान राज्य भंडारण निगम द्वारा ₹ 2.32 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण ₹ 162 करोड़ की लागत से करवाया जायेगा।	राजस्थान राज्य भंडारण निगम ने सूचित किया (जुलाई 2017) कि रायसिंहनगर और घड़साना के केवल 20 प्रतिशत गोदामों का कार्य पूरा हो चुका है। अलवर में रामगढ़ और श्री गंगानगर में अनूपगढ़ के गोदामों के निर्माण कार्यो की निविदा प्रक्रिया चल रही थी।
166	तकनीकी शिक्षा	बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। .	वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नही हुआ। 30 एकड़ भूमि की पहचान की गई है एवं जिला कलेक्टर को भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया जा चुका है। आगे, प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विचाराधीन था।
186	चिकित्सा शिक्षा	आगामी वर्षों के दौरान चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर, उदयपुर, कोटा (100 सीट प्रत्येक में) एवं झालावाड़ में (50 सीट) 350 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, जिस पर लगभग ₹ 420 करोड़ का व्यय होगा।	प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर और अजमेर ने सूचित किया (जून 2017) कि वर्ष 2016-17 में कोई राशि आवंटित नही की गई। चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा ने सूचित किया कि वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 7.50 करोड़ की राशि आवंटित हुई लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया।
203	स्वायत्त शासन	भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में घोषित देश के 20 शहरों में चयनित स्मार्ट शहर जयपुर एवं उदयपुर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवायी जायेगी। आगामी वर्ष के लिए ₹ 400 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित था।	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान ₹ 316 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया जिसके समक्ष मार्च 2017 तक केवल ₹ 6.43 करोड़ व्यय किए गए। 46 परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत ₹ 2,401 करोड़ थी, तथापि, ₹ 18 करोड़ की लागत की केवल चार परियोजनाएँ जून 2017 तक पूर्ण की गई। उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान ₹ 316 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया जिसके समक्ष मार्च 2017 तक केवल ₹ 5.78 करोड़ खर्च किए गए। 79 परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत ₹ 1,221 करोड़ थी, तथापि,

बजट भाषण की पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति
			₹ 3.34 करोड़ की लागत की केवल पाँच परियोजनाएं जून 2017 तक पूर्ण की गई।
204	स्वायत्त शासन	राज्य के 37 शहर[9] जल वितरण, सीवरेज, ड्रेनेज आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के चतुर्थ चरण में शामिल किये गये हैं। इस योजना का क्रियान्वयन ₹ 4,200 करोड़ की लागत से किया जायेगा।	वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नही हुआ। आरयूआईडीपी ने सूचित किया कि 2017-18 में एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा ऋण स्वीकृत होने की संभावना है और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दिसम्बर 2017 में तैयार की जाएगी, उसके बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी और मार्च 2018 में कार्यादेश जारी किया जाएगा।

अनुवर्ती कार्यवाही में धीमी गति और काम शुरू करने में शिथिलता, बजट भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई पहलों के अनुश्रवण एवं अनुसरण की कमी को इंगित करता है।

1.3 राज्य के संसाधन

वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

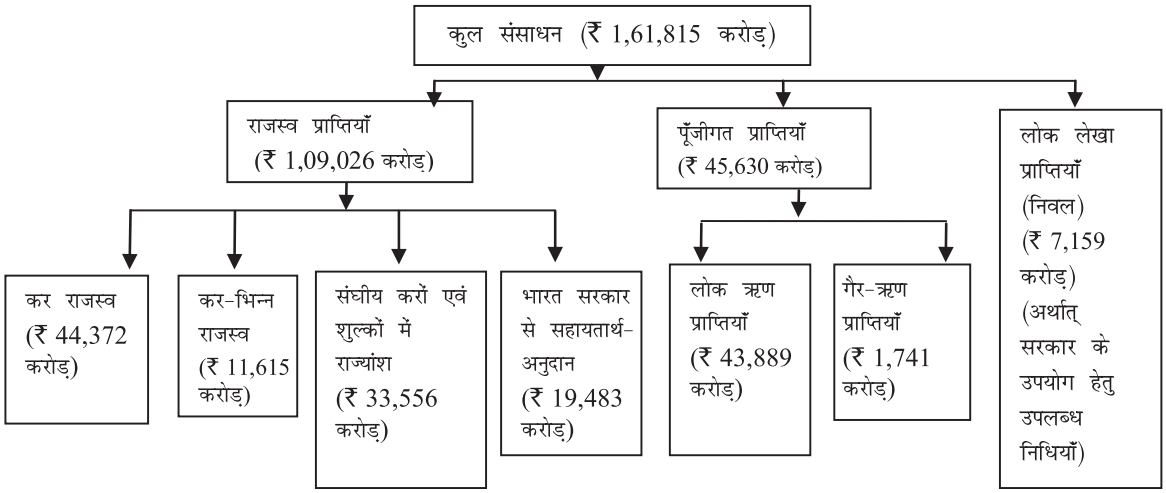
राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों राजस्व प्राप्तियों[10] एवं पूँजीगत प्राप्तियों[11] में विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने घाटे की वित्त पूर्ति करने हेतु लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का भी उपयोग किया जाता है। राज्य के संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

9 जोबनेर, चौमूं, सांभर-फुलेरा जिला जयपुर, बांदीकुई जिला दौसा, डीग, कामां जिला भरतपुर, खेतड़ी, मंडावा, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, सरदारशहर, रतनगढ़ जिला चूरू, आबूरोड़ जिला सिरोही, बाड़ी जिला धौलपुर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़, बालोतरा जिला पाली, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, कुचामन, लाडनूं, मकराना, डीडवाना जिला नागौर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा जिला बीकानेर, राजगढ़ जिला अलवर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर एवं सिरोही, प्रतापगढ, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, राजसमन्द एवं दौसा ।

10 राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं।

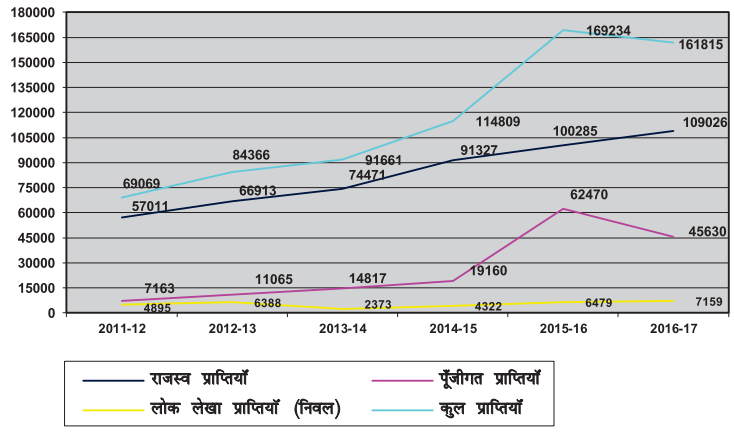
11 पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जे और अग्रिमों की वसूलियाँ, ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जे और अग्रिम शामिल हैं।

संसाधनों के घटक तथा उप-घटक

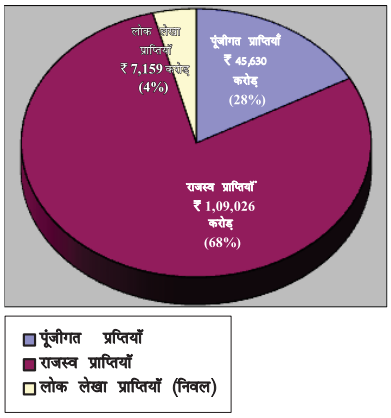


वर्ष 2011-17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** दर्शाता है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को **चार्ट 1.2** दर्शाता है।

चार्ट 1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.2 2016-17 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान, कुल प्राप्तियों (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) 27 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए 2011-12 में ₹ 69,069 करोड़ से 2016-17 में बढ़कर ₹ 1,61,815 करोड़ हो गई। यद्यपि, वर्ष 2016-17 के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 7,419 करोड़ (4 प्रतिशत) से कम हुई।

कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश वर्ष 2016-17 में 68 प्रतिशत था। आगे राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण **पैराग्राफ 1.4** में दिया गया है।

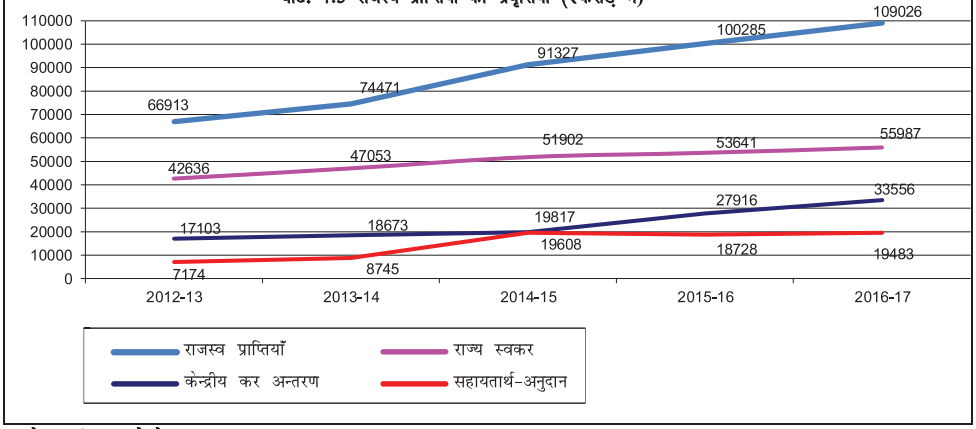
लोक लेखा प्राप्तियाँ, जो कि ऐसी प्राप्तियाँ हैं जिनके लिये सरकार लोक निधि हेतु एक बैंकर/ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, यह वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियों का 4 प्रतिशत थी। लोक लेखा की निवल प्राप्तियाँ (₹ 7,159 करोड़) मुख्यत: अल्प बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 3,380 करोड़) में थी।

पूँजीगत प्राप्तियाँ 107 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2011-12 में ₹ 7,163 करोड़ से 2016-17 में बढ़कर ₹ 45,630 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियों की भी 28 प्रतिशत रही। यद्यपि, वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 16,840 करोड़ (27 प्रतिशत) की कमी आई। लोक ऋण प्राप्तियाँ जो कि पूँजीगत प्राप्तियों का मुख्य संघटक है, गत वर्ष की तुलना में ₹ 17,109 करोड़ से घटी। आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम, लोक ऋण प्राप्तियों के दो घटक है जो कि क्रमश: कुल लोक ऋण प्राप्तियों का 92 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत थे। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में गत वर्ष की तुलना में 98 प्रतिशत की वृद्धि तथा आन्तरिक ऋण में 32 प्रतिशत की गिरावट रही। यह 32 प्रतिशत की गिरावट आन्तरिक ऋण में मुख्यत: गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान उदय के अन्तर्गत गैर सांविधिक तरलता अनुपात बॉण्ड एवं जब्त बॉण्ड ऋण ₹ 17,678 करोड़ के कम जारी किए जाने से हुई।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

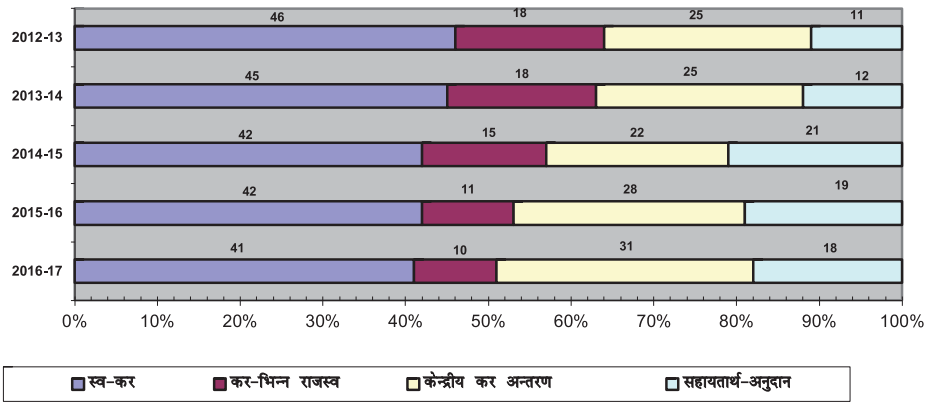
सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के **विवरण-14** में दिया जाता हैं। राजस्व प्राप्तियों में सरकार की स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2012-17 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संयोजन को ***परिशिष्ट 1.3*** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमश: **चार्ट 1.3** एवं **चार्ट 1.4** में भी नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट: 1.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.4 वर्ष 2012-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन (अंश प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियाँ 16 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 66,913 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 1,09,026 करोड़ हो गई।

औसत रुप से, 2012-17 की अवधि के दौरान राजस्व का 57 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया तथा शेष भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आया।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान 41 एवं 46 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व का अंश 10 एवं 18 प्रतिशत के मध्य रहा। तथापि, कर-भिन्न राजस्व का अंश राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 में 11 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 10 प्रतिशत रह गया।

नीचे **तालिका 1.5** में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ दर्शाई गयी हैं:

तालिका 1.5: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**66,913**	**74,471**	**91,327**	**1,00,285**	**1,09,026**
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.4	11.3	22.6	9.8	8.7
राज्य स्व-कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.2	9.8	15.5	10.4	3.9
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	13.6	13.6	15.1	14.9	14.5
उत्प्लावकता अनुपात					
राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	1.3	1.0	2.1	0.9	0.8
राज्य स्व-कर उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	1.5	0.9	1.5	1.0	0.3
राजस्व उत्प्लावकता राज्य स्व-कर के संदर्भ में	0.9	1.2	1.5	0.9	2.2

स्रोत: वित्त लेखे

उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलापन दर्शाता है। जीएसडीपी की वृद्धि सरकार को स्व कर राजस्व की वृद्धि के लिये भी उपलब्ध होती है। राजस्व उत्प्लावकता, जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर के सीधे समानुपाती है, इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव के कारण व्यापक रूप से परिवर्तित हुआ। यह पिछले वर्ष के 0.9 से घटकर वर्ष 2016-17 में 0.8 रह गया। यह उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की तुलना में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को ज्यादा निधियों का अन्तरण किया गया।

1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

जैसाकि केन्द्रीय करों एवं सहायतार्थ-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न संसाधनों से किया गया।

नीचे **तालिका 1.6** में चौदहवें वित्त आयोग तथा एमटीएफपीएस द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ दी गयी हैं:

तालिका 1.6: 2016-17 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट अनुमान /एमटीएफपीएस	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान एवं वास्तविक के मध्य अन्तर	
				राशि	प्रतिशत
कर राजस्व	62,521	53,300	44,372	(-) 8,928	16.75
कर-भिन्न राजस्व	18,843	14,084	11,615	(-) 2,469	17.53

कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आकलनों से क्रमश: 29.03 प्रतिशत (₹ 18,149 करोड़) एवं 38.36 प्रतिशत (₹ 7,228 करोड़) कम रही तथा बजट अनुमान से भी कम रही।

1.4.1.1 कर राजस्व

बिक्री, व्यापार आदि पर कर (64 प्रतिशत) राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे, इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (16 प्रतिशत), वाहनों पर कर (8 प्रतिशत) एवं मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (7 प्रतिशत) थे। मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति नीचे **तालिका 1.7** एवं **चार्ट 1.5** में दी गई है:

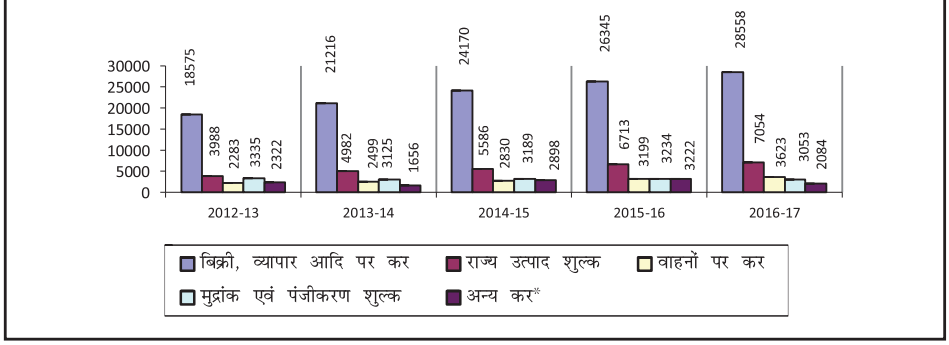
तालिका 1.7: राज्य के स्वकर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,575	21,216	24,170	26,345	28,558	8.4
राज्य उत्पाद शुल्क	3,988	4,982	5,586	6,713	7,054	5.1
वाहनों पर कर	2,283	2,499	2,830	3,199	3,623	13.3
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,335	3,125	3,189	3,234	3,053	(-) 5.6
भू-राजस्व	304	338	289	272	315	15.8
माल तथा यात्री कर	249	288	956	848	803	(-) 5.3
अन्य कर[12]	1,769	1,030	1,653	2,102	966	(-) 54.0
योग	**30,503**	**33,478**	**38,673**	**42,713**	**44,372**	**3.9**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट : 1.5 वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य के स्व कर-राजस्व घटक (₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **अन्य करों में भू-राजस्व, माल एवं यात्री कर, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर एवं शुल्क तथा कृषि आय पर कर शामिल है।**

वर्ष 2016-17 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि से प्राप्तियाँ, कर राजस्व का मुख्य अंश (64 प्रतिशत) रही तथा गत वर्ष की तुलना में इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। बिक्री, व्यापार आदि से प्राप्तियों की वृद्धि दर में गत वर्ष की वृद्धि दर 9 प्रतिशत से एक प्रतिशतता बिन्दु की गिरावट हुई।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क में गत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य उत्पाद शुल्क की वृद्धि दर में गत वर्ष 2015-16 की वृद्धि दर (20 प्रतिशत) से 15 प्रतिशतता बिन्दु की गिरावट हुई। यह मुख्यत: जौ की शराब, अफीम, गांजा एवं अन्य ड्रग्स सेवाएँ एवं सेवा शुल्कों के अन्तर्गत प्राप्तियों में गिरावट के कारण हुई।

[12] अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर एवं शुल्क तथा कृषि आय पर कर शामिल है।

वर्ष 2016-17 के दौरान मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 3,053 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में (₹ 3,234 करोड़) 6 प्रतिशत की कमी हुई तथा माल एवं सवारियों पर कर (₹ 803 करोड़) में भी गत वर्ष की तुलना में (₹ 848 करोड़) 5 प्रतिशत की कमी हुई।

1.4.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को नीचे ***तालिका 1.8*** एवं ***चार्ट 1.6*** में दर्शाया गया है:

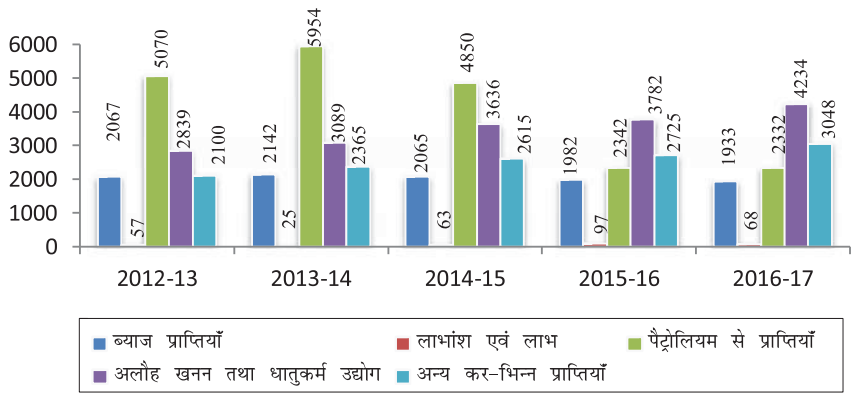
तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
ब्याज प्राप्तियाँ	2,067	2,142	2,065	1,982	1,933	(-) 2.5
लाभांश एवं लाभ	57	25	63	97	68	(-) 29.9
पैट्रोलियम से राजस्व[13]	5,070	5,954	4,850	2,342	2,332	(-) 0.4
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,839	3,089	3,636	3,782	4,234	12.0
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	2,100	2,365	2,615	2,725	3,048	11.9
योग	**12,133**	**13,575**	**13,229**	**10,928**	**11,615**	**6.3**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.6: वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कर - भिन्न राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



कर-भिन्न राजस्व (₹ 11,615 करोड़), जो कि वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत था, में गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत (₹ 687 करोड़) की वृद्धि हुई। खनिज, रियायत शुल्क, किराया तथा रॉयल्टी की अधिक प्राप्ति के कारण, अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग से राजस्व में ₹ 452 करोड़ अर्थात् 12 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

[13] बाड़मेर-सांचौर बेसिन में कच्चे तेल उत्पादन की रॉयल्टी से राजस्व।

निवेश पर प्रतिलाभ वर्ष 2015-16 के 0.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 0.2 प्रतिशत रह गया। इसका आगे विवरण **पैराग्राफ 1.9.3** में दिया गया है।

1.4.1.3 सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों (एनटीआरआर) के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) से अनुपात को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली के सूचक के रूप में माना जाता है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सफाई, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई तथा सड़क एवं सेतु के सम्बन्ध में वर्तमान मूल्य की वसूली का विवरण एनटीआरआर का एनपीआरई से अनुपात के रूप में नीचे **तालिका 1.9** में दिया गया है:

तालिका 1.9: सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेवा	2015-16			2016-17		
		सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)	सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)
1	प्रारम्भिक शिक्षा	28.12	6,181.57	0.45	32.43	5,111.14	0.63
2	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	119.21	3,172.31	3.76	125.39	3,492.33	3.59
3	जलापूर्ति तथा सफाई	373.64	2,402.50	15.55	547.21	2,612.17	20.95
4	मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई	86.09	528.28[14]	16.30	122.62	572.26[15]	21.43
5	सड़क एवं सेतु	6.24	635.74	0.98	6.57	587.79	1.12

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई क्षेत्र में प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में 42 प्रतिशत बढ़ी, जबकि गत वर्ष की तुलना में वसूली की वास्तविक लागत 5.13 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ी।

1.4.2 भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान वर्ष 2012-13 में ₹ 7,174 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 19,483 करोड़ हो गया, जैसाकि नीचे **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है:

[14] वर्ष 2015-16 ब्याज अदायगियों के कल्पित समायोजन को छोड़कर ₹ 1,193.34 करोड़।
[15] वर्ष 2016-17 ब्याज अदायगियों के कल्पित समायोजन को छोड़कर ₹ 1,290.08 करोड़।

तालिका 1.10: भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजना-भिन्न अनुदान	2,675	3,551	4,527	5,241	5,928
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,316	2,993	14,885	12,957	13,462
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	92	135	196	530	108
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,091	2,066	-	-	(-) 15
योग	**7,174**	**8,745**	**19,608**	**18,728**	**19,483**
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर	(-) 4.1	21.9	124.2	(-) 4.5	4.0
कुल अनुदान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	10.7	11.7	21.5	18.7	17.9

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त स्थिति से पता चलता है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ-अनुदान में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यत: राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान के अन्तर्गत वृद्धि के कारण हुई।

1.4.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों के 32 प्रतिशत हिस्से (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। केन्द्रीय करों के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमश: 5.50 प्रतिशत एवं 5.65 प्रतिशत निर्धारित किया गया। भारत सरकार से केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा सहायतार्थ-अनुदान के घटकों को नीचे **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: भारत सरकार से केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा सहायतार्थ-अनुदान के विभिन्न घटकों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार से केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा सहायतार्थ-अनुदान के घटक	2015-16	2016-17	वृद्धि/कमी (-) (3-2)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/ कमी की दर
1	2	3	4	5
(अ) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश				
निगम कर	8,760	10,739	1,979	22.6
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,073	7,464	1,391	22.9
धन कर	2	25	23	1150.0
सीमा शुल्क	4,464	4,620	156	3.5
संघ उत्पाद शुल्क	3,731	5,275	1,544	41.4
सेवा कर	4,864	5,433	569	11.7
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	22	-[16]	(-) 22	(-) 100.0
योग (अ)	**27,916**	**33,556**	**5,640**	**20.2**

[16] ₹ 0.09 करोड़।

भारत सरकार से केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा सहायतार्थ-अनुदान के घटक	2015-16	2016-17	वृद्धि/कमी (-) (3-2)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/ कमी की दर
1	2	3	4	5
(ब) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान				
आयोजना-भिन्न अनुदान	5,241	5,928	687	13.1
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	12,957	13,462	505	3.9
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं सहित)	530	93	(-) 437	(-) 82.5
योग (ब)	**18,728**	**19,483**	**755**	**4.0**
कुलयोग (अ) + (ब)	**46,644**	**53,039**	**6,395**	**13.7**

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त स्थिति से पता चलता है कि वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण गत वर्ष की तुलना में ₹ 5,640 करोड़ अधिक हुआ एवं यह कुल राजस्व का 31 प्रतिशत था। उल्लेखनीय वृद्धि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (41.4 प्रतिशत), निगम कर से भिन्न आय पर कर (22.9 प्रतिशत), निगम कर (22.6 प्रतिशत) एवं सेवा कर (11.7 प्रतिशत) के अन्तर्गत हुई। भारत सरकार के अन्तरण (कर हस्तान्तरण एवं सहायतार्थ-अनुदान) में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 14 प्रतिशत (₹ 6,395 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.4.4 राज्य बजट से बाहर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा निधियों का अन्तरण

केन्द्रीय सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निधियाँ सीधे राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों[17] को अन्तरित कर रही हैं। क्योंकि इन निधियों का अन्तरण राज्य बजट/राज्य कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है, वार्षिक वित्त लेखों में इन निधियों को नहीं दिखाया जाता एवं इस स्तर तक ये राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय व उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चरों/पैमानों की सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया कि वर्ष 2014-15 से आयोजना सहायता के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (सीएसएस) तथा खण्ड अनुदान राज्य की समेकित निधि से चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण द्वारा राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत की जावेगी।

तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 3,799.71 करोड़ की केन्द्रीय निधियाँ प्रदत्त कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गई। इनमें से केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 3,174 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के लिए, ₹ 178 करोड़ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए, ₹ 71 करोड़ ऑफ ग्रिड वितरित एवं विकेन्द्रीकृत नवीनीकरण विद्युत के लिए, ₹ 55 करोड़

[17] राज्य कार्यकारी एजेन्सियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/संस्था सम्मिलित हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

स्वदेश दर्शन– एकीकृत संसाधन विकास योजना की थीम आधारित पर्यटन के लिए एवं ₹ 28 करोड़ एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना के लिए अन्तरित किये गये। राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों का विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत किया गया है।

1.4.5 अनुदानों का अधिकतम उपयोग

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

चौदहवें वित्त आयोग ने 01 अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षीय अवधि को शामिल करते हुये अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 में प्रस्तुत की। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने वर्ष 2015–2020 की अवधि के दौरान राज्य सरकार को ₹ 24,240.75 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान (राज्य आपदा मोचन निधि में राज्य के हिस्से सहित) स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा मोचन निधि के उपयोग हेतु आवंटित किया। राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण कमेटी (एचएलएमसी) गठित की गई (जनवरी 2016)। एचएलएमसी द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान कोई बैठक नहीं की गई। भारत सरकार द्वारा जारी की गई तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रिम अंतरणों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 1.12: सहायतार्थ अनुदान की सिफारिश, अन्तरण एवं वास्तविक जारी की गई का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अन्तरण	वर्ष 2015–20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश	चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			स्थानीय निकायों/ निधि को अन्तरण		
			2015-16	2016-17	योग	2015-16	2016-17	योग	2015-16	2016-17	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**स्थानीय निकायें**										
	(i) पीआरआई को अनुदान	13,633.63	1,471.95	2,305.52	3,777.47	1,471.95	2,305.52	3,777.47	1,471.95	2,305.52	3,777.47
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	12,270.27	1,471.95	2,038.17	3,510.12	1,471.95	2,038.17	3,510.12	1,471.95	2,038.17	3,510.12
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	1,363.36	-	267.35	267.35	-	267.35	267.35	-	267.35	267.35
	(ii) यूएलबी को अनुदान	4,513.12	433.12	776.73	1,209.85	433.12	776.73	1,209.85	433.12	776.73	1,209.85
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	3,610.50	433.12	599.73	1,032.85	433.12	599.73	1,032.85	433.12	599.73	1,032.85
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	902.62	-	177.00	177.00	-	177.00	177.00	-	177.00	177.00
	योग (1)	**18,146.75**	**1,905.07**	**3,082.25**	**4,987.32**	**1,905.07**	**3,082.25**	**4,987.32**	**1,905.07**	**3,082.25**	**4,987.32**
2	राज्य आपदा मोचन निधि*	**6,094.00**	**1,103.00**	**1,158.00**	**2,261.00**	**1,103.00**	**1,158.00**	**2,261.00**	**1,103.00**	**1,158.00**	**2,261.00**
	महायोग (1 से 2)	**24,240.75**	**3,008.07**	**4,240.25**	**7,248.32**	**3,008.07**	**4,240.25**	**7,248.32**	**3,008.07**	**4,240.25**	**7,248.32**

स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

*** कुल अनुदान में राज्यांश के 25 प्रतिशत को सम्मिलित करते हुए।**

यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान स्थानीय निकायों को मूल अनुदान के रूप में ₹ 1,032.85 करोड़ प्राप्त हुए थे। इनमें से सितम्बर 2017 तक मात्र ₹ 416.68 करोड़ (40.34 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 177 करोड़ के प्राप्त किये निष्पादन अनुदान के समक्ष मात्र ₹ 12.35 करोड़ (6.98 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए। यह दर्शाता है कि प्राप्त अधिकांशत: अनुदान अनुपयोजित पड़े रहे।

राज्य आपदा मोचन निधि दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 7 में निर्धारित है कि राज्य सरकार अपने हिस्से के साथ भारत सरकार के अंश को इसकी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर लोक लेखे में हस्तान्तरित करेगी। हस्तान्तरण में देरी होने पर, देरी के दिनों की संख्या हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर का ब्याज लगेगा।

इसी प्रकार, चौदहवें वित्त आयोग के अनुच्छेद 9.81 में निर्धारित है कि भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर, संघ सरकार द्वारा राज्य के लेखों में जमा किये जाने के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं को अनुदान जारी कर दिया जाना चाहिए। देरी के मामले में राज्य सरकार अपनी निधियों से ब्याज सहित किश्त को जारी करेगी।

यद्यपि, यह पाया गया है कि प्राप्त अनुदानों को देरी के साथ हस्तान्तरण किया गया, जैसा कि नीचे बताया गया है:

निधियों के हस्तान्तरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	किश्त	भारत सरकार से जारी अनुदान		राज्य अंश जारी किया गया		कुल जारी किया गया अनुदान		विलम्ब
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	
सहायता विभाग	द्वितीय	16 सितम्बर 2016	434.25	01 दिसम्बर 2016	144.75	01 दिसम्बर 2016	579.00	61 दिन
स्थानीय निकाय	निष्पादन अनुदान	18 जनवरी 2017	177.00	राज्य का हिस्सा नहीं		23 फरवरी 2017	29.88	21 दिन
						27 मार्च 2017	147.12	53 दिन

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सहायता विभाग एवं स्थानीय निकायों को क्रमश: 61 दिन तथा 21 से 53 दिनों की देरी के साथ राशि हस्तान्तरित की गई है। तथापि, भारत सरकार से जारी अनुदान में देरी के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया ।

1.4.6 छोड़ा गया राजस्व

विभागों से प्राप्त सूचनाओं की जाँच में पाये गये वर्ष 2016-17 के दौरान छोड़े गये राजस्व की स्थिति को नीचे विवेचित किया गया है:

(i) परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों से अजमेर में उर्स हेतु आने जाने वाले यात्री वाहनों के लिए (₹ 1.00 करोड़), रामदेवरा मेला (₹ 0.88 करोड़) और ललित कला अकादमी के वाहन (₹ 0.02 करोड़) पर अधिसूचना के द्वारा मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर और यात्री वाहनों पर अधिभार के रूप में ₹ 1.90 करोड़ माफी/छूट दी ।

(ii) वाणिज्यिक कर विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2017) कि वर्ष 2016-17 के दौरान छूट और आस्थगन के द्वारा राजस्व माफी/छूट का विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि विभाग ने इस प्रकार के आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया ।

1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-17 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.13: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सीआर)	**11,065**	**14,817**	**19,160**	**62,470**	**45,630**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	8	10	15	25	28
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,102	316	1,004	1,447	1,713
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,955	14,491	18,141	60,998	43,889
ऋण प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	68.2	45.6	25.2	236.2	(-) 28.0
गैर-ऋण प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 10.8	(-) 70.6	212.6	44.5	18.3
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.5	11.2	10.6	10.9	11.4
पूँजीगत प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	54.5	33.9	29.3	226.0	(-) 27.0

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) वर्ष 2012-13 से 2016-17 में औसत वार्षिक वृद्धि दर से 78 प्रतिशत बढ़ी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान, यह गत वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत से कम हुई।

1.5.2 कर्जे एवं अग्रिम की वसूलियाँ

वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम की वसूलियों में ₹ 266 करोड़ की वृद्धि मुख्यत: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से अधिक वसूली के कारण हुई।

1.5.3 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ/लोक ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2016-17 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार में गत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत (₹ 17,109 करोड़) की कमी आई, क्योंकि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के अर्न्तगत गैर एसएलआर बॉण्ड तथा जब्त बॉण्ड वर्ष 2015-16 की तुलना में ₹ 17,678 करोड़ के कम जारी किए गए थे।

1.5.4 भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम

वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम की प्राप्तियाँ (₹ 3,455 करोड़) बाह्य परियोजनाओं के लिए ऋण के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण गत वर्ष (₹ 1,749 करोड़) की तुलना में 98 प्रतिशत (₹ 1,706 करोड़) से बढ़ी।

1.6 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और संवितरण के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.14** में दिया गया है:

तालिका 1.14: लोक लेखा प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	7,171	6,311	7,082	7,967	8,620
ब. आरक्षित निधि	1,568	2,233	1,724	3,678	3,068
स. जमा तथा अग्रिम	1,40,748	89,436	1,07,067	1,25,570	1,44,292
द. उचन्त तथा विविध	43	91	22	78	(-) 67
य. प्रेषण	7,033	9,908	10,487	9,617	132[18]
योग	**1,56,563**	**1,07,979**	**1,26,382**	**1,46,910**	**1,56,045**

स्रोत: वित्त लेखे

लोक लेखा प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 9,135 करोड़ (6.2 प्रतिशत) की वृद्धि गत वर्ष की तुलना में हुई। यह वृद्धि मुख्यत: जमा तथा अग्रिमों में ₹ 18,722 करोड़ के अन्तर्गत रही। यद्यपि, अप्रैल 2016 से आईएफएमएस के अन्तर्गत लोक निर्माण कार्यों एवं वन संभागों से सम्बन्धित प्राप्ति एवं भुगतान कोषालयों से जुड़ने के कारण ₹ 9,485 करोड़ प्रेषण में कमी से यह प्रतिसन्तुलित हुई।

[18] इसमें खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच प्रेषण: ₹ 119.76 करोड़: लोक निर्माण प्रेषण: ₹ 11.83 करोड़ तथा वन प्रेषण: ₹ 0.04 करोड़ शामिल है।

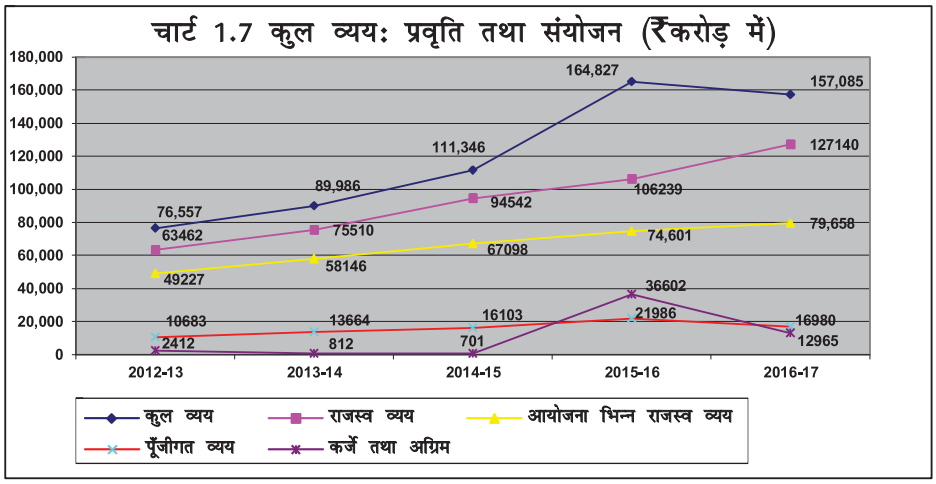
1.7 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है चूँकि व्यय का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय रूकावटें होती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं दृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय, की लागत पर नहीं है।

1.7.1 कुल व्यय

नीचे दिखाये गये **चार्ट 1.7** पाँच वर्षों (2012-17) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को और **चार्ट 1.8** 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हैं।

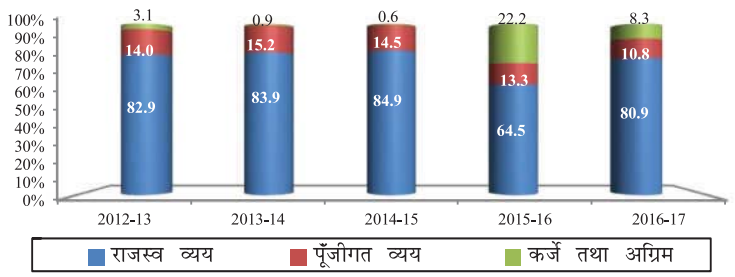
चार्ट 1.7 कुल व्यय: प्रवृति तथा संयोजन (₹करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में 26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा, परन्तु कुल व्यय गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 5 प्रतिशत से कम हुआ।

चार्ट 1.8 कुल व्यय : इसके घटकों के भागों की प्रवृति (अंश प्रतिशत में)



राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वर्तमान स्तर की सेवाएँ बनाये रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान पर किया जाता है और इसी कारण राज्य के आधारभूत ढ़ाँचे एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी प्रकार का योगदान नहीं देता।

वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 81 प्रतिशत था। यह 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2012-13 के ₹ 63,462 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 1,27,140 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय में 20 प्रतिशत (₹ 20,901 करोड़) की वृद्धि मुख्यत: विद्युत् (₹ 5,826 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 5,669 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 3,379 करोड़), शहरी विकास (₹ 1,513 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ (₹ 1,432 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 897 करोड़) तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 714 करोड़) के अन्तर्गत हुई।

पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2012-13 के ₹ 10,683 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 16,980 करोड़ हो गया। यद्यपि, पूँजीगत व्यय में वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत (₹ 5,006 करोड़) की कमी मुख्यत: विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 5,318 करोड़) तथा सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 613 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 708 करोड़) तथा शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 404 करोड़) की वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुई। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशतता अंश वर्ष 2015-16 के 13.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 के दौरान 10.8 प्रतिशत रह गया।

1.7.2 चालू राजस्व शेष[19]

₹ 95,471 करोड़ (₹ 1,09,026 करोड़- ₹ 13,462 करोड़-₹ 93 करोड़) ***(परिशिष्ट 1.4)*** की राजस्व प्राप्तियाँ (केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आयोजनागत सहायता को छोड़कर) आयोजना भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) के ₹ 79,658 करोड़ **(चार्ट 1.7)** से ₹ 15,813 करोड़ अधिक थी जो कि यह इंगित करता है कि एनपीआरई की पूर्ति करने हेतु आयोजनागत सहायता का उपयोग नहीं किया गया जो कि एक सकारात्मक सूचक है।

1.7.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय मुख्यत: ब्याज अदायगियों, वेतन तथा मजदूरी, पेन्शन पर व्यय तथा अर्थ-सहाय्य से बनता है। वर्ष 2012-2017 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को निम्न **तालिका 1.15** में प्रस्तुत किया गया है।

[19] चालू राजस्व शेष से तात्पर्य 'राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय' से है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना-भिन्न शीर्ष	16,825	19,290	21,466	22,119	24,629
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना शीर्ष *	770	1,314	2,032	3,752	5,387
कुल वेतन एवं मजदूरी	17,595 (26.3)	20,604 (27.7)	23,498 (25.7)	25,871 (25.8)	30,016** (27.5)
ब्याज अदायगियाँ	8,340 (12.5)	9,063 (12.2)	10,463 (11.5)	12,008 (12.0)	17,677 (16.2)
पेन्शन पर व्यय	6,858 (10.2)	7,801 (10.5)	9,629 (10.6)	10,864 (10.8)	12,296 (11.3)
अर्थ-सहाय्य	5,464 (8.2)	6,940 (9.3)	8,626 (9.4)	10,461 (10.4)	17,208 (15.8)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	**38,257 (57.2)**	**44,408 (59.6)**	**52,216 (57.2)**	**59,204 (59.0)**	**77,197 (70.8)**
अन्य घटक	25,205 (37.7)	31,102 (41.8)	42,326 (46.3)	47,035 (46.9)	49,943*** (45.8)
कुल राजस्व व्यय	**63,462**	**75,510**	**94,542**	**1,06,239**	**1,27,140**
राजस्व प्राप्तियाँ	**66,913**	**74,471**	**91,327**	**1,00,285**	**1,09,026**
प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में	60.3	58.8	55.2	55.7	60.7

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गयी संख्या राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।
* आयोजना शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।
** वेतन: ₹ 29,470 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 546 करोड़।
*** वित्तीय सहायता (सहायतार्थ अनुदान): ₹ 24,320 करोड़; सहायतार्थ अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 8,572 करोड़; समेकित निधि से लोक लेखा में निधियों का अंतरण: ₹ 3,739 करोड़; एवं अनुरक्षण तथा मरम्मत: ₹ 565 करोड़ पर व्यय सम्मिलित है।

स्रोत: वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय का कुल राजस्व प्राप्तियों में अंश वर्ष 2012-13 में 57.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 70.8 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2016-17 में प्रतिबद्ध व्यय ₹ 77,197 करोड़ हुआ, जो कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों से क्रमश: 61 प्रतिशत एवं 71 प्रतिशत रहा ।

1.7.3.1 वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2012-13 के ₹ 17,595 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 30,016 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर व्यय 16 प्रतिशत से बढ़ा। यह राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस (₹ 24,579 करोड़) में किये गये आंकलन से ₹ 5,437 करोड़ अधिक था।

1.7.3.2 पेन्शन भुगतान

- ***सामान्य***

समग्र पेन्शन भुगतान पर व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 6,858 करोड़ से 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 12,296 करोड़[20] हो गया। गत

[20] इसमे चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले के राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ हेतु व्यय पर हुये व्यय ₹ 11,596.11 करोड़ शामिल है।

वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान पेन्शन भुगतान पर 13 प्रतिशत की वृद्धि दर पेन्शनरों की कुल संख्या में 12,239[21] (3.2 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण अभिलेखित की गई। वास्तविक पेन्शन भुगतान, चौदहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) में किये गये अनुमान/आंकलन का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता हैं कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 12,296 करोड़) चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (₹ 10,936 करोड़) से 12.4 प्रतिशत अधिक रहा, परन्तु राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 12,493 करोड़) से 1.6 प्रतिशत मामूली रूप से कम रहा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय कुल राजस्व व्यय का 9.7 प्रतिशत हुआ।

- ***अंशदायी पेंशन योजना***

राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2004 से नयी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। योजना के सम्बन्ध में, कर्मचारी मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, जो कि राज्य सरकार के बराबर का होता है, तथा सम्पूर्ण राशि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से सम्बधित लोक लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्ष '8342-अन्य जमायें-117 निर्धारित अंशदान पेंशन योजना' तथा अन्य कर्मचारियों के लिए उपशीर्ष (03) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष '8011- बीमा तथा पेंशन निधि 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधियों' में स्थानान्तरित किया जाता है तथा उसके बाद निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 682.68 करोड़ कर्मचारी अंशदान से प्राप्त किये तथा नियोक्ता के अंश के रूप में ₹ 699.56 करोड़ का योगदान दिया।

1.7.3.3 ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ वर्ष 2012-13 के ₹ 8,340 करोड़ से 28 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 17,677 करोड़ हो गई तथा गत वर्ष (₹ 12,008 करोड़) की तुलना में यह 47 प्रतिशत बढ़ी। ब्याज अदायगियों के मुख्य घटक आन्तरिक ऋण पर ब्याज (₹ 14,002 करोड़), अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (₹ 3,130 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (₹ 437 करोड़) थे।

आन्तरिक ऋण पर ब्याज जिसमें बाजार कर्जे शामिल है, वर्ष 2015-16 के ₹ 8,423 करोड़ से 66 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 14,002 करोड़ हो गया, जो कि मुख्यत: ₹ 22,372 करोड़ उदय योजना के अर्न्तगत जारी गैर एसएलआर बॉण्ड तथा जब्त बॉण्ड की वृद्धि के कारण था।

[21] पेन्शनरों की संख्या 2015-16: 3,77,048 एवं 2016-17: 3,89,287 ।

अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज भी वर्ष 2015-16 के ₹ 3,006 करोड़ से 4 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 3,130 करोड़ हो गया, जो कि मुख्यत: राज्य प्रावधायी निधि ₹ 2,226 करोड़ (9 प्रतिशत) एवं बीमा तथा पेंशन निधि ₹ 1,154 करोड़ (10 प्रतिशत) का कोष गत वर्ष की तुलना में बढ़ने के कारण था।

वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज अदायगियाँ (₹ 17,677 करोड़) एमटीएफपीएस (₹ 17,527 करोड़) एवं चौदहवें वित्त आयोग (₹ 13,221 करोड़) में किये गये आंकलन से अधिक रही।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य की ऋण सहनीयता को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 16 प्रतिशत रहा, जो कि गत वर्ष (12 प्रतिशत) से अधिक रहा।

1.7.3.4 अर्थ-सहाय्य

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के साधनहीन वर्गों को अर्थ-सहाय्य प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 17,208 करोड़ का प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य वित्त लेखे के ***परिशिष्ट II*** में दर्शाया गया है, जो कि गत वर्ष (₹ 10,461 करोड़) की तुलना में ₹ 6,747 करोड़ (64 प्रतिशत) अधिक मुख्यत: विद्युत् (₹ 16,842 करोड़), फसल कृषि-कर्म (₹ 269 करोड़) एवं बीपीएल तथा अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना (₹ 29 करोड़) के क्षेत्र में रहा।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य का 97.9 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत क्षेत्र को मुख्यत: विद्युत दरों में वृद्धि न करने तथा उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों को सहायता प्रदान करने के कारण अर्थ-सहाय्य प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 से 2016-17 के दौरान विद्युत क्षेत्र को की गई अर्थ-सहाय्य राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल अर्थ-सहाय्य का 88 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के मध्य रही ***(परिशिष्ट 1.15)***।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य में गत वर्ष (₹ 10,187 करोड़) की तुलना में 65.3 प्रतिशत (₹ 6,655 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों को ₹ 9,000 करोड़[22] की सहायता प्रदान करने के कारण हुई।

फसल कृषि-कर्म अर्थ-सहाय्य वर्ष 2015-16 के ₹ 225 करोड़ से 20 प्रतिशत बढकर वर्ष 2016-17 में ₹ 269 करोड़ हो गया।

[22] (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 2,891.96 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 2,972.47 करोड़ तथा (iii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 3,135.57 करोड़ ।

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2012-17 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है:

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					आवंटन	वास्तविक
(अ) स्थानीय निकाय						
नगर निगम एवं नगरपालिकाऐं	2,255.06	2,324.16	2,450.65	3,063.89	3,839.93	3,839.93
पंचायती राज संस्थाऐं	7,675.24	8,953.21	13,833.28	15,981.85	14,472.61	14,472.66
योग (अ)	**9,930.30**	**11,277.37**	**16,283.93**	**19,045.74**	**18,312.54**	**18,312.59**
(ब) अन्य						
शैक्षणिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय इत्यादि)	2,302.98	2,236.99	1,128.22	1,239.54	1,672.71	1,671.13
विकास अभिकरण	118.94	195.36	6.93	6.19	7.61	7.61
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाऐं	84.27	124.72	169.47	116.62	77.41	77.41
अन्य संस्थाऐं	3,781.66	4,929.02	10,740.54	11,316.72	12,878.65	12,823.46[23]
योग (ब)	**6,287.85**	**7,486.09**	**12,045.16**	**12,679.07**	**14,636.38**	**14,579.61**
योग (अ+ब)	**16,218.15**	**18,763.46**	**28,329.09**	**31,724.81**	**32,948.92**	**32,892.20**
राजस्व व्यय	63,462	75510	94,542	1,06,239	1,32,053	1,27,140
सहायता का राजस्व व्यय से प्रतिशत	26	25	30	30	25	26

स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा संकलित वाउचर

वर्ष 2016-17 के दौरान, स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 733.15 करोड़ (4 प्रतिशत) से कम हुई। तथापि, विकास अभिकरणों, अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए ₹ 1,900.54 करोड़ बढ़ी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य को समग्र वित्तीय सहायता राजस्व व्यय की 25 से 30 प्रतिशत तक रही।

वर्ष 2016-17 के दौरान, वित्तीय सहायता मुख्यत: सर्व शिक्षा अभियान (₹ 4,383 करोड़); पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए (₹ 2,660 करोड़); चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य मूल अनुदान (₹ 2,038 करोड़); राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 1,969 करोड़); महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (₹ 1,760 करोड़); स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (₹ 1,231 करोड़); कृषि बीमा के लिए अनुदान (₹ 1,051 करोड़); प्रधानमन्त्री आवास योजना के लिए अनुदान (₹ 800

[23] इसमें (i) शिक्षा: ₹ 5,225.04 करोड़; (ii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत: ₹ 1,958.80 करोड़ तथा (iii) फसल कृषि-कर्म: ₹ 1,418.10 करोड़ के लिए दिया जाने वाला अनुदान शामिल है।

करोड़); नगर निगमों हेतु विशेष अनुदान (₹ 717 करोड़); नगरपालिकाओं/नगर परिषदों हेतु विशेष अनुदान (₹ 716 करोड़); मिड-डे मील हेतु अनुदान (₹ 698 करोड़) तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं/नगर परिषद् को अनुदान (₹ 625 करोड़) दी गई।

1.7.5 स्थानीय निकायों से सम्बंधित मुख्य बिन्दु

स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) एवं शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) से सम्बंधित मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नलिखित अनुच्छेदों में सारांशीकृत है:

पंचायती राज संस्थान

(i) प्रस्तावना

31 मार्च 2017 को 33 जिला परिषदें (पंचायत प्रकोष्ठ), 295 पंचायत समितियाँ एवं 9,894 ग्राम पंचायतें, शासन सचिव सह आयुक्त, पंचायतीराज विभाग (पीआरडी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन थी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं में विलय कर दिया गया तथा 33 जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया। उक्त दोनों शासन सचिवों को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (आरडी एण्ड पीआरडी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया है। जिला परिषदों (पंचायत प्रकोष्ठ), पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के लेखों एवं उनकी लेखापरीक्षा से संबंधित सभी प्रशासनिक एवं कार्यात्मक मामले 'राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (रा.पं.रा. अ.) 1994' एवं 'राजस्थान पंचायती राज (रा.पं.रा.) नियम 1996' द्वारा शासित होते हैं। जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के लेखा एवं उनकी लेखापरीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1984 में जारी तथा 2001 में संशोधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/समितियों की लेखांकन प्रणाली के द्वारा शासित होते हैं।

(ii) हस्तान्तरण

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनुपालना के साथ, संविधान की 11वीं अनुसूची के क्रम में 29 कार्यो का हस्तांतरण किया जाना था, प्रारम्भिक रूप से 28 कार्य हस्तांतरित किये गये। निधियाँ एवं कार्मिक केवल 20 विषयों ***(परिशिष्ट 1.11)*** के सम्बंध में ही आवंटित किये गये। तदनन्तर, जनवरी 2004 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बंधित पाँच विषयों की निधियों का हस्तांतरण, कार्य एवं कार्मिक अस्थायी रूप से विभाग द्वारा वापिस ले लिए गये थे। वर्ष 2012 से राज्य में हस्तांतरण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iii) लेखापरीक्षा, लेखांकन एवं प्रमाणीकरण

रा.पं.रा. अधिनियम की धारा 75(4) पंचायती राज संस्थाओं के सभी लेखों की निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (डीएलएफएडी) द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान करती है और साथ ही सीएजी के द्वारा भी, जिसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। इस अधिदेश के अलावा, सीएजी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा, सीएजी (डीपीसी) एक्ट, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत भी की जा सकती है। तथापि, जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (आर डी सी) की लेखापरीक्षा, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हेतु निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया (2001 में संशोधित) में समाहित प्रावधानों के अनुसार, सनदी लेखाकारों (सीए) द्वारा किया जाना जारी हैं तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पूरक लेखापरीक्षक हैं।

राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम के नियम 23(ज) एवं नियम 25 (XI) तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग नियमावली, 1994 के पैरा 4 (पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं का डीएलएफएडी द्वारा प्रमाणीकरण) के संबंध में है। यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान डीएलएफएडी द्वारा 6,413 प्रमाण पत्र जारी किये गये जिसमें से केवल 9 ही अयोग्य प्रमाण पत्र थे एवं शेष 6,404 योग्य प्रमाण पत्र थे।

स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टीजीएस) के अन्तर्गत स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग इस कार्यालय से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान टीजीएस के तहत तीन प्रारूप अनुच्छेदों तथा छः तथ्यात्मक विवरणों पर टिप्पणी एवं सुझाव देना शामिल है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने लेखे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन बनाये गये राजस्थान पंचायती राज नियमों के अंतर्गत परम्परागत प्रारूपों में संधारित किये जा रहे है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किये गये सरलीकृत लेखांकन प्रारूप 2009, अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए अप्रैल 2011 से स्वीकार किया गया। तथापि, राजस्थान पंचायती राज नियमों में इन्हें मई 2015 में सम्मिलित किया गया था तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों की प्रस्तुति हेतु इनको अपनाने का कार्य किया जा रहा है। ''पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर'' (पीआरआईए सॉफ्ट) में लेन देन की दैनिक डाटा प्रविष्टि तथा वार्षिक पुस्तकों को बन्द करने के लिए यह सूचित किया गया (सितम्बर 2017) कि वर्ष 2016-17 के लिए 33 जिला परिषदों में से 10 जिला परिषदों, 295 पंचायत समितियों में से 30 पंचायत समितियों एवं 9,894 ग्राम पंचायतों में से 644 ग्राम पंचायतों की वार्षिक पुस्तकें बन्द की जा चुकी हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 14,472.66 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जिसका केवल वह भाग जो पूर्ववर्ती जिला ग्रामीण

विकास अभिकरणों से संबंधित था, सनदी लेखाकारों द्वारा प्रमाणित था तथा शेष राशि स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित होनी शेष थी।

शहरी स्थानीय निकाय

(i) प्रस्तावना

31 मार्च 2017 तक 190 शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) (7 नगर निगम, 34 नगर परिषद् एवं 149 नगर पालिकायें) प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजीडी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत थे। डीएलएफएडी प्राथमिक लेखापरीक्षक है तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की जाती हैं।

(ii) हस्तान्तरण

74वें सांविधानिक संशोधन द्वारा अन्तर्विष्ट धारा 243 डब्ल्यू में संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के सम्बंध में नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण विहित किया गया है। निदेशक, स्थानीय निकाय (डीएलबी) द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 2017) के अनुसार 16 विषयों ***(परिशिष्ट 1.12)*** से संबंधित कार्य श.स्था.नि. द्वारा संपादित किये जा रहे हैं। शेष 2 कार्यों में से ''जलापूर्ति'' का कार्य 8[24] श.स्था.नि. द्वारा किया जा रहा है। अधिसूचना (फरवरी 2013) के अनुसार ''शहरी आयोजना'' के कार्य का हस्तांतरण श.स्था.नि. को किया जाना अभी बाकी है ।

(iii) लेखापरीक्षा, लेखांकन एवं प्रमाणीकरण

मुख्य लेखाधिकारी, एलएसजीडी के प्रतिवेदन (अगस्त 2017) के अनुसार, राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकाय लेखे संधारित कर रहे हैं।

तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2011 में समाविष्ट) की धारा 99 क(2) में डीएलएफएडी द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टीजीएस) का प्रावधान किया गया है। टीजीएस व्यवस्था के अन्तर्गत डीएलएफएडी इस कार्यालय से नियमित मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 10 श.स्था.नि. (नगर निगमः 02, नगर परिषद्ः 03 एवं नगरपालिकाः 05) के निरीक्षण प्रतिवेदनों में 55 प्रारूप अनुच्छेदों एवं 71 तथ्यात्मक विवरणों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराये गये।

डीएलएफएडी द्वारा दी गई सूचना से प्रकट हुआ कि लेखों की नियमित लेखा परीक्षा के दौरान 190 शहरी स्थानीय निकायों में से 177 शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण किया गया।

[24] श्रीगंगानगर, बूंदी, चौमू, जैसलमेर, करौली, नागौर, नाथद्वारा एवं नोखा।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढ़ाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलत: तीन दृष्टिकोण शामिल होते है, यथा पर्याप्तता (लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान), उपयोग की दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम के सम्बन्धों का आंकलन) पर व्यय।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढ़ाँचे से सम्बन्धित व्यय की राज्य सरकार को सौंपी गयी जिम्मेदारियां मुख्यतया राज्य का विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, एवं स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय को बढ़ाये। किसी एक क्षेत्र विशेष में न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात) इसे सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से नीचे कर देती है।

नीचे दी गयी **तालिका 1.17** वर्ष 2012-13, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान समग्र व्यय, विकासात्मक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में सामान्य श्रेणी राज्य की तुलना में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती हैं।

तालिका 1.17: वर्ष 2012-13, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	14.8	38.2	29.8	70.0	13.7	17.7	4.6
राजस्थान (अनुपात) 2012-13	15.5	37.2	35.4	72.6	13.9	17.1	5.1
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.6	36.0	34.5	70.4	14.8	15.6	4. 7
राजस्थान (अनुपात) 2015-16	24.5	30.1	50.9	80.9	13.3	12.9	4.7
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	16.7	32.2	35.1	70.9	19.7	15.2	4.8
राजस्थान (अनुपात) 2016-17	21.0	35.5	39.3	74.8	10.8	15.7	5.3

विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

स्रोत: (i) राजस्थान की जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे। (ii) जीएसडीपी के लिए 01 अगस्त 2017 को सीएसओ की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना सिवाय गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, एवं पश्चिम बंगाल के प्रकरणों में जहाँ संबंधित प्रधानमहालेखाकार/महालेखाकार द्वारा आँकड़े उपलब्ध करवाये गये।

तालिका 1.17 निम्नानुसार इंगित करती है:

- वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों (16.7 प्रतिशत) की तुलना में राज्य अपने जीएसडीपी का समग्र व्यय (21.0 प्रतिशत) के अनुपात में अधिक खर्च कर रहा है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में विकासात्मक व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है।
- समग्र व्यय के अंश के रूप में आर्थिक क्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित उपाय करना और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स[25] के प्रावधान पर बल देना, महत्वपूर्ण है। विकासात्मक व्यय[26] के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। **तालिका 1.18** राज्य की चालू

[25] कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाएँ है जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग करते हैं एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु तथा सड़क आधारभूत संरचनाएँ इत्यादि।

मेरिट गुड्स ऐसे सामान हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता हैं क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता के आधार पर होने चाहिए। इन सामानों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए नि:शुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि हैं।

[26] व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्व किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय बनाते हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्ष में वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: विकासात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	42,701 (55.8)	51,921 (57.7)	66,674 (59.9)	75,223 (45.6)	93,144 (55.9)	87,937 (56.0)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	10,434 (13.6)	13,330 (14.8)	15,569 (14.0)	21,545 (13.1)	22,613 (13.6)	16,543 (10.5)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	2,412 (3.2)	812 (0.9)	701 (0.6)	36,602 (22.2)	11,067 (6.6)	12,965 (8.3)
विकासात्मक व्यय (अ से स)	**55,547 (72.6)**	**66,063 (73.4)**	**82,944 (74.5)**	**1,33,370 (80.9)**	**1,26,824 (76.1)**	**1,17,445 (74.8)**
विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	30.1	18.9	25.6	60.8		(-) 11.9
कोष्ठक में संख्या समग्र व्यय से प्रतिशतता को प्रकट करती है।						

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

विकासात्मक व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम शामिल हैं। इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता, वर्ष 2012-13 के दौरान 72.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 के दौरान 74.8 प्रतिशत हो गयी। औसत रूप से वर्ष 2012-17 के दौरान विकासात्मक व्यय का 71.3 प्रतिशत राजस्व खाते पर तथा शेष कर्जे एवं अग्रिम सहित पूँजीगत खाते पर रहा।

सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय चार प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2015-16 के ₹ 5,996 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 6,214 करोड़ हो गया एवं इसका अनुपात कुल पूँजीगत व्यय के साथ वर्ष 2015-16 में 27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 37 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2015-16 के ₹ 15,549 करोड़ से 34 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2016-17 में ₹ 10,329 करोड़ रह गया।

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे ऊर्जा एवं सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय क्रमशः ₹ 5,318 करोड़ एवं ₹ 613 करोड़ कमी की गयी जो मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय में ₹ 708 करोड़ की वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हो गया।

पूँजीगत व्यय तथा चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण नीचे **तालिका 1.19** में दिया गया है।

तालिका 1.19: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

७	2015-16			2016-17		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण
(अ) सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	0.28	55.15	0.01	0.30	58.47	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.42	53.63	0.14	6.23	57.08	0.13
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	46.01	22.96	1.98	40.68	18.32	1.48
योग (अ)	**12.15**	**39.90**	**0.40**	**11.18**	**41.84**	**0.31**
(ब) आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्य-कलाप	9.40	36.36	0.50	8.25	29.98	0.44
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	41.91	24.05	8.94	50.23	22.45	15.99
विद्युत एवं ऊर्जा	46.13	0.01	0.00	19.63	0.01	0.00
परिवहन	66.83	8.50	37.25	58.95	7.56	34.00
योग (ब)	**32.79**	**7.27**	**2.35**	**21.13**	**6.40**	**2.30**
कुल योग (अ+ब)* प्रतिशतता	**18.20**	**26.07**	**1.22**	**15.83**	**26.30**	**1.19**

स्रोत: वित्त लेखे

*** (सामाजिक सेवाओं पर व्यय +आर्थिक सेवाओं पर व्यय)/कुल व्यय(राजस्व एवं पूँजीगत व्यय) x 100**

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश वर्ष 2015-16 में 39.90 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 41.84 प्रतिशत हो गया।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश वर्ष 2015-16 के 7.27 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2016-17 में 6.40 प्रतिशत रह गया।

संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय

यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि संचालन एवं अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है क्योंकि परिसम्पत्तियों को अनुरक्षित रखा जाना होता है। वर्ष 2016-17 में सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में, संचालन एवं अनुरक्षण का अंश 1.19 प्रतिशत रहा। संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कुल राजस्व व्यय का मात्र 0.90 प्रतिशत वर्ष 2016-17 के दौरान आवंटित किया गया।

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण का अंश, वर्ष 2015-16 के 0.40 प्रतिशत एवं 2.35 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में क्रमशः 0.31 प्रतिशत एवं 2.30 प्रतिशत रह गया । वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने अपनी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए मात्र ₹ 1,198.01 करोड़ (राजस्वः ₹ 1,154.06 करोड़, पूँजीगतः ₹ 43.95 करोड़) रखे।

1.8.3 आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय

वित्त लेखे व्यय का आगे वर्गीकरण, आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में करते है। आयोजना व्यय जिसमें राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दोनों शामिल है, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर हुए वृद्धिशील विकासात्मक व्यय से संबंधित है। पहले से ली जा रही सेवाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए सामान्यतः आयोजना-भिन्न व्यय का उपयोग किया जाता है। निम्न ***तालिका 1.20*** विगत पाँच वर्षो में आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि एवं घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजना	राजस्व	14,235	17,364	27,444	31,638	47,482
	पूँजीगत	10,682	13,676	16,087	21,995	16,968
	ऋण	2,242	664	646	36,595	12,865
	योग	**27,159**	**31,704**	**44,177**	**90,228**	**77,315**
	आयोजना व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता	35	35	40	55	49
आयोजना-भिन्न	राजस्व	49,227	58,146	67,098	74,601	79,658
	पूँजीगत	1	(-) 12	16	(-) 9	12
	ऋण	170	148	55	7	100
	योग	**49,398**	**58,282**	**67,169**	**74,599**	**79,770**
	आयोजना-भिन्न व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता	65	65	60	45	51
कुल व्यय		**76,557**	**89,986**	**1,11,346**	**1,64,827**	**1,57,085**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2012-17 के दौरान कुल व्यय से आयोजना व्यय के अंश में लगातार वृद्धि दर्शित हुई, जो व्यय की उत्पादक गुणवत्ता का संकेत है। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान, आयोजना व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 27,159 करोड़ से 185 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 77,315 करोड़ हो गया एवं इसी अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय ₹ 49,398 करोड़ से 61 प्रतिशत बढ़कर ₹ 79,770 करोड़ हो गया।

वर्ष 2012-17 की अवधि में आयोजना राजस्व व्यय (आराव्य) एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (आभिराव्य) में लगातार वृद्धि हुई। आराव्य गत वर्ष की तुलना में

50 प्रतिशत से बढ़ा जो कि वर्ष 2016-17 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये 48.5 प्रतिशत के आंकलन से अधिक था। इसी प्रकार, आभिराव्य में गत वर्ष की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2016-17 के लिये एमटीएफपीएस में किये गये 3.6 प्रतिशत के आंकलन से अधिक थी।

1.8.3.1 आयोजना राजस्व व्यय

आयोजना राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 15,844 करोड़ की वृद्धि मुख्यत: मुख्य शीर्ष विद्युत (₹ 8,129 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 3,730 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 2,500 करोड़) एवं फसल कृषि कर्म (₹ 893 करोड़) के अन्तर्गत थी। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजन राजस्व व्यय का राजस्व व्यय से अनुपात गत वर्ष (30 प्रतिशत) की तुलना में सात प्रतिशतता बिन्दु अधिक रहा।

1.8.3.2 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान आभिराव्य में ₹ 5,057 करोड़ की वृद्धि मुख्यत: ब्याज अदायगियों (₹ 5,669 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (₹ 1,432 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,123 करोड़) एवं सामान्य शिक्षा (₹ 879 करोड़) के कारण हुई जो कि सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 3,277 करोड़) एवं विद्युत (₹ 2,304 करोड़) पर कमी के कारण प्रतिसन्तुलित हुई। आभिराव्य राजस्व व्यय का 63 प्रतिशत एवं कुल व्यय का 51 प्रतिशत रहा।

राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में वास्तविक आभिराव्य एवं आराव्य निम्नानुसार रहे:

तालिका 1.21: एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में आभिराव्य एवं आराव्य

(₹ करोड़ में)

	राजस्थान सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किया गया आंकलन	वास्तविक व्यय
आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	79,055	79,658
आयोजना राजस्व व्यय	52,998	47,482

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

वास्तविक आभिराव्य राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 603 करोड़ (एक प्रतिशत) अधिक हुआ, जबकि वास्तविक आराव्य राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 5,516 करोड़ (10 प्रतिशत) कम रहा।

1.8.4 केन्द्रीय सहायता की प्रत्याशा में राज्य आयोजना के अन्तर्गत योजनाएँ रखना परन्तु कोई व्यय नहीं होना

कुल 74 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में से वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्थान में 60 योजनाएँ संचालित की जा रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान इन 60 योजनाओं के

अन्तर्गत बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति को नीचे तालिका में सारांशीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/ कार्यक्रमों की संख्या	राज्य आयोजना के लिए बजट प्रावधान	राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	व्यय
60	31,346.83	17,760.26	12,359.20	23,313.03

यह दृष्टिगत हुआ कि 60 योजनाओं में से निम्नलिखित दो योजनाओं में भारत सरकार द्वारा ₹ 19.28 करोड़ का अनुदान जारी किए जाने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रमों/योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	कुल व्यय	कमी प्रतिशत में
1.	कौशल विकास मिशन	0.00	14.19	0.00	100
2.	आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए योजना	0.00	5.09	0.00	100
	योग	**0.00**	**19.28**	**0.0**	

राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने सूचित किया (सितम्बर 2017) कि ''कौशल विकास मिशन'' के अन्तर्गत व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2017 को निधियाँ हस्तान्तरित की गई थी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2017) कि व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि छात्रवृति का नया पोर्टल विकसित किया गया था और छात्रवृति के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने हेतु पोर्टल दिसम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक ही खोला गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपलब्ध निधियों का उपयोग करने हेतु छात्रवृति के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2016-17 के दौरान ही प्राप्त किये जाने थे।

1.8.4.1 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाएँ

फ्लैगशिप कार्यक्रम[27] ग्रामीण और शहरी बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए लागू किये जाते है।

बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-2017) हेतु वर्ष 2014-15 में भारत सरकार ने 66 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों में से 17 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाएँ अनुमोदित की। इनमें से, 15 योजनाएँ वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य में संचालित थी जिनमें भारत सरकार ने राज्य आयोजना हेतु केन्द्रीय सहायता ₹ 13,731.49

[27] फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाएँ, भारत सरकार द्वारा उच्च राशि आवंटन और कठोरता से अनुपालन कर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने हेतु कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं।

करोड़ (बजट अनुमान ₹ 23,995.32 करोड़ था) के समक्ष ₹ 9,322.24 करोड़ जारी किये गए तथा व्यय ₹ 18,018.35 करोड़ का था। इस प्रकार, व्यय में ₹ 5,976.97 करोड़ की कमी रही।

यह देखा गया कि 15 फ्लैगशिप योजनाओं में से, निम्नलिखित आठ फ्लैगशिप योजनाओं में बजट प्रावधान के समक्ष व्यय में 22 से 84 प्रतिशत के मध्य की कमी रही ।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रमों/योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	कुल व्यय	व्यय में कमी	प्रतिशत के रूप में कमी
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	650.00	496.66	153.34	24
2	निर्मल भारत अभियान	2,345.91	1,709.21	636.70	27
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3,336.71	2,592.27	744.44	22
4	इन्दिरा आवास योजना	830.90	132.07	698.83	84
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	3,800.00	1,760.56	2,039.44	54
6	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	264.47	98.26	166.21	63
7	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	590.21	404.37	185.84	31
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1,772.91	840.16	932.75	53

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पूर्व-एफआरबीएम ढ़ाँचें में, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निचले स्तरों पर रखने के साथ अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह भाग गत वर्षो की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.9.1 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

मार्च 2017 के अन्त तक ₹ 6,753.35 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय से पूर्ण की गयी 6 मुख्य एवं 11 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 1.8)*** के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं से वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व (₹ 59.43 करोड़) पूँजीगत व्यय का मात्र 0.9 प्रतिशत था। यह प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 295.89 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 648.12 करोड़) को पूरा करने के पश्चात् परियोजनाओं ने ₹ 884.58 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (इगांनप), निष्पादनाधीन सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसके विभिन्न चरण विगत वर्षों में पूर्ण किये जा चुके हैं। मार्च 2017 के अन्त तक इगांनप पर पूँजीगत व्यय ₹ 5,082.62 करोड़ था। वर्ष 2016-17 के दौरान इगांनप से प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 26 करोड़ था जो पूँजीगत व्यय का मात्र 0.51 प्रतिशत था। यह राजस्व कुल कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 183.45 करोड़) एवं ब्याज प्रभार के (₹ 492.21 करोड़) संदर्भ में भी नगण्य (3.85 प्रतिशत) था। परियोजना ने ₹ 649.66 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राज्य में गंग नहर दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। मार्च 2017 के अन्त तक गंग नहर पर पूँजीगत व्यय ₹ 658.87 करोड़ था। वर्ष 2016-17 के दौरान गंग नहर से प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 8.93 करोड़ था जो कि कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 24.69 करोड़) एवं ब्याज प्रभार (₹ 64.66 करोड़) की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। परियोजना ने ₹ 80.42 करोड़ की निवल हानि उठायी।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2017 को अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) से सम्बंधित विभाग-वार सूचना निम्न प्रकार है:

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृति लागत	37 परियोजनाओं जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानत लागत		37 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	37 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2017 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
जल संसाधन विभाग/ परियोजनाएँ	44	4,123.98	19	990.85	4,151.37	3,160.52	4,572.38
सार्वजनिक निर्माण विभाग/ परियोजना	95	4,518.46	3	30.00	83.29	53.29	1,956.81
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	58	19,734.25	15	4,273.00	8,222.41	3,949.41	11,139.21
योग	**197**	**28,376.69**	**37**	**5,293.85**	**12,457.07**	**7,163.22**	**17,668.40**

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2017 को 197 अपूर्ण परियोजनाएँ (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थी, जिन पर राशि ₹ 17,668 करोड़ का व्यय था। इनमें से, 42 परियोजनाएँ (₹ 4,830.47 करोड़) विगत 5 से 23 वर्षों से अपूर्ण थी जिनमें से 28 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत ₹ 3,730.97 करोड़ (प्रारम्भिक लागत) से 150 प्रतिशत बढ़कर ₹ 9,320.94 करोड़ हो गई। इस प्रकार, कुल लागत वृद्धि ₹ 7,163 करोड़ थी जिसमें से नर्मदा जालौर परियोजना में ही ₹ 467.53 करोड़ से ₹ 2,481.49 करोड़ अर्थात् 431

प्रतिशत (₹ 2,013.96 करोड़) की वृद्धि हुई। सभी अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण कार्यों पर व्यय (₹ 17,668.40 करोड़) राज्य के संचयी पूंजीगत व्यय (₹ 1,47,884.09 करोड़) का 12 प्रतिशत था।

तालिका 1.23 में वर्णित 13 परियोजनाओं (प्रत्येक में कुल परियोजना लागत ₹ 10 करोड़ से अधिक) में वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। मार्च 2016 तक किया गया व्यय और मार्च 2017 तक किया गया संचयी व्यय वही ₹ 132.32 करोड़ का रहा।

तालिका 1.23 अपूर्ण परियोजनाओं पर वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	वास्तविक/ संशोधित स्वीकृति लागत	31 मार्च 2017 को संचित वास्तविक व्यय
	जल संसाधन विभाग की परियोजनाएँ			
1.	खोह	2007-08	14.30	6.89
2.	वासा	2012-13	30.66	18.92
3.	आर डी 4 से 8 किमी (एम आई एस- II) से खमेरा नहर का निर्माण	2012-13	11.45	6.90
4.	आर डी 11 से 14 किमी (एम आई एस- IV) से खमेरा नहर का निर्माण	2012-13	15.88	3.10
5.	बीबीएससी आरडी 115 से 118.59 किमी (एमआईएस-X)	2013-14	15.31	4.51
6.	हनुमानवाला एनीकट	2013-14	24.59	14.11
7.	सोमकमला अम्बा (ई आर एम)	2012-13	13.81	14.32
8.	बीबीएससी आरडी 105 से 110.37 किमी (एमआईएस-IX) का निर्माण	2013-14	11.58	9.52
	सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाएँ			
9.	निदान-सूचक कक्ष का निर्माण, जयपुर	2013-14	17.14	-*
10.	धौलपुर एसडब्ल्यूएम जीजीसी मथुरा रोड़ (एसएच 1) किमी 230 पर आरओबी का निर्माण	2007-08	21.57	21.57
11.	भैसरोड़गढ़ से एमपी सीमा तक रोड़ किमी 36/0 से 62/0 का पुनरूद्धार	2012-13	15.60	8.80
12.	बेहरावांडा खण्डार करणपुर कैलादेवी करौली मासलपुर जगनेर रोड़ (एम डी आर-3) किमी 132/0 से 170/0	2012-13	19.28	18.51
	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजनाएँ			
13.	यूडब्ल्यूएसएस हनुमानगढ़ द्वितीय चरण का पुनर्गठन	2013-14	16.29	5.17
	योग		**227.46**	**132.32**

* केवल ₹ 0.02 लाख

स्रोत: वित्त लेखे

निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ मे विलम्ब हुआ एवं गत वर्षों में लागत में भी वृद्धि हुई।

1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2017 तक, सरकार ने 49 सरकारी कम्पनियों (₹ 40,246.13 करोड़), सात सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 25 संयुक्त पूँजी कम्पनियों (₹ 140.65 करोड़) और सहकारी बैंकों तथा समितियों (₹ 509.13 करोड़) में ₹ 41,733.94 करोड़ का निवेश किया। उक्त निवेश में अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 10.83 करोड़ का निवेश भी शामिल है। वर्ष 2012-17 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.3 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 6.7 से 7.6 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया **(तालिका 1.24)**। इस प्रकार, राज्य के निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम रहा।

उधार लिए गए कोष का ऐसे निवेशों के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, असाध्य वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा।

तालिका 1.24: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	18,753.33	23,518.00	27,909.59	37,417.62	41,733.94
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	57.18	24.60	63.33	97.41	67.80
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर[28] (प्रतिशत)	7.4	7.3	7.5	6.7	7.6
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.1	7.2	7.3	6.4	7.4

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में निवल निवेश ₹ 4,316.32 करोड़ था। इसमें से ₹ 4,065.71 करोड़[29] का निवेश संचित हानि में चल रही पाँच बिजली कम्पनियों में किया गया। सरकार ने 31 मार्च 2017 तक ₹ 37,592.84 करोड़ (कुल निवेश का 90 प्रतिशत) पाँच बिजली कम्पनियों में निवेश किए।

छियालीस कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 40,235.30 करोड़ राज्य सरकार के निवेश में सम्मिलित थे, जिनमें से ₹ 573.80 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 65.05 करोड़ का लाभांश केवल आठ कम्पनियों ने घोषित किया।

[28] गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 206 पर देखें।

[29] (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,108.76 करोड़; (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,026.62 करोड़; (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,041.69 करोड़; (iv) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड: ₹ 694.08 करोड़ एवं (v) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 194.56 करोड़।

दो सांविधिक निगमों, 18 सरकारी कम्पनियों एवं छः संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में राशि ₹ 39,911.76 करोड़ का कुल निवेश किया गया और इनकी संचित हानि की राशि ₹ 1,04,158.49 करोड़ थी, जिसमें से पाँच बिजली कम्पनियों में संचित हानि की राशि ₹ 98,935.04 करोड़[30] थी। यह ध्यान रखा जाना महत्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार ने राज्य डिस्कॉमों के परिचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार करने के लिए उदय योजना लागू (नवम्बर 2015) की है एवं योजना के अनुसार, इसके परिणाम दिसम्बर 2019 के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेंगे।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों इत्यादि में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखे के विवरण पत्र संख्या 19 में उपलब्ध है। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 1927-28 से 1990-91 के मध्य दो सांविधिक निगमों तथा 14 संयुक्त पूँजी कम्पनियों में ₹ 1.35 करोड़ निवेश किया था, लेकिन कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया। विवरण ***परिशिष्ट 1.13*** में दिया गया है। इन अधिकतर मामलों में, लेखाकंन की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण से सभी की अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, इन अधिकतर इकाइयों में परिसमापन की स्थिति, कुछ मामलों में 1960 से लम्बित, का भी पता नहीं लगाया जा सकता है। इस स्थिति में राज्य सरकार को अंकमिलान एवं पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है।

राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वृहद् हानियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए जिससे उपक्रमों को मजबूत करने एवं उनकी हानियों को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा सकें।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि सरकार ने छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों[31] के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया।

- ***हानि के कारण पूंजी का अपक्षरण***

नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 41,465.19 करोड़ का पूँजीगत निवेश था जिसमें राज्य सरकार का

[30] (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 32,294.00 करोड़; (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 30,347.76 करोड़; (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 30,010.31 करोड़; (iv) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 1,329.84 करोड़ एवं (v) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड: ₹ 4,953.13 करोड़।

[31] (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर: (₹ 19.36 करोड़), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर: (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम, जयपुर: (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 10.61 करोड़), (v) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 16.75 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

₹ 40,730.66 करोड़ (98.2 प्रतिशत) का निवेश शामिल था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संचित हानि ₹ 1,01,241.75 करोड़ (***परिशिष्ट 1.14***) थी। पूँजीगत निवेश की तुलना में संचित हानियों की उच्च मात्रा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल पूँजी पूर्णत: अपक्षरित हो गई और ₹ 59,766.56 करोड़ की नकारात्मक निवल संपत्ति में परिवर्तित हो गई। निवेश और संचित हानियों के आगे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 48 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (32 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं इनकी 16 सहायक कंपनियाँ) में से 19 में यह क्षरण (₹ 73,858.24 करोड़) हुआ। विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने मुख्य रूप से निवेश के क्षरण में योगदान दिया। विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 38,026.84 करोड़ के पूंजी निवेश के समक्ष संचित हानि ₹ 1,01,239.35 करोड़ थी।

- ***संयुक्त पूँजी कम्पनियों में निवेश***

31 मार्च 2017 तक राज्य सरकार ने ₹ 41,733.94 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 140.65 करोड़ (कुल निवेश का 0.3 प्रतिशत) का निवेश 24 संयुक्त पूँजी कम्पनियों में किया। इन संयुक्त पूँजी कम्पनियों की संचित हानि ₹ 66.46 करोड़ थी। राज्य सरकार के संयुक्त पूँजी कम्पनियों के निवेश में राजस्थान सड़क ढांचागत विकास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के ₹ 137.50 करोड़ (98 प्रतिशत) शामिल है। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार को संयुक्त पूँजी कम्पनियों से कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, नौ संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ परिसमापनाधीन हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 तक ₹ 0.23 करोड़ का निवेश किया गया था।

1.9.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती हैं। सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, उस वर्ष तक जब तक के प्रोफार्मा लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया, इन उपक्रमों में किये गये पूँजीगत निवेश पर प्रतिलाभ के साथ-साथ निवल लाभ/हानि को ***परिशिष्ट 1.9 एवं 3.3*** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त जब तक कि उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 16,565.13 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से, विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लगातार हानि में चल रहे आठ उपक्रमों की संचित हानि ₹ 12,211.20 करोड़ रही।

1.9.5 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से अनेक संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2017 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के समक्ष ब्याज अदायगियों को **तालिका 1.25** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.25: सरकार द्वारा कर्ज अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्जे की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	**5,004**	**4,701**	**43,481**	**39,856**
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	701	36,602	11,067	12,965
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	1,004	1,447	133	1,713
अन्तिम शेष	**4,701**	**39,856**	**54,415**	**51,108**
निवल वृद्धि	(-) 303	35,155	10,934	11,252
ब्याज प्राप्तियाँ	129	196	-	172
बकाया कर्जे तथा अग्रिम से प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	2.7	0.9	-	0.4
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से ब्याज अदायगियों का प्रतिशत	7.5	6.7	-	7.6
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 4.8	(-) 5.8	-	(-) 7.2

स्रोत: वित्त लेखे

इस प्रकार, राज्य द्वारा उच्च दर पर उधार लिया गया, जबकि बहुत कम दर से दिये गये उधारों पर ब्याज अर्जित किया गया।

कुल कर्ज एवं अग्रिम के ₹ 51,108 करोड़ में, विद्युत परियोजनाओं के ₹ 48,273 करोड़ (94 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष के दौरान कर्जों तथा अग्रिमों के संवितरण की राशि वर्ष 2015-16 के ₹ 36,602 करोड़ से कम होकर वर्ष 2016-17 में ₹ 12,965 करोड़ (आर्थिक सेवाओं: ₹ 12,746 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं: ₹ 219 करोड़) रह गयी।

आर्थिक सेवाओं को दिये गये कर्जों ₹ 12,746 करोड़ में डिस्कॉमों को उदय, जिसे भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में डिस्कॉमों को वित्तीय तथा परिचालन के रूप में सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से आरम्भ किया गया था, के अन्तर्गत दी गई राशि ₹ 10,372 करोड़[32] सम्मिलित थी। योजनांतर्गत यह अपेक्षित किया गया था कि डिस्कॉमों के कुल बकाया कर्जों ₹ 80,530 करोड़[33] (30 सितम्बर 2015 तक) का 50 प्रतिशत राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 में अधिग्रहित किया जाएगा तथा 25 प्रतिशत को राज्य द्वारा वर्ष 2016-17 में अधिग्रहित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान डिस्कॉमों को उदय के अन्तर्गत क्रमश: ₹ 40,050 करोड़[34] एवं ₹ 22,372 करोड़[35] की राशि जारी की।

[32] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 3,732.57 करोड़; जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 3,569.13 करोड़ एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 3,070.49 करोड़।

[33] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 28,056 करोड़; जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 25,877 करोड़ एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 26,597 करोड़ ।

[34] उदय के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश- बॉण्डों का अधिग्रहण: ₹ 2,700 करोड़; उदय के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश: ₹ 3,000 करोड एवं उदय के अन्तर्गत ऋण ₹ 34,350 करोड़।

[35] उदय के अन्तर्गत अर्थ-सहाय्य: ₹ 9,000 करोड़; उदय के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश: ₹ 3,000 करोड़ एवं उदय के अन्तर्गत ऋण ₹ 10,372 करोड़।

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत क्षेत्र का समग्र कर्ज अग्रिम ₹ 12,481 करोड़ (जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 4,388 करोड़; जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 4,077 करोड़, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 3,586 करोड़ एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 430 करोड़) था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान कर्ज का बड़ा हिस्सा सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 174 करोड़) को दिया गया। ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि कुछ ऋणियों ***(परिशिष्ट 1.10)*** द्वारा गत 14 वर्षों या अधिक से ₹ 67 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाया गया।

- ***विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण को लेकर उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) का क्रियान्वयन***

ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने नवम्बर 2015 में विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव हेतु उदय योजना को लागू किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य डिस्कॉमों के परिचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार करना था।

उदय योजना के प्रावधान 7.1 के अनुसार 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम के ऋणों का 75 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (अर्थात् 2015-16 के दौरान 50 प्रतिशत एवं 2016-17 के दौरान 25 प्रतिशत) में अधिग्रहित किया गया।

डिस्कॉम के प्रसारण एवं वितरण की हानि वर्ष 2007-08 से 2016-17 की अवधि में 24 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के मध्य रही, जिसमें प्रसारण एवं वितरण हानि का मुख्य भाग वितरण हानि के कारण था। मार्च 2017 तक, प्रसारण एवं वितरण हानि 27 प्रतिशत रही, जिसमें 86 प्रतिशत हिस्सा वितरण हानि का था। इसके अतिरिक्त, पिछले दशक में डिस्कॉमों की संचयी हानि बढ़कर ₹ 1,03,540.16 करोड़ हो गई। वर्ष 2016-17 में शुद्ध हानि ₹ 5,207.55 करोड़ हुई ***(परिशिष्ट 1.15)***।

डिस्कॉम के वित्तीय परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए 27 जनवरी 2016 को भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, राजस्थान सरकार एवं विद्युत वितरण कम्पनियों अर्थात् अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ। मई 2015 में लिये गये ₹ 2,700 करोड़ के कर्जे के बाद 30 सितम्बर 2015 को डिस्कॉम का बकाया ऋण ₹ 80,530 करोड़ (अजमेर: ₹ 26,597 करोड़; जयपुर: ₹ 28,056 करोड़ एवं अजमेर: ₹ 25,877 करोड़) था।

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान राजस्थान सरकार ने उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम हेतु ₹ 62,422 करोड़ (₹ 83,230 करोड़ (₹ 80,530 करोड़ + ₹ 2,700 करोड़) का 75 प्रतिशत)) (2015-16: ₹ 40,050 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 22,372 करोड़) के ऋण लिये, जैसाकि नीचे सारांशीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रकृति	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	योग
2015-16	निवेश	1,985.87	1,831.57	1,882.56	5,700.00
	ऋण	11,784.60	10,779.31	11,785.86	34,349.77
	योग	13,770.47	12,610.88	13,668.42	40,049.77
2016-17	निवेश	1,045.19	963.99	990.82	3,000.00
	ऋण	3,732.57	3,569.13	3,070.49	10,372.19
	अर्थ-सहाय्य	3,135.57	2,891.96	2,972.47	9,000.00
	योग	7,913.33	7,425.08	7,033.78	22,372.19
कुल योग		**21,683.80**	**20,035.96**	**20,702.20**	**62,421.96**

उपरोक्त स्थिति से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम के ऋण को निवेश (अंशपूँजी): ₹ 8,700 करोड़, ऋण: ₹ 44,722 करोड़ तथा अर्थ-सहाय्य: ₹ 9,000 करोड़ के रुप में लिया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान ₹ 62,422 करोड़ (2015-16 के दौरान ₹ 40,050 करोड़ एवं 2016-17 के दौरान ₹ 22,372 करोड़) की निधियाँ बॉण्ड जारी कर जुटाई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्थान सरकार ने उदय योजना के अन्तर्गत लिए गए उधारों पर ₹ 4,192 करोड़ ब्याज का भुगतान किया ।

1.9.6 ऋण, जमा तथा प्रेषणों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष उन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक शेष हैं, जहाँ ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिये। उदाहरणार्थ, किसी कर्ज या अग्रिम के लेखांकन शीर्ष में ऋणात्मक शेष अग्रिम दी गई वास्तविक राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा। इन्हें प्राथमिकता से अंक मिलान एवं समायोजित करने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2017 तक ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत 12 मुख्य शीर्षों में राशि ₹ 837.02 करोड़ के 69 मामलों[36] में प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यत: बीमा तथा पेंशन निधि के अन्तर्गत नगरपालिका/नगर परिषद के कर्मचारियों की पेंशन निधि (₹ 779.01 करोड़), सिविल जमा के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को वितरण (₹ 19.12 करोड़) एवं जयपुर मेट्रो निगम (₹ 5.85 करोड़), स्थानीय निधि जमा के अन्तर्गत राजस्थान

[36] केन्द्र सरकार से कर्जे तथा अग्रिम (7 मामले: ₹ 12.23 करोड़), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कर्जें (दो मामले: ₹ 3,382 केवल), आवास के लिए कर्जें (एक मामला: ₹ 0.01 करोड़), पशुपालन के लिए कर्जे (एक मामला: केवल ₹ एक), खाद्य भण्डार एवं भण्डारण के लिए कर्जें (एक मामला: ₹ 0.02 करोड़), सरकारी कर्मचारियों को कर्जें (45 मामले: ₹ 2.54 करोड़), राज्य प्रावधायी निधि (एक मामला: ₹ 0.01 करोड़), बीमा तथा पेंशन निधि (एक मामला: ₹ 779.01 करोड़), स्थानीय निधि में जमा (एक मामला: ₹ 12.26 करोड़), सिविल जमा (तीन मामले: ₹ 25.01 करोड़), उचन्त लेखा (तीन मामले: ₹ 3.19 करोड़) तथा उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन (तीन मामले: ₹ 2.74 करोड़)।

खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल (₹ 12.26 करोड़), केन्द्र सरकार से कर्जे तथा अग्रिम के अन्तर्गत कृषि कार्य (₹ 6.07 करोड़) तथा जल संरक्षण योजना (₹ 5.75 करोड़) तथा सरकारी कर्मचारियों को कर्ज के अन्तर्गत मोटर वाहन खरीदने हेतु अन्य कर्मचारियों को कर्ज (₹ 2.33 करोड़) उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन के अन्तर्गत खण्ड द्वारा शीर्षों में समायोजन योग्य (₹ 2.03 करोड़) थे।

1.9.7 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

पर्याप्त आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य ढ़ाँचा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा योजना विभाग में स्थापित पीपीपी प्रकोष्ठ (जुलाई 2007), निजी जन सहभागिता से संबंधित राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। यह राज्य में पीपीपी से संबंधित सभी सूचनाओं के सर्वोत्तम भण्डार एवं दिशा निर्देशों सहित, के भण्डार के रूप में कार्य करता है। प्रशासनिक विभागों को आधारभूत विकास पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसीआईडी) के सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए अपने प्रस्तावों को पीपीपी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (अक्टूबर 2017) के अनुसार राज्य में वर्ष 1995-2017 के दौरान ₹ 15,806.88 करोड़ की लागत राशि की 191 परियोजनाऐं विभिन्न क्षेत्रों में ली गई। इनमें से, 31 मार्च 2017 तक 148 परियोजनाऐं (₹ 10,844.61 करोड़) पूर्ण हो चुकी हैं एवं 43 परियोजनाऐं (₹ 4,962.27 करोड़) प्रगति पर थी। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल एव सामाजिक क्षेत्रों से सम्बन्धित ₹ 27,523.18 करोड़ की 117 परियोजनाएँ भविष्य के लिए बनाई जा चुकी हैं। बजट 2016-17 के प्रस्तावित योजना परिव्यय के अनुसार पीपीपी के लिये भागीदारी करने वाले अभिकरणों के ₹ 401.65 करोड़ के संसाधन थे।

पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में लिये जाने वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.26: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	53	4,052.49	9	3,815.25	86	10,233.34
2.	शहरी आधारभूत संरचना	20	371.30	6	350.58	15	12,321.15
3.	विद्युत	5	5,672.58	3	534.28	5	547.79

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
4.	जल	1	46.00	-	-	4	3,865.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	54	523.54	23	217.79	7	555.90
7.	अन्य	14	124.69	2	44.37	-	-
	योग	**148**	**10,844.61**	**43**	**4,962.27**	**117**	**27,523.18**

वर्ष 2016-17 के बजट दस्तावेजों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने गतवर्ष में पीपीपी परियोजनाओं में किये गये निवेश से सम्बंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया। इसके अलावा, इस तरह के परियोजना के माध्यम से अर्जित राजस्व बजट दस्तावेजों में सुनिश्चित नहीं था। चालू वर्ष के दस्तावेजों में भी राज्य सरकार से जुड़ी पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्रमशः निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले अनुमानित निवेश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

1.10 परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ

1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं का संघटन एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते हैं। 31 मार्च 2016 की सहप्रत्यक्षी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2017 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को ***परिशिष्ट 1.5*** में प्रस्तुत किया गया है जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक कर्जे, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट हैं।

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्रायः राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

परिसम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार **तालिका 1.27** में दिया गया है।

तालिका 1.27: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएँ					परिसम्पत्तियाँ			
	2015-16	2016-17	वृद्धि प्रतिशत		2015-16	2016-17	वृद्धि प्रतिशत	
समेकित निधि	**1,56,549.67**	**1,95,423.95**	**24.83**	**समेकित निधि**	**1,70,787.49**	**1,98,991.29**	**16.51**	
अ आन्तरिक ऋण	1,48,291.74	1,84,284.58	24.27	अ सकल पूँजीगत परिव्यय	1,30,932.21	1,47,884.09	12.95	
ब भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	8,257.93	11,139.37	34.89	ब ऋण एवं अग्रिम	39,855.28	51,107.20	28.23	
आकस्मिकता निधि	**500.00**	**500.00**	**-**					
लोक लेखे	**54,823.85**	**62,103.06**	**13.28**	**लोक लेखे**	**28.55**	**148.91**	**421.58**	
अ अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आदि	35,514.45	38,894.45	9.52	अ अग्रिम	6.55	4.71	(-) 28.09	
ब जमा	15,820.93	19,060.56	20.48	ब प्रेषण	18.79	21.66	15.27	
स आरक्षित निधियाँ	3,488.47	4,148.05	18.91	स उचन्त तथा विविध	3.21	122.54	3717.45	
द प्रेषण	-	-	-	**नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)**	**8,397.27**	**8,112.46**	(-) 3.39	
				योग	**1,79,213.31**	**2,07,252.66**	**15.65**	
				राजस्व लेखा में घाटा	**32,660.21**	**50,774.35**	55.46	
योग	**2,11,873.52**	**2,58,027.01**	**21.78**	**योग**	**2,11,873.52**	**2,58,027.01**	**21.78**	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 के दौरान, परिसम्पत्तियाँ 16 प्रतिशत बढ़ी, जबकि देयताएँ गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ी।

1.10.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2012-13 में ₹ 1,17,809 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 के अन्त में ₹ 2,55,002 करोड़ हो गयी, यह वर्ष 2015-16 की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ी।

जीएसडीपी के सापेक्ष में राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **तालिका 1.28** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.28: राजकोषीय देयताएँ- मूलभूत मापदण्ड

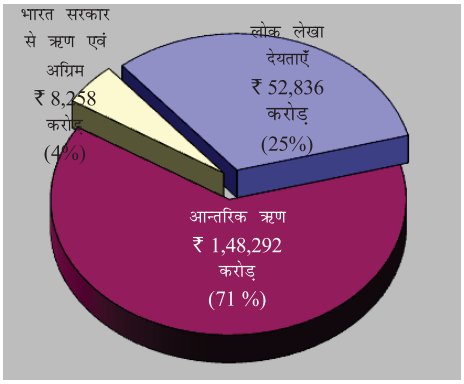
(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय देयताएँ	1,17,809	1,29,910	1,47,609	2,09,386	2,55,002
वृद्धि दर	10.6	10.3	13.6	41.9	21.8
राजकोषीय देयताएँ प्रतिशतता के रूप में					
जीएसडीपी से	23.9	23.7	24.3	31.1	34.0
राजस्व प्राप्तियों से	176.1	174.4	161.6	208.8	233.9
स्व-संसाधनों से	276.3	276.1	284.4	390.3	455.5

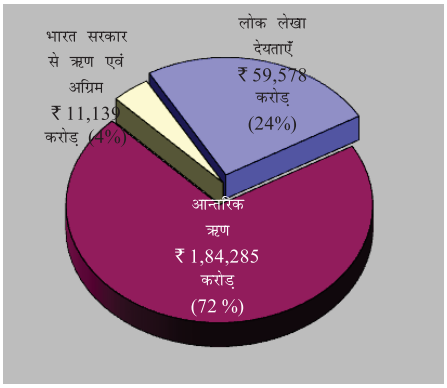
स्रोत: वित्त लेखे

गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.9** तथा **1.10** में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

चार्ट 1.9: 01.04.2016 को बकाया राजकोषीय देयताओं के संघटक



चार्ट 1.10: 31.03.2017 को बकाया राजकोषीय देयताओं के संघटक



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 के दौरान, आन्तरिक ऋण 24 प्रतिशत (₹ 35,993 करोड़), लोक लेखा दायित्व 13 प्रतिशत (₹ 6,742 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम 38 प्रतिशत (₹ 2,881 करोड़) में वृद्धि के कारण, राजकोषीय देयताएँ गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत (₹ 45,616 करोड़) बढ़ी।

31 मार्च 2017 को विद्यमान राजकोषीय देयतायें ₹ 2,55,002 करोड़ रही जिसमें राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण के अन्तर्गत जारी मुआवजा एवं अन्य बॉण्ड में उदय के अन्तर्गत उधार राशि ₹ 62,422 करोड़ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी अनुपात (34.01 प्रतिशत) वर्ष के लिए एमटीएफपीएस के अनुमानों (33.16 प्रतिशत) से अधिक था। वर्ष 2016-17 के अंत में ये देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 2.34 गुणा तथा राज्य स्व-संसाधनों का 4.55 गुणा थीं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार[37] (₹ 45,616 करोड़), भारत सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित सीमा (₹ 21,554 करोड़) से अधिक थी, जो कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान उदय के अन्तर्गत लिए गए उधार ₹ 22,372 करोड़ के कारण थी।

[37] इसमें खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, केन्द्रीय सरकार से ऋण बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित, राज्य आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, लोक लेखे के अन्तर्गत अन्तरित राशि में अल्प बचत, प्रावधायी निधि, आरक्षित निधियाँ, जमाओं इत्यादि के कारण उत्पन्न अन्य दायित्व शामिल है।

1.10.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को **तालिका 1.29** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

	प्रारम्भिक शेष 1 अप्रैल 2016 को	अन्तिम शेष 31 मार्च 2017 को	वृद्धि/कमी (-)
(अ) सामान्य रोकड़ शेष			
कोषालयों में रोकड़	0.05	0.05	-
रिजर्व बैंक में जमा	488.99	(-) 2.28	(-) 491.27
स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	0.24	0.07	(-) 0.17
योग	**489.28**	**(-) 2.16**	(-) 491.44
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	5,915.95	5,585.10	(-) 330.85
योग (अ)	**6,405.23**	**5,582.94**	**(-) 822.29**
(ब) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश			
विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	1.11	1.13	0.02
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	3.11	2.93	(-) 0.18
चिन्हित निधियों में निवेश	1,987.82	2,525.46	537.64
योग (ब)	**1,992.04**	**2,529.52**	**537.48**
कुल योग (अ) + (ब)	**8,397.27**	**8,112.46**	**(-) 284.81**

स्रोत: वित्त लेखे

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष गत वर्ष की तुलना में ₹ 285 करोड़ (3 प्रतिशत) की कमी को दर्शाते हुए ₹ 8,112 करोड़ रहा।

- ***रोकड़ शेषों का निवेश***

बहुत से राज्यों का नकद शेष एक माह के कुल व्यय से अधिक था, इसलिए तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग ने सुझाया कि वृहद रोकड़ शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिये था। एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अकुशल प्रबंधन का द्योतक है, क्योंकि इससे परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं सलाह दी है कि राज्यों को अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करना चाहिये।

नकद शेषों[38], लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.30** में दी गई है।

तालिका 1.30: नकद शेष, बाजार ऋण और बजटीय व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1 अप्रैल को नकद शेष	9,785.11	12,886.72	10,446.44	8,949.28	8,397.27
31 मार्च को नकद शेष	12,886.72	10,446.44	8,949.28	8,397.27	8,112.46
भारत सरकार के कोषालय बिलों/ प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	12,127.66	8,997.40	7,628.42	5,915.95	5,585.10
लिये गये बाजार ऋण	8,041	8,800	12,300	15,800	16,054
कुल बजटीय व्यय	71,956	90,440	1,26,470	1,32,883	1,66,541
मासिक औसत बजटीय व्यय	5,996	7,537	10,539	11,074	13,878

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

राज्य सरकार के रोकड़ शेष अधिशेष पाँच प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिवसीय कोषालय बिलों में एवं आंशिक रूप से 91, 181 एवं 364 दिवसीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नीलामी वाले कोषालय बिलों में स्वत: ही निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2016-17 के अंत तक, ₹ 5,585.10 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 460.86 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। आगे, ₹ 2,525.46 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

1.10.4 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

राज्य बजट नियमावली के पैराग्राफ संख्या 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। इन निधियों का वित्तपोषण राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान से होता है। इन निधियाँ को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करके राशि अन्तरित कर बनाई जाती हैं। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

- ***संचालित आरक्षित निधियाँ***

31 मार्च 2017 को, लोक लेखे में ₹ 4,148.05 करोड़[39] की 23 आरक्षित निधियाँ थी, जिसमें ₹ 394.02 करोड़ की ब्याज वाली तीन निधियाँ शामिल थीं। वर्ष

[38] इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा चिन्हित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

[39] इसमें शामिल थे (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 326.05 करोड़; (ii) गारण्टी मोचन निधि: ₹ 2,634.65 करोड़; (iii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.89 करोड़; (iv) राज्य सड़क एवं सेतु निधि: ₹ 598.43 करोड़ (v) ह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल निर्माण कार्य: ₹ 67.76 करोड़ तथा (vi) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधि: ₹ 260.26 करोड़ ।

2016-17 के दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों में ₹ 3,067.86 करोड़ जमा किये गये थे जिसमें मुख्यत: राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,148.82 करोड़[40]), गारन्टी मोचन निधि (₹ 417.92 करोड़) तथा अन्य विकास एवं कल्याण निधि (₹ 395.39 करोड़) शामिल थे।

31 मार्च 2016 को अन्य देय ब्याज वाली निधियों में पड़े हुये ₹ 69.21 करोड़ पर ₹ 5.19 करोड़ (वित्त एवं मार्गोपाय अग्रिमों पर औसत ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत पर परम्परागत अनुमानित मानते हुए) का ब्याज राज्य सरकार को देना था। तथापि, यह पाया गया कि उसका भुगतान नहीं किया गया।

- ***असंचालित आरक्षित निधियाँ***

वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे के अनुसार, पाँच आरक्षित निधियाँ (₹ 4.24 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक समय से असंचालित थी। इनमें से एक निधि[41] (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली तथा शेष चार निधियाँ[42] (₹ 4.04 करोड़) बिना ब्याज वाली थी।

1.10.4.1 राज्य आपदा मोचन निधि

1 अप्रैल 2010 को विद्यमान आपदा सहायता निधि के स्थान पर राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) संस्थापित की गयी। चौदहवें वित्त आयोग ने निधि में भारत सरकार का 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 25 प्रतिशत वार्षिक अंशदान की मात्रा किये जाने की सिफारिश की थी।

वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अपना-अपना अंश उचित अनुपात में प्रदान किया। 31 मार्च 2017 को, आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय (₹ 2,054.34 करोड़) के बाद एसडीआरएफ में ₹ 326.05 करोड़ का शेष (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि सहित) था।

1.10.4.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में प्रत्याभूति मोचन निधि संस्थापित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबन्ध करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के पाँच प्रतिशत के इच्छित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना है। 31 मार्च 2017 को प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत ₹ 2,634.65 करोड़ शेष था, जोकि बकाया प्रत्याभूतियों (₹ 51,158.85 करोड़) का 5.1 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान इस निधि से किसी राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया। इससे आगे, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने प्राप्य ₹ 385.44 करोड़ के समक्ष

[40] इसमें एनडीआरएफ के ₹ 990.82 करोड़ शामिल है।

[41] झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख।

[42] (i) कृषक सुधार निधि: ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से सघन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख, (iii) राज्य सड़क सुधार विकास कोष: ₹ 402.08 लाख एवं (iv) राजकीय प्रतिभूति मोचन निधि: ₹ 0.18 लाख।

₹ 386.29 करोड़ गारन्टी कमीशन प्राप्त किया। यह राशि विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत लेखांकित की गई थी तथा प्रत्याभूति मोचन निधि में राशि ₹ 278.19 करोड़ हस्तान्तरित की गयी थी।

1.10.5 आकस्मिक देयताएँ

- ***प्रत्याभूतियों की स्थिति***

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएँ हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है।

वित्त लेखे के **विवरण 9** के अनुसार गत तीन वर्षों में राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ निम्न प्रकार थी।

तालिका 1.31: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2014-15	2015-16	2016-17
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	1,61,918	1,61,236	1,18,161
प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	94,578	53,620	51,119
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	177.3	160.8	108.4

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने प्राप्य ₹ 385.44 करोड़ के समक्ष ₹ 386.29 करोड़ का गारन्टी कमीशन प्राप्त किया। सरकार की बकाया प्रत्याभूतियाँ राजस्व प्राप्तियों की 47 प्रतिशत थी। वर्ष 2016-17 में कोई प्रत्याभूति नहीं भुनाई गई।

वर्ष 2016-17 में बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2015-16 के ₹ 53,620 करोड़ से 5 प्रतिशत घटकर ₹ 51,159 करोड़ रह गयी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यत: पाँच विद्युत् कम्पनियों (₹ 43,219 करोड़), तीन शहरी विकास एवं आवास (₹ 3,005 करोड़), एक सड़क एवं परिवहन (₹ 2,191 करोड़) एवं सात सहकारी संस्थाओं (₹ 1,705 करोड़) से संबंधित थी। विद्युत् कम्पनियों की प्रत्याभूतियाँ कर्जे/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान हेतु, बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि बढ़ाने के लिये एवं उस पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज चुकाने के लिए दी गई थी।

- ***बजट से इतर उधार***

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा राज्य के उधार विनियमित होते हैं। राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, जिला परिषदों/कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य बजट के बाहर अनुमानित विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बाजार/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये उधारों की प्रत्याभूतियाँ राज्य सरकार द्वारा दी

जाती है। राज्य सरकार द्वारा अनुमानित किया गया है कि इन कार्यक्रमों के लिए जुटाई गई निधियां इन कम्पनियों/निगमों/जिला परिषदों द्वारा जुटाये गए संसाधनों से वहन की जाएगी। वास्तव में इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिए गए उधार, जिनका पुनर्भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती हैं जिसे ''बजट से इतर उधार'' कहा जाता है, जो कि धारा 293(3) के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राजस्थान सरकार ने प्रारम्भिक बकाया शेष ₹ 2,787.25 करोड़ में ₹ 61.34 करोड़ की प्रत्याभूति जोड़ते हुए तथा कुल प्रत्याभूति ₹ 3,948.66 करोड़ के समक्ष वर्ष 2016-17 के अन्त में ₹ 2,605.52 करोड़ बकाया शेष छोडते हुए ₹ 243.07 करोड़ की प्रत्याभूति समायोजित की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (मई 2017) कि मुख्यमन्त्री बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु जिला परिषदों द्वारा हुडको से लिए गए ऋणों की मूलधन राशि ₹ 3,948.66 करोड़ एवं उस पर ब्याज के भुगतान हेतु वर्ष 2016-17 तक राज्य सरकार ने प्रत्याभूति दी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी संस्वीकृतियों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा 31 जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में ₹ 480.82 करोड़ (₹ 243.07 करोड़ मूलधन पेटे एवं ₹ 237.75 करोड़ ब्याज पेटे) मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के लिए उनके द्वारा हुडको से लिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु हस्तान्तरित किए गए, जो कि राज्य सरकार द्वारा योजनागत व्यय की पूर्ति हेतु बजट से इतर उधार के समान था।

1.10.6 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2012-13 के ₹ 76,954 करोड़ से 38 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 1,95,424 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान यह पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण निम्न **तालिका 1.32** में दिया गया है:

तालिका 1.32: वर्ष 2012-17 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(अ) आन्तरिक ऋण					
बाजार कर्ज	44,209	51,384	61,386	75,193	89,518
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	4,553	5,422	6,482	7,624	8,377
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ	20,767	20,022	20,126	20,040	18,504
अन्य संस्थानों से कर्ज	444	3,753	5,483	45,435*	67,886*
योग (अ)	**69,973**	**80,581**	**93,477**	**1,48,292**	**1,84,285**

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
गैर-आयोजना कर्ज	55	49	44	39	34
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	6,789	6,690	6,980	8,209	11,095
अन्य योजनागत कर्ज	137	10	10	10	10
योग (ब)	**6,981**	**6,749**	**7,034**	**8,258**	**11,139**
कुल उधार (अ + ब)	**76,954**	**87,330**	**1,00,511**	**1,56,550**	**1,95,424**
वृद्धि दर	7.3	13.5	15.1	55.8	24.8

स्रोत: वित्त लेखे

*** इसमें उदय के अन्तर्गत लिये गये उधार वर्ष 2015-16: ₹ 40,050 करोड़ एवं वर्ष 2016-17: ₹ 22,372 करोड़ सम्मिलित है।**

वर्ष 2012-17 की अवधि में बकाया उधारों और आन्तरिक ऋण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई, जबकि वर्ष 2013-14 तक केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शित हुई तथा इसके बाद वर्ष 2016-17 तक उत्तरोत्तर बढ़ोतरी पाई गई। कुल उधारों से बाजार ऋण का अंश वर्ष 2012-13 के 57 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 46 प्रतिशत रह गया। बाजार कर्ज में पिछले वर्ष से 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि वर्ष 2013-17 के दौरान औसत वृद्धि दर 25.6 प्रतिशत से कम थी। अन्य संस्थानों से कर्ज में गत वर्ष से 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने -राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे एवं प्रारम्भिक घाटे, एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक होती है। आगे, वह प्रवृत्ति जिससे घाटे को वित्त पोषित किया गया तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया गया, राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक होता है। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्ति

घाटे की प्रवृत्तियाँ तथा इसके सापेक्ष जीएसडीपी के सूचक निम्न तालिका में दिये गये है:

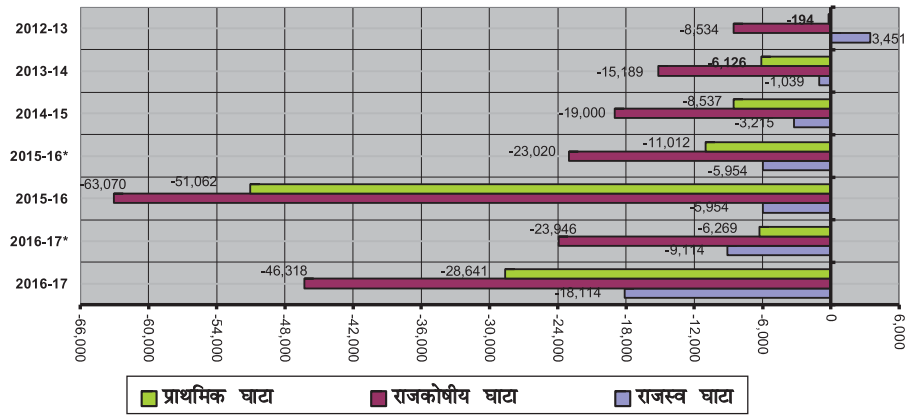
जीएसडीपी के सापेक्ष घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		2016-17	
				उदय रहित	उदय सहित	उदय रहित	उदय सहित
राजस्व घाटा (–)/राजस्व अधिशेष (+)	(+) 3,451	(-) 1,039	(-) 3,215	(-) 5,954	(-) 5,954	(-) 9,114	(-) 18,114
राजकोषीय घाटा (–)/ राजकोषीय अधिशेष	(-) 8,534	(-) 15,189	(-) 19,000	(-) 23,020	(-) 63,070	(-) 23,946	(-) 46,318
प्राथमिक घाटा	(-) 194	(-) 6,126	(-) 8,537	(-) 11,012	(-) 51,062	(-) 6,269	(-) 28,641
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/ जीएसडीपी	(+) 0.7	(-) 0.2	(-) 0.5	(-) 0.9	(-) 0.9	(-) 1.2	(-) 2.4
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 1.7	(-) 2.8	(-) 3.1	(-) 3.4	(-) 9.4	(-) 3.2	(-) 6.2
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/ जीएसडीपी	0.0	(-) 1.1	(-) 1.4	(-) 1.6	(-) 7.6	(-) 0.8	(-) 3.8
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	6.8	16.9	25.9	9.4	38.1	39.1

स्रोत: वित्त लेखे

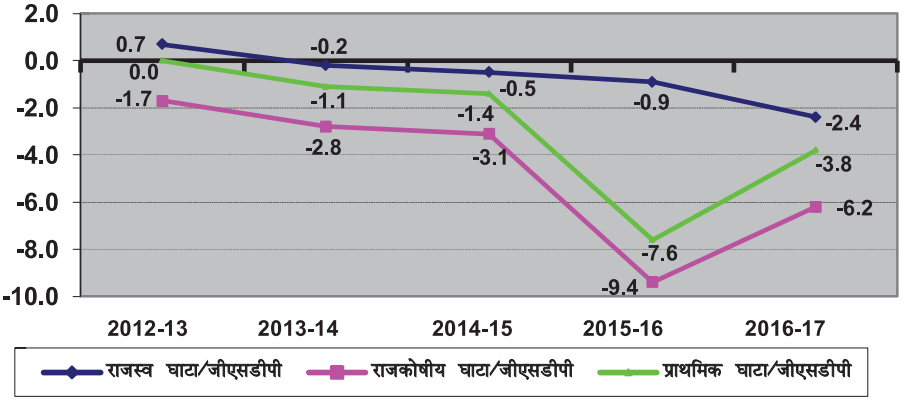
चार्ट 1.11 एवं **1.12**, वर्ष 2012–17 की अवधि के दौरान घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.11: घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ (₹करोड़ में)



* उदय रहित

चार्ट 1.12: जीएसडीपी के सापेक्ष घाटे के सूचकों (उदय सहित) की प्रवृत्तियाँ (जीएसडीपी से प्रतिशत में)



1.11.1.1 राजस्व अधिशेष/घाटा

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहायता करता है।

वर्ष 2012-13 में राजस्व अधिशेष से राज्य सरकार वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटे वाले राज्य में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, राजस्व घाटा (₹ 18,114 करोड़) पिछले वर्ष से ₹ 12,160 करोड़ बढ़ा। वर्ष 2016-17 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत के समक्ष राजस्व व्यय की वृद्धि दर 19.7 प्रतिशत थी। इस मामले की विस्तृत विवेचना **अनुच्छेद 1.2.1** में की गयी है।

1.11.1.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यत: सरकार की वृद्धिजन्य देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की पूर्ति या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों से की जा सकती है। घाटे की प्रवृत्ति के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति मुख्य घटकों के सापेक्ष **तालिका 1.33** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.33: राजकोषीय घाटा तथा उसके मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय
2012-13	68,023	76,557	8,534	1.73	12.6	11.2
2013-14	74,797	89,986	15,189	2.77	20.3	16.9
2014-15	92,346	1,11,346	19,000	3.13	20.6	17.1
2015-16*	1,01,757	1,64,827	63,070	9.38	62.0	38.3
2016-17*	1,10,767	1,57,085	46,318	6.18	41.8	29.5

स्रोत: वित्त लेखे

*** इस स्थिति में उदय का प्रभाव सम्मिलित है।**

राजकोषीय घाटा जीएसडीपी, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2012-13 में सबसे कम था, इसके बाद वर्ष 2015-16 तक इसमें सतत् वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान, कर्जे तथा अग्रिम (₹ 23,903 करोड़) में कमी के कारण, राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष से ₹ 16,752 करोड़ कम हो गया।

वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2015-16 में 3.42 प्रतिशत से घटकर 3.19 प्रतिशत (उदय रहित) रह गया, जो कि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 में निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटे को नियमित रूप से एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में नियंत्रित रखने के पश्चात, वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार ने तीन प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर लिया।

1.11.1.3 प्राथमिक घाटा

जबकि राजकोषीय घाटा सामान्यत: अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, तब ऐसे स्रोतों के एक हिस्से की ब्याज भुगतान के लिए आवश्यकता हो सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और चालू आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की चालू प्रकृति देखते हुए, ऐसे भुगतानों को अलग करने और कुल असंतुलन में से कम करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 तक प्राथमिक अधिशेष कायम रखा गया था। पूँजीगत व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण प्राथमिक अधिशेष वर्ष 2012-13 में प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2016-17 में प्राथमिक घाटा 2015-16 में ₹ 51,062 करोड़ से घटकर ₹ 28,641 करोड़ रह गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को **तालिका 1.34** प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2016-17#		
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16#	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
(अ) राजकोषीय घाटे के संघटक									
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	(-) 3,357	(-) 3,451	1,039	3,215	5,954	1,09,026	1,27,140	18,114
2	निवल पूँजीगत व्यय	7,103	10,675	13,654	16,088	21,961	28	16,980	16,952
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 120	1,310	496	(-) 303	35,155	1,713	12,965	11,252
	योग (अ)	**3,626**	**8,534**	**15,189**	**19,000**	**63,070**	**1,10,767**	**1,57,085**	**46,318**
(ब) राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण का ढाँचा									
1	बाजार से उधार	3,103	5,658	7,175	10,002	13,807	16,054	1,729	14,325
2	भारत सरकार से कर्ज	(-) 131	(-) 268	(-) 232	286	1,224	3,455	574	2,881
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-)1,138	(-) 751	(-) 745	104	(-) 86	-	1,536	(-) 1,536
4	मार्गोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्जे	594	610	4,178	2,789	41,094	24,380	1,176	23,204
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,767	2,164	2,521	2,982	3,267	8,620	5,240	3,380
7	जमा तथा अग्रिम	1,096	3,416	(-) 421	1,409	2,255	1,44,292	1,41,050	3,242
8	उचन्त एवं विविध	12	(-) 3	12	(-) 40	59	(-) 67	52	(-) 119
9	प्रेषण	-	29	(-) 6	(-) 1	(-) 20	132	135	(-) 3
10	आरक्षित निधियाँ	1,020	781	267	(-) 28	918	3,068	2,409	659
	योग (ब)	**7,323**	**11,636**	**12,749**	**17,503**	**62,518**	**1,99,934**	**1,53,901**	**46,033**
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	(-)3,697	(-)3,102	2,440	1,497	552	-	-	285
12	समग्र घाटा (ब+11)	3,626	8,534	15,189	19,000	63,070	-	-	46,318

इस स्थिति में उदय का प्रभाव सम्मिलित है।
स्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा, राज्य की उधारों की कुल मांग है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में, कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे का संयोजन राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरा करने की सीमा को प्रकट करता है।

राज्य सरकार द्वारा निरन्तर बाजार के उधारों एवं वित्तीय संस्थाओं से कर्जो से वित्त लिया जाना राजकोषीय घाटे का मुख्य भाग रहा। वर्ष 2016-17 में वित्तीय राजकोषीय घाटे में इसका अंश वर्ष 2015-16 में 87 प्रतिशत से घटकर 81 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 46,318 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यत: बाजार से उधार (₹ 14,325 करोड़), वित्तीय संस्थाओं से कर्जे (₹ 23,204 करोड़), अल्प बचत एवं प्रावधायी निधि आदि (₹ 3,380 करोड़) तथा जमा एवं अग्रिम (₹ 3,242 करोड़) से की गई। बाजार से उधार तथा अल्प बचत, प्रावधायी निधि आदि, पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 19.1 प्रतिशत एवं 9.5 प्रतिशत वृद्धि से भविष्य के ब्याज भार बढ़ाते हुए बढ़े।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा जिस तक उधार ली गयी निधियों का चालू उपभोग हेतु उपयोग किया गया, को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा है तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं।

प्राथमिक घाटे के विभाजन **(तालिका 1.35)** में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है, जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वाँछित होगा, जो पूँजीगत व्यय में वृद्धि का कारण है।

तालिका 1.35: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में प्राथमिक राजस्व व्यय का अन्तर	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	68,023	55,122	10,683	2,412	68,217	(+) 12,901	(-) 194
2013-14	74,797	66,447	13,664	812	80,923	(+) 8,350	(-) 6,126
2014-15	92,346	84,079	16,103	701	1,00,883	(+) 8,267	(-) 8,537
2015-16	1,01,757	94,231	21,986	36,602	1,52,819	(+) 7,526	(-) 51,062
2016-17	1,10,767	1,09,463	16,980	12,965	1,39,408	(+) 1,304	(-) 28,641

स्रोत: वित्त लेखे।

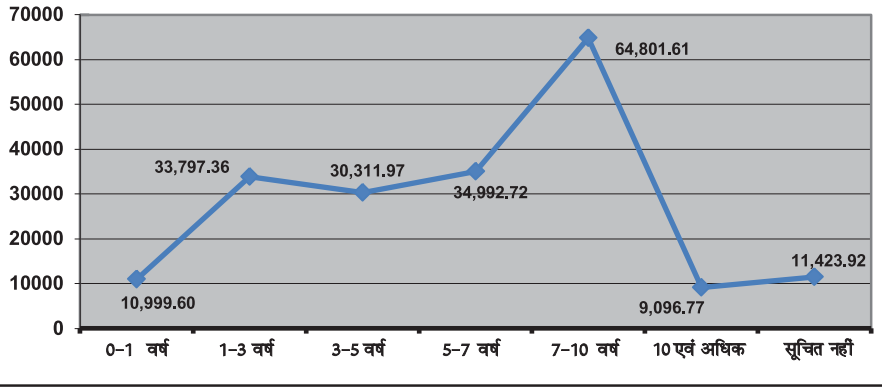
वर्ष 2016-17 में प्राथमिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2012-13 के 16 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत रह गया। गैर ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2016-17 में गत वर्ष की तुलना में ₹ 9,010 करोड़ से बढ़ी जबकि प्राथमिक व्यय में ₹ 13,411 करोड़ की कमी हुई। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटे में ₹ 22,421 करोड़ की कमी हुई। गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक राजस्व व्यय में ₹ 15,232 करोड़ (16.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय एवं कर्जे तथा अग्रिम के वितरण में क्रमशः, ₹ 5,006 करोड़ (22.8 प्रतिशत) एवं ₹ 23,637 करोड़ (64.6 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय से कम हुई परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटा हुआ।

1.12 ऋण प्रबन्धन

(i) ऋण प्रोफाइल

31 मार्च 2017 को राज्य ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल ***चार्ट 1.13*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.13: राज्य ऋण परिपक्वता प्रोफाइल (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.13 में दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार ₹ 11,423.92 करोड़ के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी। अदायगियों के समूह 1-3 वर्षों (₹ 33,797.36 करोड़), 3-5 वर्षों (₹ 30,311.97 करोड़) और 5-7 वर्षों (₹ 34,992.72 करोड़) की अवधि में बनाये गये। ऋण परिपक्वता प्रोफाइल के रूप में, वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण का लगभग 33 प्रतिशत (₹ 64,801.61 करोड़) 7 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था। अतः सरकार को एक अच्छी सुविचारित ऋण अदायगी नीति यह सुनिश्चित करने हेतु बनानी होगी।

(ii) ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता को भविष्य में उसके ऋणों को चुकाने की सेवा के लिए राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः ऋण की धारणीयता

वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्राप्त प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सादृश्य होनी चाहिए। वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण की धारणीयता का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार ***तालिका 1.36*** में किया गया है।

तालिका 1.36: ऋण की धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

ऋण के धारणीयता के सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया ऋण की वृद्धि दर	10.6	10.3	13.6	41.9	21.8
जीएसडीपी की वृद्धि दर	13.5	11.2	10.6	10.9	11.4
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर	7.4	7.3	7.5	6.7	7.6
ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	12	12	11	12	16
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज अदायगी)/ऋण प्राप्तियाँ	98.2	97.3	94.6	75.0	86.1
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (₹ करोड़ में)	2,908	3,038	7,236	49,769	27,939

- ***उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता***

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ये ऋण मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

वर्ष 2016-17 में ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात् मौजूद परिचालनों हेतु उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2015-16 में ₹ 49,769 करोड़ से घटकर ₹ 27,939 करोड़ रह गया।

- ***ब्याज भार***

ब्याज अदायगियों का राजस्व से अनुपात राज्य की ऋण की धारणीयता को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान, ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष से चार प्रतिशतता बिन्दु बढ़ी और राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 16 प्रतिशत हो गयी ।

1.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार एफआरबीएम अधिनियम में प्रतिपादित शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को निरन्तर चौथे वर्ष भी प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्ष 2016-17 के दौरान, राजस्व घाटा वर्ष 2015-16 के ₹ 5,954 करोड़ से बढ़कर ₹ 18,114 करोड़ हो गया। राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम में दिया गया है, के अन्दर नियंत्रित रखने में विफल रही तथा वर्ष 2016-17 के अंत तक, राजकोषीय घाटा ₹ 23,946 करोड़ (जीएसडीपी का 3.19 प्रतिशत) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के

प्रभाव को सम्मिलित न रखते हुए रहा। राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान डिस्कॉम को ₹ 22,372 करोड़ की राशि जारी की। यदि इस प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है, तो राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 46,318 करोड़ (जीएसडीपी का 6.18 प्रतिशत) हो जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में ₹ 8,802 करोड़ के राजस्व घाटे को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय के लिए ₹ 1,32,053 करोड़ तथा राजस्व प्राप्तियों के लिए ₹ 1,23,251 करोड़ अनुमानित किये। तथापि, वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 1,27,140 करोड़ (अनुमानों से 3.72 प्रतिशत कम) एवं वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 1,09,026 करोड़ (अनुमानों से 11.54 प्रतिशत कम) रही, जिससे राजस्व घाटा ₹ 18,114 करोड़ रहा। बकाया ऋण में गत वर्षो से तीव्र वृद्धि हुई, जो वर्ष 2012-13 के अंत से ₹ 1,17,809 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 के अंत तक ₹ 2,55,002 करोड़ (उदय सहित) अर्थात् जीएसडीपी का 34.01 प्रतिशत (यह उदय रहित ₹ 1,92,580 करोड़ अर्थात् जीएसडीपी का 25.69 प्रतिशत था) हो गया । तथापि, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार ₹ 23,244 करोड़ (उदय रहित) भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा ₹ 21,554 करोड़ से अधिक थी।

वर्ष 2016-17 में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 के ₹ 66,913 करोड़ से तीव्रता से बढ़कर ₹ 1,09,026 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि गत वर्ष के 9.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 8.7 प्रतिशत (₹ 8,741 करोड़) रही। यह मुख्यत: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश में वर्ष 2016-17 में 20.2 प्रतिशत (₹ 5,640 करोड) की वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का हिस्सा वर्ष 2012-13 के 46 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत रह गया।

यद्यपि, वर्ष 2016-17 में राज्य का समग्र राजस्व व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 63,462 करोड़ से 100 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,27,140 करोड़ हो गया, इसका कुल व्यय में हिस्सा 82.9 से गिरकर 80.9 प्रतिशत रह गया। राजस्व व्यय में वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष के 12.4 प्रतिशत की तुलना में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय भी वर्ष 2012-13 के ₹ 49,227 करोड़ समान रूप से बढ़कर ₹ 79,658 करोड़ हो गया एवं गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत वृद्धि के बाद राजस्व व्यय का 63 प्रतिशत रहा।

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के खातों के लेखांकन एवं प्रमाणीकरण की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग ने बिना शर्त के नौ प्रमाण पत्र तथा 6,404 सशर्त प्रमाण पत्र जारी किए थे।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 4,316.32 करोड़ सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में निवेश किया गया, सरकार द्वारा पाँच विद्युत कम्पनियों में ₹ 4,065.71 करोड़ एवं ₹ 248.61 करोड़ विद्युत कम्पनियों के अलावा निवेशित किये गये। वर्ष 2012-17 के दौरान, यद्यपि राज्य सरकार ने

₹ 22,980.61 करोड़ निवेशित किये, फिर भी सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में निवेश पर प्रतिलाभ 0.3 प्रतिशत से कम था, जबकि वर्ष 2012-17 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी उधारों पर औसत रूप से 7.6 प्रतिशत तक के ब्याज का भुगतान किया।

राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 40,730.66 करोड़ का निवेश किया जिनमें ₹ 1,01,241.75 करोड़ की संचित हानि हुई। इससे हानि वाली कम्पनियों में पूँजी निवेश का अपक्षरण हुआ।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार को 24 संयुक्त पूँजी कम्पनियों से कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ।

वर्ष 2016-17 में ब्याज एवं अदायगी के लिए उपलब्ध कराने के पश्चात मौजूद परिचालनों के लिए उधारों से उपलब्ध निवल कोष ₹ 27,939 करोड़ का रहा।

सिफारिशें:

1. *निर्धारित सीमाओं के भीतर राजकोषीय परिमापों से समाहित प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमान अधिक वास्तविक होने चाहिए एवं राज्य सरकार को विवेकपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास करना चाहिए।*

2. *यह देखा गया कि विद्युत क्षेत्र का राज्य के वित्तीय ऋण एवं ब्याज भार में लम्बे समय से वृहद् योगदान रहा। वर्ष 2015-16 में ऋण का प्रबन्ध करने के लिए उदय लागू किया गया।*

3. *राज्य सरकार को प्रमुख वित्तीय पैमानों जैसे राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा एवं अन्य बकाया देयताऐं की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत क्षेत्र की कठिनाईयों का समाधान करना चाहिए।*

4. *स्थानीय निकायों में लेखांकन पद्धति का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। राज्य सरकार को लेखों को समय पर तैयार करने एवं प्रस्तुत करने तथा उनका प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।*

5. *राज्य सरकार को निवेश में धन की उचित प्राप्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।*

अध्याय II
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को पृथक-पृथक रूप से दर्ज करते हैं तथा बजट के प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत व्यय के समक्ष विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सरल बनाते हैं और इस प्रकार ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार प्रभारित किया गया है जैसा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (रा.ब.नि.) के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से सूचनायें, जिन पर इनके अनुमान आधारित होते हैं, प्राप्त कर, वार्षिक बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों से परामर्श कर तैयार किये जाते है और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात, वित्त विभाग अनुमानों का समेकन तथा विस्तृत अनुमानों एवं अनुदानों को तैयार करता है। जहाँ तक संभव हो व्यय के अनुमान यथार्थ होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम।

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2016-17 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति नीचे **तालिका 2.1** में दी गयी है:

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि का बचतों से प्रतिशत
दत्तमत	I-राजस्व	1,16,812.07	6,615.05	1,23,427.12	1,12,448.04	(-)10,979.08	10,940.11	10,940.11	99.6
	II-पूँजीगत	24,591.00	95.84	24,686.84	17,849.21	(-) 6,837.63	5,885.57	5,885.57	86.1
	III-कर्ज तथा उधार	11,067.20	1,379.41	12,446.61	12,965.45	(+) 518.84	366.28	366.28	-
आकस्मिकता निधि को विनियोग		-	-	-	-	-	-	-	
योग दत्तमत		**1,52,470.27**	**8,090.30**	**1,60,560.57**	**1,43,262.70**	**17,297.87**	**17,191.96**	**17,191.96**	**99.4**
प्रभारित	IV-राजस्व	*17,649.99*	*315.90*	*17,965.89*	*17,897.85*	*(-) 68.04*	*66.71*	*66.71*	*98.0*
	V-पूँजीगत	-[1]	*0.75*	*0.75*	*0.75*	-	-[2]	-[2]	
	VI-लोक ऋण पुनर्भुगतान	*4,720.49*	*316.49*	*5,036.98*	*5,014.57*	*(-) 22.41*	*22.42*	*22.42*	*100.0*
योग प्रभारित		***22,370.48***	***633.14***	***23,003.62***	***22,913.17***	***90.45***	***89.13***	***89.13***	***98.5***
कुल योग		**1,74,840.75**	**8,723.44**	**1,83,564.19**	**1,66,175.87**[3]	**17,388.32**	**17,281.09**	**17,281.09**	**99.4**

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.1 यह इंगित करती है कि वर्ष 2016-17 के दौरान लिया गया ₹ 8,723.44 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम था। समग्र बचत (₹ 17,388.32 करोड़), राजस्व अनुभाग की 47 अनुदानों एवं 45 विनियोगों तथा पूँजीगत अनुभाग की 33 अनुदानों एवं चार विनियोगों में राशि ₹ 17,388.72 करोड़ की बचत, राजस्व अनुभाग के दो अनुदानों के अन्तर्गत समग्र आधिक्य ₹ 0.40 करोड़ के समायोजन का परिणाम थी।

1 केवल ₹ 6,000.

2 केवल ₹ 6,000.

3 वास्तविक व्यय के आँकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित है (राजस्व: ₹ 3,205.75 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 870.24 करोड़, कुल: ₹ 4,075.99 करोड़)।

महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को, बचतों/आधिक्यों के महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के लिए विस्तृत विनियोग लेखे प्रेषित (जून-जुलाई 2017) किये गये। 1,460 उप-शीर्षो में से, 814 उप-शीर्षो (बचत: 642 तथा आधिक्य: 172) से सम्बन्धित अन्तरों के स्पष्टीकरण प्रतीक्षित (अक्टूबर 2017) रहे।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 गत वर्षों (2014-16) से सम्बन्धित प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिये अनुदान/विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधानसभा द्वारा नियमन करवाना अनिवार्य है। यद्यपि, व्यय के नियमितीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथापि, ऐसा नियमितीकरण जन लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के बाद किया जाता है।

वर्ष 2014-16 के लिये एक अनुदान तथा चार विनियोगों में आधिक्य व्यय की राशि ₹ 177.42 करोड़ का नियमन किया जाना शेष था (14 अगस्त 2017 को)। वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 2.2** में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 2.2: गत वर्षो के प्रावधान से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति
2014-15	1	लोक ऋण	पूँजीगत-प्रभारित	3.15	जन लेखा समिति द्वारा परीक्षण अभी किया जाना शेष था।
2015-16	4	ब्याज अदायगियाँ	राजस्व प्रभारित	46.21	जन लेखा समिति द्वारा परीक्षण अभी किया जाना शेष था।
		22-क्षेत्र का विकास		-[4]	
		18-जन सम्पर्क	राजस्व दत्तमत	0.11	
		लोक ऋण	पूँजीगत प्रभारित	127.95	
योग	**5**			**177.42**	

स्रोत: विनियोग लेखे।

2.3.2 वर्ष 2016-17 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

तालिका 2.3 में दो अनुदानों के अंतर्गत प्रावधानों से अधिक किये गये व्यय ₹ 0.40 करोड़ की राशि का सार दिया गया है, जो कि वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की समेकित निधि से अधिकृत है तथा जिनमें संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमन की आवश्यकता है।

[4] *केवल* ₹ 21,106

तालिका 2.3: वर्ष 2016-17 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
राजस्व दत्तमत				
1.	02- मंत्रि परिषद	10.69	10.86	0.17
2.	20-आवास	88.17	88.40	0.23
कुल योग		**98.86**	**99.26**	**0.40**

स्रोत: विनियोग लेखे।

वित्त विभाग द्वारा राज्य की समेकित निधि में प्राधिकृत राशि से अधिक व्यय के कारण महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान को प्रेषित नहीं किये।

2.3.3 आधिक्य व्यय

पाँच लेखाशीर्षो में, प्रत्येक शीर्ष में आधिक्य व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक तथा साथ ही कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक के मामले थे (***परिशिष्ट 2.1***)। यद्यपि अंतिम रूप से अनुदान में समग्र बचतें थी, फिर भी चार लेखाशीर्षो में पुनर्विनियोजन नहीं किया गया।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के फलस्वरूप होने वाला आधिक्य व्यय, बजट एवं व्यय नियंत्रण में कमी को इंगित करता है।

2.3.4 व्यय की अधिकता

व्यय की समान गति रखना ठोस लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति वाले महीनों में व्यय की अधिकता को टालना चाहिये।

वर्ष 2016-17 के दौरान, 75 उप-शीर्षो ***(परिशिष्ट 2.2)*** में ₹ 14,624.19 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय (₹ 28,548.73 करोड़) का 51.2 प्रतिशत था। इसमें से, ₹ 10,590.05 करोड़ (72.4 प्रतिशत) अकेले मार्च 2017 में व्यय किये गये।

मुख्य शीर्षो, जिनमें ₹ 25 करोड़ से अधिक के तथा कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक के व्यय, या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम माह के दौरान किया गया, को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में व्यय की अधिकता के मामलें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2017 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1.	2075- विविध सामान्य सेवाये	281.31	279.28	99.3	279.04	99.2
2.	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2155.54*	2777.37	128.8	1667.65	77.4
3.	2853- अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	329.27	220.57	67.0	181.66	55.2
4.	3452- पर्यटन	96.08	70.02	72.9	63.35	65.9
5.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	515.34	312.55	60.6	271.21	52.6
6.	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	173.74	120.02	69.1	87.83	50.6
7.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	466.72	405.83	87.0	360.77	77.3
8.	6235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज	45.00	25.00	55.6	25.00	55.6

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

* **वर्ष के अन्त में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से व्यय किये जाने के कारण इस शीर्ष में कम व्यय दर्शाया गया।**

संयोग से, वर्ष 2016-17 के दौरान निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित/जमा की गई कुल राशि ₹ 34,599.49 करोड़ में से राशि ₹ 3,626.96 करोड़ (10.48 प्रतिशत) अकेले मार्च 2017 में हस्तांतरित किये गये, जैसाकि **अनुच्छेद 3.6** में विस्तृत है।

इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़ी राशि खर्च की गयी जो व्यय के ऊपर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.3.5 आवंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के सम्बन्ध में बजट आवंटन से विचलन था, जो बजटीय प्रक्रिया तथा बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्न उत्पन्न करता है।

विनियोग लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 17,388.32 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध ₹ 16,203.33 करोड़ (93.2 प्रतिशत) की बचतें, 23 अनुदानों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की थी, जैसाकि नीचे **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
	(अ) राजस्व-दत्तमत						
1	8-राजस्व	854.81	-	854.81	653.09	201.72 (23.60)	पदों का रिक्त रहना, मजदूरी एवं कार्यालय व्यय पर कम व्यय, दिनांक 1.4.2016 से डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का सेन्टर सेक्टर स्कीम में परिवर्तित होना तथा स्कीम का व्यय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के बैंक बचत खाते से किया जाना, सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण कार्य देरी से स्वीकृत होना तथा भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी कुल निधियों में रही अवशेष राशि की सीमा तक निधियाँ जारी किया जाना।
2	10-विविध सामान्य सेवाएं	412.83	-	412.83	281.31	131.52 (31.86)	गारन्टी फीस की कम प्राप्ति। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
3	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	12,492.46	177.70	12,670.16	12,278.88	391.28 (3.09)	अनुमानित प्रावधान में कमी पेंशनर्स की मृत्यु, उनकी पेंशन का पारिवारिक पेंशन में परिवर्तित होना तथा कोषालयों द्वारा जिला परिषदों, नगर पालिकाओं व पंचायत समितियों के कर्मचारियों की पेंशन का सही वर्गीकरण करना, के कारण रही।
4	16-पुलिस	4,426.31	204.64	4,630.95	4,498.59	132.36 (2.86)	पदों का रिक्त रहना, मशीन एवं उपकरण पर कम व्यय होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
5	21-सड़कें एवं पुल	1,492.21	109.75	1,601.96	1,458.11	143.85 (8.98)	पैट्रोल और डीजल की बिक्री से प्राप्त उपकर को राज्य सड़क विकास निधि (रासविनि) को अन्तरण नही करना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
6	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	20,876.09	763.76	21,639.85	20,963.52	676.33 (3.13)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना, रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती प्रक्रिया का अंतिमीकरण नही होना, प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण पदों का स्थानान्तरण होना, वित्त विभाग द्वारा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के निजी निक्षेप खाते में गैर वेतन अनुदान का हस्तान्तरण नही किया जाना, छात्रवृत्ति के दावे कम प्राप्त होना, निविदा में देरी तथा संवेदकों से बिल प्राप्त नही होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
7	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	6,811.78	-	6,811.78	6,442.86	368.92 (5.42)	पदों का रिक्त रहना, परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी होना, परियोजना में बदलाव, भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना, निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति तथा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के पास गत वर्षों की उपलब्ध निधि का निर्धारित सीमा से अधिक अवशेष राशि के अधिशेष का उपयोग करना।
8	27-पेयजल योजना	2,836.98	339.95	3,176.93	2,913.73	263.20 (8.28)	पदों का रिक्त रहना, बिजली के बिलों में विरोधाभास तथा संवेदकों द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं करना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
9	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	949.64	-	949.64	741.41	208.23 (21.93)	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना तथा ''फोर वाटर कंसेप्ट'' योजना को निधि के डाईवर्जन होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
10	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4,023.79	809.25	4,833.04	4,206.51	626.53 (12.96)	भारत सरकार से निधियाँ कम/देरी से प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, कार्यों की धीमी प्रगति तथा अनुदान (गैर-संवेतन) में कमी होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
11	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	9,113.00	-	9,113.00	7,378.93	1,734.07 (19.03)	कार्मिकों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों का रिक्त रहना तथा प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में विलय के कारण पदों का स्थानान्तरण, छात्रवृतियों के लिए आवेदन कम प्राप्त होना, भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना, निविदा प्रक्रिया में देरी, भारत सरकार द्वारा पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कम अनुदान जारी करना तथा भारत सरकार से योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
12	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,563.64	222.29	4,785.93	4,521.83	264.10 (5.52)	पदों का रिक्त रहना, छात्रावासों की मरम्मत एवं रखरखाव एवं खाद्य सामग्री पर कम व्यय होना, अनुदान (गैर-संवेतन) कम जारी होना तथा छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
13	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2,325.65	2,211.49	4,537.14	4,209.87	327.27 (7.21)	राहत कार्यों पर कम व्यय होना।
14	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	420.52	-	420.52	273.33	147.19 (35.0)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना, कम्प्यूटराईजेशन तथा भामाशाह योजना पर कम व्यय होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
15	37-कृषि	2,482.89	-	2,482.89	2,160.90	321.99 (12.97)	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के पुनः संरचना तथा उनके क्रियान्वयन में देरी होने से खास तौर पर बचत हुई। इसके अतिरिक्ति, विभिन्न गतिविधियों जैसे नहरों का सुदृढ़ीकरण, जल संग्रहण विकास, भू-जल प्रबंधन तथा सोलर पम्प का क्रियान्वयन नहीं होना, भारत सरकार से निधियों की कम/प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार द्वारा सीधे ही संबंधित विभाग को निधियां जारी करना, पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा में कटौती तथा प्रमाणित और संकर बीजों के कम वितरण ने भी बचतों में योगदान दिया।
16	41-सामुदायिक विकास	6,537.05	293.49	6,830.54	6,130.37	700.17 (10.25)	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा राज्य वित आयोग की सिफारिशों के अनुसार निधियाँ जारी करना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
17	48-विद्युत	14,623.68	411.48	15,035.16	13,606.55	1,428.61 (9.50)	जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत कर जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप अनुदानों के जारी न किया जाना तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के अन्तर्गत भारत सरकार से सीधे अनुदान प्राप्त करना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
18	50-ग्रामीण रोजगार	2,506.38	-	2,506.38	1,499.85	1,006.53 (40.16)	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना।
19	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	9,549.49	-	9,549.49	8,304.44	1,245.05 (13.04)	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, छात्रवृत्तियों पर कम व्यय, पदों का रिक्त रहना, निविदा प्रक्रिया में देरी, सम्बल ग्रामों के विकास हेतु अनुदान जारी नही होना तथा आयोजना सीमा में कटौती होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
	योग (अ)	**1,07,299.20**	**5,543.80**	**1,12,843.00**	**1,02,524.08**	**10,318.92**	
	(ब) पूँजीगत-दत्तमत						
20	12-अन्य कर	301.00	-	301.00	100.00	201.00 (66.78)	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
21	19-लोक निर्माण कार्य	1,617.68	-	1,617.68	719.52	898.16 (55.52)	कार्यों की धीमी प्रगति तथा कार्यों के कम निष्पादन के कारण। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
22	21-सड़कें एवं पुल	3,466.39	-	3,466.39	2,202.98	1,263.41 (36.45)	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
23	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	352.96	-	352.96	172.50	180.46 (51.13)	अधीनस्थ कार्यालयों में नये भवन का निर्माण कार्य/अतिरिक्त कार्य एवं बजट भाषण में घोषित निर्माण कार्यों के लिए कार्यकारी अभिकरणों द्वारा निविदा की तकनीकी प्रक्रिया समय पर निष्पादित नहीं किया जाना, कार्य की धीमी प्रगति तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना।
24	27-पेयजल योजना	3,876.33	-	3,876.33	2,980.11	896.22 (23.12)	कार्यों का कम निष्पादन होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
25	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,742.68	-	1,742.68	959.45	783.23 (44.94)	कार्यों का कम/निष्पादन नही होना, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, पदों का रिक्त रहना, कार्यस्थल पर कार्यों की पूर्णता में रूकावट के कारण एशियन विकास बैंक के द्वारा द्वितीय चरण के विकास कार्यों की समय अवधि बढ़ाने तथा गंगानगर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़ एवं भीलवाडा में विकास कार्यों की निविदाएँ प्रक्रियाधीन होना।
26	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4,666.90	13.93	4,680.83	4,346.48	334.35 (7.14)	निर्माण कार्यों पर कम व्यय, कार्य की धीमी प्रगति, आयोजना सीमा में कटौती, प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन, कार्यों का कम/निष्पादन नहीं होना, भारत सरकार से निधियाँ कम/नही प्राप्त होना तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटरी संसाधनों की कम आवश्यकता के परिणामस्वरूप अंश पूँजी में कम निवेश होना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
							विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
27	37-कृषि	588.97	-	588.97	232.55	356.42 (60.52)	पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, भारत सरकार द्वारा संबंधित विभागों को उनके वर्तमान लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सीधे निधियाँ जारी करना तथा राजस्थान राज्य भंडारण निगम द्वारा निर्माण कार्यों का कम निष्पादन करना।
28	43-खनिज	166.00	-	166.00	10.53	155.47 (93.66)	राज्य में योजना (रिफायनरी की स्थापना) का कार्यान्वयन नहीं होना, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सामानों की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त नही होना तथा वन विभाग से खनन क्षेत्रों में पौधारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना।
29	46-सिंचाई	1503.68	-	1503.68	1264.09	239.59 (15.93)	ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना, निविदा प्रक्रिया में देरी, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से सिंचित क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्धन में कार्य परिवर्तन होना, कार्यों की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना, परवन परियोजना पर आनुपातिक व्यय का समायोजन न होना तथा कार्यों का कम/निष्पादन नहीं होना।
30	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	5,988.15	-	5,988.15	5,412.05	576.10 (9.62)	भारत सरकार से निधियों की कम/प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम/निष्पादन नहीं होना, कार्य की धीमी प्रगति, आयोजना सीमा में कटौती तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर, जोधपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः आन्तरिक और बाह्य बजट संसाधनों की कम आवश्यकता के परिणामस्वरूप अंश पूँजी में कम निवेश होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
	योग (ब)	**24,270.74**	**13.93**	**24,284.67**	**18,400.26**	**5,884.41**	
कुल योग (अ+ब)		**1,31,569.94**	**5,557.73**	**1,37,127.67**	**1,20,914.34**	**16,203.33**	

स्रोतः विनियोग लेखे

ऊपर चर्चित प्रकरण इंगित करते हैं कि इन अनुदानों के विभागों तथा बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्ययों का बजट अनुमान तैयार करते समय राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,203.33 करोड़ की बचतें हुई।

₹ 17,388.32 करोड़ की कुल बचतों में से, राशि ₹ 10,318.92 करोड़ (59.3 प्रतिशत) की बचतें (₹ 100 करोड़ तथा अधिक) 'राजस्व-दत्तमत' अनुभाग से संबंधित थी, जो कि व्यय के दोषपूर्ण बजट अनुमान को इंगित करती है। बचतें मुख्यतः पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, शिक्षा कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, जनजाति क्षेत्रीय विकास, प्राकृतिक आपदाओं से राहत, कृषि, सामुदायिक विकास, विद्युत, ग्रामीण रोजगार तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के

अन्तर्गत थी। बचतों के कारण तीन विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत कर जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप अनुदानों का जारी न किया जाना, कार्य की धीमी प्रगति, अनुदान में कटौती (गैर-संवेतन), मजदूरी, कार्यालय व्यय, मशीनरी एवं साज सामान पर कम व्यय तथा पदों का रिक्त रहना प्रतिवेदित किये गये थे। तथापि, रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 (अ) में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन था।

राशि ₹ 5,884.41 करोड़ की राशि (कुल बचतों का 33.8 प्रतिशत) की बचतें (₹ 100 करोड़ तथा अधिक) 'पूँजीगत अनुभाग' से संबंधित थी। वृहद बचतें लोक निर्माण, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, पेयजल योजना, सड़कें एवं पुल, जनजाति क्षेत्रीय विकास, कृषि तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के क्षेत्रों में हुई। बचतों का मुख्य कारण भारत सरकार से निधियों का कम/प्राप्त नहीं होना, आयोजना सीमा में कटौती, कार्यों का नहीं/कम निष्पादन होना तथा कार्यों की धीमी प्रगति होना थे, जोकि वर्ष के दौरान विकास कार्यों में ठहराव तथा राज्य सरकार की सम्पत्तियों का सृजन कम/नहीं करने को इंगित करता है।

18 प्रकरणों में बचतें 21.9 प्रतिशत तथा 93.7 प्रतिशत के मध्य रही तथा प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही, जैसाकि ***परिशिष्ट 2.3*** में विस्तृत है।

2.3.6 निरन्तर बचतें

23 प्रकरणों में, गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक की, निरन्तर बचतें रहीं जैसा कि **तालिका 2.6** में सारांशीकृत है एवं निरन्तर बचतों के लिए मुख्य कारणों सहित विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिये गये है।

तालिका 2.6: वर्ष 2014-17 के दौरान निरन्तर बचतों को इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	बचतों की राशि		
		2014-15	2015-16	2016-17
	राजस्व-दत्तमत			
1.	11-विविध सामाजिक सेवायें	42.47	34.12	18.96
2.	12- अन्य कर	82.19	138.01	80.25
3.	22-क्षेत्र का विकास	5.98	4.00	3.20
4.	28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	284.40	244.24	208.23
5.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	565.52	541.67	626.53
6.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1222.56	1207.51	1734.07
7.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	449.52	54.83	147.19
	पूँजीगत-दत्तमत			
8.	9-वन	88.49	14.40	13.20
9.	11-विविध सामाजिक सेवायें	16.29	29.61	25.96
10.	12- अन्य कर	300.00	149.00	201.00

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	बचतों की राशि		
		2014-15	2015-16	2016-17
11.	19-लोक निर्माण कार्य	688.04	319.13	898.17
12.	20-आवास	18.70	3.07	8.36
13.	21-सड़कें एवं पुल	881.43	605.50	1263.41
14.	22- क्षेत्र का विकास	90.45	74.50	37.13
15.	23-श्रम तथा रोजगार	2.88	24.48	25.73
16.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	122.97	202.29	180.46
17.	27-पेयजल योजना	265.69	481.47	896.22
18.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	573.42	322.59	783.23
19.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	255.98	144.06	57.85
20.	37-कृषि	120.30	135.61	356.42
21.	43-खनिज	108.21	81.00	155.47
22.	46-सिंचाई	211.68	294.28	239.59
23.	47-पर्यटन	12.87	13.87	28.04

स्रोतः विनियोग लेखे

निरन्तर बचतों का कारण मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम/प्राप्त नहीं होना था। बचत के अन्य कारण कार्यों की धीमी प्रगति, स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन/नहीं होना, राज्य में योजना (रिफायनरी की स्थापना) का कार्यान्वयन नहीं होना, भूमि आवंटन में देरी, कार्यों के लिए स्वीकृतियाँ देरी से जारी होना, आयोजना सीमा में कटौती, सार्वजनिक निर्माण विभाग पर कार्यभार की अधिकता के कारण निर्माण कार्य पूर्ण न होना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, पदों का रिक्त रहना सूचित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये। बजट अनुमानों के अन्तर्गत रिक्त पदों का प्रावधान करना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।

इस प्रकार, विभिन्न विभागों में प्रभावी बजटीय नियंत्रण नहीं था तथा पिछलें वर्षो के व्ययों की प्रवृत्तियों का इस वर्ष के बजट आवंटन के समय ध्यान नहीं रखा गया। विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, राज्य सरकार द्वारा व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण एवं पर्याप्त संवीक्षा के अभाव को एवं विनियोग विधेयक में निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक थी।

निरन्तर बचतों से बचने हेतु वित्त विभाग द्वारा इन अनुदानों से संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

2.3.6.1 अनुदान संख्या 21, 33 तथा 37 के अन्तर्गत निरन्तर बचतों की विस्तृत समीक्षा की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो का नीचे वर्णन किया गया है:

अनुदान संख्या 21-सड़कें एवं पुल

लोक निर्माण विभाग

वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 21-सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत ₹ 0.32 करोड़ तथा ₹ 156.39 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल

प्रावधानों के 5.9 प्रतिशत से 99.3 प्रतिशत तक रही, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 02-ग्रामीण सड़कें 04-विश्व बैंक द्वारा पोषित राज. क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (अतिरिक्त परिचालन लागत) (आयोजना)	2014-15	1.00	0.65	-0.35	35.0	अनुमानों की तुलना में निविदा प्रकाशन कार्यों के बिलों का कम भुगतान।	यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा बजट अनुमान बनाते समय व्यय का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया।
		2015-16	1.30	0.15	-1.15	88.5	प्रशिक्षण सेवा प्रदाता को बिलों का कम भुगतान तथा विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होना।	यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सुनिश्चितता हेतु प्रकरण विश्व बैंक से समय पर अनुसरण नहीं किया गया।
		2016-17	1.68	0.21	-1.47	87.5	संशोधित प्रावधान में कटौती।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को दर्शाती है।
2.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 01-निर्माण (आयोजना)	2014-15	174.73	116.14	-58.59	33.5	संशोधित प्रावधान में कटौती।	यह दर्शाता है कि पूँजीगत व्यय के प्रस्ताव उचित योजना एवं व्यावहारिक अध्ययन के साथ तैयार नहीं किये गये।
		2015-16	51.68	41.40	-10.28	19.9		
		2016-17	39.50	20.84	-18.66	47.2	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों में संशोधित होना।	
3.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें 90-निर्माण कार्य (आयोजना)	2014-15	116.05	101.32	-14.73	12.7	संशोधित प्रावधान में कटौती।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को दर्शाती है। पूँजीगत व्यय के प्रस्ताव को उचित योजना तथा व्यावहारिक अध्ययन के साथ तैयार किया जाना था।
		2015-16	218.87	107.77	-111.10	50.8		
		2016-17	178.00	21.61	-156.39	87.9	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों में संशोधन होना।	
4.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 14- राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें 90-निर्माण कार्य (आयोजना)	2014-15	29.86	18.32	-11.54	38.6	प्रशासनिक स्वीकृति देरी से जारी होना।	यह दर्शाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति समय से प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रयास नहीं किये गये।
		2015-16	145.91	29.80	-116.11	79.6		
		2016-17	145.37	11.66	-133.71	92.0	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों में संशोधन होना।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को दर्शाती है। पूँजीगत व्यय के प्रस्ताव को उचित योजना तथा व्यावहारिक अध्ययन के साथ तैयार किया जाना था।
5.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 21-विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना 01-ग्रामीण सम्पर्क सड़कें (आयोजना)	2014-15	442.48	390.61	-51.87	11.7	प्रशासनिक स्वीकृति देरी से जारी होना।	यह दर्शाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति समय से प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रयास नहीं किये गये।
		2015-16	146.02	137.37	-8.65	5.9		
		2016-17	57.00	21.94	-35.06	61.5	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों मे संशोधन होना।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
6.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 21-विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना 02-सड़क सुरक्षा प्रबंधन (आयोजना)	2014-15	0.71	0.10	-0.61	85.9	प्रशासनिक स्वीकृति देरी से जारी होना।	यह दर्शाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति समय से प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रयास नहीं किये गये।
		2015-16	4.42	0.57	-3.85	87.1	संशोधित प्रावधान में कटौती होना।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।
		2016-17	19.47	2.59	-16.88	86.7	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों में संशोधन होना।	
7.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें 91-स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059) (आयोजना)	2014-15	9.28	0.96	-8.32	89.7	संशोधित अनुमानों में कमी तथा वास्तविक व्यय पर निर्धारित प्रतिशतता जोडा जाना।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।
		2015-16	17.51	1.85	-15.66	89.4		
		2016-17	14.24	1.83	-12.41	87.1	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों में संशोधन होना।	
8.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें 93-सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054) (आयोजना)	2014-15	3.48	0.36	-3.12	89.7	संशोधित अनुमानों में कमी तथा वास्तविक व्यय पर निर्धारित प्रतिशतता जोडा जाना।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।
		2015-16	6.57	0.69	-5.88	89.5		
		2016-17	5.34	0.69	-4.65	87.1	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों में संशोधन होना।	
9.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 14-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें 91-स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059) (आयोजना)	2014-15	2.39	1.13	-1.26	52.7	संशोधित अनुमानों में कमी तथा वास्तविक व्यय पर निर्धारित प्रतिशतता जोडा जाना।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।
		2015-16	11.67	0.10	-11.57	99.1		
		2016-17	11.63	0.21	-11.42	98.2	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों मे संशोधन होना।	
10.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 14-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें 92- औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059) (आयोजना)	2014-15	0.60	0.28	-0.32	52.3	संशोधित अनुमानों में कमी तथा वास्तविक व्यय पर निर्धारित प्रतिशतता जोडा जाना।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।
		2015-16	2.92	0.02	-2.90	99.3		
		2016-17	2.91	0.05	-2.86	98.3	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों में संशोधन होना।	
11.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 14-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें 93- सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054) (आयोजना)	2014-15	0.90	0.42	-0.48	53.3	संशोधित अनुमानों में कमी तथा वास्तविक व्यय पर निर्धारित प्रतिशतता जोड़ा जाना।	आगामी वर्ष हेतु बजट आवंटित करते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।
		2015-16	4.38	0.04	-4.34	99.1		
		2016-17	4.36	0.08	-4.28	98.2	आयोजना सीमा में कटौती के कारण अनुमानों में संशोधन होना।	

वर्ष 2016-17 के दौरान इस अनुदान के समक्ष लिया गया अनुपूरक प्रावधान राशि ₹ 109.75 करोड़[5] अनावश्यक रहा। यद्यपि, अनुदान राशि ₹ 143.85 करोड़ की

[5] लेखाशीर्ष 3054-80-797-(03)- केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100 प्रतिशत केन्द्रीय)

समग्र बचत थी फिर भी ₹ 173.91 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये गये।

उपर दर्शाये गये निरन्तर बचतों के प्रकरणों में विभाग का व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण तथा निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना दर्शाता है।

ऐसी निधियों जिनका कि वर्ष के अन्त में अभ्यर्पण किया गया था को उचित पूर्वानुमान के साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किया जा सकता था।

अनुदान संख्या 33 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

वर्ष 2014–17 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत ₹ 0.12 करोड़ तथा ₹ 180.17 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें, कुल प्रावधानों के 0.2 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक रही, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 01– अनुसूचित जातियों का कल्याण 793–अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 01–अनुसूचित जाति उप योजना (आयोजना)	2014-15	55.00	54.88	-0.12	0.2	विभिन्न पात्रता शर्तों के कारण अनुदान के मापदण्ड के दायरे में कम लोग आये।	बजट बनाने से पूर्व पिछले वर्ष की व्यय की प्रवृत्तियों, योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की सम्भाव्यता/ उपलब्धता उचित रूप से निर्धारित/संगणित की जानी चाहिये थी।
		2015-16	55.00	34.00	-21.00	38.2		
		2016-17	60.00	12.44	-47.56	79.3		
2	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 38– निदेशालय विशेष योग्यजन 03–विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान (आयोजना)	2014-15	1.00	0.00	-1.00	100.0	योजना की मार्गदर्शिका के अनुमोदन नहीं होने के कारण योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी।	यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा भारत सरकार से योजना की मार्गदर्शिका के अनुमोदन हेतु अनुसरण नहीं किया गया।
		2015-16	0.25	0.00	-0.25	100.0		
		2016-17	0.29	0.00	-0.29	100.0		
3	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 103–महिला कल्याण 20–मिशन ग्राम्य शक्ति 01–महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से (आयोजना)	2014-15	10.60	0.00	-10.60	100.0	वित्त विभाग से कार्ययोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी।	यह दर्शाता है कि कार्ययोजना हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विभागीय तत्परता में कमी रही।
		2015-16	10.60	0.00	-10.60	100.0	वित्त विभाग द्वारा संशोधित कार्ययोजना का अनुमोदन नहीं किया जाना।	

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		2016-17	10.60	0.00	-10.60	100.0	वित्त विभाग, आयोजना विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा कार्ययोजना का अनुमोदन नहीं किया जाना।	
4	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 02-महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु 10-समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (आयोजना)	2014-15	2.21	1.57	-0.64	29.0	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना।	विभाग द्वारा पिछले वर्ष के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा विभाग को निधियों के समय पर जारी करने की सुनिश्चितता हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2015-16	3.99	0.86	-3.13	78.4		
		2016-17	3.96	1.78	-2.18	55.1		
5	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 05-संयुक्त सहायता के लिये अनुदान 02-कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ (आयोजना)	2014-15	5.00	0.85	-4.15	83.0	संभावित लाभार्थियों से पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण विशेष योग्यजन हेतु उपकरण वितरण कैम्प नहीं लगाये जा सके।	बजट बनाने से पूर्व पिछले वर्ष के व्यय की प्रवृत्तियों तथा योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की सम्भाव्यता/उपलब्धता उचित रूप से निर्धारित/संगणित की जानी चाहिये थी।
		2015-16	3.33	2.25	-1.08	32.4		
		2016-17	3.33	2.08	-1.25	37.5		
6	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 11-निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से 02-जिला स्तरीय बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई (आयोजना)	2014-15	2.25	0.43	-1.82	80.9	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2(अ) के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2015-16	1.68	0.85	-0.83	49.4		
		2016-17	1.34	0.72	-0.62	46.3		
7	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 05-महिला विकास कार्यक्रम 01-महिला विकास कार्यक्रम (आयोजना)	2014-15	1.73	1.21	-0.52	30.1	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2(अ) के प्रावधानों का उल्लंधन था।
		2015-16	1.89	1.64	-0.25	13.2		
		2016-17	2.57	1.67	-0.90	35.0		
8	2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 101-विशेष पोषक कार्यक्रम 01-समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से 10-आईसीडीएस- IV (विश्व बैंक) (आयोजना)	2014-15	10.62	1.25	-9.37	88.2	वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन देरी से प्राप्त होने तथा भारत सरकार से योजना की मार्गदर्शिका प्राप्त नहीं होना।	यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा कार्य योजना प्राप्त करने हेतु समय से प्रयास नहीं किये गये।
		2015-16	10.12	3.74	-6.38	63.0	भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में क्रय किये जाने वाले सामान एवं अन्य प्रदान की	विभाग को प्रकरण में भारत सरकार से रोक हटाने हेतु लगातार अनुसरण करना चाहिये था।

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
							जाने वाली सेवाओं पर तथा संविदा के अंतर्गत सलाहकारों तथा अन्य कार्मिकों की भर्ती पर रोक लगाने के कारण रही।	
		2016-17	17.65	8.08	-9.57	54.2	इलैक्ट्रिक मदों की खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाना।	निविदा प्रक्रिया में देरी विभाग की प्रणालीगत कमी को दर्शाता है।
9	2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 101-विशेष पोषक कार्यक्रम 01-समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से 12-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना (आयोजना)	2014-15	136.33	109.99	-26.34	19.3	लक्ष्यों की तुलना में लाभान्वितों की कम उपलब्धता।	बजट प्रावधान बनाने से पूर्व योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की उपलब्धता उचित रूप से संगणित की जानी चाहिये थी।
		2015-16	10.00	0.18	-9.82	98.2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदण्ड के कारण लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना संभव नहीं होने से कम व्यय हुआ।	विभाग को प्रकरण में निधियों का भली-भांति उपयेाग करने के लिए भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2016-17	101.36	0.37	-100.99	99.6	आईसीडीएस योजना के लिए पूरक पोषाहार मापदण्ड समान थे, यद्यपि वित्तीय मानदण्ड प्रति लाभान्वित प्रतिदिन भिन्न थे तथा दोनों योजनाओं के लिए आपूर्ति एक ही स्वयं सहायता समूह द्वारा की जा रही थी, इस तरह समान रेसीपी के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित नही की जा सकती थी परिणामस्वरूप योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सका।	बालिकाओं के लिये पूरक पोषाहार योजना की योजना बनाना विभाग की त्रृटिपूर्ण योजना दर्शाता है जबकि इसी उददेश्य के लिए आईसीडीएस योजना पहले से उपलब्ध थी।
10	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 03-पिछड़े वर्गो का कल्याण 800-अन्य व्यय 09-देव नारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)	2014-15	7.50	0.00	-7.50	100.0	भूमि की अनुपलब्धता।	उचित आयोजना द्वारा भूमि के गैर-आवंटन/ विलम्ब से आवंटन से बचा जा सकता था।
		2015-16	3.00	1.92	-1.08	36.0	भूमि आवंटन में देरी।	
		2016-17	6.00	3.67	-2.33	38.8	आयोजना सीमा में कटौती के कारण संशोधित अनुदान में कमी।	पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	01-छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास भवन का निर्माण (आयोजना)							अनुमान को इंगित करती है।
11	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत व्यय 04-अल्प संख्यकों का कल्याण 800-अन्य व्यय 01-निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से 01-छात्रावास भवन निर्माण (आयोजना)	2014-15	2.00	1.06	-0.94	47.0	छात्रावास का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 में पूर्ण हो गया था जिसके लिए केवल ₹ 105.75 लाख की ही आवश्यकता थी।	इस सीमा तक बचतें रहना प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है।
		2015-16	4.00	2.30	-1.70	42.5	वक्फ ट्रिब्यूनल के अन्तर्गत विवाद विचाराधीन होने के कारण फतेहपुर में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका तथा कोटा, जोधपुर तथा रामगढ़ में निविदा प्रक्रिया में देरी होना।	सौपे गये कार्य की निविदा प्रक्रिया में देरी प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है।
		2016-17	4.15	2.65	-1.50	36.1		
12	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत व्यय 04-अल्प संख्यकों का कल्याण 800-अन्य व्यय 01-निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से 03-अल्प संख्यक मामलात विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण (आयोजना)	2014-15	-*	0.00	-*	100.0	निविदा प्रक्रिया में देरी।	सौपे गये कार्य की निविदा प्रक्रिया में देरी प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है।
		2015-16	2.00	0.01	-1.99	99.5		
		2016-17	3.76	1.76	-2.00	53.2		
13	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 09-आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना 01-महाविद्यालय स्तर पर छात्रावास भवन का निर्माण (आयोजना)	2014-15	-*	0.00	-*	100.0	-	-
		2015-16	40.65	0.00	-40.65	100.0	भूमि का आवंटन नहीं होना।	उचित आयोजना द्वारा भूमि के गैर-आवंटन से बचा जा सकता था।
		2016-17	40.65	0.00	-40.65	100.0		
14	4236-पोषण पर पूँजीगत परिव्यय 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 800-अन्य व्यय 03-भवन निर्माण (आयोजना)	2014-15	2.18	0.00	-2.18	100.0	भूमि आवंटन में देरी तथा जिला कलैक्टर द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाना।	उचित आयोजना द्वारा भूमि के गैर आवंटन से बचा जा सकता था।
		2015-16	4.37	0.43	-3.94	90.2	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय पर निधियो का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना।	निर्धारित अवधि में अपेक्षित उददेश्य हेतु निर्माण कार्य में निधियों का उपयोग न होने पर यह निधियों के अवरोधन को इंगित करता है।
		2016-17	5.00	1.78	-3.22	64.4	विभाग द्वारा कारण नहीं बताये गये।	

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
15	4236-पोषण पर पूँजीगत परिव्यय 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 800-अन्य व्यय 09- आईसीडीएस मिशन मोड अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण (आयोजना)	2014-15	180.17	0.00	-180.17	100.0	भारत सरकार द्वारा एपीआईपी का मिशन मोड योजना के अन्तर्गत देरी से अनुमोदन करना तथा प्रथम किश्त देरी से प्राप्त होना।	विभाग को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण में भारत सरकार से लगातार अनुसरण करना चाहिये था।
		2015-16	134.77	39.84	-94.93	70.4		
		2016-17	51.52	24.34	-27.18	52.8	भारत सरकार द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रति इकाई लागत कम स्वीकृत की गई। इस दर पर निर्माण कार्य संभव नहीं था। भारत सरकार को अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने हेतु अन्य प्रस्ताव भेजा गया तथा उत्तर प्रतीक्षित है।	विभाग को प्रकरण में भारत सरकार से निधियों को समय से जारी कराने हेतु लगातार अनुसरण करना चाहिये था।
16	4236-पोषण पर पूँजीगत परिव्यय 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 800-अन्य व्यय 10- आईसीडीएस मिशन मोड अंतर्गत आंगनबाडी केन्द्र का उन्नयन एवं रख-रखाव मय क्रेच निर्माण (आयोजना)	2014-15	9.97	0.00	-9.97	100.0	भारत सरकार द्वारा आईसीडीएस मिशन मोड के अन्तर्गत एपीआईपी योजना नियत समय पर अनुमोदित नही करना।	विभाग को प्रकरण में भारत सरकार से निधियों तथा आवश्यक स्वीकृतियों को समय पर जारी कराने हेतु लगातार अनुसरण करना चाहिये था।
		2015-16	9.97	0.00	-9.97	100.0	भारत सरकार द्वारा आंगनबाडी केन्द्र के अपग्रेडेशन एवं रखरखाव मय क्रेच निर्माण हेतु एपीआईपी योजना के अन्तर्गत राशि स्वीकृत नही किया जाना।	
		2016-17	9.96	0.00	-9.96	100.0	विभाग द्वारा कारण नहीं बताये गये थे।	
17	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 10-विकलांग अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों के लिये योजना 01-रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण (आयोजना)	2014-15	2.43	0.44	-1.99	81.9	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यो को समय से पूरा नही करना, भूमि की अनुपलब्धता, स्थलों के चयन में देरी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना।	यह विभागीय स्तर पर समन्वय तथा अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है, उचित आयोजना द्वारा भूमि के आवंटन नहीं करने/स्थलों के चयन में देरी को टाला जा सकता था तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रणालीगत त्रुटियों को दर्शाता है।
		2015-16	5.50	-2.15**	-7.65	139.1		
		2016-17	4.13	1.57	-2.56	62.0		

इन मामलों में अनुपूरक प्रावधान नहीं किये गये।

*केवल ₹ 1,000 ** प्राप्ति

वर्ष 2014-15 के दौरान समग्र अनुदान में लिये गये ₹ 236.77 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक थे एवं वर्ष 2016-17 के दौरान लिया गया ₹ 222.29 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान बजट प्रावधान के विरूद्ध अनावश्यक था, जबकि अनुदान में वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹ 233.27 करोड़ तथा ₹ 264.09 करोड़ की समग्र बचतें थी।

यह वित वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के आंकलन में कमियों एवं व्यय के सतत् प्रवाह को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता को इंगित करता है।

रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान करना राबनि के पैरा 13.18.2 (अ) का उल्लंघन था, जो बताता है कि रिक्त पदों हेतु प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये। वर्ष 2014-17 के दौरान कुल बजट प्रावधानों के विरूद्ध बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई जो कि विभाग द्वारा पर्याप्त संवीक्षा तथा व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण के बिना विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 37- कृषि

कृषि विभाग

वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 37-कृषि के अन्तर्गत ₹ 1.00 करोड़ से ₹ 184.38 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 6.9 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक रही, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2401-फसल कृषि-कर्म 102-खाद्यान्न फसलें 01-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 02- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (आयोजना)	2014-15	5.17	2.65	-2.52	48.7	आरएसएमएएल का रावला संयंत्र बन्द होने के कारण जिप्सम की कम उपलब्धता तथा जिप्सम की प्रति ईकाई लागत कम होना।	पिछले वर्षो की व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा योजना में निधियों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु विभाग को प्रकरण में भारत सरकार से उचित अनुसरण करना चाहिए था।
		2015-16	3.98	2.98	-1.00	25.1	जिप्सम पर टॉप अप सहाय्य समाप्त किये जाने के कारण जिप्सम की दरों में वृद्धि होने से किसानों द्वारा मांग का कम रहना।	
		2016-17	5.31	2.01	-3.30	62.1	भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त जारी नहीं करना एवं गत वर्ष की अवशेष राशि का पुनर्वैधीकरण नही किया जाना तथा जिप्सम की अधिक भौतिक प्रगति के बावजूद भी प्रति इकाई लागत कम रहना।	

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2	2401–फसल कृषि–कर्म 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 13–नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण (आयोजना)	2014-15	25.13	21.48	-3.65	14.5	फसल प्रदर्शनों के लिए आवश्यक आदानों की कम उपलब्धता के कारण प्रति फसल प्रदर्शन व्यय कम होना।	बजट प्रावधान बनाने से पूर्व बीजों की उपलब्धता, आवश्यक स्वीकृति को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।
		2015-16	8.68	5.10	-3.58	41.2	मिनिकिट वितरण हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना।	
		2016-17	5.82	3.11	-2.71	46.6	प्रमाणित बीजों की कम उपलब्धता तथा पोषक मिनीकिट वितरण हेतु स्वीकृति देरी से प्राप्त होना।	
3	2401–फसल कृषि–कर्म 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 16– राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन 01– राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन (आयोजना)	2014-15	25.71	6.10	-19.61	76.3	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा निधियाँ देरी से जारी होना।	यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा समय पर अधिक निधियाँ जारी करवाने के लिये प्रयास नहीं किये गये। इसके अलावा, कार्य के इच्छित स्तर को समय पर पूर्ण करने की जिम्मेदारी विभाग/ राज्य सरकार की थी।
		2015-16	15.14	13.32	-1.82	12.0	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा पदों का रिक्त रहना।	
		2016-17	22.02	11.97	-10.05	45.6	संविदा मद के अन्तर्गत पदों का रिक्त रहना तथा निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।	
4	2401–फसल कृषि–कर्म 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें 26– प्रवाह सिंचाई से बूंद–बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सूक्ष्म सिंचाई) (आयोजना)	2014-15	149.80	61.99	-87.81	58.6	अनुमान आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों के आधार पर तैयार किये गये थे। पिछले वर्ष के अनुदान में कटौती की वजह से कृषकों द्वारा रूचि कम लिये जाने के कारण अनुमान संशोधित किये गये।	पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा भारी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है।
		2015-16	127.62	57.42	-70.20	55.0		
		2016-17	139.15	69.25	-69.91	50.2		
5	2401–फसल कृषि–कर्म 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें 38– राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बम्बू मिशन (आयोजना)	2014-15	1.94	0.19	-1.75	90.2	भारत सरकार से निधियाँ का देरी से/ कम /प्राप्त न होना तथा कार्ययोजना का स्वीकृत नहीं/विलम्ब से स्वीकृत होना।	यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा कार्य योजना की स्वीकृति एवं समय पर निधियों को जारी करवाने हेतु प्रयास नहीं किये गये।
		2015-16	1.65	0.42	-1.23	74.5		
		2016-17	1.99	0.10	-1.89	95.0		
6	2401–फसल कृषि–कर्म 196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06–जिला स्तरीय कृषि योजनाएं 19–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा	2014-15	31.97	17.01	-14.96	46.8	भारत सरकार द्वारा योजना के कम कार्य स्वीकृत करना, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, जिप्सम पर टॉप–अप सहाय्य समाप्त होना तथा पम्प	पिछले वर्षों की व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा योजना में पर्याप्त निधियों की उपलब्धता तथा
		2015-16	27.33	9.36	-17.97	65.8		
		2016-17	24.50	6.35	-18.15	74.1		

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	मिशन–गेहूँ (आयोजना)						सैटों के लिए अनुदान केवल उन्हीं किसानों को दिया गया जिन्होंने फॉर्म पौण्ड बनाये थे जिसके परिणामस्वरूप कृषकों द्वारा कम मांग दर्शायी गयी। भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई तथा गत वर्षो की अवशेष राशि का पुनर्वैधीकरण नहीं किया गया।	योजना के अधिक कार्यो की स्वीकृति हेतु विभाग को भारत सरकार से उचित अनुसरण करना चाहिए था।
7	2401–फसल कृषि–कर्म 196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06–जिला स्तरीय कृषि योजनाएं 20– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन (आयोजना)	2014-15	99.92	76.54	-23.38	23.4	बीजों की कम उपलब्धता, पम्प सैटों के लिए अनुदान केवल उन्हीं किसानों को दिया गया जिन्होंने फॉर्म पौण्ड बनाये थे जिसके परिणामस्वरूप कृषकों द्वारा कम मांग दर्शायी गयी। पदों का रिक्त रहना, बूंद–बूंद सिंचाई योजना में अन्य योजनाओं की तुलना में कम अनुदान राशि दिये जाने के कारण लाभान्वित कृषकों की संख्या कम रही, भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई तथा ना ही गत वर्षो की अवशेष राशि का पुनर्वैधीकरण किया गया।	विभाग द्वारा बजट प्रावधान तैयार करने से पूर्व बीजों की उपलब्धता, पिछले वर्षो में व्यय की प्रवृत्तियों, योजनाओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा गया। रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2(अ) के प्रावधानों का उल्लंधन था। योजना में पर्याप्त निधियों की उपलब्धता हेतु विभाग को भारत सरकार से उचित अनुसरण करना चाहिए था।
		2015-16	108.90	81.57	-27.33	25.1		
		2016-17	153.49	77.54	-75.95	49.5		
8	2401–फसल कृषि–कर्म 196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06–जिला स्तरीय कृषि योजनाएं 22– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–मोटे अनाज (आयोजना)	2014-15	42.53	12.99	-29.54	69.5	बीजों की कम उपलब्धता तथा कलस्टर प्रदर्शन में ईकाई लागत कम होना।	विभाग द्वारा बजट प्रावधान तैयार करने से पूर्व बीजों की उपलब्धता, पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्तियों, योजना की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा गया तथा विभाग को बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिये थे।
		2015-16	38.44	16.83	-21.61	56.2		
		2016-17	38.44	17.14	-21.30	55.4		

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
9	2401–फसल कृषि–कर्म 196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06–जिला स्तरीय कृषि योजनाएं 25– राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन– कृषि विस्तार (आयोजना)	2014-15	25.17	7.10	-18.07	71.8	भारत सरकार से कम/देरी से निधियाँ प्राप्त होना।	यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा भारत सरकार से समय पर पर्याप्त निधियाँ जारी करवाने हेतु अनुसरण नहीं किया गया।
		2015-16	22.47	14.13	-8.34	37.1		
		2016-17	17.80	13.38	-4.42	24.8		
10	2401–फसल कृषि–कर्म 196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06–जिला स्तरीय कृषि योजनाएं 28– टिकाऊ खेती मिशन–बारानी क्षेत्र विकास (आयोजना)	2014-15	32.28	0.86	-31.42	97.3	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, मार्गनिर्देशिका देरी से जारी होना तथा कार्य की गतिविधियाँ विभिन्न विभागों से संबंधित होना। वर्ष 2016–17 के लिये वार्षिक योजना देरी से स्वीकृत होना।	यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा समय पर भारत सरकार से पर्याप्त निधियाँ जारी करवाने हेतु प्रयास नहीं किये गये।
		2015-16	40.22	10.24	-29.98	74.5		
		2016-17	9.75	5.13	-4.62	47.4		
11	2401–फसल कृषि–कर्म 197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता 02–पंचायत समिति स्तर पर संस्थापना व्यय (गैर–आयोजना)	2014-15	216.45	192.94	-23.51	10.9	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2(अ) के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2015-16	221.28	192.44	-28.84	13.0		
		2016-17	214.28	188.68	-25.60	11.9		
12	2401–फसल कृषि–कर्म 800–अन्य व्यय 27– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विकेस) 01–कृषि विभाग के माध्यम से (आयोजना)	2014-15	251.72	234.34	-17.38	6.9	अनुमानित बजट प्रावधान पिछले वर्ष के व्यय तथा चालू परियोजनाओं की मांग के आधार पर बनाया जाना।	विभाग द्वारा बजट प्रावधान तैयार करने से पूर्व पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों तथा योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया।
		2015-16	181.55	114.57	-66.98	36.9		
		2016-17	193.56	152.59	-40.97	21.2		
13	2401–फसल कृषि–कर्म 800–अन्य व्यय 27– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विकेस) 17–गोपालन विभाग के माध्यम से	2014-15	-*	0.00	-*	100.00	अनुमानित बजट प्रावधान पिछले वर्ष की व्यय राशि तथा चालू परियोजनाओं की मांग के आधार पर बनाया जाना।	विभाग द्वारा बजट प्रावधान तैयार करने से पूर्व पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों तथा योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया।
		2015-16	5.00	0.22	-4.78	95.6		
		2016-17	3.00	0.85	-2.15	71.7		

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
14	2401–फसल कृषि–कर्म 800–अन्य व्यय 31– राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना 01– कृषि विभाग के माध्यम से	2014-15	27.60	2.00	25.60	92.8	योजनाओं की पुनर्संरचना में देरी, विभाग द्वारा योजना की प्रक्रिया समझने में समय लगने के कारण तथा संशोधित वित्तीय समझौतों के अनुमोदन में देरी के कारण।	विभाग द्वारा बजट बनाने से पूर्व योजना की पुनर्संरचना में लगने वाले समय को ध्यान में नही रखा गया।
		2015-16	58.65	12.53	-46.12	78.6		
		2016-17	233.96	49.58	-184.38	78.8		
15	2401–फसल कृषि–कर्म 800–अन्य व्यय 35– राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 02– मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	2014-15	15.89	0.00	-15.89	100.0	भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका, प्रयोगशालाओं की स्थापना में देरी, उपकरणों का कम क्रय करना तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय करना।	इस सीमा तक बचतें रहना प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है।
		2015-16	10.90	2.14	-8.76	80.4		
		2016-17	10.40	3.74	-6.66	64.0		
16	4401–फसल कृषि–कर्म पर पूँजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 02– कृषि विभाग की संस्था के माध्यम से 05– किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण	2014-15	222.18	141.59	-80.59	36.3	पंचायती राज विभाग से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होना।	इस सीमा तक बचतें रहना प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है।
		2015-16	77.75	18.99	-58.76	75.6		
		2016-17	77.75	58.17	-19.58	25.2		
17	4401–फसल कृषि–कर्म पर पूँजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 03– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विकेस) 07–कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	2014-15	15.00	10.00	-5.00	33.3	कम व्यय की संभावना को देखते हुए संशोधित प्रावधान बनाया जाना।	पिछले वर्षो की व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा योजना में पर्याप्त निधियों की उपलब्धता हेतु तथा योजना के अधिक कार्यो की स्वीकृति हेतु विभाग को भारत सरकार से उचित अनुसरण करना चाहिए था।
		2015-16	15.00	4.90	-10.10	67.3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कार्यो के क्रियान्वयन पर कम व्यय होना।	
		2016-17	5.00	1.00	-4.00	80.0	भारत सरकार द्वारा कम निधियों की स्वीकृति देना। पिछले वर्षो की प्रगति एवं वर्तमान वर्ष की प्रगति की समीक्षा तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रावधान संशोधित किये गये।	

इन मामलों में अनुपूरक प्रावधान नहीं लिये गये

*** ₹ 1,000**

उपर तालिका में बताये गये महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्यो/कार्यक्रमों के संदर्भ में कुल प्रावधानों के विरूद्ध वृहद निधियों की निरन्तर बचतें अनुश्रवण एवं बजटीय नियंत्रण की कमियों को इंगित करती है।

2.3.7 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राबनि का पैरा 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करनें की आवश्यकता होती है, तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 16 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) में लिया गया ₹ 1,453.04 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ ***(परिशिष्ट 2.5)***। इन प्रकरणों में से, नीचे **तालिका 2.7** में दिये गये पाँच प्रकरणों जिनमें प्रत्येक प्रकरण में अनुपूरक प्रावधान ₹ 100 करोड़ से अधिक था, अनावश्यक सिद्ध हुये:

तालिका 2.7: वर्ष 2016-17 के दौरान ऐसे मामलें जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	व्यय	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधानों के कारण
	राजस्व-दत्तमत				
1	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	12,492.46	12,278.88	177.70	जिला परिषदों और पंचायत समितियों के पेशनरों को पेंशन भुगतान हेतु।
2	21-सड़कें एवं पुल	1,492.21	1,458.11	109.75	केन्द्रीय सड़क निधि में अंतरण हेतु।
3.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,563.64	4,521.83	222.29	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों की संख्या में वृद्धि के कारण।
4.	41-सामुदायिक विकास	6,537.05	6,130.37	293.49	राज्य वित आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों हेतु अतिरिक्त प्रावधान तथा पंचायत समिति कर्मचारियों के वेतन हेतु अतिरिक्त प्रावधान।
5.	48-विद्युत	14,623.68	13,606.55	411.48	विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत दरें न बढ़ाने हेतु सहायता।

स्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में यह पाया गया कि अनुदानों के लिए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन में कमियाँ एवं व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण में विफलता को इंगित करता है। इस प्रकार, इन उपशीर्षो में अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के निर्धारण के बिना किये गये।

2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्व हुआ, परिणामस्वरूप 64 उप-शीर्षो में ₹ 174.82 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 366 उप-शीर्षो में ₹ 242.51 करोड़ की अंतिम बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 22 लेखा शीर्षो में ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचत रही ***(परिशिष्ट 2.6)***। आठ लेखा शीर्षो में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, चार लेखा शीर्षो में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 10 लेखा शीर्षो में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

यह इंगित करता है कि पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का उचित आंकलन नहीं किया गया।

2.3.9 अवर्णित पुनर्विनियोजन

राबनि के पैरा 23.15.6 में उल्लिखित है कि विभाग द्वारा प्रत्याशित आधिक्यों अथवा बचतों के कारण स्पष्ट रूप से वर्णित किये जाने चाहिये। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2017) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1,669 स्पष्टीकरणों में से 588 प्रकरणों के स्पष्टीकरण साफ-साफ दर्शाये हुए थे, शेष 1,081 प्रकरणों के स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे कि 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम आंकलन पर आधारित' तथा 'व्यय का प्रतिबंध' आदि दर्शाये गये थे।

यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्दिष्ट पारदर्शिता सिद्धान्त के विपरीत भी है।

2.3.10 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राबनि के पैरा 23.16 के अनुसार अनुदान, जो उचित रूप से उपयोजित नहीं किये जा सके, अभ्यर्पित किये जाने चाहिये। वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 17,388.32 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 17,281.09 करोड़ (99.4 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित की गई। इनमें से, 48 प्रकरणों (31 अनुदानों एवं 2 विनियोगों) में ₹ 17,052.18 करोड़, जहाँ बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक की थी, 31 मार्च को अभ्यर्पित किये गये ***(परिशिष्ट 2.7)***। जबकि 15 प्रकरणों (13 अनुदानों) में, जहाँ बचतें (₹ 9,770.62 करोड़) प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक की थी, ₹ 227.70 करोड़ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ***(परिशिष्ट 2.8)***।

यह वास्तविक वित्तीय आयोजना की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा राबनि में विहित बजटीय नियंत्रणों की उपेक्षा की गई तथा राज्य बजट पर सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखने में वित्त विभाग विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियाँ वंचित रही।

विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बचतों के अभ्यर्पण करने तथा ₹ 227.70 करोड़ के अभ्यर्पण नही करने के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (अक्टूबर 2017)।

2.3.11 एक मुश्त प्रावधान

रा.ब.नि. के पैरा 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, कुछ प्रकरणों में, जहाँ एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो तथा जहां एकमुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, बजट नोट में एकमुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने चाहिये।

वर्ष 2016-17 के दौरान, 90 प्रकरणों (22 अनुदानों में ₹ 15 करोड़ से अधिक एवं बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) में ₹ 6,562.78 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान बजट अनुमानों में किया गया। इनमें से ₹ 4,461.11 करोड़ (68 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे, जिसे वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया ***(परिशिष्ट 2.9)***। इन प्रकरणों में एक मुश्त बजट प्रावधान करने के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2017)।

2.3.12 वास्तविक बचतों/आधिक्य से अधिक अभ्यर्पण

तीन अनुदानों में, ₹ 234.73 करोड़ की बचतों/आधिक्यों के समक्ष ₹ 362.43 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई, जो कि ₹ 127.70 करोड़ अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.10)*** ।

इससे इंगित हुआ कि मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विभाग विफल रहे।

विभागों ने वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (अक्टूबर 2017)।

2.3.13 अवास्तविक बजट अनुमान

राजस्थान सरकार के राज्य बजट नियमावली खण्ड-I के अध्याय 8 के अनुसार सभी बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा तैयार किये गये प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों के साथ साथ भारत सरकार द्वारा विभागीय योजनाओं के लिए बजट से इतर निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए बनाये गये अनुमानों का मिलान तथा संवीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। बजट नियंत्रण अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा बनाये गये राजस्व तथा व्यय के अनुमानों का मिलान एवं संवीक्षा, पार सत्यापन, समेकन करना चाहिये।

वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के विनियोग लेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 20 योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 15.04 करोड़, ₹ 132.99 करोड़, ₹ 388.22 करोड़ तथा ₹ 361.16 करोड़ के बजट अनुमान किये गये, जो कि सम्पूर्ण रूप से अनुपयोजित रहे। यह प्रदर्शित करता है कि बजट

प्रावधान वास्तविक आवश्यकता को निर्धारित किये बिना तदर्थ आधार पर तैयार किये गये। विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में दिया गया है।

2.3.14 राजस्व खण्ड तथा पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत बजट प्रावधान का गलत वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन एवं वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखांकन मानकों (आईजीएएस)-2 उल्लेखित करता है कि किसी प्रदाता (ग्रान्टर) द्वारा अनुदेयीह (ग्रांटी) को संवितरित सहायतार्थ अनुदान प्रदाता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत तथा लेखांकित किया जाएगा, इसमें उस उददेश्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिस हेतु सहायता अनुदान के रूप में निधियों का संवितरण किया गया। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत प्रकरणों के इतर, इन्हें सरकार के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत लेखाशीर्ष में नामे (डेबिट) किया जा सकता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखांकन नियमों के नियम 338(1) के अनुसार, अस्थायी सम्पत्ति तथा सहायतार्थ अनुदान पर किया गया व्यय सामान्यत: पूँजीगत प्रकृति के व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा।

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान यह पाया गया कि क्रमश: ₹ 2.69 करोड़ तथा ₹ 1.54 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान निरन्तर पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किया गया। विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

सहायतार्थ अनुदान का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	लेखाशीर्ष	2015-16		2016-17	
			बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1.	22-क्षेत्र का विकास	4705-सिंचित क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय 107-गंगनहर परियोजना 01-मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर) द्वारा 01-भूमि विकास कार्य (गंगनहर परियोजना क्षेत्र में) 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-संवेतन)	5.10	2.69	5.10	1.54

इसके अलावा, राज्य बजट नियमावली के परिशिष्ट 8 के साथ सरकारी लेखांकन नियम 1990 के नियम 30 के अनुसार, एक पूँजीगत प्रकृति के व्यय को व्यापक रूप से एक सामग्री और स्थायी प्रकृति की ठोस सम्पत्ति बढ़ाने के उददेश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। बजट अनुमानों और सरकारी लेखों दोनों में पूँजीगत प्रकृति का व्यय राजस्व व्यय से अलग होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत राशि ₹ 43.95 करोड़ के व्यय को पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किया गया। विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

अनुरक्षण तथा मरम्मत का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	लेखाशीर्ष	2006-17	
			बजट प्रावधान	व्यय
1.	27-पेयजल योजना	4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति 08-ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता 21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (अनुरक्षण)	70.00	43.95

वित्त (व्यय-3) विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्टूबर 2017) कि विस्तृत/मद शीर्ष 21 राजस्व प्रकृति का है तथा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश प्रदान किये गये हैं कि वर्ष 2017-18 के अनुपूरक अनुदान की प्रक्रिया के दौरान इन विस्तृत शीर्षों को राजस्व शीर्ष 2215-जलापूर्ति तथा सफाई के अंतर्गत खोलने के प्रस्ताव प्रेषित करें।

2.3.15 योजना/शीर्षों के अन्तर्गत अनुपयोगी प्रावधान

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 48 मामलों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक) कुल ₹ 3,743.66 करोड़ के समग्र प्रावधान अनुपयोजित रहे। विवरण ***परिशिष्ट 2.12*** में दिया गया है।

2.3.16 नया लघु शीर्ष खोलना

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2017 के नियम 335 के अनुसार, किसी नए मुख्य या लघु शीर्ष को खोलने के साथ-साथ किन्हीं विद्यमान शीर्षों को समाप्त करने या उनके नामों में परिवर्तन करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, जोकि राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करेगा, जहाँ आवश्यक हो। तथापि, उपशीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष खोलने का विवेकाधिकार जहाँ आवश्यक हो। राज्य सरकार को दिया गया है। सरकारी लेखांकन नियम, 1990 के अनुच्छेद 26(घ) में दर्शित है कि सरकारी लेखाओं में लेखा शीर्षों का वर्गीकरण और सभी लेखा रिकार्डों में मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्षों के प्रकट होने का क्रम ऐसा होगा जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए। इस संबंध में संघ तथा राज्यों के लेखों के ''मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची'' में निर्धारित वर्गीकरण निहित है।

राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के बजट की संवीक्षा में पाया गया कि अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के मुख्य शीर्ष क्रमशः 2203-03 तथा

4202-03 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 108-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तथा 103-विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम खोले गये, जोकि मुख्य एवं लघु शीर्षो की सूची में सम्मिलित नहीं है, जैसाकि महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा बताया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) कि लघु शीर्षो को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान खोला गया था। इस प्रकार, राजस्थान सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली तथा सरकारी लेखांकन नियम, 1990 में निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

2.3.17 बैंकों में सार्वजनिक धन का अवरूद्ध रहना

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने, मजदूरी/स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय अंसतुलन को मिटाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। ये आधारभूत सुविधायें तथा सेवायें विभिन्न योजनाओं[6] के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य स्तर पर ये योजनायें सचिव, ग्रामीण विकास विभाग तथा सचिव सह आयुक्त, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित तथा अनुश्रवण की जाती है। जिला स्तर पर ये योजनायें पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ), पंचायती राज (पीआर) द्वारा संचालित की जाती है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य प्रवर्तित योजनाओं की निधियाँ क्रमशः बैंक खातों तथा जमा खातों में रखी जाती है।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए अव्ययीत राशियों के प्रबंधन पर जुलाई-अगस्त 2017 के दौरान नमूना जाँच की गई आठ[7] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज) की समीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

[6] सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरइजीएस), विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, चौदहवां वित्त आयोग, पाँचवा राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (एमएजीपीवाई), एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), मरू विकास कार्यक्रम (डीडीपी), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना (एमबीएवाई), मिड-डे मिल (एमडीएम), ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए), स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई), विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) आदि।

[7] अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा सीकर।

(i) जिला कार्यालयों द्वारा शेषों को रोके रखना

राज्य सरकार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार के उददेश्य से सभी विकासात्मक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को कार्यो के संपादन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये निधियाँ जारी करती है। जारी की गई निधियाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खातों/जमा खातों में जमा की जाती है। वित्तीय वर्ष के अन्त में बजटीय प्रावधानों को समाप्त होने से बचाने के लिए निधियाँ आहरित करना तथा उनको बैंक खातों/जमा खातों में रखने की प्रवृत्ति, वित्तीय औचित्यता के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

राज्य सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखों में जिला परिषद तथा पंचायत समितियों के जमा खातों में क्रमशः राशि ₹ 1,683.32 करोड़ तथा ₹ 1,280.05 करोड़ के शेष 31 मार्च 2017 को दर्शित थे।

चयनित जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ तथा पंचायती राज) के बैंक खातों की नमूना-जाँच में पाया गया कि ₹ 257.46 करोड़, ₹ 335.59 करोड़ तथा ₹ 272.13 करोड़ के वृहद् शेष क्रमशः 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2017 को बैंक खातों में थे, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.13*** में है।

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर तथा जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ तथा पंचायती राज), दौसा ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)। जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर ने बताया गया कि बैंकों में शेष लम्बित समायोजन के कारण है। अन्य जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ तथा पंचायती राज) द्वारा योजना निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये।

(ii) असंचालित/बन्द योजनाओं के अन्तर्गत बचत/अव्ययीत राशि को राज्य सरकार/योजनाओं को वापिस नहीं किया जाना

चयनित जिलों में, योजनाओं की संवीक्षा में यह दर्शित हुआ कि असंचालित/बन्द योजनाओं की ₹ 75.15 करोड़ अव्ययीत राशि/बचत (31 मार्च 2017 तक) को ***(परिशिष्ट 2.14)*** सरकारी लेखों में वापस नहीं किया गया। इस प्रकार, सरकारी राशि को रोके रखने के कारण राशि को दूसरे काम में लेना/दुर्विनियोजन तथा पता नहीं लगने जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है।

जिला परिषद (ग्रामिण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायती राज), दौसा ने तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2017) किया तथा बताया कि विभाग द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार की बन्द योजनाओं की राशि को वापस लौटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अन्य जिला परिषदों (ग्रामिण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायती राज) द्वारा कारण नहीं बताये गये।

(iii) सरकारी लेनदेनों का निजी/अराष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालन

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी (जून 2004) मार्गदर्शिका के अनुसार निधियाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही जमा तथा संचालित होनी चाहिए।

यद्यपि, यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2014-17 के दौरान नौ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) ने 37 बैंक खातें निजी/अराष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित किये जिनका विवरण ***परिशिष्ट 2.15*** में है। मार्च 2017 को, ₹ 67.51 करोड़ बैंक खातों में पड़े हुए थे।

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर तथा जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा ने बताया (सितम्बर 2017) कि निजी बैंकों के खातों को शीघ्र ही बन्द कर दिया जायेगा तथा इन खातों के शेषों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। अन्य जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायती राज) द्वारा कारण नहीं बताये गये।

(iv) एक योजना के बहुल बैंक खाते

ग्रामीण विकास मंत्रालय की मार्गदर्शिका, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डीआरडीए) के लिए लेखांकन पद्धति दर्शित करती है कि डीआरडीए तथा लाईन स्तर पर प्रत्येक योजना के लिए एक बैंक खाते के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा। उसी योजना के लिए दूसरा बैंक खाता, यदि जरूरत होने पर केवल राज्य सचिव (ग्रावि) की अनुमति से खोला जा सकता है। एक योजना के लिए बहुल बैंक खातें अनुमत्य नहीं है।

फिर भी यह पाया गया कि वर्ष 2014-17 के दौरान 10 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा दो से आठ बैंक खातें एक ही योजना के लिए संचालित किये गये, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 2.16*** में है।

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) दौसा ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि एक योजना के पृथक-पृथक खातों को योजनावार एक खाते में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जायेगी। अन्य जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायती राज) द्वारा कारण नहीं बताये गये।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा तथा अनुदान संख्या 47-पर्यटन के अर्न्तगत वर्ष 2014-17 की अवधि के लिये प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

अनुदान संख्या 39- पशुपालन एवं चिकित्सा

पशुपालन विभाग

(अ) राजस्व व्यय

विभिन्न शीर्षों की नमूना-जाँच के दौरान पाये गये मुख्य बिन्दु नीचे सारीकृत किये गये है:

(i) निम्नलिखित लेखाशीर्षों में वर्ष 2014-17 के दौरान गत वर्षों से व्यय में वास्तविक कमी तथा वृद्धि के महत्वपूर्ण अंतर के साथ ही बजट अनुमानों से वास्तविक में वृहद् विचलन दर्शित हुआ:

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता
2403- पशुपालन 101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 17- पशु रोग नियंत्रण योजना (एस्केड) 1:3 (आयोजना)	2014-15	3.24	1.59	-	-
	2015-16	2.98	1.88	0.29	18.24
	2016-17	1.69	1.36	-0. 52	- 27.66
2403- पशुपालन 102-पशु तथा भैंस विकास 16- पशुधन नस्ल सुधार योजना 01-स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से (आयोजना)	2014-15	5.00	1.52	-	-
	2015-16	4.87	9.60	8.08	531.58
	2016-17	3.81	-	- 9.60	-100.00
2403- पशुपालन 102-पशु तथा भैंस विकास 17- बकरी विकास (आयोजना)	2014-15	0.54	0.29	-	-
	2015-16	0.58	0.51	0.22	75.86
	2016-17	0.54	0.22	- 0.29	-56.86
2403- पशुपालन 113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी 02- पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण योजना (सीएसएस) 50:50 (आयोजना)	2014-15	2.66	2.53	-	-
	2015-16	2.64	2.16	- 0.37	- 14.62
	2016-17	2.88	2.63	0.47	21.76
2404- डेयरी विकास 195-सहकारी समितियों को सहायता 01-राजस्थान राज्य सहकारी डेरी संघ को सहायता (आयोजना)	2014-15	16.54	1.15	-	-
	2015-16	8.19	3.90	2.75	239.13
	2016-17	8.71	-	- 3.90	- 100.00

#इन मामलों में अनुपूरक प्रावधान नहीं लिये गये।

विभाग ने ध्यान में लाये जाने पर अनुमानों का संशोधन करना, आयोजना सीमा में कटौती तथा राज्यांश जारी नहीं करना के कारण बताये। विभाग द्वारा दिये गये कारण स्वीकार्य नही है क्योंकि बजट प्रावधान तैयार करते समय व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नही रखा गया जो अनुमानों तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, गत वर्षों में पर्याप्त बचतों के बावजूद वृहद् बजट प्रावधान किया गया।

(ii) निम्नलिखित प्रकरणों में, व्यय में पिछले वर्षों से विचलन तथा बजट प्रावधान के समक्ष व्यय में आधिक्य 31.60 प्रतिशत से 65.37 प्रतिशत के मध्य पाये गये।

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मू+अ)	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि का प्रतिशत
2403–पशुपालन 001–निदेशन तथा प्रशासन 01– पशुपालन 01–प्रधान कार्यालय कर्मचारी (आयोजना)	2014-15	3.73	3.07	-	-
	2015-16	5.29	4.04	0.97	31.60
	2016-17	5.83	5.81	1.77	43.81
2403–पशुपालन 101– पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 05–अस्पताल और औषधालय (आयोजना)	2014-15	25.50	21.89	-	-
	2015-16	39.86	36.20	14.31	65.37
	2016-17	64.73	50.29	14.09	38.92
2403–पशुपालन 101– पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 11–पॉलीक्लिनिकों की स्थापना (आयोजना)	2014-15	3.25	3.25	-	-
	2015-16	3.53	4.71	1.46	44.92
	2016-17	5.32	6.26	1.55	32.91

विभाग द्वारा बताया गया कि यह अनुमानों में संशोधन के कारण था। विभाग द्वारा बताये गये कारण बजट प्रतिपादन तथा प्रणाली प्रबंधन में कमियों को दर्शाते है।

(ब) पूँजीगत व्यय

कुछ प्रकरणों में, गत वर्षों की तुलना में व्यय में अन्तर पाये गये। यह पाया गया कि वर्ष 2016–17 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में शीर्ष 4405–101–02–07 के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय में 31.3 प्रतिशत तक की कमी पाई गई जैसाकि नीचे दर्शाया गया है। यह भी दर्शित हुआ कि वर्ष 2016–17 से पूर्व पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में असाधारण वृद्धि हुई थी।

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता
4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय 101–अर्न्तदेशीय मछली पालन 02–मुख्य अभियंता, जल संसाधान विभाग के माध्यम से 07– मत्स्य फार्म का विकास	2014-15	1.95	0.35	2.30	0.77	-	-
	2015-16	1.80	0.14	1.94	1.50	0. 73	94.8
	2016-17	1.38	-	1.38	1.03	-0.47	-31.3

विभाग द्वारा बताये गये कारण (i) निधियाँ देरी से प्राप्त होना, (ii) मत्स्य फार्म, गिलवा, टोंक के लिये देरी से वित्तीय स्वीकृति जारी होना तथा (iii) जल संसाधान विभाग, टोंक, अलवर तथा सिंचित क्षेत्र विकास (सीएडी), कोटा द्वारा निधियों का उपयोग न करना रहे।

विभाग द्वारा बताये गये कारण बजट प्रतिपादन तथा वित्तीय प्रबंधन में कमियों तथा विभाग द्वारा अनुसरण में कमी को दर्शाते है, जिससे वर्ष 2016-17 में विकास कार्य में ठहराव पाया गया।

आगे, जाँच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2014-15 में ₹ 0.35 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 में ₹ 0.14 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान मत्स्य फार्मो के विकास हेतु मछली पालन तथा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये लिया गया। यद्यपि, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ। यह वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमियों को दर्शाता है।

(स) सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना

राबनि के पैरा 13.6 में प्रावधित है कि व्यय के अनुमान जहाँ तक हो सके यथार्थ होने चाहिए, अनुमानों में परिहार्य आधिक्य उतनी ही वित्तीय अनियमितता है जितना की वास्तविक व्यय में आधिक्य है। छः उप-शीर्षो की नमूना-जाँच (2014-17) में पाया गया कि विभाग द्वारा सम्पूर्ण बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ से अधिक) का उपयोग नहीं किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उन्हें अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन कर दिया गया, जैसाकि ***परिशिष्ट 2.17*** में दिया गया है।

(द) प्राप्तियाँ

पशुपालन तथा मत्स्य पालन विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष ''0403-पशुपालन'' एवं ''0405-मछली पालन'' में पशुधन, सेवा शुल्क, मछली एवं मछली बीज की बिक्री, किराया तथा अन्य प्राप्तियों की प्राप्तियाँ सम्मिलित होती है। वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान शीर्षो के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+)/ कमी (-)	*संशोधित अनुमान से प्रतिशत अंतर*
1.	0403-पशुपालन 102-मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्तियां 03-अन्य विविध प्राप्तियाँ	2014-15	0.07	0.22	0.48	0. 26	118.18
		2015-16	0.07	0.20	8.38	8.18	4090.00
		2016-17	0.20	9.00	6.69	-2.31	25.67
2.	0403-पशुपालन 501-सेवाएं और सेवा कर 01- सेवाएं और सेवा कर	2014-15	1.20	1.40	1.32	-0.08	5.71
		2015-16	1.55	2.75	2.50	-0.25	9.09
		2016-17	3.00	3.00	2.31	-0.69	23.00
3.	0405-मछली पालन 800-अन्य प्राप्तियाँ 01- अन्य प्राप्तियाँ	2014-15	0.05	0.05	0.55	0.50	1000.00
		2015-16	0.06	1.43	2.42	0.99	69.23
		2016-17	0.90	1.00	1.65	0.65	65.00

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 7.60 प्रतिशत तथा 31.82 प्रतिशत के मध्य गिरावट रही। क्र.सं. 1 तथा 2 के प्रकरणों में संशोधित अनुमान उचित नही थे

जिनमें प्राप्तियाँ बहुत तेजी से गिरी। ऊपर दी गई स्थिति विभाग द्वारा प्राप्तियों के अनुमानों के कम आंकलन को दर्शाती है।

विभाग ने मत्स्य कृषकों द्वारा लाईसेंस का नवीनीकरण करवाने/नवीनीकरण नहीं करवाने से प्राप्तियों में वृद्धि/कमी का कारण, जलाशयों में पानी कम होने के कारण मत्स्य कृषकों द्वारा लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करवाना बताया जिनके परिणामस्वरूप अन्ततः राशि जब्त की गई।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में 5.71 तथा 100 प्रतिशत से अधिक के मध्य भिन्नता थी जो कि आंकलन में कमी को प्रदर्शित करता है।

अनुदान संख्या 47–पर्यटन

पर्यटन विभाग

(अ) राजस्व व्यय

विभिन्न शीर्षों की नमूना–जाँच के दौरान पाये गये मुख्य बिन्दु नीचे सारांशीकृत किये गये है:

(i) निम्नलिखित लेखाशीर्षों में, वर्ष 2014–17 के दौरान गत वर्षों से व्यय में पर्याप्त कमी तथा वृद्धि को दर्शित करते हुए वास्तविक एवं बजट अनुमानों में विचलन था एवं व्ययों की वृद्धि में महत्वपूर्ण अन्तर था।

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि/कमी (–) का प्रतिशत
3452–पर्यटन	2014-15	0.20	-	0.20	0.21	-	-
80–सामान्य	2015-16	0.25	-	0.25	0.25	0.04	19.04
800–अन्य व्यय 03– ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों पर रोशनी (आयोजना)	2016-17	0.30	-	0.30	0.10	- 0. 15	- 60.00
3452–पर्यटन	2014-15	0.40	-	0.40	0.24	-	-
80–सामान्य	2015-16	0.40	-	0.40	0.37	0.13	54.17
800–अन्य व्यय 05– आई.टी. परियोजना (आयोजना)	2016-17	2.00	-	2.00	0.28	- 0.09	-24.32
3452–पर्यटन	2014-15	1.20	-	1.20	0.57	-	-
80–सामान्य	2015-16	1.20	-	1.20	0.36	- 0. 21	-36.84
800–अन्य व्यय 07–राजस्थान मेला प्रबंधन प्राधिकरण (आयोजना)	2016-17	1.40	-	1.40	0.60	0.24	66.67
3452–पर्यटन	2014-15	3.75	-	3.75	3.46	-	-
80–सामान्य	2015-16	3.57	-	3.57	3.74	0.28	8.09
001–निदेशन तथा प्रशासन (आयोजना)	2016-17	3.61	-	3.61	4.32	0.58	15.51

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि	वृद्धि/कमी (-) का प्रतिशत
3452-पर्यटन 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन (गैर-आयोजना)	2014-15	7.62	-	7.62	6.98	-	-
	2015-16	8.06	0.32	8.38	8.41	1.43	20.49
	2016-17	9.51	-	9.51	9.37	0.96	11.41
3452-पर्यटन 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 02-पर्यटक सूचना और प्रचार (आयोजना)	2014-15	11.44	-	11.44	9.05	-	-
	2015-16	24.99	21.07	46.06	45.69	36.64	404.86
	2016-17	42.82	6.82	49.64	50.19	4.50	9.85

विभाग ने व्यय में भिन्नता के कारण (2015-16) (i) नवीनीकरण/अनुरक्षण तथा विद्युत अनुरक्षण, विद्युत कार्यों पर व्यय, नये कम्प्यूटर्स तथा कम्प्यूटर पार्ट्स की खरीद, आक्रामक विपणन अभियान पर व्यय, वेतन तथा भत्तों में वृद्धि होना तथा (ii) नवीनीकरण/अनुरक्षण पर कम व्यय (2016-17), विद्युत व्यय भुगतान का दायित्व हस्तानान्तरित होना, वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, मेला आयोजन पर व्यय तथा कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन रहने तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण कम व्यय होना बताया।

विभाग द्वारा दिये गये कारण विभाग के वित्तीय प्रबंधन में प्रणालीगत त्रुटियों, अनुश्रवण में कमी, अनुमान तथा बजटीय पूर्वानुमान में कमी को दर्शाती है, क्योंकि वेतन तथा भत्तों पर अनुमान, नवीनीकरण कार्य, कम्प्यूटर खरीद आदि का बजट बनाने से पहले पूर्वानुमान/अन्दाजा लगाया जा सकता है।

(ब) पूँजीगत व्यय

पर्याप्त प्रावधान के बावजूद पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण बचतें तथा घटती हुई प्रवृत्ति पायी गयी, जैसे कि नीचे सारांशीकृत की गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान#	व्यय	व्यय में वृद्धि/कमी	वृद्धि/कमी (-) का प्रतिशत
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 01-पर्यटन स्थलों का विकास (आयोजना)	2014-15	19.09	15.20	-	-
	2015-16	25.69	23.88	8.68	57.11
	2016-17	29.42	9.75	-14.13	-59.17
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 05-ग्रामीण पर्यटन का विकास (आयोजना)	2014-15	13.29	1.31	-	-
	2015-16	38.20	18.14	16.83	1284.73
	2016-17	18.71	10.62	- 7.52	-41.46

इन मामलों में अनुपूरक प्रावधान नहीं लिये गये है।

विभाग द्वारा व्यय में वृद्धि/कमी के कारण (i) स्वीकृतियाँ जारी न होना, (ii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निधियों का उपयोग न करना तथा (iii) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति बताये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि (i) जिस समय भी वित्तीय स्वीकृतियों में विलम्ब था तो विभाग को प्रकरण में लगातार अनुसरण करना चाहिये था ताकि निधियाँ उचित रूप से उपयोग ली जा सके (ii) निधियों का अनुपयोगी रहना त्रुटिपूर्ण अनुमानों तथा बजटीय पूर्वानुमान को दर्शाता है तथा (iii) कार्यो की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप बचतें, विभागीय स्तर, जिसने कार्य के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव तैयार किये थे, के अनुश्रवण तथा समन्वय में कमी को दर्शाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षो के दौरान विकासात्मक तथा पूँजीगत कार्यो के लिये किये गये प्रावधानों की संवीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण 2014-15 की उद्घोषणा के अनुसार झालावाड में रैन बसेरा के विकास हेतु राशि ₹ 2.24 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, कार्य वर्ष के दौरान प्रारम्भ नहीं किया गया। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान कार्य के लिए इसके बाद पुन: प्रावधान किये गये। तथापि, मार्च 2017 तक भी कार्य प्रारम्भ किया जाना बाकी था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि विकासात्मक कार्य चालू नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित स्थल पर भू-निर्माण के कार्य को बदलने का निर्णय (फरवरी 2016) लिया गया एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देशानुसार (मार्च 2016) भी वर्ष 2016-17 में कार्य शुरू नहीं हो सका।

- इसी प्रकार, वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की बजट की उद्घोषणा में बांसवाडा में मानगढ़ धाम (एक शहीद स्मारक) के विकास हेतु राशि ₹ 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान भी किया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 में कार्य के लिये पुन: प्रावधान बनाये गये। तथापि, मार्च 2017 तक कार्य प्रारम्भ किया जाना बाकी था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि कार्ययोजना तैयार कर ली गई है तथा इसके अनुमोदन के पश्चात कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

इस प्रकार, बजट प्रावधान बनाने से पूर्व कार्य की संभावना को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया तथा वर्ष दर वर्ष प्रावधान बढ़ाना बजटिंग प्रक्रिया तथा बजट अनुश्रवण की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठता है।

(स) प्राप्तियाँ

पर्यटन विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष ''1452-पर्यटन'' में अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान शीर्षो के अन्तर्गत बजट

अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति को तालिका में सारांशीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+)/ कमी (-)	*संशोधित अनुमान से प्रतिशत अंतर*
1.	1452-पर्यटन 800-अन्य प्राप्तियाँ 01-अन्य प्राप्तियाँ (आयोजना)	2014-15	0.50	0.90	1.17	0. 27	30.00
		2015-16	0.95	1.02	0.80	-0. 22	- 21.57
		2016-17	1.15	0.85	0.76	-0.09	-10.59

वर्ष 2014-15 के दौरान, वास्तविक प्राप्तियाँ संशोधित अनुमानों से ₹ 0.27 करोड़ अधिक थी। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमश: ₹ 0.22 करोड़ तथा ₹ 0.09 करोड़ की सीमा तक प्राप्तियाँ कम प्राप्त हुई।

2.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, 2017 के नियम 8(2) में निर्दिष्ट है कि निधियों का आहरण तभी किया जावे जब तत्काल भुगतान किया जाना हो एवं व्यय सक्षम अधिकारी से प्राधिकृत हो। इसके आगे, नियम 219, सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों को बनाने/तथा आहरित करने और विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों को महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत किये जाने को विनियमित करता है तथा नियम 220(1) एसी बिलों के आहरण में तीन माह के भीतर डीसी बिलों को प्रस्तुत करना उपबन्धित करता है (सिवाय विदेश से मशीनरी/उपकरण एवं अन्य सामान साख पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों में, डीसी बिल सक्षम प्राधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छ: माह में प्रस्तुत किये जायेंगे)।

वर्ष के अन्त में सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध प्रस्तुतीकरण में लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिलों की गत पाँच वर्षों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष तक	आहरित एसी बिल		प्राप्त हुए डीसी बिल		असमायोजित एसी बिल	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2012-13	37,571	3,558.21	36,912	3,462.64	659	95.57
2.	2013-14	40,701	4,174.63	39,619	3,851.06	1,082	323.57
3.	2014-15	43,965	4,794.52	43,597	4,505.59	368	288.93
4.	2015-16	45,244	5,203.47	44,992	4,929.59	252	273.88
5.	2016-17	46,426	5,847.82	46,206	5,476.07	220	371.75

एसी बिलों की बकाया राशि वर्ष 2012-13 में ₹ 95.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 371.75 करोड़ हो गई। जबकि 2014-15 में बकाया बिलों की संख्या में काफी सुधार हुआ, जबकि तथ्य यह है कि बकाया राशि में पर्याप्त कमी प्रदर्शित नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के दौरान एसी बिलों की बकाया राशि में गत वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यह पाया गया कि 31 मार्च 2017 तक आहरित ₹ 5,847.82 करोड़ के 46,426 एसी बिलों के विरूद्ध ₹ 5,476.07 करोड़ की राशि के 46,206 डीसी बिल ही महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा प्राप्त किये गये, परिणामस्वरूप 30 जून 2017 तक ₹ 371.75 करोड़ के 220 एसी बिल बकाया थे। बकाया एसी बिलों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

सांराशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध प्रस्तुतीकरण में लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिल

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष तक	आहरित एसी बिल		प्राप्त हुए डीसी बिल		असमायोजित एसी बिल	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2010-11 तक	34,266	3,106.65	34,252	3,103.37	14	3.28
2.	2011-12	1,471	197.72	1,468	197.01	3	0.71
3.	2012-13	1,834	253.84	1,833	252.80	1	1.04
4.	2013-14	3,130	616.42	3,127	612.95	3	3.47
5.	2014-15	3,264	619.89	3,259	614.97	5	4.92
6.	2015-16	1,279	408.95	1,266	405.90	13	3.05
7.	2016-17	1,182	644.35	1,001	289.07	181	355.28
योग		**46,426**	**5,847.82**	**46,206**	**5,476.07**	**220**	**371.75**

जून 2017 तक की अवधि तक लम्बित एसी बिलों का मुख्य शीर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 2.18*** में दिया गया है।

असमायोजित एसी बिलों की अधिकतर संख्या लोक सेवा आयोग (39 मामलों: ₹ 5.18 करोड़), अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (54 मामलों: ₹ 0.29 करोड़), सहायता (18 मामलों: ₹ 342.73 करोड़) तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (15 मामलों: ₹ 0.19 करोड़) से संबंधित थे। बकाया एसी बिलों की राशि मुख्यत: मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 2055-पुलिस, 2051-लोक सेवा आयोग, 2029-भू-राजस्व तथा 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय से संबंधित थी। असमायोजित एसी बिल जालसाजी, धोखाधड़ी तथा निरर्थक व्यय के दुरूपयोग के जोखिम में वृद्धि करते हैं।

(i) असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक बिल

पाँच विभागों द्वारा प्रेषित सूचना की नमूना-जाँच में पाया गया कि पाँच प्रकरणों में एसी बिल आहरित किये गये, जो छ: महिनों से नौ वर्षों की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी असमायोजित रहे, जैसाकि विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	एसी बिल		आहरित राशि	विभाग द्वारा दिये गये विलम्ब के कारण
		मुख्य शीर्ष	संख्या एवं दिनांक		
1.	राजस्व मण्डल, अजमेर	2029	893/28.02.2012	62.50	बिल प्राप्त हुए लेकिन भू प्रबन्धन विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किये गये।
		2029	183/05.03.2008	292.18	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा संस्थान (एनआईसीएसआई), नई दिल्ली से बिलों के विस्तृत विवरण प्रतीक्षित थे।
2.	पंजीकरण तथा मुद्रांक विभाग, अजमेर	2029	510/01.01.2014	125.24	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा संस्थान (एनआईसीएसआई), नई दिल्ली से वाउचरों का प्राप्त नहीं होना।
		2029	511/01.01.2014	41.75	
3.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएल), राजस्थान, जयपुर	2055	283/06.01.2015	57.00	आयात किये जाने वाले उपकरणों की दरों में वृद्धि होने के कारण शेष उपकरणों का एसटीसी, नई दिल्ली द्वारा क्रय नहीं किया जाना।
		2055	395/27.03.2015	18.50	
		2055	396/27.03.2015	9.60	
4.	निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर	2210	436/14.03.2014	179.70	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, द्वारा अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवशेष राशि जमा नहीं किया जाना।
5.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन तथा सहायता विभाग, उदयपुर	2245	26/22.11.2016	13007.32	उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण सहायतार्थ अनुदान का पूरा उपयोग नही होना।

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान तथा संबंधित विभागों से संकलित सूचना।

विभाग द्वारा दिये गये कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना पर्याप्त नियोजन द्वारा टाला जा सकता था तथा उपकरणों की खरीद के लिए अनुसरण किया जाना चाहिये था या वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के पश्चात ही एसी बिल आहरित किये जाने चाहिये थे। वाउचरों का प्राप्त न होना, उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं करना तथा क्रय में देरी विभाग में अनुश्रवण में कमी तथा व्यवस्थापरक कमियों को दर्शाता है।

(ii) निर्धारित अवधि पश्चात डीसी बिल द्वारा एसी बिल का समायोजन

निम्नलिखित 10 प्रकरणों में, एसी बिल द्वारा आहरित की गई निधियों के समायोजन हेतु डीसी बिल निर्धारित अवधि के बाद 3 से 144 महिनों की देरी से प्रस्तुत किये गये। इसमें अव्ययीत राशि ₹ 891.09 लाख की वापसी भी सम्मिलित है।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या तथा दिनांक	राशि	डीसी बिल संख्या तथा दिनांक (राशि)	चालान द्वारा जमा कराई गई राशि	विलम्ब माह में
1.	राजस्व मण्डल, अजमेर	2029	134/18.01.2011	26.60	23/05.07.2017	-	75
		2029	582/11.11.2011	82.80	24/05.07.2017 (72.84)	9.96	65
		2029	804/24.01.2012	131.40	25/05.07.2017 (12.05)	119.35	63
		2029	805/24.01.2012	48.60	26/05.07.2017 (14.36)	34.24	63
2.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर	2055	397/27.03.2015	28.00	90/18.04.2017	-	19

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या तथा दिनांक	राशि	डीसी बिल संख्या तथा दिनांक (राशि)	चालान द्वारा जमा कराई गई राशि	विलम्ब माह में
3.	पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस, जयपुर	2055	787/23.11.2012	79.57	963/09.03.2017	-	49
4.	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	2210	1263/26.03.2016	450.00	464/22.06.2017	-	12
5.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन तथा सहायता विभाग, जालौर	2245	24/15.09.2016	4658.48	1/10.07.2017 (4,435.61)	222.87	7
6.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन तथा सहायता विभाग, बांसवाड़ा	2245	33/02.06.2016	0.63	225/20.03.2017	-	6
		2245	35/02.06.2016	11585.49	08/13.06.2017	-	9
7.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन तथा सहायता विभाग, हनुमानगढ़	2245	162/21.07.2016	621.00	96/09.06.2017 (314.73)	306.27	8
		2245	165/21.07.2016	621.00	99/13.06.2017 (429.26)	191.74	8
8.	जिला कलक्टर, अजमेर	2245	297/03.10.2016	61.45	4/30.03.2017 (57.41)	4.04	3
9.	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला डिवीजन-प्रथम, जयपुर	3054	110/29.10.2014	148.10	105/18.10.2016	-	21
		3054	111/29.10.2014	236.13	106/18.10.2016	-	21
		3054	112/29.10.2014	22.49	104/18.10.2016	-	21
		3054	113/29.10.2014	91.21	120/16.11.2016 (89.22)	1.99	22
10.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, श्रीगंगानगर	2245	101/28.06.2005	4.20	854/07.11.2017 (3.57)	0.63	144
	योग					**891.09**	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान तथा संबंधित विभागों से संकलित सूचना।

अव्ययीत राशि तथा डीसी बिलों को विलम्ब से जमा कराना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 तथा 220(1) के प्रावधानों का उल्लंघन था।

2.6 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 1,83,564.19 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 1,66,175.87 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं ₹ 17,388.32 करोड़ की बचतें रही। इसके अतिरिक्त, 16 प्रकरणों में ₹ 1,453.04 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विभागों ने ₹ 17,281.09 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तीन प्रकरणों में, ₹ 127.70 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये। दो अनुदानों में आधिक्य व्यय ₹ 0.40 करोड़ था, जिनका नियमन अपेक्षित था। आगे, 90 प्रकरणों में, ₹ 6,562.78 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 4,461.11 करोड़ (68 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

30 जून 2017 तक ₹ 371.75 करोड़ के 220 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल बकाया थे।

75 उपशीर्षों से संबंधित ₹ 28,548.73 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 14,624.19 करोड़ की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक) वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय किये गये। इसमें से, ₹ 10,590.05 करोड़ अकेले मार्च 2017 में व्यय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही।

सिफारिशें:

6. ***नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को आवंटित निधियों की आवश्यकता के अनुसार समुचित उपयोग के लिए स्वीकृत आवंटन के समक्ष व्यय की प्रगति हेतु कड़ी एवं निरन्तर निगरानी रखनी चाहिये। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रक्रिया को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।***

7. ***सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिये ताकि वर्ष के अन्त में बड़े पैमाने पर होने वाले आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण से बचा जा सके एवं उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी रूप से उपयोग हो सके।***

8. ***सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से आहरित किये गये अग्रिमों को निर्धारित अवधि में समायोजन करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली लागू की जानी चाहिये।***

9. ***वर्ष के अन्त में किये जाने वाले व्यय के आधिक्य से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिये विभाग को व्यय की प्रगति का वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।***

अध्याय III
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ सही आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि परिचालन में है तथा सटीक और प्रभावी है, तो यह अनुकूल योजना बनाने एवं निर्णय लेने सहित राज्य सरकार को उनकी प्रबन्धन की मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है। यह राज्य सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि की वित्तीय और परिचालन सुदृढ़ता की सही, निष्पक्ष और पारदर्शी चित्रण करने में योगदान देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सावि एवं लेनि), 2012 प्रावधित करते हैं कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदानों हेतु, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। तथापि, वर्ष 2004-05 से 2015-16 के दौरान प्रदत्त अनुदानों में से ₹ 9.32 करोड़ के 104 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की वर्ष-वार स्थिति को निम्न तालिका 3.1 में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.1 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	30 जून 2017 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि
0-1	22	0.44
1-3	28	0.47
3-5	32	5.22
5-7	19	1.17
7-9	02	1.90
9 एवं अधिक	01	0.12
योग	**104**	**9.32**

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बकाया राशि का लगभग 99 प्रतिशत भाग मुख्यत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (100 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 6.31 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 2.89 करोड़) से सम्बन्धित था।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाये जाने पर बताया गया (अक्टूबर 2017) कि परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पंचायती राज संस्थानों को वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान प्रदान की गई पुरस्कार राशि के लिए सभी बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संबंधित संस्थानों से प्राप्त कर लिया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि गाड़िया लोहार आवास के निर्माण हेतु स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर को आवंटित ₹ 0.12 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र न्यायालय स्थगन आदेश के कारण वर्ष 2004-05 से लंबित थे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यत: केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, गुजरात को (i) वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान राजस्थान में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र स्थापित करने हेतु एवं (ii) वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विद्यालयों में विज्ञान क्लब की स्थापना हेतु प्रदान किये गये अनुदान से संबंधित थे। विलम्ब का कारण आरओ संयंत्रों का स्थापित नहीं होना बताया गया, जिन्हें दिसम्बर 2017 तक स्थापित किया जाना था एवं विद्यालयों की अधिक संख्या होने से उपयोगिता प्रमाण-पत्र संग्रह नहीं होना बताये गये।

विभागों द्वारा निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना, अनुदानों के उपयोग की प्रणाली में दोष तथा वित्तीय अव्यवस्था के संकट से युक्त होना इंगित करता है।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

संस्थाएँ, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन आकृष्ट होती हैं, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष (i) विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता (ii) प्रदान की गयी सहायता का उद्देश्य और (iii) संस्थाओं के कुल व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इससे आगे, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 का विनियम 84 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख जो निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन

निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची, जिनको कि गत वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख और अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया हो, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गयी हो एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय, इंगित करते हुए लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

कुल 167 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से, 58 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2015-16 तक के बकाया 109 वार्षिक लेखे, जून 2017 तक प्राप्त नहीं हुए थे। निकायों एवं प्राधिकरणों, जिन्होंने विभिन्न शासकीय विभागों से पूर्व वर्षों के दौरान अनुदान प्राप्त किया है, के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है तथा उसकी वर्ष-वार बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं की वर्ष-वार बकाया

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त हुई अनुदान (₹ करोड़ में)	गत वर्ष के दौरान किया गया खर्च (₹ करोड़ में)
0-1 वर्ष	38	456.58	556.26
1-3 वर्ष	11	173.75	84.18
3-5 वर्ष	6	12.96	6.09
5 वर्ष से अधिक	3	0.83	0.98
योग	**58**	**644.12**	**647.51**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 17 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में एक से पाँच वर्षों तक का विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि बहुत से विभागों द्वारा प्रयोजन, जिसके लिए सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, अवगत नहीं करवाया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा, विधानमण्डल/सरकार को स्वीकृत अनुदान के उपयोग की रीति से संबंधित, विशेष रूप से विपथन या दुरूपयोग के मामलों में, आश्वस्त नहीं कर सकी।

3.3 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा विधिक सहायता, मानवाधिकार, खादी विकास एवं निर्माण कर्मकार कल्याण के क्षेत्र में चार[1] स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने अनुदान प्राप्त किया एवं अपने खाते प्रस्तुत किये। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। राज्य में राजस्थान खादी एवं

[1] राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर।

ग्रामोद्योग मंडल के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, जबकि अन्य तीन निकायों की लेखापरीक्षा, उनके सम्बन्धित अधिनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

तथापि, राजस्थान भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के वर्ष 2015-16 के लेखे जून 2017 तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

3.4 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों, जो अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करते हैं, द्वारा वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों को निर्धारित प्रारूप में वर्षिक प्रोफॉर्मा लेखे तैयार किये जाने अपेक्षित होते हैं, ताकि सरकार उनके कार्यकलापों का आँकलन कर सके।

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा उनकी व्यावसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते है। समय पर लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में, जवाबदेयता सुनिश्चित करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने हेतु सुधारात्मक उपाय, यदि कोई आवश्यक हों, समय से नहीं लिये जा सकते।

सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार करें और उन्हें विनिर्दिष्ट समयावधि में महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करें। मार्च 2017 तक, 10 में से मात्र आठ उपक्रमों द्वारा वर्ष 2015-16 तक के लेखे तैयार कर प्रस्तुत किये गये। प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करने तथा सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में दी गई है।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 20 में उल्लेखित है कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2017 तक विभिन्न विभागों के, राशि ₹ 67.02 करोड़ के दुर्विनियोजन (328) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (549) के 877 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही लम्बित (जून 2017) थी। इन लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.4*** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन, प्रत्येक श्रेणी में लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.3** में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि की रूपरेखा

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ में)
0-5	236	27.04	सामग्री की चोरी/हानि	**549**	**15.48**
5-10	166	19.66	दुर्विनियोजन/गबन	**328**	**51.54**
10-15	205	9.25			
15-20	110	6.23			
20-25	95	2.50	-	-	-
25 एवं अधिक	65	2.34	-	-	-
योग	**877**	**67.02**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**877**	**67.02**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को निम्न तालिका में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के विलम्ब के कारणों का वर्गीकरण

विलम्ब का कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	306	29.57
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	505	32.48
न्यायालयों में बकाया	66	4.97
योग	**877**	**67.02**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

3.6 निजी निक्षेप खाते

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखे में कोई भी धनराशि तब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक कि उन्हें किन्ही कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्ही सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

वर्ष 2016-17 के दौरान, निजी निक्षेप खाते के मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप-106-निजी निक्षेप में राशि ₹ 34,599.49 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये, जो कि कुल व्यय (₹ 1,44,120 करोड़) का 24 प्रतिशत था। इसमें से, ₹ 3,626.96 करोड़ (10.48 प्रतिशत) की राशि केवल मार्च 2017 में निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित/जमा की गई। मार्च के महीने में व्यापक राशि का हस्तान्तरण अपर्याप्त बजटरी नियंत्रण को दर्शाता है।

31 मार्च 2017 को राज्य सरकार के निजी निक्षेप खातों की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	01.04.2016 को शेषों की स्थिति	निजी निक्षेप खाते		अव्ययीत राशि (31 मार्च 2017 को)
			प्राप्त राशि	संवितरित राशि	
प्रचलित निजी निक्षेप खाते	1,513	3,541.47	34,599.63*	32,958.22	5,182.88
अप्रचलित निजी निक्षेप खाते (पाँच वर्षों से अधिक)	15	0.95	13.57	0.95	13.57
योग	**1,528**	**3,542.42**	**34,613.20**	**32,959.17**	**5,196.45**

* अप्रचलित निजी निक्षेप खाते से हस्तांतरित राशि ₹ 0.14 करोड़ सम्मिलित है।

निजी निक्षेप (पीडी) खातों में ₹ 5,196.45 करोड़ (1,528 पीडी खाते) के अव्ययीत शेष थे, जिसमें ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक शेष वाले तेरह[2] पीडी खातों की राशि ₹ 2,158.99 करोड़ (41.50 प्रतिशत) सभी पीडी खातों के कुल अव्ययीत शेषों में सम्मिलित है।

राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषाधिकारी अपने अधीन कोषालय और उप-कोषालयों के प्रचलित पीडी खातों

[2] (क) निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर (₹ 693.98 करोड़) (ख) आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास, उदयपुर (₹ 260.61 करोड़), (ग) राजस्थान शहरी ढ़ाँचागत वित्तीय एवं विकास निगम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 362.69 करोड़, (घ) निदेशक एवं परियोजना निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 139.40 करोड़), (ड़) प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 246.02 करोड़), (च) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कम्प्यूटर इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 170.94 करोड़), (छ) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 132.15 करोड़) (ज) इंदिरा आवास योजना, जयपुर (सचिवालय) (₹ 153.20 करोड़), (झ) राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन, जयपुर (सचिवालय) (₹ 94.12 करोड़), (य) राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निधि, जयपुर (सचिवालय) (₹ 99.97 करोड़) (ट) राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर (सचिवालय) (₹ 79.65 करोड़), (ठ) परियोजना निदेशक/ वित्तीय सलाहकार, राजस्थान शहरी ढ़ाँचागत विकास परियोजना, जयपुर (सचिवालय) (₹ 54.37 करोड़) एवं (ड) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सचिवालय) (₹ 82.02 करोड़)।

की समीक्षा करेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु पिछले पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो में अप्रचलित रहे खातों को बन्द करने की अनुशंषा के साथ सूची तैयार करेगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे गये पीडी खातों की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2017 को, ₹ 13.57 करोड़ के 15 पीडी खाते ***(परिशिष्ट 3.6)*** गत पाँच वर्षों (2012-17) से अप्रचलित थे। इनमें से, तीन पीडी खातों जैसा कि राज्य संग्रहालय और विरासत अध्ययन संस्थान, जयपुर (सचिवालय), सिरेमिक और विद्युत विकास समिति, बीकानेर एवं उद्यमशीलता और प्रबंध विकास संस्थान, जयपुर (सचिवालय) में क्रमशः ₹ 10.06 करोड़, ₹ 2.31 करोड़ एवं ₹ 0.79 करोड़ के महत्वपूर्ण शेष थे।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर, संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) एवं बताया कि 15 में से 12 अप्रचलित पीडी खाते बंद कर दिए गए हैं और शेष तीन पीडी खातों को प्रचलित रखने हेतु वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थान (पी आर आई) पी आर आई निधि[3] रखते हैं जो कि मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निकायों की जमा- 109-पंचायत निकाय निधियां के अन्तर्गत वर्गीकृत है। इसके आगे, पंचायत समिति एवं जिला परिषद निकटतम सरकारी कोषागार/उप-कोषागार में संधारित किये गये पीडी खातों में तथा ग्राम पंचायत निकटतम डाकघर या किसी अनुसूचित बैंक की शाखा में, समस्त प्राप्तियाँ जमा करेंगी।

यह देखा गया कि वर्ष 2012-16 के दौरान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति निधियों के शेषों में वृद्धि की प्रवृति देखी गई तथा वर्ष 2016-17 के दौरान अन्तिम शेष क्रमशः ₹ 1,683.33 करोड़ एवं ₹ 1,280.05 करोड़ था जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है:

[3] राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि का रखरखाव करती है, जिसमें अधिनियम के तहत वसूल किया हुआ या वसूली योग्य राशि और अन्यथा पंचायती राज संस्थानों द्वारा प्राप्त समस्त राशि, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि और स्व-राजस्व, जिसमें पंचायतों की कर और कर-भिन्न प्राप्तियाँ शामिल है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद निधि (8448-109-03)				पंचायत समिति निधि (8448-109-02)				वर्ष के अंत में कुल अंतिम शेष
	आरम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष	आरम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+9)
2012-13	1,104.83	2,356.16	2,044.31	1,416.68	470.20	884.48	704.67	650.01	2,066.69
2013-14	1,416.68	2,619.37	2,578.78	1,457.27	650.01	1,568.13	1,473.86	744.28	2,201.55
2014-15	1,457.27	2,732.06	2,753.13	1,436.20	744.28	1,289.62	1,140.81	893.10	2,329.30
2015-16	1,436.20	4,412.59	3,879.91	1,968.87	893.10	1,091.19	967.73	1,016.56	2,985.43
2016-17	1,968.87	3,044.50	3,330.05	1,683.32	1,016.56	1,546.68	1,283.19	1,280.05	2,963.38

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों के लेखों में पड़ी अनुपयोजित निधियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर इनका विवरण संकलित नहीं किया गया था।

पाँच साल के लिए अप्रचलित रहने के बावजूद पीडी खातों को बंद नहीं किया जाना राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.7 लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत पुस्तांकन

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का निर्णायक घटक है कि लेखों के प्रारूप, जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे समस्त महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति एवं व्यय को पारदर्शी तरीके से वस्तुतः दर्शा सकें।

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 55 मुख्य लेखाशीर्षों (जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 10,123.30 करोड़ लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 7.02 प्रतिशत था।

मुख्य कार्यों जिनमें व्यय वित्त लेखों में अलग से नहीं दर्शाये गये परन्तु लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत शामिल किये गये, नीचे सारांशीकृत किये गये है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि
1.	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (2245)	1,772.03
2.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय (5054)	1,447.76
3.	परिवार कल्याण (2211)	1046.88
4.	मुख्य सिंचाई (2700)	1011.58
5.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (2040)	863.90
6.	शहरी विकास (2217)	800.15
7.	कृषि-कर्म (2401)	371.53
8.	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (4217)	314.86
9.	सड़क एवं सेतु (3054)	275.22
10.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय (5475)	267.38
11.	सहकारिता (2425)	244.89

यद्यपि इन व्ययों का विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए विस्तृत मांग के नीचे तथा सम्बन्धित शीर्षवार विनियोग लेखे, जोकि राज्य सरकार के लेखों के हिस्से हैं, में प्रदर्शित किया गया है, 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित वृहद् राशि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

3.8 पुस्तक समायोजन

सामान्यत: राज्य के लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान 68 मदों[4] में ₹ 11,747.53 करोड़, समेकित निधि से लोक लेखा अथवा लोक लेखा से समेकित निधि में पुस्तक समायोजन के द्वारा अंतरित किये गए। पुस्तक समायोजन मुख्यत: राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा एवं बाढ़ इत्यादि पर व्यय, सेवारत कर्मचारियों के राज्य प्रावधायी निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन, सिंचाई परियोजनाओं के पूँजीगत व्यय पर ब्याज, राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को केन्द्रयांश एवं राज्यांश का अन्तरण, जीवन बीमा निधि के शेषों पर ब्याज, केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान का हस्तांतरण और केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों पर किए गए व्यय की पूर्ति से संबंधित थे।

3.9 प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 11(3) के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे राज्य सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से करें।

[4] मदों के विवरण राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे (खण्ड- I) के नोट्स टू अकाउन्ट (अनुलग्नक-'अ') में दिये गये हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, (i) 407 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 1,62,099.88 करोड़ (निवल) के कुल व्यय का (ii) 166 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 1,09,053.84 करोड़ की कुल प्राप्तियों (विविध पूँजीगत प्राप्तियों सहित) का, शत प्रतिशत मिलान किया गया।

3.10 उचन्त लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष

'संघ एवं राज्यों की मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची' के अनुसार, प्राप्ति एवं भुगतानों के संव्यवहार, जिन्हें इनकी प्रकृति अथवा अन्य कारणों की सूचना के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारी लेखों में कुछ मध्यवर्ती/समायोजनीय लेखाशीर्ष, जिन्हें ''उचन्त शीर्ष'' के रूप में जाना जाता है, संचालित किये जाते हैं। जब इन शीर्षों की राशि संबंधित अंतिम लेखे शीर्षों में पुस्तांकित कर ली जाती हैं तब ये लेखा शीर्ष, ऋण नामे अथवा ऋण जमा के द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर लिये जाते हैं। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता, तो ये राशियाँ उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत संचित रहती और सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय सही प्रतिबिंबित नहीं होती है।

उचन्त शेषों का खाता, उप/विस्तृत शीर्षवार, जैसा भी आवश्यक हो, वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा संधारित किया जाता है।

31 मार्च 2017 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष ''8658-उचन्त लेखे" के अन्तर्गत ₹ 38.89 करोड़ (नामे) का कुल निवल शेष था। यह वर्ष 2014-15 में ₹ 11.26 करोड़ (नामे) से ₹ 27.63 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2016-17 में यह वृद्धि मुख्यत: वेतन एवं लेखा -उचन्त (₹ 15.46 करोड़) एवं स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त (₹ 12.71 करोड़) शेष के अन्तर्गत हुई।

''8658-उचन्त लेखे'' के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के उचन्त शेषों की स्थिति ***परिशिष्ट 3.7*** में दी गई है।

3.10.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त

यह लघु शीर्ष, संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ राज्य क्षेत्र के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में उत्पन्न हुये अन्त: विभागीय एवं अन्त: सरकारी संव्यवहारों के निपटान के लिये प्रचालित किया जाता है। मार्च 2017 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 61.93 करोड़ का नामे शेष तथा ₹ 0.84 करोड़ का जमा शेष बकाया था। मुख्यत: ''वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त'' में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	54.32	0.04
2.	वेतन एवं लेखाधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर	7.53	0.33
3.	वेतन एवं लेखाधिकारी (विधि मामलात), विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	0.05	0.34
4.	वेतन एवं लेखाधिकारी, निर्वाचक कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	-	0.12

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 31 मार्च 2017 को इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वेतन एवं लेखाधिकारियों के निमित्त किये गये भुगतानों (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) उनके द्वारा वसूल होने/भुगतान किये जाने थे। वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त के अन्तर्गत नामे एवं जमा शेष तथा उनका लगातार संचित होना, महत्वपूर्ण नियंत्रण दोष को इंगित करता है।

3.10.2 उचन्त लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष, उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिये प्रचालित किया जाता है जिन्हें निश्चित सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में व्यय अथवा प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है।

31 मार्च 2017 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1.48 करोड़ (नामे) एवं (-) ₹ 0.02 करोड़ (जमा) बकाया शेष था, जो ₹ 1.50 करोड़ (नामे) की निवल प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करता है। ''उचन्त लेखे (सिविल)'' शीर्ष में मुख्यत: बकाया शेषों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	डाक लेखा के अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम उचंत	0.63	(-) 0.02
2.	नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद	0.51	-
3.	नियंत्रक रक्षा लेखा (दक्षिणी कमान), पूणे	0.34	-

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) जिनके निपटान के लिए एकाकी रख-रखाव होना आवश्यक है को उनके लेखों के अंतिम शीर्षों में दर्ज नहीं किया गया। इसके आगे, वित्त लेखों के अनुसार रक्षा लेखा में वर्ष 1977-78 से ₹ 0.34 करोड़ (नामे) बकाया शेष थे

तथा डाक लेखा में वर्ष 1969-70 से भवन निर्माण अग्रिम उचन्त के अन्तर्गत ₹ 0.63 करोड़ (नामे) तथा (-) ₹ 0.02 करोड़ (जमा) बकाया शेष थे। ये पुराने शेष राज्य वित्त प्रतिवेदनों के साथ-साथ वित्त लेखों द्वारा पूर्व वर्षों में प्रतिवेदित किये गये हैं। तथापि, सुधार की कार्यवाही अभी तक लम्बित है।

3.10.3 सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा

क्रय द्वारा अथवा अंत:प्रभागीय हस्तानान्तरणों के माध्यम से प्राप्त हुये भण्डारों के ऐसे सभी मामलों में, जहाँ भण्डारों की प्राप्ति के माह में ही भुगतान नहीं किया गया हो, को प्रारम्भ में इस उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। इस शीर्ष का समाशोधन आपूर्तिकर्त्ता/भण्डारों की आपूर्ति करने वाले प्रभाग को भुगतान करने पर प्रति प्रविष्टि (ऋणात्मक जमा) द्वारा किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत, तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न की गई शेष राशियों को, राजस्व में जमा द्वारा समाशोधित किया जाना चाहिये।

भण्डार क्रय के समायोजन के अभाव में इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को (-) ₹ 3.16 करोड़ (जमा) बकाया शेष था। समाशोधित नहीं किया गया जमा शेष, सरकार के महत्वपूर्ण नियन्त्रण में कमी को इंगित करता है।

3.11 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये स्वीकृत की गयी ₹ 9.32 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। नमूना जाँच के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 6.31 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (₹ 2.89 करोड़) में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने के मामले ध्यान में आये।

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 58 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखे पिछले एक से नौ वर्षों से बकाया थे।

सरकारी धन के दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के ₹ 67.02 करोड़ की राशि के 877 बकाया प्रकरणों में से, ₹ 29.57 करोड़ के 306 प्रकरणों में विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 32.48 करोड़ के 505 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे।

सिफारिशें:

10. उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के निर्धारित समय में प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कारको की पहचान की जानी चाहिए जिनके कारण प्रस्तुतिकरण में रुकावट आती है।

11. लेखों के बकायों के निर्धारित समय सीमा में निपटान हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए एवं इनके समय पर प्रस्तुतिकरण हेतु उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

12. जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निपटानी चाहिये। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

आर जी विश्वानाथन

जयपुर,
21 फरवरी, 2018

(आर.जी. विश्वानाथन)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
23 फरवरी, 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ राजस्थान की रूपरेखा पृष्ठ 1)

राज्य की रूपरेखा

अ. सामान्य आंकड़े

क्र.सं.	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्रफल			3,42,239 वर्ग किमी
2	जनसंख्या			
	अ	2001 की जनगणनानुसार		5.65 करोड़
	ब	2011 की जनगणनानुसार		6.85 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व 2001 (भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)			165 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	जनसंख्या घनत्व 2011 (भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)			200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या* (बीपीएल) (भारत का औसत = 21.9 प्रतिशत)			*14.7 प्रतिशत*
5	अ	कुल साक्षरता (2001) (भारत का औसत = 65.4 प्रतिशत)@		60.4 *प्रतिशत*
	ब	कुल साक्षरता (2011) (भारत का औसत = 73.0 प्रतिशत)@		66.1 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु दर ** 2015 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (भारत का औसत = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म)			43
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा *** ((2011-15) भारत का औसत = 68.3 वर्ष)			67.9 वर्ष
8	गिनी गुणांक****			
	अ	ग्रामीण (भारत = 0.29)		0.23
	ब	शहरी (भारत = 0.38)		0.38
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2016-17 चालू दर पर			₹ 7,49,692 करोड़
10	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चक्रवृत्ति वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2007-08 से 2016-17		राजस्थान	*14.4 प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी के राज्य	*13.2 प्रतिशत*
11	जीएसडीपी सीएजीआर (2007-08 से 2016-17)		राजस्थान	*16.2 प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी के राज्य&	*15.2 प्रतिशत*
12	जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)		राजस्थान	*14.7 प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी के राज्य	*11.9 प्रतिशत*

ब. वित्तीय आंकड़े$

विवरण		सीएजीआर 2007-08 से 2015-16		सीएजीआर 2011-12 से 2015-16		वार्षिक वृद्धि 2015-16 से 2016-17	
		सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान
		(प्रतिशत में)					
(क)	राजस्व प्राप्तियों का	14.58	15.91	13.96	15.16	11.52	8.72
(ख)	स्व-कर राजस्व का	14.80	15.73	12.85	13.90	13.50	3.88
(ग)	कर-भिन्न राजस्व का	9.45	13.20	11.54	4.47	12.10	6.29
(घ)	कुल व्यय का	15.84	20.96	15.83	27.75	15.31	(-) 4.70
(ड)	पूंजीगत व्यय का	14.53	16.33	19.03	32.57	17.91	(-) 22.77
(च)	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.86	18.51	12.84	16.16	9.86	16.12
(छ)	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.43	22.36	17.55	21.73	14.92	7.74
(ज)	वेतन एवं मजदूरी का	14.89	15.67	9.54	13.04	13.06	16.02
(झ)	पेंशन का	17.17	19.78	12.31	16.39	10.63	13.18

* आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ अ 154

** आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ अ 156

*** आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ अ 146

**** गिनी-गुणांक http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.
गिनी-गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का मापक है। मूल्य दर शून्य से एक है। शून्य के पास मूल्य होने पर असमानता कम होती है एवं शून्य से दूर होने पर असमानता अधिक होती है। (वर्ष 2009-10 के लिए उपलब्ध अन्तिम आँकड़े लिये गये हैं)

$ *वित्तीय आंकड़ें राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित है।*

@ आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ अ 149

& 1 अगस्त 2017 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय द्वारा जारी जीएसडीपी विवरण में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर (बजट भाषण 2017-18), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों के 2016-17 के लिए आँकड़ें नहीं दिए गए है। अत: इनके लिए जीएसडीपी के आँकडें सम्बधित महालेखाकारों से प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट 1.2 भाग-अ

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखे की संरचना:

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के द्वारा लिये गये समस्त कर्ज, आन्तरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वारा कर्जों की अदायगी हेतु प्राप्त समस्त राशि से एक समेकित निधि का गठन होता है जिसे भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत गठित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II: आकस्मिकता निधि: भारत के संविधान की धारा 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के पास उपलब्ध एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से वे विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान कर सके। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा इसी के बराबर की राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमण्डल की अनुमति बाद में प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, प्रावधायी निधियों, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण, इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से संबंधित प्राप्तियों एवं संवितरणों जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में सम्मिलित किया जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं है।

स्रोत: सरकारी लेखाकरण नियम, 1990

परिशिष्ट 1.2 भाग-ब

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

वित्त लेखों का खाका

वित्त लेखों को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 में सरकार के वित्तीय विवरणों को सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया हैं जबकि विस्तृत विवरण खण्ड 2 में प्रस्तुत किये गये हैं।

विवरण संख्या	खाका
खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, 13 सारांशीकृत विवरण जैसा कि नीचे दिया गया है, लेखांकन की नीतियों के साथ लेखाओं से टिप्पणियां सम्मिलित है।	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की 2016-17 के अन्त में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संचयी आंकड़े।
2	राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य की समस्त प्राप्तियों और वितरणों का सारांश।
3	राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार को उधारों से प्राप्तियाँ जिसमें भारत सरकार से ऋणों की प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा बाजार से उठाये गये कर्ज सम्मिलित हैं, का सारांश।
4	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा राज्य द्वारा उठाये गये पुनर्भुगतान ऋण कार्यकलाप और प्रकृति के अनुसार व्यय का सारांश।
5	कार्यकलाप के अनुसार वर्ष 2016-17 के अंत तक प्रगामी व्यय प्रदर्शित करने वाला पूंजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण।
6	राज्य के ऋण की स्थिति जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से उधार, अन्य देयताऐं और ऋण सेवा सम्मिलित हैं, का सारांश।
7	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये कर्जो और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान, बकाया रही वसूलियों, इत्यादि का सारांश।
8	अंश पूँजी में राज्य सरकार के निवेशों का सारांश।
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जो आदि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश।
10	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण पत्र, जिन्हें अनुदानित संस्थाओं द्वारा समूहवार व्यवस्थित रखा गया है।
11	वर्ष के दौरान हुए प्रभारित तथा दत्तमत व्ययों का वितरण।
12	राजस्व लेखा के अतिरिक्त निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का सारांश लेखा।
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश।
खण्ड 2 का भाग I: इस भाग में लघुशीर्षो द्वारा खण्ड I के विवरणों के अनुरूप विवरण दर्शाते हुए 9 विवरण है:	
14	लघुशीर्ष वार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार लेखा।
15	आयोजना-भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार राजस्व व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना।

विवरण संख्या	खाका
16	आयोजना भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना। वर्ष के अन्त तक संचयी पूंजीगत व्यय भी प्रदर्शित किये गये हैं।
17	लघुशीर्ष वार उधारों, सभी कर्जो के परिपक्व और पुनर्भुगतान की रूपरेखा का ब्यौरेवार लेखा।
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जो और अग्रिमों, वर्ष के दौरान अदा किये गये कर्ज की राशि, 31 मार्च 2017 को शेष का ब्यौरेवार लेखा।
19	वर्ष 2016-17 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार लेखा।
20	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का समूहवार विस्तृत पत्र।
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहार का ब्यौरेवार लेखा।
22	लोक लेखा के अन्तर्गत आरक्षित निधियों के पृथक रक्षित शेषों में निवेश का ब्यौरा।
खण्ड 2 का भाग II: वित्त लेखे के भाग II में 12 परिशिष्टों में वेतन, अर्थ-सहाय्य, योजनावार एवं संस्था-वार सहायतार्थ अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में योजनावार व्यय तथा राज्य की आयोजनागत योजनाएं इत्यादि का विस्तृत विवरण दिया गया है।	

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 18)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**66,913**	**74,471**	**91,327**	**1,00,285**	**1,09,026**
(i) कर राजस्व	30,503(46)	33,478(45)	38,673(42)	42,713(42)	44,372(41)
कृषि आय पर कर	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,575(61)	21,216(63)	24,170 (63)	26,345(62)	28,558(64)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,988(13)	4,982(15)	5,586(14)	6,713(16)	7,054(16)
वाहनों पर कर	2,283(7)	2,499(8)	2,830(7)	3,199(7)	3,623(8)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	3,335(11)	3,125(9)	3,189(8)	3,234(7)	3,053(7)
भू-राजस्व	304(1)	338(1)	289(1)	272(1)	315(1)
माल तथा यात्री कर	249(1)	288(1)	956(3)	848(2)	803(2)
अन्य कर	1,769(6)	1,030(3)	1,653(4)	2,102(5)	966(2)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	12,133(18)	13,575(18)	13,229(15)	10,928((11)	11,615(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	17,103(25)	18,673(25)	19,817(22)	27,916(28)	33,556(31)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	7,174(11)	8,745(12)	19,608(21)	18,728(19)	19,483(18)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**8**	**10**	**15**	**25**	**28**
3. कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,102**	**316**	**1,004**	**1,447**	**1,713**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**68,023**	**74,797**	**92,346**	**1,01,757**	**1,10,767**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**9,955**	**14,491**	**18,141**	**60,998**	**43,889**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,755(98)	14,232(98)	17,346(96)	59,249(97)	40,434(92)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम	200 (2)	259(2)	795(4)	1,749(3)	3,455(8)
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**77,978**	**89,288**	**1,10,487**	**1,62,755**	**1,54,656**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	**300**	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,56,563**	**1,07,978**	**1,26,382**	**1,46,910**	**1,56,045**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**2,34,541**	**1,97,266**	**2,37,169**	**3,09,665**	**3,10,701**
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**63,462**	**75,510**	**94,542**	**1,06,239**	**1,27,140**
आयोजना	14,235(22)	17,364(23)	27,444(29)	31,638(30)	47,482(37)
आयोजना-भिन्न	49,227(78)	58,146(77)	67,098(71)	74,601(70)	79,658(63)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	20,496(32)	23,340(31)	27,868(30)	31,016(29)	39,203(31)
सामाजिक सेवाऐं	25,293(40)	31,486(42)	37,754(40)	43,349(41)	49,372(39)
आर्थिक सेवाऐं	17,408(27)	20,435(27)	28,920(30)	31,874(30)	38,565(30)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	265(1)	249(-)	-[2]	-[2]	-[2]
11. पूँजीगत व्यय	**10,683**	**13,664**	**16,103**	**21,986**	**16,980**
आयोजना	10,682(100)	13,676(100)	16,087(100)	21,995(100)	16,968(100)
आयोजना-भिन्न	1	(-) 12	16	(-) 9	12
सामान्य सेवायें	249(2)	334(3)	534(3)	441(2)	437(2)
सामाजिक सेवाऐं	2,840(27)	4,551(33)	5,838(36)	5,996(27)	6,214(37)
आर्थिक सेवाऐं	7,594(71)	8,779(64)	9,731(61)	15,549(71)	10,329(61)
12. कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	**2,412**	**812**	**701**	**36,602**	**12,965**
13. कुल व्यय *(10+ 11+ 12)*	**76,557**	**89,986**	**1,11,346**	**1,64,827**	**1,57,085**
14. लोक ऋणों की अदायगी	**4,707**	**4,115**	**4,960**	**4,959**	**5,015**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,239(90)	3,624(88)	4,451(90)	4,434(89)	4,441(89)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम	468(10)	491(12)	509(10)	525(11)	574(11)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	**300**	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**81,264**	**94,101**	**1,16,606**	**1,69,786**	**1,62,100**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	**1,50,175**	**1,05,605**	**1,22,060**	**1,40,431**	**1,48,886**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**2,31,439**	**1,99,706**	**2,38,666**	**3,10,217**	**3,10,986**

[1] 2012-13 : ₹ 0.01 लाख, 2013-14: मात्र ₹ 24, 2014-15: ₹ 0.01 लाख, 2015-16: ₹ 0.01 लाख और 2016-17: मात्र ₹ 202

[2] 2014-15: ₹ 0.09 करोड़, 2015-16: ₹ 0.10 करोड़ और 2016-17: ₹ 0.06 करोड़।

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(+) 3,451**	**(-) 1,039**	**(-) 3,215**	**(-) 5,954**	**(-) 18,114**
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**(-) 8,534**	**(-) 15,189**	**(-) 19,000**	**(-) 63,070**	**(-) 46,318**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 194**	**(-) 6,126**	**(-) 8,537**	**(-) 51,062**	**(-) 28,641**
भाग: घ अन्य आँकड़ें					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	8,340	9,063	10,463	12,008	17,677
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	**16,218**	**18,763**	**28,329**	**31,725**	**32,892**
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
मार्गोपाय अग्रिम उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)@	**4,93,007∅**	**5,48,391∅**	**6,06,465∅**	**6,72,707∅**	**7,49,692▽**
28. बकाया राजकोषीय देयताऐं (वर्ष के अन्त में)	**1,17,809**	**1,29,910**	**1,47,609**	**2,09,386**	**2,55,002**
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	**75,546**	**85,911**	**94,578**	**53,620**	**51,159**
30. दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	**1,13,340**	**1,40,526**	**1,61,918**	**1,61,236**	**1,18,161**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**166**	**219**	**199**	**169**	**197**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	**8,659**	**8,393**	**11,167**	**13,072**	**17,668**
भाग ङ: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशत में)					
I. संसाधनों की गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.2	6.1	6.4	6.3	5.9
स्व-कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	2.5	2.5	2.2	1.6	1.5
केन्द्रीय अन्तरण/जीएसडीपी	4.9	5.0	6.5	6.9	7.1
II. व्यय प्रबन्धन *(प्रतिशत में)*					
कुल व्यय/जीएसडीपी	15.5	16.4	18.4	24.5	21.0
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	114.4	120.8	121.9	164.4	144.1
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**82.9**	**83.9**	**84.9**	**64.5**	**80.9**
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**33.0**	**35.0**	**33.9**	**26.3**	**31.4**
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**22.7**	**22.7**	**26.0**	**19.3**	**24.6**
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**14.0**	**15.2**	**14.5**	**13.3**	**10.8**
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**13.6**	**14.8**	**14.0**	**13.1**	**10.5**
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(+) 0.7	(-) 0.2	(-) 0.5	(-) 0.9	(-)2.4
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 1.7	(-) 2.8	(-) 3.1	(-) 9.4	(-) 6.2
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	0.0	(-) 1.1	(-) 1.4	(-) 7.6	(-) 3.8
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	6.8	16.9	9.4	39.1
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताऐं/जीएसडीपी	**23.9**	**23.7**	**24.3**	**31.1**	**34.0**
राजकोषीय देयताऐं/राजस्व प्राप्तियाँ	**176.1**	**174.4**	**161.6**	**208.8**	**233.9**
प्राथमिक घाटा की तुलना में प्रमात्रा विस्तार (₹ करोड़ में)	**(+) 6,306**	**(-) 1,531**	**(-) 4,510**	**(-) 44,862**	**(-) 20,684**
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	**98.2**	**97.3**	**94.6**	**75.0**	**86.1**
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	**0.3**	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.2**
चालू राजस्व शेष (₹ करोड़ में)	**13,187**	**11,131**	**9,148**	**12,197**	**15,813**
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताऐं	**0.81**	**0.82**	**0.82**	**0.85**	**0.80**

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उपशीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

∅ संशोधित अनुमान

▽ अग्रिम अनुमान

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ अनुच्छेद 1.2 एवं 1.7.2; पृष्ठ 3 एवं 21)

वर्ष 2016-17 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**	**I. राजस्व व्यय**	**1,06,239.24**	**79,657.59**	**47,482.55**	**1,27,140.14**
कर राजस्व	42,712.92	44,371.66	**सामान्य सेवाऐं**	**31,016.27**	**38,115.46**	**1,087.80**	**39,203.26**
			सामाजिक सेवाऐं	**43,348.49**	**25,762.49**	**23,609.19**	**49,371.68**
कर-भिन्न राजस्व	10,927.87	11,615.57	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	21,096.95	14,118.40	10,379.81	24,498.21
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7,182.23	3,517.29	4,220.54	7,737.83
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	27,915.93	33,555.86	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	5,698.39	4,943.50	2,462.76	7,406.26
			सूचना एवं प्रसारण	57.67	63.78	-	63.78
आयोजना-भिन्न अनुदान	5,240.97	5,927.84	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,017.91	167.03	933.42	1,100.45
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	12,957.47	13,461.63	श्रम तथा श्रम कल्याण	477.27	460.78	33.97	494.75
			समाज कल्याण तथा पोषण	7,767.38	2,454.71	5,548.32	8,003.03
			अन्य	50.69	37.00	30.37	67.37
केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	529.96	93.44	**आर्थिक सेवाऐं**	**31,874.38**	**15,779.58**	**22,785.56**	**38,565.14**
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	4,020.68	1,603.04	3,536.93	5,139.97
			ग्रामीण विकास	12,197.74	3,201.11	7,938.70	11,139.81
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.71	-	1.36	1.36
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,812.61	1,867.90	73.91	1,941.81
			ऊर्जा	11,018.58	7,843.73	9,008.62	16,852.35
			उद्योग तथा खनिज	325.23	377.23	68.00	445.23
			परिवहन	1,506.25	772.12	913.59	1,685.71
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	37.86	5.89	35.50	41.39
			सामान्य आर्थिक सेवाऐं	954.72	108.56	1,208.95	1,317.51
			सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	**0.10**	**0.06**	**-**	**0.06**
योग	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**	**योग**	**1,06,239.24**	**79,657.59**	**47,482.55**	**1,27,140.14**
II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत किया गया राजस्व घाटा	**5,954.12**	**18,114.14**	**II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत राजस्व अधिशेष**	**-**			
योग	**1,06,239.24**	**1,27,140.14**	**योग**	**1,06,239.24**	**79,657.59**	**47,482.55**	**1,27,140.14**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**8,949.28**	**8,397.27**	**III. प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से**	-	-	-	-
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**24.34**	**27.84**	**IV. पूँजीगत परिव्यय**	**21,985.26**	**12.26**	**16,967.46**	**16,979.72**
			सामान्य सेवाऐं	**440.50**	**0.89**	**435.63**	**436.52**
			सामाजिक सेवाऐं	**5,995.63**	**10.98**	**6,203.31**	**6,214.29**
			शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	155.02	-	119.07	119.07
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	575.57	-	514.30	514.30
			जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,856.10	10.98	5,067.61	5,078.59
			सूचना एवं प्रसारण	1.46	-	1.93	1.93
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	269.03	-	303.28	303.28
			समाज कल्याण तथा पोषण	66.97	-	47.42	47.42
			अन्य	71.48	-	149.70	149.70
			आर्थिक सेवाऐं	**15,549.13**	**0.39**	**10,328.52**	**10,328.91**
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	416.73	0.39	461.70	462.09
			ग्रामीण विकास	504.45	-	547.13	547.13
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	268.50	-	316.56	316.56
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,307.76	-	1,959.45	1,959.45
			ऊर्जा	9,433.90	-	4,115.71	4,115.71
			उद्योग तथा खनिज	78.89	-	9.27	9.27
			परिवहन	3,034.22	-	2,420.87	2,420.87
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2.14	-	3.65	3.65
			सामान्य आर्थिक सेवाऐं	502.54	-	494.18	494.18
			योग	**21,985.26**	**12.26**	**16,967.46**	**16,979.72**
V. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,447.33**	**1,713.53**	**V. संवितरित कर्जे तथा अग्रिम**	**36,602.25**	99.99	12,865.46	**12,965.45**
विद्युत परियोजनाओं से	1,359.08	1,556.61	विद्युत परियोजनाओं के लिए	36,147.61	-	12,480.50	12,480.50
सरकारी कर्मचारियों से	0.02	0.13	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-
अन्य से	88.23	156.79	अन्य को	454.64	99.99	384.96	484.95
VI अद्योनीत राजस्व अधिशेष	-	-	**VI अद्योनीत राजस्व घाटा**	**5,954.12**	-	-	**18,114.14**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**60,998.17**	**43,888.85**	**VII लोक ऋण की वापस अदायगी**	**4,959.04**	-	-	**5,014.57**
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	59,249.28	40,433.50	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	4,433.98	-	-	4,440.66
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	1,748.89	3,455.35	भारत सरकार को कर्जे तथा अग्रिम की वापस अदायगी	525.06	-	-	573.91
VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	**VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	-	-	-	-
IX आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	-	-	**IX आकस्मिक निधि से व्यय**	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,46,910.29**	**1,56,044.35**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**1,40,431.47**	-	-	**1,48,885.50**
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	7,966.82	8,620.13	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	4,699.79	-	-	5,240.13
आरक्षित निधियाँ	3,677.76	3,067.86	आरक्षित निधियाँ	2,759.92	-	-	2,408.28
उचन्त तथा विविध	77.87	(-) 67.34	उचन्त तथा विविध	18.37	-	-	51.99
प्रेषण	9,617.17	131.63	प्रेषण	9,637.74	-	-	134.50
जमा तथा अग्रिम	1,25,570.67	1,44,292.07	जमा तथा अग्रिम	1,23,315.65	-	-	1,41,050.60
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवरड्राफ्ट	-	-	**IX अन्त में नकद शेष**	**8,397.27**	-	-	**8,112.46**
			खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.29	-	-	0.12
			रिजर्व बैंक के पास जमा	488.99	-	-	(-) 2.28
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	4.22	-	-	4.06
			रोकड़ शेष निवेश	5,915.95	-	-	5,585.10
			चिन्हित निवेश निधियाँ	1,987.82	-	-	2,525.46
योग	**2,18,329.41**	**2,10,071.84**	**योग**	**2,18,329.41**	-	-	**2,10,071.84**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ अनुच्छेद 1.10.1; पृष्ठ 56)

31 मार्च 2017 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें	31.03.2016 को	31.03.2017 को
आन्तरिक ऋण	**1,48,291.74**	**1,84,284.58**
बाजार से लिए गए ब्याज वाले कर्जें	75,192.86	89,517.63
बाजार से लिए गए बिना ब्याज वाले कर्जें	0.13	0.13
भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जें	31.02	26.51
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	20,039.79	18,504.04
अन्य संस्थाओं से कर्जें	53,027.94	76,236.27
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केन्द्र सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	**8,257.93**	**11,139.37**
1984-85 से पूर्व के कर्जें	5.40	5.40
आयोजना-भिन्न कर्जें	38.69	33.64
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	8,209.27	11,095.76
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	0.29	0.29
केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	4.28	4.28
आकस्मिकता निधि	**500.00**	**500.00**
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	**35,514.45**	**38,894.45**
जमा राशियाँ	**15,820.93**	**19,060.56**
आरक्षित निधियाँ	**3,488.47**	**4,148.05**
प्रेषण शेष	-	-
योग	**2,11,873.52**	**2,58,027.01**
सम्पत्तियाँ	**31.03.2016 को**	**31.03.2017 को**
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय -	**1,30,932.21**	**1,47,884.09**[3]
कम्पनियों, निगमों इत्यादि का हिस्सा पूँजी में निवेश	37,417.62	41,733.94
अन्य पूँजीगत परिव्यय	93,514.59	1,06,150.15
कर्जें और अग्रिम	**39,855.28**	**51,107.20**
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्जें	37,348.46	48,272.34
अन्य विकासात्मक कर्जें	2,508.20	2,836.37
सरकारी कर्मचारियों को कर्जें तथा विविध कर्जें	(-) 1.38	(-) 1.51[4]
आरक्षित निधि विनियोजन	**1,987.82**	**2,525.46**
अग्रिम	**6.55**	**4.71**
प्रेषण शेष	**18.79**	**21.66**
उचन्त तथा विविध शेष	**3.21**	**122.54**
रोकड़	**6,409.45**	**5,587.00**
खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.29	0.12
रिजर्व बैंक के पास जमा	488.99	(-) 2.28
विभागीय रोकड़ शेष	1.11	1.13
स्थायी अग्रिम	3.11	2.93
रोकड़ शेष निवेश	5,915.95	5,585.10
सरकारी लेखे पर घाटा	**32,660.21**	**50,774.35**
(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	5954.12	18,114.14
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	26,706.09	32,660.21
कम करे: चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
कम करे: विविध घाटा	-	-
योग	**2,11,873.52**	**2,58,027.01**

[3] चालू वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियाँ 'शून्य' दर्शायी गयी हैं क्योंकि वर्ष के अन्त तक सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 27.84 करोड़ (पूँजीगत विनिवेश) की प्रोफार्मा कमी की गयी है।

[4] ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरण-पत्रों में दिये गये सारीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यत: रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखे में घाटा, जैसा ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टॉक आँकड़ों में अन्तर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटारा बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाये आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ''रिजर्व बैंक के पास जमा'' के अंतर्गत सूचित किये आंकड़ों के मध्य ₹ 5.08 करोड़ (नामे) का अंतर था। अंतर राशि का अंकमिलान एवं शोधन कर लिया गया।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ अनुच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 8)

2016-17 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2	6 (4-3)	7	8
(1) राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**1,23,251**	**1,16,428**	**1,09,026**	**(-) 14,225**	**(-) 7,402**	**(-) 11.54**	**(-) 6.36**
(क) कर राजस्व	53,300	46,986	44,372	(-) 8,928	**(-) 2,614**	(-) 16.75	**(-) 5.56**
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,515	28,995	28,558	(-) 5,957	**(-) 437**	(-) 17.26	**(-) 1.51**
राज्य उत्पाद शुल्क	7,310	7,600	7,054	(-) 256	**(-) 546**	(-) 3.50	**(-) 7.18**
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	50	10	07	(-) 43	**(-) 3**	(-) 86.00	**(-) 30.00**
वाहन कर	3,900	3,650	3,623	(-) 277	**(-) 27**	(-) 7.10	**(-) 0.74**
मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	4,200	3,250	3,053	(-) 1,147	**(-) 197**	(-) 27.31	**(-) 6.06**
माल तथा यात्री कर	750	750	803	53	**53**	7.07	**7.07**
भू-राजस्व	400	359	315	(-) 85	**(-) 44**	(-) 21.25	**(-) 12.26**
विद्युत कर तथा शुल्क	2,000	2,172	738	(-) 1,262	**(-) 1,434**	(-) 63.10	**(-) 66.02**
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	175	200	221	46	**21**	26.29	**10.50**
(ख) कर-भिन्न राजस्व	**14,084**	**12,469**	**11,615**	**(-) 2,469**	**(-) 854**	**(-) 17.53**	**(-) 6.85**
ब्याज प्राप्तियाँ	1,779	2,003	1,933	154	(-) 70	8.66	**(-) 3.49**
विविध सामान्य सेवाऐं	1,279	859	661	(-) 618	(-) 198	(-) 48.32	**(-) 23.05**
जलापूर्ति तथा सफाई	650	600	547	(-) 103	(-) 53	(-) 15.85	**(-) 8.83**
पैट्रोलियम	3,500	2,750	2,332	(-) 1,168	(-)418	(-) 33.37	**(-) 15.20**
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,200	4,200	4,234	(-) 966	34	(-) 18.58	**0.81**
पुलिस	220	220	191	(-) 29	(-) 29	(-) 13.18	**(-) 13.18**
श्रम एवं रोजगार	269	362	355	86	(-) 7	31.97	**(-) 1.93**
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	110	116	125	15	9	13.64	**7.76**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	163	222	211	48	(-) 11	29.45	**(-) 4.95**
वानिकी एवं वन्य जीव	104	124	113	9	(-) 11	8.65	**(-) 8.87**
मुख्य सिंचाई	110	94	106	(-) 4	12	(-) 3.64	**12.77**
लोक निर्माण कार्य	82	95	84	2	(-) 11	2.44	**(-) 11.58**
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	136	185	169	33	(-)16	24.26	**(-) 8.65**
लाभांश तथा लाभ	60	67	68	8	1	13.33	**1.49**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं	87	90	74	(-) 13	(-) 16	(-) 14.94	**(-) 17.78**
अन्य कर-भिन्न राजस्व	335	482	412	77	(-)70	22.99	**(-) 14.52**
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	**31,478**	**33,556**	**33,556**	**2,078**	**0**	**6.60**	**0.00**
(घ) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	**24,389**	**23,417**	**19,483**	**(-) 4,906**	**(-) 3,934**	**(-) 20.12**	**(-) 16.80**
(2) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**10**	**20**	**28**	**18**	**8**	**180.00**	**40.00**
(3) कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियां	**133**	**1,743**	**1,713**	**1,580**	**(-) 30**	**1187.97**	**(-) 1.72**
(4) कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	**1,23,394**	**1,18,191**	**1,10,767**	**(-) 12,627**	**(-)7,424**	**(-)10.23**	**(-) 6.28**
(5) राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	**1,32,053**	**1,34,266**	**1,27,140**	**(-) 4,913**	**(-) 7,126**	**(-) 3.72**	**(-) 5.31**
(क) सामान्य सेवाऐं	**38,909**	**39,997**	**39,203**	**294**	**(-) 794**	**0.76**	**(-) 1.99**
न्याय प्रशासन	746	797	750	4	(-) 47	0.54	**(-) 5.90**
निर्वाचन	68	65	61	(-) 7	(-) 4	(-) 10.29	**(-) 6.15**
भू-राजस्व	893	683	641	(-) 252	(-) 42	(-) 28.22	**(-) 6.15**
राज्य उत्पाद शुल्क	138	141	131	(-) 7	(-) 10	(-) 5.07	**(-) 7.09**
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	697	1,238	1,234	537	(-) 4	77.04	**(-) 0.32**

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2	6 (4-3)	7	8
ब्याज अदायगियाँ	17,527	17,734	17,677	150	(-) 57	0.86	**(-) 0.32**
सचिवालय-सामान्य सेवायें	194	186	170	(-) 24	(-) 16	(-) 12.37	**(-) 8.60**
जिला प्रशासन	435	441	419	(-) 16	(-) 22	(-) 3.68	**(-) 4.99**
कोष तथा लेखा प्रशासन	215	210	200	(-) 15	(-) 10	(-) 6.98	**(-) 4.76**
पुलिस	4,360	4,563	4,436	76	(-) 127	1.74	**(-) 2.78**
जेल	147	148	142	(-) 5	(-) 6	(-) 3.40	**(-) 4.05**
अन्य प्रशासनिक सेवायें	213	244	228	15	(-) 16	7.04	**(-) 6.56**
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	12,493	12,688	12,296	(-) 197	(-) 392	(-) 1.58	**(-) 3.09**
विविध सामान्य सेवायें	413	281	281	(-) 132	0	(-) 31.96	**0.00**
मुद्रांक और पंजीयन	67	68	65	(-) 2	(-) 3	(-) 2.99	**(-) 4.41**
लोक निर्माण कार्य	15	165	152	137	(-) 13	913.33	**(-) 7.88**
अन्य	288	345	320	32	(-) 25	11.11	**(-) 7.25**
(ख) सामाजिक सेवाऐं	**49,550**	**51,826**	**49,372**	**(-) 178**	**(-) 2,454**	**(-) 0.36**	(-) 4.74
सामान्य शिक्षा	24,813	25,142	24,106	(-) 707	**(-) 1,036**	(-) 2.85	**(-) 4.12**
तकनीकी शिक्षा	151	196	187	36	**(-) 9**	23.84	**(-) 4.59**
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	128	115	100	(-) 28	**(-) 15**	(-) 21.88	**(-) 13.04**
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,701	5,632	5,454	(-) 247	**(-) 178**	(-) 4.33	**(-) 3.16**
परिवार कल्याण	2,575	2,296	2,284	(-) 291	**(-) 12**	(-) 11.30	**(-) 0.52**
जलापूर्ति तथा सफाई	2,517	2,849	2,625	108	**(-) 224**	4.29	**(-) 7.86**
शहरी विकास	4,533	5,161	4,693	160	**(-) 468**	3.53	**(-) 9.07**
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,366	1,411	1,100	(-) 266	**(-) 311**	(-) 19.47	**(-) 22.04**
श्रम तथा रोजगार	503	508	495	(-) 8	**(-) 13**	(-) 1.59	**(-) 2.56**
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,220	4,546	4,427	207	**(-) 119**	4.91	**(-) 2.62**
पोषण	1,573	1,482	1,421	(-) 152	**(-) 61**	(-) 9.66	**(-) 4.12**
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,168	2,157	2,155	987	**(-) 2**	84.50	**(-) 0.09**
अन्य	302	331	325	23	**(-) 6**	7.62	**(-) 1.81**
(ग) आर्थिक सेवाऐं	**43,594**	**42,443**	**38,565**	**(-) 5,029**	**(-) 3,878**	**(-) 11.54**	(-) 9.14
फसल कृषि-फर्म	3,282	2,968	2,656	(-) 626	**(-) 312**	(-) 19.07	**(-) 10.51**
पशुपालन	721	787	777	56	**(-) 10**	7.77	**(-) 1.27**
वानिकी एवं वन्य जीव	877	831	794	(-) 83	**(-) 37**	(-) 9.46	**(-) 4.45**
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	228	220	219	(-) 9	**(-) 1**	(-) 3.95	**(-) 0.45**
सहकारिता	634	652	609	(-) 25	**(-) 43**	(-) 3.94	**(-) 6.60**
ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	1,397	1,068	835	(-) 562	**(-) 233**	(-) 40.23	**(-) 21.82**
ग्रामीण रोजगार	4,680	3,136	2,718	(-) 1,962	**(-) 418**	(-) 41.92	**(-) 13.33**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8,181	8,541	7,587	(-) 594	**(-) 954**	(-) 7.26	**(-) 11.17**
मुख्य सिंचाई	1,435	1,548	1,493	58	**(-) 55**	4.04	**(-) 3.55**
मध्यम सिंचाई	303	298	297	(-) 6	**(-) 1**	(-) 1.98	**(-) 0.34**
लघु सिंचाई	204	185	133	(-) 71	**(-)52**	(-) 34.80	**(-) 28.11**
विद्युत	17,847	18,271	16,842	(-) 1,005	**(-) 1,429**	(-) 5.63	**(-) 7.82**
नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा	29	9	9	(-) 20	**0**	(-) 68.97	**0.00**
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	346	345	329	(-) 17	**(-) 16**	(-) 4.91	**(-) 4.64**
सड़कें तथा पुल	1,352	1,538	1,407	55	**(-) 131**	4.07	**(-) 8.52**
सड़क परिवहन	322	383	279	(-) 43	**(-) 104**	(-) 13.35	**(-) 27.15**
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	234	298	294	60	**(-) 4**	25.64	**(-) 1.34**
जनगणना सर्वे तथा सांख्यिकी	603	428	403	(-) 200	**(-) 25**	(-) 33.17	**(-) 5.84**
नागरिक आपूर्ति	459	527	517	58	**(-) 10**	12.64	**(-) 1.90**
अन्य	460	410	367	(-) 93	**(-) 43**	(-) 20.22	**(-) 10.49**

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2	6 (4-3)	7	8
(घ) सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	-[5]	-	-		-		
(6) पूँजीगत व्यय	**23,421**	**18,517**	**16,980**	**(-) 6,441**	**(-) 1,537**	**(-) 27.50**	**(-) 8.30**
पुलिस पर पूँजीगत व्यय	157	100	97	(-) 60	(-) 3	(-) 38.22	**(-) 3.00**
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत व्यय	628	418	322	(-) 306	(-) 96	(-) 48.73	**(-) 22.97**
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	239	139	119	(-) 120	(-) 20	(-) 50.21	**(-) 14.39**
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	1,262	645	515	(-) 747	(-) 130	(-) 59.19	**(-) 20.16**
जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत व्यय	5,442	4,626	4,194	(-) 1,248	(-) 432	(-) 22.93	**(-) 9.34**
शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय	1,768	1,098	877	(-) 891	(-) 221	(-) 50.40	**(-) 20.13**
अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	333	322	303	(-) 30	(-) 19	(-) 9.01	**(-) 5.90**
पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	95	40	39	(-) 56	(-) 1	(-) 58.95	**(-) 2.50**
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	337	185	150	(-) 187	(-) 35	(-) 55.49	**(-) 18.92**
फसल कृषि-फर्म पर पूंजीगत परिव्यय	534	264	254	(-) 280	(-) 10	(-) 52.43	**(-) 3.79**
वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	114	193	174	60	(-) 19	52.63	**(-) 9.84**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	557	552	547	(-) 10	(-) 5	(-) 1.80	**(-) 0.91**
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	308	345	317	9	(-) 28	2.92	**(-) 8.12**
मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,470	1,237	1,195	(-) 275	(-) 42	(-) 18.71	**(-) 3.40**
मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	80	110	110	30	0	37.50	**0.00**
लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	458	510	506	48	(-) 4	10.48	**(-) 0.78**
सिंचित क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	129	148	124	(-) 5	(-) 24	(-) 3.88	**(-) 16.22**
विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,165	4,322	4,116	(-) 49	(-) 206	(-) 1.18	**(-) 4.77**
पैट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	80	0	0	(-) 80	0	(-) 100.00	**0.00**
सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,264	2,498	2,421	(-) 1,843	(-) 77	(-) 43.22	**(-) 3.08**
सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	300	100	0	(-) 300	(-) 100	(-) 100.00	**(-) 100.00**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	420	492	467	47	(-) 25	11.19	**(-) 5.08**
अन्य पूँजीगत परिव्यय	281	173	133	(-) 148	(-) 40	(-) 52.67	**(-) 23.12**
(7) कर्जें तथा अग्रिमों का संवितरण	**11,067**	**13,059**	**12,965**	**1,898**	**(-) 94**	**17.15**	**(-) 0.72**
(8) कुल व्यय (5+6+7)	**1,66,541**	**1,65,842**	**1,57,085**	**(-) 9,456**	**(-) 8,757**	**(-) 5.68**	**(-) 5.28**
(9) राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-5)	**(-) 8,802**	**(-) 17,838**	**(-) 18,114**	**(-) 9,312**	**(-) 276**		
(10) राजकोषीय घाटा (-) (4-8)	**(-) 43,147**	**(-) 47,651**	**(-) 46,318**	**(-) 3,171**	**1,333**		
(11) प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-) (10+ ब्याज अदायगी)	**(-) 25,620**	**(-) 29,917**	**(-) 28,641**	**(-) 3,021**	**1,276**		

स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रलेख

[5] ₹ 33.76 लाख

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4.4; पृष्ठ 26)

भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्रयांश : राज्यांश)	कार्यकारी अभिकरण	2015-16	2016-17
कृषि गणना एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	4.89	4.59
कृषि विपणन की एकीकृत योजना	उपलब्ध नहीं	-	0.29
राष्ट्रीय ढ़ाँचागत कृषि तकनीकी आधारभूत	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	7.50	-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100 : 00)	राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	1.07	0.08
राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (सी एस)	राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण, राजस्थान राज्य बीज निगम	5.18	4.03
डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय योजना	राजस्थान सहकारी डेयरी संस्था लिमिटेड	2.30	9.02
वृहद् राजस्व उत्पादन परियोजनाओं को सहायता	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	-	3.27
आई एच एम एस, एफ सी आई एस आदि को सहायता	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान तथा खाद्य क्राफ्ट संस्थान	-	1.05
सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु क्षमता निर्माण	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान तथा खाद्य क्राफ्ट संस्थान	1.79	0.68
राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक वृद्धि अभियान	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	8.09	-
स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स का एकीकृत विकास	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	12.79	54.98
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम	-	12.08
हस्तशिल्प ढ़ाँचागत एवं तकनीकी विकास योजना	उपलब्ध नहीं	0.36	-
मानव संसाधन विकास	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	1.80	4.85
एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना/एस पी पी	साँगानेर पर्यावरण परियोजना विकास	27.82	27.50
तकनीक उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	उपलब्ध नहीं	1.35	-
कला एवं संस्कृति तथा शताब्दी उत्सव योजना; अन्य मिशन, योजनाएं तथा स्वायत संगठनबद्ध	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान विश्वविद्यालय	6.80	4.00
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	8.85	8.95
अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बन्ध/ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	-	3.63
कला संस्कृति विकास योजना	रविन्द्र मंच, शहरी सुधार न्यास	-	8.95
संग्रहालय	पुरातत्व तथा संग्रहालय	1.03	-
पर्यावरणीय संरक्षण तथा निगरानी	राजस्थान राज्य भारत स्काऊट एवं गाइड	-	2.22
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	उपलब्ध नहीं	26.32	-
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु ढ़ाँचागत विकास	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	1.59	1.25

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्रयांश : राज्यांश)	कार्यकारी अभिकरण	2015-16	2016-17
अस्पताल तथा औषधालय	पुलिस विज्ञान तथा प्रबन्धन विकास केन्द्र	1.59	-
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीओ)	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति	-	33.95
राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन (100: 00)	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड	4.56	-
राष्ट्रीय आपदाओं तथा महामारी के प्रबन्धन हेतु प्रयोगशालाओं की राष्ट्रव्यापी स्तर पर स्थापना	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	3.47	2.24
सांविधिक संस्थानों की सहायता	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, वन विकास अभिकरण	-	4.94
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान एवं मानवीय विज्ञान के अग्रणीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्रों का सृजन	राजस्थान विश्वविद्यालय	0.50	-
राष्ट्रीय डिजाईन नवाचार हेतु प्रोत्साहन मय डिजाईन नवाचार केन्द्रों की स्थापना, डिजाईन खुला विद्यालय एवं राष्ट्रीय डिजाईन नवाचार नेटवर्क	प्रौद्योगिकी परिवर्तनीय केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय	2.66	-
राष्ट्रीय शिक्षक तथा प्रशिक्षण मिशन	उपलब्ध नहीं	2.58	-
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	3.03	-
उद्यमिता और कौशल विकास	विश्वविद्यालय	-	1.50
ढ़ाँचागत विकास तथा क्षमता निर्माण	राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम	0.26	3.96
प्रौद्योगिकी सहायक संस्थाओं तथा कार्यक्रम की गुणवत्ता	उपलब्ध नहीं	3.28	-
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड	-	23.95
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना संस्थाऐं	2.23	1.33
राष्ट्रीय न्याय के लिए कानूनी सुधार मिशन	राजस्थान उच्च न्यायलय	-	23.04
अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण तथा संबद्ध योजनाऐं	उपलब्ध नहीं	1.18	-
कौशल विकास प्रोत्साहन	उपलब्ध नहीं	2.12	-
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद	-	1.02
ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा एमएनआरई	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम	40.56	14.87
वितरित और विकेन्द्रीकृत ऑफ ग्रिड अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स तथा उपकरण लिमिटेड, राजस्थान बागवानी विकास समिति, सौर परियोजना और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	207.97	70.73
सभी गांवों के ग्रामीण आवेदकों के लिए अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.58	-
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	4.48	22.27

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्रयांश : राज्यांश)	कार्यकारी अभिकरण	2015-16	2016-17
पंचायतों को प्रोत्साहन	पंचायती राज विभाग	-	1.67
अटल अभिनव मिशन	जिला एआईएम	-	1.41
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (100:00)	जिलाधिकारी	135.00	177.50
सांख्यिकी सशक्तीकरण के लिए सहायता	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	5.04
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण समिति, जयपुर	-	20.00
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबन्धन सहायता और कार्यक्रमों की एवज में जिला योजना सुदृढीकरण कार्यक्रम	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र	-	2.27
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	राज्य रोजगार गारन्टी निधि	18.94	3,174.30
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (सी एस)	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद	3.41	11.24
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	1.70	-
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत (सी एस)	राज्य संसाधन केन्द्र आरएईए	-	5.81
प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	राज्य संसाधन केन्द्र आरएईए	2.41	-
सहयोग तथा आर एण्ड डी मिशन	शैक्षणिक संस्थान	3.78	1.70
वैज्ञानिक महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	शैक्षणिक संस्थान	3.99	0.29
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एस एण्ड टी	उपलब्ध नहीं	1.01	-
अनुसंधान एवं विकास सहयोग एसईआरसी	शैक्षणिक संस्थान	2.94	0.94
सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शैक्षणिक संस्थान	1.29	0.22
राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शैक्षणिक संस्थान	3.10	1.61
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	शैक्षणिक संस्थान	7.22	0.14
क्रय/फीटिंग हेतु नि:शक्त जन को सहायता	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति	1.00	-
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	उपलब्ध नहीं	3.30	-
दीनदयाल पुनर्वास केन्द्र	उपलब्ध नहीं	1.39	-
सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	उपलब्ध नहीं	1.76	-
राज्य मेरूदण्ड चोट केन्द्रों की स्थापना	सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय	0.50	1.83
विरासत नगरों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	नगर निगम, अजमेर	1.14	18.13
तस्करी प्रतिरोधक हेतु व्यापक योजना	उपलब्ध नहीं	1.07	-
खेलों के विकास हेतु खेलों भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान खेल परिषद्, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय	-	6.73
राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ	-	4.42
राजीव गांधी खेल अभियान	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद	3.31	-
शहरी खेलकूद ढ़ाँचागत योजना	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद	5.40	-
एक करोड़ से कम की योजनाऐं (विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन)		11.23	9.24
योग		**615.47**	**3,799.71**

स्रोत: वित्त लेखे, सीजीए पोर्टल वेबसाइट

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 46)

वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च 2017 तक पूँजीगत परिव्यय	राजस्व प्राप्ति	कार्य एवं रखरखाव व्यय	कार्य एवं रखरखाव व्यय के पश्चात् शुद्ध हानि	प्रत्यक्ष पूँजीगत परिव्यय पर ब्याज	ब्याज भुगतान पश्चात् शुद्ध हानि
1	2	3	4	5	5-4= 6	7	6+7=8
	मुख्य सिंचाई परियोजनाऐं						
1	भाँखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	7,491.13	1,304.25	4,821.95	3,517.70	680.14	4,197.84
2	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	60,190.64	939.48	2,283.58	1,344.10	5,131.22	6,475.32
3	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	5,08,262.09	2,600.41	18,345.14	15,744.73	49,221.20	64,965.93
4	गुड़गांव नहर	4,658.47	1.12	147.29	146.17	462.77	608.94
5	जाखम परियोजना	14,190.08	19.64	299.91	280.27	1,395.54	1,675.81
6	गंग नहर	65,887.34	892.91	2,468.87	1,575.96	6,466.14	8,042.10
	मध्यम सिंचाई परियोजनाऐं						
7	जवाई नदी परियोजना सेई विपथन योजना	709.57	153.65	129.04	(-) 24.61	69.74	45.13
8	मेजा परियोजना	4,553.44	10.38	185.91	175.53	454.37	629.90
9	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	7,106.84	1.06	397.87	396.81	702.18	1,098.99
10	गुढ़ा परियोजना	163.49	4.85	87.31	82.46	16.33	98.79
11	मोरेल परियोजना	235.83	2.34	82.15	79.81	23.55	103.36
12	अलनिया परियोजना	195.97	6.12	142.61	136.49	19.51	156.00
13	पश्चिमी बनास परियोजना	67.03	6.26	18.65	12.39	6.70	19.09
14	बल्लभनगर परियोजना	86.37	-	40.36	40.36	8.64	49.00
15	बढ़गांव पाल परियोजना	76.02	-	22.95	22.95	7.60	30.55
16	औरई सिंचाई परियोजना	63.42	0.01	47.27	47.26	6.34	53.60
17	बैगन विपथन योजना	1,397.26	0.30	68.52	68.22	139.66	207.88
	योग	**6,75,334.99**	**5,942.78**	**29,589.38**	**23,646.60**	**64,811.63**	**88,458.23**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.4; पृष्ठ 51)

विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	औसत सरकारी पूँजी	मुल्य ह्रासित लागत पर ब्लाक परिसम्पत्तियाँ	वर्ष के दौरान प्रावधित मूल्य ह्रास	टर्न ओवर	निवल लाभ (+)/हानि (-)	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (7+8)	पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत[6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जेल विनिर्माण, अजमेर	2013-14	3.07	1.24	0.14	9.75	(-) 3.86	1.92	(-) 1.94	(-) 9.12
जेल विनिर्माण, अलवर	2015-16	0.16	0.09	0.00	6.27	(-)4.64	-	(-) 4.64	(-) 6.21
जेल विनिर्माण, बीकानेर	2015-16	8.88	0.07	0.00	11.92	(-) 4.53	2.49	(-) 2.04	(-) 8.68
जेल विनिर्माण, जयपुर	2014-15	7.56	4.68	0.49	115.34	(-) 9.45	-	(-) 9.45	-
जेल विनिर्माण, जोधपुर	2015-16	8.86	2.41	0.17	5.11	(-) 8.49	3.86	(-) 4.63	(-) 10.79
जेल विनिर्माण, कोटा	2015-16	1.49	0.34	0.04	19.27	(-) 5.94	-	(-) 5.94	(-) 15.80
जेल विनिर्माण, उदयपुर	2015-16	9.97	1.92	0.21	4.99	(-) 12.73	5.11	(-) 7.62	(-) 13.40
वन कूप्स का विभागीय व्यापार	2015-16	210.59	0.92	0.75	3,238.53	(+) 1,483.23	-	(+) 1,483.23	-
पत्ता तेन्दू योजना	2015-16	5,508.41	5.92	0.23	697.53	(+) 457.25	-	(+) 457.25	-
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर	2015-16	16,55,391.20	3,33,871.17	12,883.01	28,469.42	(-) 1,23,736.66	23,471.30	(-) 1,00,265.36	(-) 33.47
योग		**16,61,150.19**	**3,33,888.76**	**12,885.04**	**32,578.13**	**(-) 1,21,845.82**	**23,484.68**	**(-) 98,361.14**	

[6] वह पूंजी काम में ली गई है, जिस पर ब्याज की गणना की गयी है।

परिशिष्ट 1.10

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.5; पृष्ठ 53)

कर्जदाताओं द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	कर्जदाता का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003-17 के दौरान अग्रिम	2003-17 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2017 को अन्तिम शेष
1	6215-01-192 (01)	नगरपालिकाओं को उधार-प्रत्यक्ष उधार	306.70	-	-	306.70
2	6215-01-192 (02)	नगरपालिकाओं को उधार-जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	-	-	3,459.99
3	6215-02-192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार	2.53	-	-	2.53
4	6216-80-800(01)	औद्योगिक आवास योजना	2.26	-	0.02	2.24
5	6235-02-800 (01)	दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को उधार	6.34	-	0.53	5.81
6	6235-60-800 (02)[01]	जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	-	-	1.51
7	6235-60-800 (02)[03]	बर्मा से लौटे विस्थापितों को उधार	3.06	-	-	3.06
8	6235-60-800 (02)[04]	बेरोजगार स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	-	-	49.79
9	6245-01-800 (04)	पशुपालन विभाग के अभिकरणों के माध्यम से चारा आदि के लिये गौ सेवा संघ को उधार	11.82	-	-	11.82
10	6250-60-800(05)	मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से वन श्रम सहकारी समितियों को उधार	0.42	-	0.17	0.25
11	6401-103 (02)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,587.53	153.22	-	1,740.75
12	6401-103 (03)	राजस्थान राज्य बीज निगम को उधार	64.38	-	0.02	64.36
13	6403-102 (02)	सघन पशुधन विकास योजना	4.08	-	(-) 3.60	7.68
14	6403-103	कुक्कुट विकास	0.01	-	-	0.01
15	6403-104 (01)	भेड़ पालकों को उधार	0.02	-	-	0.02
16	6404-190(01)	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को उधार	309.71	-	-	309.71
17	6404-190(02)	रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम-डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	-	-	0.18
18	6405-800(01)	निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से मत्स्य पालक विकास एजेन्सी को उधार	0.33	-	-	0.33
19	6408-02-800(04)	परिवहन वाहन क्रय हेतु उधार	0.62	-	(-) 0.13	0.75
20	6425-107(07)	राजस्थान राज्य सहकारी सशक्तिकरण निधि की स्थापना हेतु उधार	161.18	-	-	161.18
21	6705-800(01)	मृदा संरक्षण	9.47	-	-	9.47

(₹लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	कर्जदाता का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003–17 के दौरान अग्रिम	2003–17 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2017 को अन्तिम शेष
22	6705-800(02)	विश्व खाद्य कार्यक्रम संख्या 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	-	-	1.00
23	6860-01-800 (01)	मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड को उधार	503.49	38.67	(-) 50.53	592.69
24	7075-01-800 (01)	सामरिक सड़कों के ठेकेदारों को उधार	0.82	-	-	0.82
25	7475-103(01)	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.98	-	(-) 1.02	2.00
26	7475-103(05)	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.07	-	-	0.07
महायोग			**6,488.29**	**191.89**	**(-) 54.54**	**6,734.72**

स्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.11

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 36)

भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा

क्र.सं.	विषय	पंचायती राज संस्थान को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियाँ	कार्य	कार्मिक
1	कृषि विस्तार सहित कृषि	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	हाँ *	हाँ *	हाँ *
12	ईंधन और चारा	हाँ *	हाँ *	हाँ *
13	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ *	हाँ *	हाँ *
14	विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय सहित	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	विकलांगों और मानसिक विमंदित लोगों के कल्याण सहित समाज कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ *	हाँ *	हाँ *
29	सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण	हाँ *	हाँ *	हाँ *

स्रोत: *पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं*

* हस्तांतरित लेकिन अस्थाई रूप से वापस लिए

पंचायती राज विभाग द्वारा 13.09.2017 को दी गई सूचना एवं अनुलग्नक के आधार पर जिसके अनुसार यह 18.05.2012 की स्थिति के अनुरूप ही है।

परिशिष्ट 1.12

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 38)

भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण

अ.	शहरी स्थानीय निकायों को पूर्ण हस्तांतरित कार्य
1.	भू-उपयोग और भवन निर्माण का नियमन
2.	गन्दी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन
4.	कब्र एवं कब्रिस्तान इत्यादि
5.	जन्म - मृत्यु के पंजीयन सहित महत्वपूर्ण आँकड़े
6.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान इत्यादि सहित जन सुविधाएं
7.	पशुवध गृहों का नियमन
8.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना
9.	सड़कें एवं पुल
10.	जन स्वास्थ्य एवं ठोस कचरा प्रबन्धन
11.	अग्निशमन सेंवाऐं
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पहलुओं का विकास/उन्नयन
13.	शहरी सुख सुविधाओं यथा पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रावधान
14.	विकलांगों एंव मानसिक विमन्दित लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना
15.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विकास
16.	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
ब.	**कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को अभी हस्तांतरित किए जाने है**
1.	कस्बों के नियोजन सहित नगर नियोजन
2.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति

परिशिष्ट 1.13

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.3; पृष्ठ 50)

निवेश, जिनके लेखे प्रस्तुत नहीं किये, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹लाख में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	अन्तिम निवेश का वर्ष	निवेशित राशि	से लेखे प्रतिक्षित	टिप्पणी
	सांविधिक निगम				
1	राजस्थान राज्य मंडी विकास निगम, जयपुर	1977-78	0.65	-	निगम नहीं बनाया गया और राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास रखी हुई है।
2	राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर	1980-81 तक	0.08	-	राजस्थान सरकार द्वारा निगम को बंद करने के निर्णय के कारण ₹ 10.00 लाख के कुल निवेश में से ₹ 9,92,200 अप्रैल 1980 में जमा करा दिये गये।
	संयुक्त पूंजी कम्पनियां				
3	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाईमाधोपुर	1948-49	75.00	1985-86	
4	ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा	1962-63	3.66	30 जून 1985	
5	एसोसिएटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी (कोटा)	1963-64	1.00	31 दिसम्बर 1985	
6	जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर	1987-88	7.50	1996-97	
7	मैटल कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, कोलकाता	1960-61	25.00		लेखे प्रतिक्षित है।
8	बूंदी विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, बूंदी	1936-37	0.12	-	कम्पनी वर्ष 1965-66 से परिसमापनाधीन है।
9	झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़	1946-47	0.10	-	कम्पनी नवम्बर 1973 से परिसमापनाधीन है।
10	स्टोनवेयर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	सूचना जयपुर रियासत के समामेलन से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है। सरकारी अभिलेखों में निवेश का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है ।	0.12	-	कम्पनी अगस्त 1961 से परिसमापनाधीन है।
11	श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर	1947-48	1.30	-	कम्पनी जनवरी 1960 से परिसमापनाधीन है।
12	आबू रोड़ इलैक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड़	1945-46	1.25	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है तथा वर्ष 1975-76 के दौरान राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है।
13	कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा	1946-47	2.00	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
14	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर	1943-44	17.46	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
15	फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1927-28	0.10	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
16	दी चपरमुख सिलीघाट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1990-91 तक	0.06	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
	योग		**135.40**		

स्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.14

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.3; पृष्ठ 51)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकरण किया गया	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2016-17 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर	2016-17	2017-18	7.59	117.19	-	6.33
2	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.00	(-)0.01	(-)0.01	-
3	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	6.96	(-)17.29	(-)10.33	6.64
4	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	46.06	(-)45.53	-	45.51
5	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेंवाऐं निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	90.00	11.26	-	90.00
6	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.50	(-)0.30	-	1.00
7	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	210.19	1,560.05	-	193.69
8	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	100.00	93.34	-	100.00
9	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	48.67	20.60	-	33.51
10	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	20.00	(-)26.33	(-)6.33	-
11	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	2.00	32.59	-	2.00
12	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2016-17	2017-18	181.20	96.27	-	181.18
13	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	2016-17	2017-18	34.02	(-)1.29	-	-
14	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2015-16	2016-17	77.55	1,870.37	-	77.56
15	राजस्थान राज्य पैट्रोलियम निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	11.10	(-)0.82	-	-
16	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	7,854.85	(-)30,684.44	(-)22,829.59	7,854.85

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकरण किया गया	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2016–17 के अनुसार)
17	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)9.09	(-)9.04	-
18	बाड़मेर पावर ट्रांसमिशन सेवा लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.01	-	-
19	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)13.54	(-)13.49	-
20	छबड़ा पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.03	-	-
21	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.04	-	-
22	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	370.05	(-)699.19	(-)329.14	-
23	हाड़ौती पावर ट्रांसमिशन सेवा (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.01	-	-
24	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	8,463.06	(-)32,909.75	(-)24,446.69	8,463.06
25	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	7,829.04	(-)31,042.87	(-)23,213.83	7,829.04
26	केशोरायपाटन गैस थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)2.03	(-)1.98	-
27	लेक सिटी ट्रांसमिशन सेवा कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.30	(-)0.30	0.00	-
28	पिंक सिटी ट्रांसमिशन सेवा कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.26	(-)0.26	0.00	-
29	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	4,020.72	(-)1,300.04	-	4,020.72
30	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	9,425.17	(-)4,792.80	-	9,425.17
31	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	12.94	148.77	-	12.94
32	राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	66.29	-	-
33	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	50.00	0.00	-	50.00
34	थार पावर ट्रांसमिशन सेवा लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.01	-	-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकरण किया गया	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2016–17 के अनुसार)
35	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1,694.04	(-)180.25	-	1,494.04
36	राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00	46.79	-	5.00
37	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00	5.74	-	5.00
38	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00	19.22	-	5.00
39	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2016-17	2017-18	0.05	(-)8.00	(-)7.95	0.05
40	राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	50.00	32.88	-	50.00
41	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	2.16	(-)8.51	(-)6.35	2.16
42	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	21.95	(-)125.06	(-)103.11	21.95
43	राजस्थान वित्त निगम	2016-17	2017-18	160.73	(-)122.85	-	128.31
44	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	2016-17	638.96	(-)3,469.51	(-)2,830.55	612.13
45	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2016-17	2017-18	7.85	158.67	-	3.93
46	राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	6.01	(-)53.21	(-)47.20	4.13
47	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	4.49	(-)6.32	(-)1.83	4.49
48	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.27	(-)2.09	(-)0.82	1.27
	योग			**41,465.19**	**(-)1,01,241.75**	**(-)73,858.24**	**40,730.66**

परिशिष्ट 1.15

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.3.4; पृष्ठ 34, अनुच्छेद 1.9.5; पृष्ठ 53)

पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सरकार की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन के परिणाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकार द्वारा दी गई कुल अर्थ-सहाय्य (₹ **करोड़ में**)	3,105	1,435	1,493	2,001	3,200	5,464	6,940	8,626	10,461	17,208
ऊर्जा क्षेत्र को सरकार द्वारा दी गई अर्थ-सहाय्य (₹ **करोड़ में**)	3,035	1,383	1,452	1,946	2,800	4,861	6,460	8,330	10,186	16,842
कुल अर्थ-सहाय्य का ऊर्जा क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य (प्रतिशत में)	97.7	96.4	97.3	97.3	87.5	89.0	93.1	96.6	97.4	97.9
विद्युत वितरण कम्पनियों की राजस्व अर्थ-सहाय्य/वित्तीय प्राप्तियाँ (₹ **करोड़ में**)	1,246.1	1,092.7	1,110.4	1,200.7	1,759.9	2,246.7	621.8	1,647.7	1,784.1	1,388.7
निवल घाटा (₹ **करोड़ में**)	2,555.4	6,773.7	10,763.5	10,606.3	12,443.7	12,351.2	15,645	12,473.6	11,240.8	5,207.5
संचयी घाटा (₹ **करोड़ में**)	8,859.7	16,543.4	26,406.6	37,013.2	49,456.9	61,808.1	77,453.2	89,926.7	1,01,167.5	1,03,540.1
वितरण हानि (प्रतिशत में)	31.40	26.59	26.11	22.30	19.60	19.23	24.05	27.22	24.58	23.37
प्रसारण एवं वितरण हानि (प्रतिशत में)	35.52	31.38	30.95	26.73	24.27	23.76	27.32	31.27	31.30	27.26

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 76)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	टिप्पणियाँ
राजस्व-दत्तमत								
1.	20	आवास	2216-आवास 05-साधारण पूल आवास 053-रखरखाव तथा मरम्मत 01-सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय) 11-मुख्य शीर्ष 2059 के स्थापना सम्बन्धी आनुपातिक व्यय	10.94	16.93	5.99	54.8	आधिक्य
2.	21	सड़कें एवं पुल	3054-सडक तथा सेतु 80- सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 01- मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रदर्शित आनुपातिक व्यय 01-स्थापना	49.82	66.91	17.09	34.3	बचत
3.	46	सिंचाई	2700- मुख्य सिंचाई 01-भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक) 101-रखरखाव एवं मरम्मत 01- भाखरा नांगल द्वारा व्यय 02-अन्य रखरखाव व्यय	2.00	3.38	1.38	69.0	बचत
4.			2700- मुख्य सिंचाई 02-चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 03-अन्य व्यय	-	51.31	51.31		
5.			2700- मुख्य सिंचाई 03-व्यास परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-सिंचाई परियोजना (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय) 01-सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य	-	70.97	70.97		

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 76)

व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2017	मार्च 2017
1.	9-वन	2406-01-102-25 बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-।।	51.35	15.92	121.85	42.1	13.1
2.		4406-01-102-14 नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य	56.58	44.52	71.47	79.2	62.3
3.	10-विविध सामान्य सेवाएं	2075-797-01 शीर्ष 8235-117 गारंटी मोचन निधि को अन्तरण	278.19	278.19	278.19	100	100
4.	12-अन्य कर	3055-190-03 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसो में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भरण हेतु सहायतार्थ अनुदान	64.92	35.65	184.33	35.2	19.3
5.	19-लोक निर्माण कार्य	4250-203-02 प्रशिक्षण	63.84	18.22	68.42	93.3	26.6
6.	21-सडके एवं पुल	3054-04-800-02 ग्रामीण सड़कें	101.68	76.70	189.63	53.6	40.4
7.		5054-03-337-05 केन्द्रीय सडक निधि से पोषित सडकें	241.57	137.41	485.80	49.7	28.3
8.		5054-04-800-11 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें	114.28	75.98	310.37	36.8	24.5
9.		5054-04-800-22 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें	406.50	181.22	632.99	64.2	28.6
10.	24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-001-01 सामान्य व्यय	107.47	53.94	140.22	76.6	38.5
11.		2202-01-800-14 शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयो को पुनर्भरण-सामान्य व्यय	51.95	14.07	138.06	37.6	10.2
12.		2202-02-109-09 मॉडल स्कूल	149.02	67.16	243.43	61.2	27.6
13.		2202-02-109-18 आई.सी.टी.	90.03	90.03	90.03	100	100

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
14.		2202-03-103-11 *राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान–सामान्य व्यय*	80.60	80.60	80.60	100	100
15.	26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2211-105-03 जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय	60.45	30.61	126.53	47.8	24.2
16.	27–पेयजल योजना	2215-01-101-12 अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं	165.28	86.11	514.56	32.1	16.7
17.		2215-01-102-01 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	377.05	189.94	1186.33	31.8	16.0
18.		4215-01-102-01 त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना	120.05	68.92	274.56	43.7	25.1
19.		4215-01-102-03 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	146.91	98.44	468.62	31.3	21.0
20.		4215-01-102-45 नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना चरण–।। (ईएपी)	75.25	32.91	228.38	32.9	14.4
21.	28–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-06 *मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान*	118.60	117.29	268.69	44.1	43.7
22.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01 स्मार्ट सिटी	309.60	309.60	720.80	43.0	43.0
23.		2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	172.83	87.69	172.83	100	50.7
24.		2217-80-191-35 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	104.11	18.43	189.79	54.9	9.7
25.		2217-80-192-37 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	372.75	158.57	586.94	63.5	27.0
26.		2217-80-800-08 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	57.58	57.49	60.58	95.0	94.9
27.		4217-03-800-03 जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	71.66	19.33	71.66	100	27.0
28.		4217-60-050-04 राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आर.यू.आई. डी.पी., तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य	56.77	42.45	106.10	53.5	40.0
29.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	2211-796-02 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	65.90	58.59	215.40	30.6	27.2
30.		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	86.86	45.09	86.86	100	51.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
31.		2401-796-28 फसल बीमा (50% राज्यांश: 50% केन्द्रीयांश)	110.92	110.92	157.57	70.4	70.4
32.		2505-02-101-01 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	88.89	48.00	268.54	33.1	17.9
33.		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12%)	51.83	38.99	72.18	71.8	54.0
34.		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	137.40	137.40	270.66	50.8	50.8
35.		4215-01-796-01 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	187.31	122.05	443.55	42.2	27.5
36.		4215-01-796-02 शहरी जलापूर्ति योजनाएं	51.27	26.29	104.44	49.1	25.2
37.		4225-02-796-11 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाऐं (एससीए)	83.87	48.16	85.90	97.6	56.1
38.		4801-80-796-02 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	51.07	42.41	103.05	49.6	41.2
39.		5054-03-796-07 केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	55.93	27.74	91.44	61.2	30.3
40.		5054-04-796-16 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें	139.27	139.27	139.27	100	100
41.		5475-796-01 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	58.12	53.09	61.61	94.3	86.2
42.	32-नागरिक आपूर्ति	3456-102-07 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	104.96	72.32	284.11	36.9	25.5
43.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2236-02-101-01 समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा	204.42	116.17	344.45	59.3	33.7
44.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-106-02 सड़कों की मरम्मत तथा पुन:स्थापना	66.86	66.86	66.19	101.0	101.0
45.		2245-05-101 आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अंतरण–राज्य आपदा मोचन निधि	2148.82	1490.64	2148.82	100.0	69.4

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
46.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	3454-02-203-01 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	87.98	53.64	160.69	54.8	33.4
47.		5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	198.25	165.08	244.88	81.0	67.4
48.	36- सहकारिता	2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियो को ब्याज अनुदान	130.63	130.63	244.89	53.3	53.3
49.	37- कृषि	2401-110-02 कृषि विभाग के अभिकरण से	465.84	465.84	665.84	70.0	70.0
50.		2401-119-36 सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	79.03	48.32	118.43	66.7	40.8
51.		2401-196-06 जिला स्तरीय कृषि योजनाएं	155.97	94.55	197.60	78.9	47.8
52.		2401-800-27 *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* (वि.के.स.)	135.12	83.46	281.92	47.9	29.6
53.		4401-800-02 कृषि विभाग के अभिकरण से	51.82	19.12	61.77	83.9	31.0
54.	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-102-20 गोपालन विभाग	63.75	53.19	66.22	96.3	80.3
55.		2403-797-01 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि	103.84	103.84	103.84	100	100
56.	41- सामुदायिक विकास	2515-196-04 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)	67.58	45.69	89.83	75.2	50.9
57.		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)	256.54	191.17	359.33	71.4	53.2
58.		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	669.31	669.31	1347.48	49.7	49.7
59.	42- उद्योग	2040-800-04 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (उद्योग विभाग)	51.31	22.27	163.39	31.4	13.6
60.	46-सिंचाई	4700-32-001-01 निदेशन तथा प्रशासन	145.81	145.79	472.46	30.9	30.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
61.		4702-101-09 लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)	61.40	54.98	165.09	37.2	33.3
62.	48- विद्युत	2801-80-190-36 विद्युत दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान	2,423.07	1823.07	7,823.07	31.0	23.3
63.		4801-80-190-02 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	222.65	190.89	413.23	53.9	46.2
64.		4801-80-190-03 राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	60.54	21.82	107.01	56.6	20.4
65.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	114.80	59.54	114.80	100	51.9
66.		2401-789-01 कृषि विभाग के माध्यम से	184.82	183.03	240.67	76.8	76.1
67.		2505-02-101-01 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	122.22	66.00	368.71	33.1	17.9
68.		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)	66.78	49.84	93.44	71.5	53.3
69.		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	174.69	174.69	350.40	49.9	49.9
70.		4215-01-789-01 अनुसूचित जाति क्षेत्र मे जलपूर्ति	255.50	133.48	590.57	43.3	22.6
71.		4215-01-789-02 अनुसूचित जाति क्षेत्र मे जलापूर्ति (शहरी)	68.98	34.04	145.67	47.4	23.4
72.		4801-80-789-02 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	73.85	56.53	177.80	41.5	31.8
73.		5054-03-789-07 केन्द्रीय सडक निधि से पोषित सड़कें	81.50	35.50	125.46	65.0	28.3
74.		5054-04-789-13 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें	169.74	169.74	169.74	100	100
75.		5475-789-01 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	120.30	113.62	128.70	93.5	88.3
योग			**14,624.19**	**10,590.05**	**28,548.73**	**51.2**	**37.1**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 82)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत					
1.	8	राजस्व	854.81	201.72	23.6
2.	10	विविध सामान्य सेवाऐं	412.83	131.52	31.9
3.	28	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	949.64	208.23	21.9
4.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	420.52	147.19	35.0
5.	50	ग्रामीण रोजगार	2,506.38	1,006.53	40.2
पूँजीगत-दत्तमत					
6.	11	विविध सामाजिक सेवाऐं	34.54	25.96	75.2
7.	12	अन्य कर	301.00	201.00	66.8
8.	19	लोक निर्माण कार्य	1,617.69	898.17	55.5
9.	21	सड़कें एवं पुल	3,466.39	1,263.41	36.4
10.	23	श्रम एवं रोजगार	51.33	25.73	50.1
11.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	46.15	22.99	49.8
12.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	352.96	180.46	51.1
13.	27	पेयजल योजना	3,876.33	896.22	23.1
14.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,742.68	783.23	44.9
15.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	204.32	57.85	28.3
16.	37	कृषि	588.97	356.42	60.5
17.	43	खनिज	166.00	155.47	93.7
18.	47	पर्यटन	49.12	28.04	57.1
		योग	**17,641.66**	**6,590.14**	**37.4**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 82)

विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र जहाँ वर्ष 2014-17 के दौरान निरन्तर बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
	राजस्व-दत्तमत						
1.	11- विविध सामाजिक सेवाऐं	2014-15	113.73	71.26	42.47	37.3	आयोजना सीमा में कटौती, चुनाव आचार संहिता के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ जारी नहीं करना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना रहे।
		2015-16	101.05	66.93	34.12	33.8	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का स्वायत्त शासन विभाग को अंतरण होना रहे।
		2016-17	100.77	81.81	18.96	18.8	पदों का रिक्त रहना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी की घोषणा नहीं किये जाने के कारण जल संसाधन विभाग को निधियों का अंतरण नही किया जाना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना तथा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
2.	12- अन्य कर	2014-15	516.33	434.14	82.19	15.9	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सुधार सम्बद्ध योजना के सम्पूर्ण नियम तथा शर्तों की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण रहे।
		2015-16	482.00	343.99	138.01	28.6	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सुधार सम्बद्ध योजना के नियमों की अनुपालना नहीं किया जाना रहे।
		2016-17	514.12	433.87	80.25	15.6	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
3.	22-क्षेत्र का विकास	2014-15	24.11	18.13	5.98	24.8	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	21.43	17.43	4.00	18.7	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	21.41	18.21	3.20	14.9	पदों का रिक्त रहना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
4.	28- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2014-15	594.70	310.30	284.40	47.8	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, भारत सरकार से 'समन्वित जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम' हेतु द्वितीय किश्त एवं 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होना रहे।
		2015-16	635.43	391.19	244.24	38.4	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना रहे।
		2016-17	949.64	741.41	208.23	21.9	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना तथा 'फॉर वाटर कंसेप्ट' योजना के लिए निधि का डाईवर्जन होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
5.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2014-15	2863.76	2298.24	565.52	19.7	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नही होना, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कम अनुदान जारी करना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	3,414.63	2,872.96	541.67	15.9	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	4,833.04	4,206.51	626.53	13.0	भारत सरकार से निधियाँ देरी से/कम प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, कार्य की धीमी प्रगति तथा अनुदान (गैर-वेतन) में कमी होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
6.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014-15	6,352.64	5,130.08	1,222.56	19.2	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नही होना, पदों का रिक्त रहना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना तथा आयोजना सीमा में कटौती होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	6,715.05	5507.54	1,207.51	18.0	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, आयोजना सीमा में कटौती तथा पदों का रिक्त रहना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	9,113.00	7,378.93	1,734.07	19.0	प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में विलय के कारण कार्मिकों की पदोन्नति एवं पदों का स्थानान्तरण होने के बाद निचले स्तर पर पदों का रिक्त रहना, छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कम प्राप्त होना, भारत सरकार द्वारा निधियाँ कम/प्राप्त नही होना, निविदा प्रक्रिया में देरी, भारत सरकार से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की कम स्वीकृति जारी करना तथा भारत सरकार से योजना के लिए स्वीकृति कम/प्राप्त नही होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
7.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	2014-15	847.72	398.20	449.52	53.0	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नही होना। चुनाव आचार संहिता के कारण भामाशाह कार्ड बनाने एवं भामाशाह पंजीकरण पर चुनाव आचार संहिता के कारण कम व्यय होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	310.04	255.21	54.83	17.7	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना। राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नही किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2016-17	420.52	273.33	147.19	35.0	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना, भामाशाह योजना कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
	पूँजीगत-दत्तमत						
8.	9- वन	2014-15	223.41	134.92	88.49	39.6	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	143.82	129.42	14.40	10.0	स्वीकृति देरी से जारी करना, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट का अनुमोदन नहीं होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	132.06	118.86	13.20	10.0	कार्यों का कम निष्पादन तथा आयोजना सीमा में कटौती, कार्यों के भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नही किया गया क्योंकि नाबार्ड-तृतीय चरण का कार्य केवल मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत चयनित गाँवों में ही किया जाना था तथा चयनित गाँवों में कार्यो के लिए भूमि की अनुपलब्धता होना तथा विशेष बाघ संरक्षण बल के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए भारत सरकार से स्वीकृतियाँ देरी से प्राप्त होना रहे।
9.	11- विविध सामाजिक सेवाऐं	2014-15	23.15	6.86	16.29	70.4	नवीन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलम्ब तथा पीडीकोर लिमिटेड द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकार का चयन न करने के कारण 32 मंदिरों हेतु कार्यों का निष्पादन न होना रहे।
		2015-16	38.76	9.15	29.61	76.4	19 बकाया कार्यों का धीमा निष्पादन, ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं होने से ट्रस्ट द्वारा संचालित 8 मंदिरों की स्वीकृति जारी न होना, ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट में देरी के कारण 6 कार्यों की स्वीकृति देरी से प्राप्त होना, संशोधित प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण धर्मशालाओं तथा सहायक आयुक्त कार्यालय भवन निर्माण का भुगतान न होना तथा भूमि विवाद एवं भूमि अतिक्रमण के कारण कोटा तथा उदयपुर में सहायक आयुक्त कार्यालय भवन की चारदीवारी का कार्य शुरू न होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	34.54	8.58	25.96	75.2	आयोजना सीमा में कटौती होना रहे।
10.	12- अन्य कर	2014-15	374.78	74.78	300.00	80.0	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्थान पर बस अड्डा विकास प्राधिकरण के गठन के निर्णय के बाद सम्पत्तियों के हस्तांतरण की कार्यवाही की क्रियान्विति नही होना तथा वर्ष के दौरान प्रस्तावित प्राधिकरण का गठन न होना रहे।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2015-16	300.00	151.00	149.00	49.7	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सम्पत्तियाँ राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही का क्रियान्वयन न होना रहे।
		2016-17	301.00	100.00	201.00	66.8	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
11.	19- लोक निर्माण कार्य	2014-15	1,397.65	709.61	688.04	49.2	सार्वजनिक निर्माण विभाग पर कार्यभार की अधिकता के कारण निर्माण कार्य पूर्ण न होना एवं कार्यों का कम निष्पादन का होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	1,142.22	823.09	319.13	27.9	मूल अनुमान की तुलना में कार्यों की धीमी प्रगति तथा कार्यों का कम निष्पादन होना रहे। राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	1,617.69	719.52	898.17	55.5	कार्यो की धीमी प्रगति तथा कार्यो का कम निष्पादन होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
12.	20- आवास	2014-15	25.19	6.49	18.70	74.2	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	9.76	6.69	3.07	31.6	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	14.90	6.54	8.36	56.2	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
13.	21- सड़कें एवं पुल	2014-15	3,281.25	2,399.82	881.43	26.9	कार्यो का कम निष्पादन तथा कार्य के परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता प्रभार का समायोजन होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	2,980.92	2,375.42	605.50	20.3	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से नई स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना, आयोजना सीमा में कटौती, राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कों के लिए नई स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना रहे।
		2016-17	3,466.39	2,202.98	1263.41	36.4	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
14.	22-क्षेत्र का विकास	2014-15	348.13	257.68	90.45	26.0	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा पदों का रिक्त रहना रहे। राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	350.90	276.40	74.50	21.2	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, निर्माण कार्यों का कम निष्पादन तथा वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत आरक्षित निधि के उपयोग के लिए जल स्वावलम्बन से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु जिलों से कम प्रस्ताव प्राप्त होना रहे।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2016-17	351.52	314.39	37.13	10.6	विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत कार्यों का कम निष्पादन, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा पदों का रिक्त रहना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
15.	23- श्रम एवं रोजगार	2014-15	4.42	1.54	2.88	65.2	फर्मो द्वारा सम्पूर्ण आदेश की आपूर्ति न करना, फर्मो द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों को निरस्त किया गया क्योंकि सामग्री की विशिष्टताऐं आपूर्ति आदेश के अनुसार नहीं थी तथा डी.जी.एस. एण्ड डी. संविदा दर पर सामग्री उपलब्ध न होना रहे।
		2015-16	34.34	9.86	24.48	71.3	आयोजना सीमा में कटौती तथा फर्मों द्वारा सम्पूर्ण सामग्री की आंशिक/आपूर्ति न किया जाना रहे।
		2016-17	51.33	25.60	25.73	50.1	आयोजना सीमा में कटौती, फर्मों द्वारा सामग्री की पूर्ण/आंशिक आपूर्ति न करने, निविदा में कम दरों की प्राप्ति तथा बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण भुगतान बकाया रहना रहे।
16.	26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2014-15	346.25	223.28	122.97	35.5	कार्यो की धीमी प्रगति, 1,079 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना, नाबार्ड द्वारा ऋणों के समक्ष कम राशि प्राप्त होना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना रहे।
		2015-16	339.00	136.71	202.29	59.7	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करना।
		2016-17	352.96	172.50	180.46	51.1	अधीनस्थ कार्यालयों में नये भवन का निर्माण कार्य/अतिरिक्त कार्य कार्यकारिणी एजेंसी द्वारा निविदा की तकनीकी प्रक्रिया समय पर निष्पादित नही किया जाना, बजट भाषण में घोषित निर्माण कार्यो का निष्पादन नही होना, अन्य तकनीकी कारणों के कारण कार्य की धीमी प्रगति तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
17.	27- पेयजल योजना	2014-15	3,573.71	3,308.02	265.69	7.4	कार्यो की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण कार्यो की धीमी प्रगति, जल संसाधन विभागों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं करना तथा निविदा प्रक्रिया में देरी होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	3,594.78	3,113.31	481.47	13.4	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	3,876.33	2,980.11	896.22	23.1	कार्यो का कम निष्पादन होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
18.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2014-15	1,280.91	707.49	573.42	44.8	संविदाऐं निरस्त करने के कारण सीवरेज क्षेत्र में निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति, भूमि उपलब्धता में देरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रेल्वे क्रासिंग अनुमति में देरी रहना। पदों का रिक्त

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
							रहना, आयोजना सीमा के कटौती एवं निर्माण स्थल की भूमि में बदलाव करना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	959.30	636.71	322.59	33.6	स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना में भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, कार्यों की धीमी प्रगति रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	1,742.68	959.45	783.23	44.9	कार्यो का निष्पादन कम/नही होना, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, पदों का रिक्त रहना, कार्यस्थल पर कार्यो की समाप्ति में रूकावट के कारण एशियन विकास बैंक के द्वारा द्वितीय चरण के विकास कार्यो की समय अवधि बढ़ाने तथा श्री गंगानगर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़ तथा भीलवाड़ा में विकास कार्यो की निविदाएँ प्रक्रियाहीन होना रहे।
19.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2014-15	301.82	45.84	255.98	84.8	भूमि आवंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो आवासीय विद्यालयों में निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति होना। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	250.11	106.05	144.06	57.6	कार्यों की धीमी प्रगति तथा कार्यों का कम निष्पादन रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	204.32	146.47	57.85	28.3	निर्माण कार्यो का निष्पादन कम/नही होना, कार्यो की धीमी प्रगति, वित्तीय संस्थानों से ऋणों की प्राप्ति न होना तथा संवेदकों से बिलों की प्राप्ति न होना।
20.	37- कृषि	2014-15	429.96	309.66	120.30	28.0	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	283.25	147.64	135.61	47.9	कोषालय के माध्यम से पंचायत समितियों को 25 प्रतिशत अंशदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में देरी क्योंकि पंचायती राज विभाग द्वारा समय पर पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से नाबार्ड द्वारा राशि जारी नहीं की गई, गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन में विलम्ब, बेमौसम वर्षा तथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ठेकेदारों द्वारा बिल समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाना रहे।
		2016-17	588.97	232.55	356.42	60.5	पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करना, भारत सरकार से निधियों कम प्राप्त होना, भारत सरकार द्वारा संबंधित विभागों को उनके वर्तमान लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सीधे निधियाँ जारी करना तथा निगम द्वारा निर्माण कार्यो का कम निष्पादन करना क्योंकि निगम को कार्यो के चरणबद्ध पूर्णता के अनुसार ऋण जारी किया जाना था।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
21.	43- खनिज	2014-15	103.56	(-)4.65	108.21	104.5	राज्य में रिफाईनरी की स्थापना हेतु एचपीसीएल के साथ किये गये एमओयू के अध्ययन हेतु बनाई गई समीक्षा समिति द्वारा निर्णय देने में देरी के परिणामस्वरूप एचपीसीएल-राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड को अंश पूँजी जारी नहीं करना रहे।
		2015-16	81.20	0.20	81.00	99.8	राज्य में योजना का कार्यान्वयन (रिफाइनरी की स्थापना) न किये जाने के परिणामस्वरूप मूल बजट में आवंटित निधि के समक्ष अंशपूजी जारी नहीं की गयी।
		2016-17	166.00	10.53	155.47	93.7	राज्य में योजना (रिफाइनरी की स्थापना) का कार्यान्वयन नही होने के कारण मूल बजट में आंवटित निधि के समक्ष अंशपूंजी जारी नहीं की गयी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यो का कम निष्पादन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा वन विभाग से खनन क्षेत्रों में पौधारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना रहे।
22.	46- सिंचाई	2014-15	1,165.59	953.91	211.68	18.2	कार्यो का कम निष्पादन रहे।
		2015-16	1,162.00	867.72	294.28	25.3	भारत सरकार से फव्वारा प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय का समायोजन होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	1,503.68	1,264.09	239.59	15.9	ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना, निविदा प्रक्रिया में देरी, कार्यो का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से सिंचित क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्धन में परिवर्तन होना, कार्यो की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना, परवन परियोजना पर आनुपातिक व्यय का समायोजन न होना तथा कार्यो का कम/निष्पादन नहीं होना रहे।
23.	47-पर्यटन	2014-15	37.38	24.51	12.87	34.4	रात्रि पर्यटन तथा भरतपुर में बारह दरवाजे की मरम्मत के लिए स्वीकृति प्राप्त न होना तथा विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कार्यो का कम निष्पादन, सांभर नमक परियोजना पर कम व्यय तथा निर्माणाधीन कार्यो की धीमी प्रगति होना रहे।
		2015-16	66.89	53.02	13.87	20.7	विभिन्न विभागों द्वारा कार्य का कम निष्पादन, पुरातत्व विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरण के रूप में नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी तथा सुरलिया, बांरा पर व्यय नहीं करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरण के रूप में सांभर परियोजना हेतु चालू कार्यो की धीमी गति रहना रहे।
		2016-17	49.12	21.08	28.04	57.1	कार्यकारी अभिकरण द्वारा कार्यो की धीमी प्रगति होना तथा आमेर में फाउन्टेन का संचालन तथा आमेर (सागर) में अन्य विकास कार्यो का निरस्त होना तथा सांभर परियोजना विकास से संबंधित कार्यो की धीमी प्रगति होना रहे।

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7: पृष्ठ 96)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1.	4- जिला प्रशासन	434.59	419.46	15.13	6.44
2.	6-न्याय प्रशासन	660.91	654.54	6.37	36.04
3.	11- विविध सामाजिक सेवाऐं	86.41	81.81	4.60	14.36
4.	12- अन्य कर	492.16	433.87	58.29	21.96
5.	13-आबकारी	138.26	131.04	7.22	2.92
6.	15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	12,492.46	12,278.88	213.58	177.70
7.	21- सड़कें एवं पुल	1,492.21	1,458.11	34.10	109.75
8.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,563.64	4,521.83	41.81	222.29
9.	36- सहकारिता	479.34	476.71	2.63	10.50
10.	38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	108.05	106.94	1.11	5.80
11.	41- सामुदायिक विकास	6,537.05	6,130.37	406.68	293.49
12.	43-खनिज	376.50	376.04	0.46	41.02
13.	46- सिंचाई	1,961.27	1,953.84	7.43	83.68
14.	48- विद्युत	14,623.68	13,606.55	1,017.13	411.48
पूँजीगत-दत्तमत					
15.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	4,666.90	4,346.48	320.42	13.93
16.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	278.87	266.84	12.03	1.68
योग		**49,392.30**	**47,243.31**	**2,148.99**	**1,453.04**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8: पृष्ठ 97)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचत ₹ 1 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में))

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन					
1.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-101-01 राज्य कर्मचारियों को पेंशन	(-) 465.34	(-) 59.90
2.			2071-01-105 परिवार पेंशन	(-) 115.00	(-) 1.70
3.	21	सड़कें एवं पुल	3054-80-001-01-01 स्थापना	(+) 49.82	(+) 17.09
4.			5054-04-800-02-01 ग्रामीण सड़कें	(-) 12.56	(-)1.09
5.	46	सिंचाई	4700-32-001-02 मुख्य शीर्ष 2701 (स्थापना) से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	(-) 145.06	(-) 3.60
6.			4702-101-07-01 निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	(-) 11.21	(-) 2.95
7.			4702-101-09-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	(+) 11.90	(+) 3.56
8.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4702-789-04-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	(+) 3.75	(+) 1.22
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन					
9.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-01-17 कृषि फसलो, बागवानी फसलो एवं वार्षिक लगान फसलो के लिए लघु सीमान्त कृषको को कृषि आदान अनुदान	(+) 4.86	(-) 39.49
10.	46	सिंचाई	2700-03-001-01-01 सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य	(-) 64.48	(+) 70.97
11.			2700-04-800-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से	(+) 7.55	(-) 19.00
12.			4701-69-001-01 निदेशन तथा प्रशासन	(+) 2.05	(-) 2.86
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन					
13.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-115 छुटटी नगदीकरण हित लाभ	(+) 31.80	(-) 2.62
14.	21	सड़कें एवं पुल	3054-02-337-01-01 संधारण एवं जीर्णोधार	(-) 26.59	(+) 13.30

(₹ करोड़ में))

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
15.			5054-03-337-05 केन्द्रीय सडक निधि से पोषित सड़कें	(+) 303.75	(-) 1.38
16.			5054-04-337-16 हवाई पटिटयों का निर्माण	(+) 40.29	(-) 2.43
17.	27	पेयजल योजना	4215-01-101-01-85 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं	(+) 10.95	(-) 4.24
18.			4215-01-102-25 नहरों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार	(+) 5.95	(-) 1.12
19.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-01-18 लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान	(+) 229.42	(-) 4.57
20.			2245-02-114-02-02 ओलावृष्टि	(+) 18.67	(-) 4.22
21.			2245-02-114-05-02 ओलावृष्टि	(+) 32.75	(-) 6.70
22.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-02-44 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं (एनसीआरपीबी)	(+) 13.59	(-) 1.86
			योग		**(+) 106.14** **(-) 159.73**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 97)

31 मार्च 2017 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
1.	ब्याज अदायगियां	2049	17,734.50	57.26
2.	लोक ऋण	6003, 6004	5,036.98	22.41
3.	4- जिला प्रशासन	2053	441.03	21.12
4.	6- न्याय प्रशासन	2014	696.95	42.34
5.	8- राजस्व	2029, 2052	854.81	201.47
6.	9- वन	2406	797.20	79.79
7.	10- विविध सामान्य सेवाएं	2075	412.83	131.52
8.	11- विविध सामाजिक सेवाएं	4250, 5425	34.54	25.66
9.	12- अन्य कर	2030, 2041, 2045, 3055	514.12	80.24
10.		5055, 7055	301.00	201.00
11.	15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071	12,670.16	325.57
12.	16- पुलिस	2055, 2070	4,630.95	129.60
13.	19- लोक निर्माण कार्य	2059	469.88	66.92
14.		4055, 4059, 4070, 4202, 4210, 4220, 4225, 4235, 4250, 4403, 4515, 4700, 4853, 5475	1,617.69	893.21
15.	21- सड़कें एवं पुल	3054	1,601.96	173.91
16.		4851, 4853, 5054, 7075	3,466.39	1,248.23
17.	22-क्षेत्र का विकास	4575, 4705	351.52	36.89
18.	23- श्रम तथा रोजगार	2230, 3475	510.86	21.34
19.		4250	51.33	25.73
20.	24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2070, 2202, 2203, 2204, 2205	21,639.85	674.30
21.		4202, 6202	46.15	22.99
22.	26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210, 2211, 3606	6,811.78	368.11
23.		4210, 6210	352.96	180.18
24.	27- पेयजल योजना	2215	3,176.93	260.26
25.		4215	3,876.33	878.97
26.	28- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501, 2515, 2810	949.64	208.23
27.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2216, 2217, 3055	4,833.04	626.53
28.		4217, 5055, 6217	1,742.68	767.44
29.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014, 2029, 2040, 2041, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2220, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2415, 2425, 2501, 2505, 2515, 2700, 2702, 2801, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3435, 3454, 3456, 3475	9,113.00	1,729.12

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
30.		4055, 4058, 4059, 4202, 4210, 4215, 4216, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4405, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4801, 4853, 4885, 5054, 5055, 5452, 5475, 6216, 6408, 6801, 6885, 7055	4,680.83	330.04
31.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225, 2230, 2235, 2236	4,785.93	241.69
32.		4225, 4235, 4236, 6225	204.32	57.00
33.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245	4,537.14	270.62
34.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	2047, 3454, 3475	420.52	147.18
35.	37- कृषि	2401, 2415, 2435	2,482.89	320.41
36.		4401,6401, 6408	588.97	356.41
37.	41- सामुदायिक विकास	2515	6,830.54	700.14
38.	42- उद्योग	4851, 4885, 6851,6860, 6885	323.29	52.55
39.	43- खनिज	2802, 2853	417.06	40.94
40.		4802, 4853, 6802	166.00	155.47
41.	46- सिंचाई	2700, 2701, 2702	2,044.95	182.89
42.		4700, 4701, 4702, 4711	1,503.68	232.53
43.	47- पर्यटन	5452, 7452	49.13	28.04
44.	48- विद्युत	2801, 2810	15,035.16	1,428.61
45.		4801, 4810, 6801	11,156.53	184.06
46.	50- ग्रामीण रोजगार	2505, 2515	2,506.39	1,006.54
47.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2014, 2029, 2040, 2041, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2403, 2405, 2406, 2425, 2501, 2505, 2515, 2701, 2702, 2705, 2801, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3454, 3456, 3475	9,549.49	1,240.91
48.		4055, 4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4711, 4801, 4853, 4885, 5054, 5055, 5452, 5475, 6216, 6801,7055	5,988.15	575.81
	योग		**1,78,008.03**	**17,052.18**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 97)

₹ 1 करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित रहने से शेष रही बचतें
1	2	3	4	5
	राजस्व-दत्तमत			
1.	15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	391.28	325.57	65.71
2.	16- पुलिस	132.36	129.60	2.76
3.	24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति	676.33	674.30	2.03
4.	27- पेयजल योजना	263.20	260.26	2.94
5.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,734.07	1,729.12	4.95
6.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	264.10	241.70	22.40
7.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	327.27	270.62	56.65
8.	37- कृषि	321.99	320.41	1.58
9.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,245.05	1,240.92	4.13
पूंजीगत-दत्तमत				
10.	19- लोक निर्माण कार्य	898.17	893.21	4.96
11.	21- सड़कें एवं पुल	1,263.41	1,248.23	15.18
12.	27- पेयजल योजना	896.22	878.97	17.25
13.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	783.23	767.44	15.79
14.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	334.35	330.04	4.31
15.	46- सिंचाई	239.59	232.53	7.06
	योग	**9,770.62**	**9,542.92**	**227.70**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.11: पृष्ठ 98)

एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
1.	8	राजस्व	2029-103-04-02 भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	144.17	105.74	73.3
2.			2029-103-07 राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	43.46	37.78	86.9
3.	10	विविध सामान्य सेवाएं	2075-797-01 मद 8235-117 गारंटी मोचन निधि को अन्तरण	410.00	131.42	32.1
4.	11	विविध सामाजिक सेवाएं	4250-800-02-90 निर्माण कार्य	22.00	19.90	90.5
5.	12	अन्य कर	3055-190-10 सुधार सम्बद्ध योजना-राजस्थान राज्य परिवहन निगम को सहायतार्थ अनुदान	120.00	60.42	50.4
6.			5055-190-07 सुधार सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसम्पतियों के समक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूँजी	300.00	200.00	66.7
7.	19	लोक निर्माण कार्य	4055-211-02-90 निर्माण कार्य	62.94	40.09	63.7
8.			4059-80-051-03-03 अन्य न्यायिक भवन	123.45	72.75	58.9
9.			4059-80-051-04-01 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	37.19	18.81	50.6
10.			4202-01-203-01-90 निर्माण कार्य	60.62	36.71	60.6
11.			4210-03-105-02-90 निर्माण कार्य	28.87	18.22	63.1
12.			4210-03-105-11-90 निर्माण कार्य	561.50	409.55	72.9
13.			4250-203-09-90 निर्माण कार्य	23.71	16.01	67.5
14.	21	सड़कें एवं पुल	5054-03-337-07-90 निर्माण कार्य	178.00	155.14	87.2
15.			5054-04-800-14-90 निर्माण कार्य	145.37	133.71	92.0
16.			5054-04-800-21-01 ग्रामीण सम्पर्क सड़कें	57.00	34.82	61.1
17.			5054-04-800-21-02 सड़क सुरक्षा प्रबंधन	19.47	16.88	86.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
18.			5054-80-001-01-91 स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	158.51	88.96	56.1
19.			5054-80-001-01-93 सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)	59.44	33.36	56.1
20.			5054-80-800-01-92 औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय	39.63	22.24	56.1
21.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-107-11 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओ को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	45.21	43.42	96.0
22.			2202-02-109-03 व्यावसायिक शिक्षा	47.61	25.76	54.1
23.			2202-02-109-11 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयो मे अध्ययनरत कक्षा 9 के छात्रों को साईकिल वितरण	58.20	42.70	73.4
24.			2202-02-109-23 लैपटॉप वितरण	41.40	33.51	80.9
25.			2202-04-200-02 साक्षर भारत अभियान	30.18	28.41	94.1
26.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2211-800-02-02 स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेन्स सर्विसेज (ई.एम.आर.आई) (50:50)	58.39	41.53	71.1
27.			4210-01-110-07-01 निर्माण कार्य	89.15	57.34	64.3
28.			4210-03-105-07-05 चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	22.88	21.88	95.6
29.	27	पेयजल योजना	4215-01-101-01-94 प्रतापगढ कस्बे की शहरी जलप्रदाय योजना का पुनरुद्धार	27.48	17.21	62.6
30.			4215-01-102-18 बीसलपुर-दूदू जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	57.43	34.35	59.8
31.			4215-01-102-19 चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना	30.92	22.30	72.1
32.			4215-01-102-40 डीग जलपूर्ति योजना	41.51	29.15	70.2
33.			4215-01-102-59 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की जल प्रदाय योजना	72.17	48.25	66.9
34.			4215-01-102-61 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय योजना फेज-।। पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर स्कीम)	36.89	26.17	70.9
35.			4215-01-102-64 ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना	30.15	19.90	66.0
36.			4215-01-102-65 गागरिन जलपूर्ति योजना	55.40	31.43	56.7
37.			4215-01-102-75 बांसवाडा जलपूर्ति योजना	32.25	18.44	57.2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
38.			4215-01-102-85 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी)	94.73	55.98	59.1
39.			4215-01-102-86 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि	48.77	30.91	63.4
40.	28	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-06-01 अनुदान	59.05	46.71	79.1
41.			2501-06-196-09-01 अनुदान	31.67	29.94	94.5
42.			2515-196-05-01 कार्यकलाप संबंधी	22.53	19.93	88.5
43.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02-02 जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	44.59	25.53	57.3
44.			2217-80-191-35-02 चौदहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	53.72	35.28	65.7
45.			2217-80-192-22-01 विकास कार्य	97.03	54.29	56.0
46.			4217-03-800-02-07 विभिन्न शहरी निकायो हेतु	103.01	76.67	74.4
47.			4217-04-800-04 स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना	131.61	101.89	77.4
48.			6217-60-190-03-01 एशियाई विकास बैंक ऋण	250.00	128.01	51.2
49.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2029-796-01-01 भू-प्रबन्धन विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	28.33	23.48	82.9
50.			2202-02-107-06-02 पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियां	67.00	50.06	74.7
51.			2202-02-109-07-03 *अनुसूचित जन जातियो के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान*	207.44	132.89	64.1
52.			2202-03-796-09 *अनुसूचित जन जातियो के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान*	27.00	19.20	71.1
53.			2217-80-191-39-03 सबके लिए आवास-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	31.27	28.33	90.6
54.			2225-02-796-02-54 कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण (विकेस)	24.00	15.61	65.0
55.			2401-796-51-04 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रुपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सूक्ष्म सिंचाई)	27.68	22.89	82.7
56.			2401-796-63 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	32.27	29.10	90.2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
57.			2401-796-76-04 भू-संरक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से	35.59	22.76	64.0
58.			2403-796-01-26 *मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना*	25.69	17.29	67.3
59.			2501-06-196-06-02 अनुदान	23.62	18.45	78.1
60.			2515-196-40-01 कार्यकलाप/गतिविधियां	271.44	152.94	56.3
61.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-196-22-06 उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	15.50	15.37	99.2
62.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-01-13 खोज बचाव एवं संचार आदि के लिये औजारों एवं उपकरणो का क्रय	50.00	47.55	95.1
63.			2245-02-122 खराब सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनरूद्धार	20.00	16.99	84.9
64.	37	कृषि	2401-196-06-19 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –गेंहू	24.50	18.15	74.1
65.			2401-196-06-22 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – मोटे अनाज	38.44	21.30	55.4
66.			2401-800-27-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	28.85	16.70	57.9
67.			2401-800-37-02 उद्यान विभाग के माध्यम से	42.00	38.73	92.2
68.			4401-800-04-04 मृदा-सरंक्षण एव जल ग्रहण विकास विभाग के माध्यम से	206.40	141.07	68.3
69.			6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भंडारण निगम को उधार	134.00	104.00	77.6
70.	41	सामुदायिक विकास	2515-198-22-02 कार्यकलाप/गतिविधियां	50.56	29.74	58.8
71.	42	उद्योग	2852-80-102-26-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	20.00	16.86	84.3
72.	43	खनिज	4853-01-004-07-01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रो मे सडक निर्माण	35.00	24.47	69.9
73.	46	सिंचाई	4700-24-001-03-02 निर्माण कार्य में गुजरात सरकार की हिस्सा राशि	25.00	20.00	80.0
74.	47	पर्यटन	5452-80-800-01 पर्यटक स्थलों का विकास	29.42	19.67	66.9
75.	50	ग्रामीण रोजगार	2505-01-196-01-03 अनुदान (राज्यांश)	124.64	100.51	80.6
76.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2029-789-01-01 भू-प्रबन्धन विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	37.35	30.96	82.9
77.			2202-02-107-05-02 उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	69.00	50.25	72.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
78.			2202-03-789-06 *अनुसूचित जातियो के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान*	35.00	19.40	55.4
79.			2211-789-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू. एच.एम.)	20.95	16.72	79.8
80.			2217-80-191-39-02 *अनुसूचित जातियो के लिए उपयोजना-सबके लिए आवास*	41.30	37.19	90.0
81.			2401-789-01-28 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	56.47	53.22	94.2
82.			2401-789-02-05 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई मे रुपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	36.61	32.38	88.4
83.			2401-789-02-12 सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	24.07	21.02	87.3
84.			2401-789-09-04 भू सरंक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से	54.00	37.16	68.8
85.			2501-05-196-07-03 कार्यकलाप संबंधी	112.33	95.66	85.2
86.			2501-06-196-06-03 अनुदान	35.43	28.21	79.6
87.			2501-06-196-09-03 अनुदान	19.00	18.00	94.7
88.			2702-01-789-01-01 मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन (आयोजना) विभाग के माध्यम से	21.12	20.74	98.2
89.			4700-04-789-01-01 निर्माण कार्य	24.50	17.56	71.7
90.			5452-80-789-01 पर्यटक स्थलो का विकास	20.75	19.13	92.2
	योग			**6,562.78**	**4,461.11**	*68.0*

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 98)

वास्तविक बचतों/आधिक्य से अधिक अभ्यर्पण का विवरण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
राजस्व-दत्तमत				
1.	20- आवास	(+) 0.23	5.63	5.86
2.	21- सड़कें एवं पुल	(-) 143.85	173.91	30.06
3.	46- सिंचाई	(-) 91.11	182.89	91.78
	योग	**(-) 234.73**	**362.43**	**127.70**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.13; पृष्ठ 99)

प्रकरण जिनमें पिछले दो से चार वर्षों तक सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष			
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
			कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)
1.	26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-03-03 राज्य कैंसर संस्थान हेतु सहायतार्थ अनुदान	-	-	50.00	50.00
2.		2210-05-105-05-02 टर्सरी केंसर केयर सेंटर	-	-	22.50	22.50
3.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-103-20-01 महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से	10.60	10.60	10.60	10.60
4.		4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन का निर्माण	-	-	40.65	40.65
5.		4236-02-800-10 आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र उन्नयन एवं रख-रखाव मय क्रेच निर्माण	-	9.97	9.97	9.96
6.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	3454-02-203-01-07 स्टेट डेटा सेन्टर	-	-	15.07	15.07
7.		3454-02-203-01-27 ई-डिस्ट्रिक	-	-	3.93	4.64
8.	43-खनिज	2853-02-797-02 लेखा मद 8229-200(09)खनन क्षेत्रो में पर्यावरण प्रबंधन निधि	-	-	14.00	10.00
9.		2853-02-800-02-01 खान एवं भू-विज्ञान विभाग	-	-	14.00	10.00
10.		4802-02-190-03 एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड	-	102.10	79.80	80.00
11.	46- सिंचाई	2700-02-001-05-01 दांहिनी मुख्य नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक प्रभार	0.94	1.18	1.09	1.12
12.		4700-04-001-03-01 चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)	-	1.50	40.00	30.00
13.		4700-04-001-03-02 पन्ना लाल बारुपाल जलोत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)	-	-	10.00	5.00
14.		4700-04-001-03-03 डा. करणीसिंह जलोत्थान योजना (कोलायत लिफ्ट योजना)	-	1.50	20.00	7.00

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष			
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
			कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)
15.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-196-12 सम्बल ग्रामों का विकास	-	-	40.60	40.60
16.		2235-02-789-01-06 मिशन ग्राम्य शक्ति	3.50	3.50	3.50	3.50
17.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	-	0.07	0.41	5.02
18.		4700-05-789-01-01 पंजाब मे इंदिरा नहर फीडर के निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पंजाब के माध्यम से)	-	-	3.56	3.56
19.		2210-06-789-04 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	-	-	5.97	9.36
20.		4236-02-789-02 आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत आगंन बाड़ी केन्द्र उन्नयन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण	-	2.57	2.57	2.58
		योग	**15.04**	**132.99**	**388.22**	**361.16**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.15; पृष्ठ 100)

योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
1.	12-अन्य कर	5055-190-07 सुधार सम्बद्ध योजना (रिफार्म लिंक्ड प्लान) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अडडा सेवा निगम को हस्तांतरित की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूंजी	300.00	-	300.00	100
2	19-लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-40 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	17.70	-	17.70	100
3	21-सड़कें एवं पुल	3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण	500.00	-	500.00	100
4		5054-03-337-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।(विश्व बैंक)	117.73	-	117.73	100
5		5054-03-337-13 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।।(जायका)	58.87	-	58.87	100
6	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-03-108-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान - सामान्य व्यय	80.49	-	80.49	100
7		2204-104-05 *पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पाइका)*	11.47	-	11.47	100
8	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-03-03 राज्य केंसर संस्थान हेतु सहायतार्थ अनुदान	50.00	-	50.00	100
9		2210-05-105-05-02 टर्सरी केंसर केयर सेंटर	22.50	-	22.50	100
10		2210-06-101-21 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	35.44	-	35.44	100
11	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-05-01 कार्यकलाप सम्बन्धी	68.69	-	68.69	100
12	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-191-29-01 विद्युत बिलों का भुगतान	100.00	-	100.00	100
13		2217-80-192-33-01 विद्युत बिलों का भुगतान	60.00	-	60.00	100
14		6217-60-190-02-01 जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	15.00	-	15.00	100

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
15	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2225-02-796-19-10 वनबन्धु कल्याण योजनाओ का कियान्वयन हेतु अनुदान	10.50	-	10.50	100
16		2401-796-76-03 जल संसाधन विभाग के माध्यम से	22.28	-	22.28	100
17		2501-05-196-05-02 कार्यकलाप सम्बन्धी	13.48	-	13.48	100
18		4210-03-796-01-02 चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, उदयपुर	11.77	-	11.77	100
19		4225-02-796-11-10 सड़क एवं पुलों का निर्माण	10.00	-	10.00	100
20		4225-02-796-11-18 जनजाति क्षेत्रीय विकास भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीकरण	13.36	-	13.36	100
21		4853-01-796-04-03 वन विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रो मे पर्यावरण सुधार	14.00	-	14.00	100
22		5054-03-796-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।(विश्व बैंक)	23.86	-	23.86	100
23		5054-03-796-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।। (जायका)	11.93	-	11.93	100
24	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-02 परिवहन	25.00	-	25.00	100
25		2245-01-104-03 पशु पोषण केन्द्र	11.00	-	11.00	100
26		2245-02-114-02-01 बाढ़	14.00	-	14.00	100
27		2245-02-114-05-01 बाढ़	10.00	-	10.00	100
28	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	5475-800-08-30 ई-डिस्ट्रिक्ट	18.22	-	18.22	100
29	37-कृषि	4401-800-04-03 जल संसाधन विभाग के माध्यम से	65.82	-	65.82	100
30	41-सामुदायिक विकास	2515-196-15-02 कार्यकलाप/गतिविधियां	29.26	-	29.26	100
31	42-उद्योग	2852-80-102-26-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	20.00	-	20.00	100
32		2852-80-190-03-02 राजस्थान स्टार्ट अप पॉलिसी	10.85	-	10.85	100
33	43-खनिज	4853-01-004-07-02 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा	16.00	-	16.00	100

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
34		4853-01-004-07-03 वन विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार	35.00	-	35.00	100
35	46-सिंचाई	2700-02-800-03 अन्य व्यय	71.19	-	71.19	100
36		2700-03-001-01-01 सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य	76.31	-	76.31	100
37		4700-05-001-01-01 पंजाब मे इंदिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई पंजाब के माध्यम से)	16.44	-	16.44	100
38		4702-101-10-01 निर्माण कार्य	22.83	-	22.83	100
39	48-विद्युत	2801-80-190-34-01 *जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड*	617.30	-	617.30	100
40		2801-80-190-34-02 *जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड*	360.00	-	360.00	100
41		2801-80-190-34-03 *अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड*	438.05	-	438.05	100
42		2801-80-190-39-01 *राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को अनुदान*	203.66	-	203.66	100
43	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2401-789-09-02 उद्यान विभाग के माध्यम से	10.80	-	10.80	100
44		2401-789-09-03 जल संसाधन विभाग के माध्यम से	20.93	-	20.93	100
45		2501-05-196-05-03 कार्यकलाप सम्बन्धी	17.83	-	17.83	100
46		4853-01-789-02-03 वन विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार	11.00	-	11.00	100
47		5054-03-789-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।। (विश्व बैंक)	35.40	-	35.40	100
48		5054-03-789-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।। (जायका)	17.70	-	17.70	100
		योग	**3,743.66**		**3,743.66**	

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.17(i); पृष्ठ 102)

बैंक खातों में शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.03.2015 को शेष		31.03.2016 को शेष		31.03.2017 को शेष	
		बचत खाता	सावधि जमा रसीद	बचत खाता	सावधि जमा रसीद	बचत खाता	सावधि जमा रसीद
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर	42.84	-	52.76	-	47.85	-
2.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जयपुर	0.06	5.74	19.39	6.69	3.44	4.56
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), अजमेर	11.91	-	10.93	-	12.64	-
4.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), अजमेर	6.81	-	44.26	-	20.08	-
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जोधपुर	20.98	-	23.28	-	19.27	-
6.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जोधपुर	1.53	-	1.54	-	1.66	-
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर	44.57	-	23.06	-	23.02	-
8.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), बीकानेर	5.53	-	14.00	-	14.69	-
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	26.57	-	27.35	-	43.69	-
10.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), सीकर	1.09	-	20.57	-	2.15	-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.03.2015 को शेष		31.03.2016 को शेष		31.03.2017 को शेष	
		बचत खाता	सावधि जमा रसीद	बचत खाता	सावधि जमा रसीद	बचत खाता	सावधि जमा रसीद
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाडा	37.35	-	39.92	-	27.61	-
12.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), भीलवाडा	0.42	-	0.36	-	0.21	-
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	36.72	-	38.49	-	28.52	-
14.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), कोटा	1.06	-	0.87	-	1.18	-
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा	12.73	-	10.01	-	19.27	-
16.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), दौसा	1.55	-	2.11	-	2.29	-
योग		**251.72**	**5.74**	**328.90**	**6.69**	**267.57**	**4.56**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.17(ii); पृष्ठ 102)

31 मार्च 2017 को असंचालित/बन्द योजनाओं में अनुपयोजित शेषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	राशि
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर	1.54
2.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जयपुर	5.33
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), अजमेर	4.73
4.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), अजमेर	7.89
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जोधपुर	4.05
6.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जोधपुर	4.29
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर	16.57
8.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), बीकानेर	4.77
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	2.16
10.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), सीकर	3.05
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाडा	11.46
12.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), भीलवाड़ा	5.34
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	2.49
14.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), कोटा	0.85
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा	0.25
16.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), दौसा	0.38
	योग	**75.15**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.17(iii); पृष्ठ 103)

निजी/राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त सरकारी व्यवहारों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	निजी बैंकों/राष्ट्रीकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों के नाम	31.03.2017 को शेष	
			बैंक वार (₹ लाख में)	योग (₹ करोड़ में)
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर	1. इंडसइंड बैंक	177.98	
		2. एचडीएफसी	180.42	
		योग	**358.40**	**3.58**
2.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), अजमेर	1. एचडीएफसी	93.90	
		2. एक्सिस	1,725.99	
		योग	**1,819.89**	**18.20**
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जोधपुर	1 .एक्सिस	18.06	**0.18**
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर	1.सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	7.70	
		2.मरुधर ग्रामीण बैंक	0.67	
		3.एचडीएफसी	522.56	
		4.एक्सिस	171.13	
		5.कोटक महिंद्रा बैंक	26.71	
		योग	**728.77**	**7.29**
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	1.सीकर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	388.92	
		2.एक्सिस	587.24	
		3. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	300.19	
		4. सीकर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	0.56	
		5. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.04	
		6. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.11	
		7.एक्सिस	0.02	
		8. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.12	
		9 बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.13	
		10. सीकर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	0.02	
		11. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.14	
		योग	**1,277.49**	**12.77**
6	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), सीकर	1. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.18	**0.01**
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाडा	1. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.13	
		2. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	14.49	
		3. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	2.89	
		4. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	508.07	
		योग	**525.58**	**5.26**
8.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	1. आईसीआईसीआई	2.14	
		2. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	1,400.56	
		3. एक्सिस	111.33	
		4. आईसीआईसीआई	320.85	
		5. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.04	

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	निजी बैंकों/राष्ट्रीकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों के नाम	31.03.2017 को शेष	
			बैंक वार (₹ लाख में)	योग (₹ करोड़ में)
		6. .बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	124.21	
		7. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.03	
		8. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.0	
		9. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.03	
		योग	**1,959.19**	**19.59**
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा	1.एचडीएफसी	0.21	
		2.आईसीआईसीआई	63.01	
		योग	**63.22**	**0.63**
	कुल योग	**37**		**67.51**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.17(iv); पृष्ठ 103)

एक योजना के लिए बैंक खातों की बहुलता का विवरण

क्रम संख्या	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	योजना का नाम	बैंक खातों की संख्या
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर	मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे	2
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), अजमेर	मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना	3
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जोधपुर	इंदिरा आवास योजना	2
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5
		क्लस्टर विकास कार्यक्रम	5
		मरु सुधार कार्यक्रम	8
		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
		इंदिरा आवास योजना	3
5.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), बीकानेर	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	3
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
		मध्याह्न भोजन योजना	3
		मरु सुधार कार्यक्रम	7
		क्लस्टर विकास कार्यक्रम	6
7	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), सीकर	स्वच्छ भारत अभियान	2
8	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाडा	एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम	3
		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
		ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2
		मुख्यमंत्री आवास योजना	3
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम	2
		सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	5
		इंदिरा आवास योजना	6
		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	3
		मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना	4
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा	एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम	6
		इंदिरा आवास योजना	3
		विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह	2

स्रोत:विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 106)

सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोजित रहना

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	आ/ आभि	वर्ष	कुल	अभ्यर्पण राशि	पुर्नविनियोजन	विभाग द्वारा बताये गये कारण
2403- पशु-पालन 102- पशु तथा भैंस विकास 16- पशुधन नस्ल सुधार योजना 01-स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से	आयोजना	2016-17	3.81		3.81	अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 102- पशु तथा भैंस विकास 18- राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना	आयोजना	2016-17	3.00	1.41	1.59	अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 108- पशुधन तथा मुर्गी बीमा 01- निदेशालय पशु पालन विभाग 01-पशु बीमा	आयोजना	2014-15	1.02	1.02		अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 101- पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य 23- पी.पी.आर. रोग नियंत्रण कार्यक्रम	आयोजना	2015-16	4.35	4.35		अनुमानों का संशोधन
2403-पशु-पालन 106-अन्य पशुधन विकास 02- गौसेवा निदेशालय 01- गौशाला को अनुदान	आयोजना	2014-15	58.65	40.62	18.03	राज्य सरकार से अनुदान राशि के वितरण की स्वीकृति एवं दिशा निर्देश प्राप्त नही होने के कारण सहायता राशि जारी नही की जा सकी।
2404-डेयरी विकास 195- सहकारी समितियों को सहायता 01- राजस्थान राज्य कॉपरेटिव संघ को सहायता	आयोजना	2016-17	8.71		8.71	विभाग द्वारा कारण सूचित नही किये गये।

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 111)

वर्ष 2016-17 तक बकाया सारांशीकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
1	2014	2016-17	1	0.50
	योग		**1**	**0.50**
2	2029	2007-08	1	292.18
		2011-12	1	62.50
		2013-14	2	166.99
	योग		**4**	**521.67**
3	2051	2016-17	39	517.58
	योग		**39**	**517.58**
4	2052	2016-17	1	1.00
	योग		**1**	**1.00**
5	2053	2016-17	3	19.30
	योग		**3**	**19.30**
6.	2055	2014-15	3	247.10
		2016-17	3	305.00
	योग		**6**	**552.10**
7.	2059	2016-17	3	0.30
	योग		**3**	**0.30**
8.	2202	1989-90	2	0.60
		1990-91	1	0.30
		1991-92	2	0.10
		1992-93	2	0.56
		1996-97	1	0.09
		2016-17	2	6.58
	योग		**10**	**8.23**
9.	2204	2016-17	8	5.64
	योग		**8**	**5.64**
10.	2205	2014-15	1	75.00
	योग		**1**	**75.00**
11.	2210	2013-14	1	179.70
		2015-16	7	218.61
		2016-17	7	179.75
	योग		**15**	**578.06**
12.	2215	2016-17	1	0.40
	योग		**1**	**0.40**
13.	2217	2016-17	2	0.31
	योग		**2**	**0.31**
14.	2225	2016-17	1	10.00
	योग		**1**	**10.00**
15.	2245	2008-09	1	19.01
		2012-13	1	103.50
		2016-17	16	34150.10
	योग		**18**	**34272.61**
16.	2401	2016-17	3	8.74
	योग		**3**	**8.74**
17.	2403	2015-16	2	2.70
		2016-17	7	18.00
	योग		**9**	**20.70**

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
18.	2406	2015-16	2	11.50
		2016-17	3	1.66
	योग		**5**	**13.16**
19.	2515	2008-09	1	11.29
		2016-17	14	7.95
	योग		**15**	**19.24**
20.	2701	2016-17	1	0.17
	योग		**1**	**0.17**
21.	2705	2016-17	1	28.44
	योग		**1**	**28.44**
22.	2851	2016-17	3	3.00
	योग		**3**	**3.00**
23.	3425	2016-17	54	28.92
	योग		**54**	**28.92**
24.	3452	2016-17	5	11.00
	योग		**5**	**11.00**
25.	4059	2011-12	2	8.00
	योग		**2**	**8.00**
26.	4202	1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.24
		2005-06	1	4.20
	योग		**3**	**4.74**
27.	4210	2014-15	1	169.96
		2015-16	2	71.85
		2016-17	2	64.28
	योग		**5**	**306.09**
28.	4217	2016-17	1	160.00
			1	**160.00**
	कुल योग		**220**	**37,174.89**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 115)

30 जून 2017 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग/ मुख्य शीर्ष	अनुदान जारी करने का वर्ष	जारी किया गया कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
					प्राप्त		बकाया	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	परिवार कल्याण (2211)	2007-08	1	486.00	0	402.54	1	83.46
		2008-09	1	489.00	0	382.23	1	106.77
		2009-10	5	508.97	4	410.34	1	98.63
योग			**7**	**1,483.97**	**4**	**1,195.11**	**3**	**288.86**
2.	समाज कल्याण (2225)	2004-05	308	235.47	307	223.75	1	11.72
योग			**308**	**235.47**	**307**	**223.75**	**1**	**11.72**
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (3425)	2009-10	55	84.65	48	81.46	7	3.19
		2010-11	35	176.76	24	162.20	11	14.56
		2011-12	38	752.67	25	647.18	13	105.49
		2012-13	43	1,038.54	24	622.01	19	416.53
		2013-14	35	146.67	21	106.95	14	39.72
		2014-15	56	57.66	42	50.11	14	7.55
		2015-16	35	84.71	13	40.31	22	44.40
योग			**297**	**2,341.66**	**197**	**1,710.22**	**100**	**631.44**
कुल योग			**612**	**4,061.10**	**508**	**3,129.08**	**104**	**932.02**

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 117)

निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
उच्च शिक्षा					
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2015-16	13,669.64	24,071.74
2.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2015-16	3,557.65	8,923.38
	योग	**2**		**17,227.29**	**32,995.12**
माध्यमिक शिक्षा					
2.	राजस्थान राज्य खुला विद्यालय, जयपुर	2	2014-16	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	योग	**2**		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
प्राथमिक शिक्षा					
1.	जन शिक्षण संस्थान, बीकानेर	1	2015-16	30.00	30.00
2.	जन शिक्षण संस्थान, जयपुर	1	2015-16	17.85	34.91
3.	जन शिक्षण संस्थान, जोधपुर	1	2015-16	17.50	50.99
4.	जन शिक्षण संस्थान, कोटा	1	2015-16	17.50	39.15
	योग	**4**		**82.85**	**155.05**
शहरी विकास एवं आवास					
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण	7	2009-16	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्रम					
.1.	बाल श्रम परियोजना संस्था, अजमेर	1	2015-16	7.43	5.18
2.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बाड़मेर	4	2012-16	8.03	1.80
3.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बारां	1	2015-16	142.09	141.77
4.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बांसवाड़ा	4	2012-16	4.15	0.74
5.	बाल श्रम परियोजना संस्था, भरतपुर	7	2009-16	62.81	68.78
6.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बीकानेर	2	2014-16	67.00	48.06
7.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बूंदी	1	2015-16	65.85	0.58
8.	बाल श्रम परियोजना संस्था, चित्तौड़गढ़	1	2015-16	86.96	2.21
9.	बाल श्रम परियोजना संस्था, चूरू	5	2011-16	15.26	0.37
10.	बाल श्रम परियोजना संस्था, धौलपुर	2	2014-16	1.34	0.28
11.	बाल श्रम परियोजना संस्था, डुंगरपुर	1	2015-16	3.89	0.29
12.	बाल श्रम परियोजना संस्था, हनुमानगढ़	2	2014-16	14.63	0.59
13.	बाल श्रम परियोजना संस्था, जालोर	1	2015-16	16.90	1.68
14.	बाल श्रम परियोजना संस्था, झालावाड़	1	2015-16	उपलब्ध नहीं	0.52
15.	बाल श्रम परियोजना संस्था, झुंझुनु	1	2015-16	40.65	0.11
16.	बाल श्रम परियोजना संस्था, जोधपुर	2	2014-16	3.01	3.31
17.	बाल श्रम परियोजना संस्था, पाली	1	2015-16	12.72	0.02
18.	बाल श्रम परियोजना संस्था, श्रीगंगानगर	1	2015-16	0.01	0.02
	योग	**38**		**552.73**	**276.31**

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
उद्योग					
1.	उद्यमिता एवं प्रबंध विकास संस्थान, जयपुर	1	2015-16	2.96	30.52
2.	राजस्थान फाउंडेशन, जयपुर	1	2015-16	उपलब्ध नहीं	46.20
	योग	**2**		**2.96**	**76.72**
पर्यटन					
1.	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, जोधपुर	1	2015-16	65.64	270.65
	योग	**1**		**65.64**	**270.65**
कला एवं संस्कृति					
1.	भारतीय क्रॉफ्ट एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर	4	2012-16	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	जयपुर कथक केन्द्र, जयपुर	2	2014-16	104.23	108.26
3.	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	1	2015-16	125.22	126.93
4.	राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर	1	2015-16	67.10	50.03
5.	राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी, बीकानेर	1	2015-16	उपलब्ध नहीं	4.79
6.	राजस्थान संगीत अकादमी, पावटा, जोधपुर	1	2015-16	205.10	244.14
7.	राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर	1	2015-16	110.04	96.18
	योग	**11**		**611.69**	**630.33**
चिकित्सा शिक्षा					
1.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	2	2014-16	10,986.60	3,078.40
	योग	**2**		**10,986.60**	**3,078.40**
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
1.	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	4	2012-16	763.00	157.94
2.	राजस्थान राज्य समाज कल्याण मण्डल, जयपुर	1	2015-16	325.31	344.71
3.	राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2015-16	4,372.12	3,762.93
4.	अफीम नशा मुक्ति उपचार एवं प्रशिक्षण अनुसंधान न्यास, जोधपुर	1	2015-16	24.11	38.23
	योग	**7**		**5,484.54**	**4,303.81**
जनजाति क्षेत्रीय विकास					
1.	जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाई माधोपुर	2	2014-16	42.16	57.74
2.	सेवा मंदिर, उदयपुर	1	2015-16	1,431.36	1,392.23
	योग	**3**		**1,473.52**	**1,449.97**
महिला एवं बाल विकास					
1.	महिला एवं बाल विकास (ल्यूपिन) परियोजना, कुम्हेर, भरतपुर	2	2014-16	222.13	220.26
	योग	**2**		**222.13**	**220.26**

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
देवस्थान विभाग					
1.	रामगोपाल विजयवर्गीय स्मृति न्यास, जयपुर	1	2015-16	108.00	236.07
	योग	**1**		**108.00**	**236.07**
सामान्य प्रशासन विभाग					
1.	राजस्थान राज्य उड्डयन विद्यालय, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर	2	2014-16	41.00	27.62
	योग	**2**		**41.00**	**27.62**
पशुपालन					
1.	चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, चित्तौड़गढ़	4	2012-16	506.07	447.79
2.	पश्चिमी राजस्थान जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जोधपुर	1	2015-16	उपलब्ध नही	1,174.08
3.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	3	2013-16	5,892.32	4,873.78
4.	राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर	1	2015-16	36.00	27.60
5.	टोंक जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, टोंक	1	2015-16	145.87	274.42
	योग	**10**		**6,580.26**	**6,797.67**
अल्पसंख्यक मामलात					
1.	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर	1	2015-16	उपलब्ध नही	348.74
2.	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारिता निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2015-16	7,567.54	188.33
	योग	**2**		**7,567.54**	**537.07**
सूचना एवं जनसम्पर्क					
1.	राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर	1	2015-16	118.00	163.54
	योग	**1**		**118.00**	**163.54**
कृषि					
1.	राजस्थान कृषि सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्यों का संघ, जयपुर	9	2007-16	20.00	29.26
2.	महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2015-16	11,690.12	11,821.22
3.	विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र, बडगांव, उदयपुर	1	2015-16	150.50	156.88
	योग	**11**		**11,860.62**	**12,007.36**
बागवानी					
1.	राजस्थान बागवानी विकास समिति, जयपुर	1	2015-16	1,426.54	1,525.27
	योग	**1**		**1,426.54**	**1,525.27**
	कुल योग	**109**		**64,411.91**	**64,751.22**
				₹ 644.12करोड़	**₹ 647.51 करोड़**

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.9.4: पृष्ठ 51 एवं 3.4: पृष्ठ 118)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	तक लेखाओं का अंतिमीकरण	विगत अंतिमीकरण किये लेखों के अनुसार निवेश[7]	कुल संचित हानि
1	जेल विनिर्माण, अजमेर	2013-14	2.14	1.86
2	जेल विनिर्माण, अलवर	2015-16	0.75	0.71
3	जेल विनिर्माण, बीकानेर	2015-16	1.68	1.49
4	जेल विनिर्माण, जयपुर	2014-15	1.52	2.98
5	जेल विनिर्माण, जोधपुर	2015-16	2.49	2.23
6	जेल विनिर्माण, कोटा	2015-16	0.39	0.65
7	जेल विनिर्माण, उदयपुर	2015-16	2.25	1.76
8	वन कूप्स का विभागीय व्यापार	2015-16	शून्य[8]	
9	तेन्दू पत्ता योजना	2015-16	शून्य[8]	
10	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर	2015-16	16,553.91	12,199.52
	योग		**16,565.13**	**12,211.20**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

[7] निवेश वित्तीय वर्ष जब तक लेखों का अन्तिमीकरण किया गया के अंतिम दिवस को सरकार के स्थाई एवं चालू पूँजी लेखे के शेष को दर्शाते हैं।

[8] सरकार का पूँजी निवेश शून्य है क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण, सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थे।

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 119)

दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2017 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)

(प्रकरणों की संख्या)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष एवं अधिक	प्रकरणों की कुल संख्या
1.	राजस्व	21	15	23	09	04	01	**73**
2.	शिक्षा	67	57	32	16	13	08	**193**
3.	चिकित्सा	25	18	11	07	08	04	**73**
4.	सार्वजनिक निर्माण	01	02	03	03	14	06	**29**
5.	जल संसाधन	-	01	01	01	01	-	**04**
6.	भू-जल	03	03	07	02	01	-	**16**
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	-	-	01	02	01	-	**04**
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	01	05	04	02	-	01	**13**
9.	वन	02	01	-	03	02	-	**08**
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	32	31	77	44	39	31	**254**
11.	अन्य	84	33	46	21	12	14	**210**
	योग	**236**	**166**	**205**	**110**	**95**	**65**	**877**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 119)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		दुर्विनियोजन/गबन		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	34	187.07	39	1,011.91	73	1,198.98
2.	शिक्षा	114	137.50	79	1,330.77	193	1,468.27
3.	चिकित्सा	26	54.05	47	524.98	73	579.03
4.	सार्वजनिक निर्माण	06	26.46	23	482.47	29	508.93
5.	जल संसाधन	02	0.55	02	33.95	04	34.50
6.	भू-जल	14	32.12	02	3.40	16	35.52
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	03	6.64	01	0.80	04	7.44
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	08	50.40	05	69.73	13	120.13
9.	वन	06	30.35	02	77.32	08	107.67
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	236	242.70	18	82.41	254	325.11
11.	अन्य	100	780.40	110	1536.03	210	2,316.43
	योग	**549**	**1,548.24**	**328**	**5,153.77**	**877**	**6,702.01**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 121)

वर्ष 2012-17 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.3.2012 को शेष	2012-17 के दौरान		31.3.2017 को शेष
			प्राप्ति	भुगतान	
1.	परियोजना अधिकारी एस/सी विकास निगम, भरतपुर	0.07	शून्य	शून्य	0.07
2.	संयुक्त श्रम आयुक्त, डब्ल्यु सी सी, बीकानेर	11.16	शून्य	शून्य	11.16
3.	सिरेमिक एवं विद्युत विकास समिति, बीकानेर	230.78	शून्य	शून्य	230.78
4.	न्यू एमसीए, एस.बी.बी.जे, बूंदी	0.03	शून्य	शून्य	0.03
5.	मुख्य योजना अधिकारी (सीडीडीएफ), चित्तौड़गढ़	0.01	शून्य	शून्य	0.01
6.	राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड, हनुमानगढ	0.50	शून्य	शून्य	0.50
7.	न्यू एमसीए, ओ बी सी, जयपुर(शहर)	-*	शून्य	शून्य	-*
8.	अधीक्षक, आई टी आई, फागी, जयपुर(ग्रामीण)	0.27	शून्य	शून्य	0.27
9.	उद्यमिता एवं प्रबंध विकास संस्थान, जयपुर (सचिवालय)	79.09	शून्य	शून्य	79.09
10.	राज्य परि. निदेशक, डीपीआईपी एसएस, जयपुर (सचिवालय)	10.94	शून्य	शून्य	10.94
11.	दर समयीकरण कोष, जयपुर (सचिवालय)	1.30	शून्य	शून्य	1.30
12.	राज्य संग्रहालय एवं विरासत अध्ययन संस्थान, जयपुर (सचिवालय)	1,006.00	शून्य	शून्य	1,006.00
13	कृषि उपज मंडी समिति, सांचोर, जालोर	0.15			0.15
14	प्रबंधक, नागरिक सहकारी बैंक, कोटा	0.09			0.09
15	अधिशाषी अभियंता, लघु सिंचाई, सिरोही	17.03			17.03
कुल योग		**1,357.42**			**1,357.42**

* केवल ₹ 171

परिशिष्ट 3.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.10; पृष्ठ 124)

मुख्य शीर्ष "8658-उचन्त लेखे" के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	47.00	1.37	42.12	0.51	61.93	0.84
निवल	**(नामे) 45.63**		**(नामे) 41.61**		**(नामे) 61.09**	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	2.26	0.19	1.58	42.00	1.48	(-) 0.02
निवल	**(नामे) 2.07**		**(जमा) 40.42**		**(नामे) 1.50**	
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त (ए.ओ.)	-	-	0.04	(-) 0.02	-	-
निवल	-	-	**(नामे) 0.06**		-	-
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)-उचन्त	-	39.40	-	52.48	-	26.69
निवल	**(जमा) 39.40**		**(जमा) 52.48**		**(जमा) 26.69**	
123-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	-	0.17	-	0.17	-	0.17
निवल	**(जमा) 0.17**		**(जमा) 0.17**		**(जमा) 0.17**	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 3.13	-	(-) 1.25	-	(-) 3.16
निवल	**(जमा)(-) 3.13**		**(जमा) (-) 1.25**		**(जमा) (-) 3.16**	
निवल योग	**(नामे) 11.26**		**(जमा) 50.15**		**(नामे) 38.89**	

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 4.1

पदों की पारिभाषिक शब्दावली

पद	गणना का आधार
पैमाने की उत्प्लावकता	पैमाने की वृद्धि दर/जीएसडीपी वृद्धि दर
एक पैमाने (क) की अन्य पैमाने (ख) से उत्प्लावकता	पैमाने (क) की वृद्धि दर/ पैमाने (ख) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]* 100
विकासात्मक व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]* 100
रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त औसत ब्याज	रोकड़ शेष निवेश से प्राप्त ब्याज/[(प्रारम्भिक शेष + रोकड़ शेष निवेश लेखे के अंतिम शेष)/2]* 100
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि दर - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(कर्जों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + कर्जो तथा अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]* 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पद	**विवरण**
चालू राजस्व शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष "2048-ऋण घटाने अथवा परिहार्य हेतु विनियोजन" के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत बजट अनुदानों के अन्तर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन में निधियों (मूल तथा अनुपूरक) की कुल राशि की तुलना में प्रत्येक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान या विनियोजन में अव्ययीत प्रावधानों अथवा अधिक को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाया जाना अपेक्षित है।
स्वायत्तशाषी निकाय	स्वायत्तशाषी निकाय (सामान्यत: पंजीकृत समितियाँ अथवा सांविधिक निगम) का गठन तब किया जाता है जब-जब यह अनुभव किया जाता है कि निश्चित कार्य सरकार के ढ़ाँचे से बाहर कुछ स्वतन्त्र और लचीलेपन के साथ बिना सरकार के रोज-रोज के हस्तक्षेप के पूरा करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राज्य सरकार का राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा अर्थ-सहाय्य शामिल हैं, जिन पर वर्तमान ढ़ाँचे कार्यकारी का सीमित नियंत्रण है।
राज्य की कार्यकारी एजेन्सी	राज्य की कार्यकारी एजेन्सी में किसी संगठन/संस्थान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें राज्य में विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य क्रियान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इत्यादि के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन।
आकस्मिक निधि	विधानमण्डल द्वारा अग्रदाय की प्रकृति के रूप में विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित की गई है जिसमें उस विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर प्रदान की जाती है तथा उक्त निधि राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है जो लम्बित अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 के अधीन विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत उस व्यय के लिये उसके द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ, राजस्व एवं ऋण रखे जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से सम्पूर्ण व्यय विनियोजन राजस्व या प्रभारित द्वारा होता है। इसके दो मुख्य प्रभाग हैं-राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं कर्जें इत्यादि)।

पद	विवरण
संदिग्ध दायित्व	संदिग्ध दायित्व किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा भविष्य की घटना जैसे न्यायालय के प्रकरण के परिणाम, पर निर्भर करते हुए बनता/नहीं बनता है।
संचित निधि	एक निधि जिसमें सरकार अपने ऋणों को समाप्त करने के लिये अधिक समय के लिये अलग राशि रखती है।
गारंटी मोचन निधि	गारंटियाँ उधारकर्त्ता जिसे गारंटी दी गई है की चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं। गारंटी मोचन निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को चाहिये कि भुनायी जाने योग्य बकाया गारंटियों के साथ वर्ष के दौरान दी गई उत्तरोत्तर गारंटियों के परिणामस्वरूप भुनाये जाने योग्य राशि का कम से कम 1/5 वाँ भाग के बराबर अंशदान देवें।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में जनता से लिये गये नियमित ऋण शामिल है, जिसे "भारत में लिये गये ऋण" भी कहा जाता है। इसे सीमित ऋणों के रूप में समेकित निधि में जमा किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से आशय उस राजस्व व्यय से है जिसमें ब्याज अदायगियाँ शामिल नहीं है।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई को निधियों का अन्तरण है।
अव्ययीत प्रावधान का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों में दृष्टिगत् हुए सभी प्रत्याशित अव्ययीत प्रावधानों को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है; वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय इन अभ्यर्पणों की स्वीकृति, जैसा उसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, लेखा अधिकारी तथा/अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो, को वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व सम्प्रेषित करेगा।
अनुपूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के लिए मूल बजट में अनपेक्षित किसी "नई सेवा" पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैदा हो चुकी है, सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन प्राप्त करना होगा।
उचंत एवं विविध	प्राप्ति एवं भुगतान की मदें जिन्हें तुरन्त किसी अन्तिम शीर्ष या प्रभार में सूचना की कमी जैसे उसकी प्रकृति या अन्य कारणों से प्रभारित नहीं किया जा सकता है, को अस्थायी तौर पर लेखों के सैक्टर 'एल' के "उचन्त एवं विविध" भाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "8658-उचन्त लेखा" में रखा जायेगा। (अग्रेतर मार्गदर्शन के लिये लेखों के मुख्य/लघुशीर्षों की सूची के अन्तर्गत फुट नोट का संदर्भ लेंवें)। किसी सेवा प्राप्ति जिसका पूरा ब्यौरा न दिया गया हो को "उचन्त शीर्ष" में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे राजस्व मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "अन्य प्राप्ति" लघु शीर्ष जिससे वह सम्बन्धित लगता हो में विस्तृत विवरण प्राप्त होने तक उसका अन्तरण सही शीर्ष में लम्बित रखते हुए, जमा किया जाना चाहिए।
जन लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्त लेखे से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण अथवा ऐसे अन्य लेखे अथवा वित्त सम्बन्धी प्रकरणों जो समिति के सम्मुख रखे जाते हैं या जिनकी समिति संवीक्षा करना आवश्यक समझती है, के लिए विधानमण्डल द्वारा गठित एक समिति है।

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://agraj.cag.gov.in